रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27—जुलाई 03, 2009 (आषाढ़ 06, 1931)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27—JULY 03, 2009 (ASADHA 06, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 623

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 581

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 71

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1121

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 2383

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 3995

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 201

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—121GI/2009

CONTENTS

PART I – SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 623

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 581

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 71

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1121

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 2383

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 3995

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 201

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2009

सं0 43-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारियों का नाम एवं रैंक</u>

सर्व श्री

1.	भास्कर दत्तात्रेय कदम पुलिस उप निरीक्षक	(पीपीएमजी)
2.	हेमन्द अनन्त बव्धंकर सहायक पुलिस निरीक्षक	(पीपीएमजी)
3.	संजय यशवंत गोविलकर सहायक पुलिस निरीक्षक	(पीपीएमजी)
4.	अशोक मुरलीधर शैल्के हैड कांन्स्टेबल	(पीएमजी)
5.	सुनील सहदेव सोहानी पुलिस कांस्टेबल	(पीएमजी)
6.	विजय माधवराव अवहद पुलिस नायक	(पीएमजी)
7.	विक्रम तानाजी निकाम हैड कांस्टेबल	(पीएमजी)
8.	शिवाजी काशीनाथ कोल्हे हैड कांस्टेबल	(पीएमजी)
9.	सरजीराव जीजाबा पवार सहायक उपनिरीक्षक	(पीएमजी)
10.	संजय अनन्त पाटिल पुलिस कांस्टेबल	(पीएमजी)
11.	चन्द्रकान्त गणपत काम्बले पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर	(पीएमजी)

12.	मन्गेश अनन्त नायक पुलिस नायक	(पीएमजी)
13.	सन्तोष पाण्डुरंग चन्दवंकर पुलिस नायक	(पीएमजी)
14.	चन्द्रकान्त सदाशिव चवन हैड कांस्टेबल	(पीएमजी)
15.	रमेश श्रीपति माने पुलिस कांस्टेबल	(पीएमजी)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

26 नवम्बर, 2008 को कई आतंकवादियों ने ए.के.47 राइफलों, ग्रेनेडों और विस्फोटकों से दक्षिण मुम्बई के विभिन्न स्थानों पर एक साथ हमला किया और अंधाधुन्ध गोलीबारी करके कई नागरिकों तथा पुलिस कर्मिकों को मार दिया तथा कुछ को जख्मी कर दिया। डा0 डी बी मार्ग थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री नागप्पा माली और गिरगाँव डिवीजन के ए.सी.पी. श्री तानाजी घाडगे ने डा० डी.बी. मार्ग पुलिस थाना के पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सूचित किया कि उक्त आतंकवादी सम्भवत: पूर्वी मुम्बई की ओर आगे बढ़ेंगे और उन्हें गिरगाय चौपाटी की ओर बढ़ने तथा नाकाबंदी करने का अनुदेश दिया। वरिष्ठ अधिकारियों का अनुदेश मिलने पर पी एस आई कदम, एपीआई बव्धंकर, एपीआई गोविलकर, एच सी अशोक मुरलीधर शेल्के, पीसी सुनील सहदेव सोहानी, पीएन विजय माधवराव अवहद, एचसी विक्रम तानाजी निकम, एचसी शिवाजी काशीनाथ कोल्हे, ए एस आई सरजीराव जीजाबा पवार, एएस आई (स्वर्गीय) तुकाराम गोविन्द ओमबाले, पीसी संजय अनन्त पाटिल पीसीडी चन्द्रकान्त गणपत काम्बले पीए, मन्गेश अनन्त नायक, पीएन सन्तोष पाण्डुरंग चंदवंकर एच सी, चन्द्रकान्त सदाशिव चवन, पीसी रमेश श्रीपति माने के साथ तुरन्त घटनास्थल की ओर बढ़े और उन्होंने पोजीशन ले ली तथा अवरोध लगाकर नाकावंदी कर दी। 27 नवम्बर, 2008 को 00.16 बजे गिरगाम संभाग के ए सी पी तानाजी घाटगे ने नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया कि दो सशस्त्र आतंकवादी एक छीनी गई स्कोडा गाड़ी से मान ड्राइव की ओर बढ़ रहे है। अत: नियत्रण कक्ष ने तत्काल एक ग्लोबल काल करते हुए सभी पुलिस कार्मिकों को सूचित किया कि दो सशस्त्र आतंकवादी एक स्कोडा मोटर में मरीन ड्राइव से विधान भवन की ओर बढ़ रहे हैं। मोटर मोबाइल पर वायरलेस आपरेटर पीसी पाटिल ने आतंकवादियों के आने के सम्बंध में पुलिस दल को चौकस कर दिया इससे समूचा पुलिस बल बेहतर तरीके से चौकस हो गया। लगभग 00.30 बजें पुलिस दल ने देखा कि सिल्वर कलर की एक स्कोडा गाडी एन.एस. पुरन्दर मार्ग पर तीव्र गति से चली आ रही है। संदिग्ध गाड़ी को आते देख पी एन नायक और पीसी चेन्दवांकर, जो एसएल आर राइफलों से लैस थे, ने अवरोधों के पीछे पोजीशन ले ली। समस्त दल ने उस गाड़ी को रोकने के लिए सीटी बजाई, इशारा किया और जोर से चिल्लाए। यह वाहन अवरोधों से 50 फिट पीछे रूक गया। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के पश्चात वाहन चालक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और पुलिस की गिरफ्त से भागने के इरादे

से दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में उक्त मोटर वाहन रोड डिवायडर से टकरा गया। तुरन्त ही उक्त टीम ने उक्त वाहन को चारो ओर से घेर लिया तथा अन्दर बैठे लोगों को नीचे उतरने की चेतावनी दी। ड्राइवर तथा दूसरी सवारी ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए तथा आत्मसमर्पण करने का दिखावा किया। अकस्मात वाहन चालक मुड़ा तथा उसने अपनी पिस्तौल से पुलिस दल पर गोली चला दी। पीएसआई कदम और एपीआई बावधंकर ने बड़ी बहादुरी एवं साहसपूर्ण ढंग से अपने सर्विस पिस्तौल से हमलावरों पर जवाबी गोली चलाई और उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त ड्राइवर (जो अब अबू इस्माइल के नाम से ज्ञात है) ने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इसी बीच पीएन अवहद घायल ड्राइवर की ओर दौड़े तथा कार से चाबी निकाल ली और ड्राइवर से पिस्तौल छीन लिया। कोल्हे तथा निकाय ने ड्राइवर डोर के पास हैण्ड रेस्ट पर रखी एक एके-47 राइफल देखी तथा, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता एवं मनों बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस स्थिति में अन्दर बैठे दूसरे व्यक्ति (जिसे अब अजमल अमीर कसाब के नाम से जाना जाता है) ने अपनी ओर वाला दरवाजा खोला और जमीन पर गिरने का ढोंग रचा। उसने अपनी एके-47 राइफल से पुलिस पर एकाएक गोलियां चला दीं तभी (स्वर्गीय) ए एस आई तुकाराम गोपाल ओमबाले ने दुर्लभ एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुलिस के अपने साथियों की रक्षा करते हुए उस आतंकवादी की बन्दूक की नली पकड़ ली। तथापि इस प्रक्रिया में उसके गोली लग गई। उक्त आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली से एपीआई गोविलकर को भी गोली लगी। तब भी, एपीआई गोविलकर ने एएसआई पवार, एचसी शेल्के, एचसी चवन, पीसी सोहनी, पीसी माने और पीसी कम्बले के साथ उस पर झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। इस सशस्त्र आतंकवादी को तत्काल लाठियों की सहायता से हिरासत में लिया गया। हैड कांस्टेबल ने आतंकवादी के हाथों से एके-47 राइफल छीन ली तथा पुलिस कांस्टेबल सोहानी ने उसकी कारगो पैंट की जेब से उसकी पिस्तौल निकाल ली। उसी समय पीएसआई कदम घायल आतंकवादी की ओर आगे बढ़े तथा अपने रूमाल से उसके हाथ बांध दिए। एपी आई गोविलकर तथा ए एस आई ओमबाले, जो आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली से घायल हो गए थे, को तुरन्त हरकिशन दास अस्पताल ले जाया गया। एएसआई ओमबाले की जख्मों के कारण मौत हो गयी परन्तु एपीआई गोविलकर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। दोनो घायल आतंकवादियों को चिकित्सा उपचार के लिए नायर अस्पताल ले जाया गया जहाँ अबू इस्माइल नाम के आतंकवादी को भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया और अजमल आमीर कसाब को चिकित्सा उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया। इस सम्पूर्ण अभियान के दौरान टीम ने अत्याधिक प्रेरक शक्ति एवं प्रतिबद्धता से अपने जीवन को स्वेच्छा से जोखिम में डाल कर काम किया तथा एतद्द्वारा उक्त दो सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा रची गई आपदा को टाल दिया। इन दुष्कृत्यकर्ताओं के द्वारा देश के विरूद्ध रचे गए भयानक युद्ध के षडयंत्र को अजमल आमीर कसाब नामक आतंकवादी को जिन्दा पकड़कर टाल दिया गया।

इस मुठभेड में सर्व श्री भास्कर दत्तात्रेय कदम पीएसआई, हेमन्त अनन्त बवधंकर, एपीआई, संजय यशवंत गोविलकर, एपीआई; अशोक मुरलीधर शेल्के, एचसी, सुनील सहदेव सोहानी, पुलिस कांस्टेबल, विजय माधवराव अवहद पुलिस नायक, विक्रम तानाजी निकाम, हैड कांस्टेबल, शिवाजी काशीनाथ कोल्हे एच सी, सरजीराव जीजावा पवार एएसआई; संजय अनन्त

पाटिल, पुलिस कांस्टेबल; चन्द्रकान्त गणपत काम्बले, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, मंगेश अनन्त नायक, पुलिस नायक; संतोष पाण्डुरंग चंदवंकर, पुलिस नायक, चन्द्रकान्त सदाशिव चवन, हैड कान्स्टेबल; रमेश श्रीपति माने, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य शौर्य, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया।

ये पुरस्कार राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 27.11.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 44-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	प्रकाश पाण्डुरंग मोरे पुलिस उप निरीक्षक	(मरणोपरान्त)
2.	वापू राव साहेब राव दुरगडे पुलिस उप निरीक्षक	(मरणोपरान्त)
3.	वलवंत चन्दु भोंसले सहायक पुलिस उपनिरीक्षक	(मरणोपरान्त)
4.	विजय मधुकर खाण्डेकर पुलिस कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
5.	जयवंत हनुमंत पाटिल पुलिस कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
6.	योगेश शिवाजी पाटिल पुलिस कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
7.	राहुल सुभाष शिन्दे पुलिस कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

<u>स्वर्गीय श्री पाण्डुरंग मोरे द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 को होटल ताज, होटल ओबराय, नरीमन हाउस तथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर एक साथ हुए एक विध्वंसक आतंकवादी हमले में, जिसमें कुछ विदेशी राष्ट्रिकों सहित कई लोग मारे गए थें, श्री प्रकाश पाण्डुरंग मोरे ने अनुकरणीय साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया। वह एलटी मार्ग पुलिस थाना पर नाइट स्टेशन हाउस रिलीफ डियूटी पर थे। आतंकवादियों का विचार था कि ऐसी आम और अधिकाधिक हत्याएं की जाएं जिसकी दहशत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक हो। उस रात दो आतंकवादियों ने अपनी

एके-47 राइफल से अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाना शुरू करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर नृशंसतापूर्वक कुछ निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। पुलिस कार्मिकों द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने पर ये आतंकवादी बदरूद्दीन तैय्यबजी मार्ग की ओर भाग गए। यहाँ उन्होंने तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा कामा हास्पिटल में प्रवेश कर गए। एके-47 जैसे प्राणघातक हाथियारों का प्रयोग करते हुए एवं आम आदमी पर निष्ठुरतापूर्ण गोली चलाते हुए इन आतंकवादियों को अस्पताल एक साफ्ट टारगेट लगा। उन्होंने कामा हास्पिटल के दो सुरक्षा कार्मिकों और अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्यों की हत्या करके अपनी यह विनाशलीला जारी रखी।

इसकी जानकारी मिलते ही अपर पुलिस आयुक्त श्री सदानन्द दाते, केन्द्रीय क्षेत्र, आतंकवादियों पर जवाबी हमला करने के लिए एपीआई पवार, एपीआई शिन्दे, पीएस आई मोरे, पुलिस कांस्टेबल आपरेटर तिलेकर और श्री खाण्डेकर एवं अन्य उपलब्ध पुलिस कार्मिकों के साथ कामा हास्पिटल की ओर दौड़े। इसी बीच एक वायरलेस संदेश प्रसारित कराया गया कि कुछ आतंकवादी कामा हास्पिटल में घुस गए हैं। श्री दाते, श्री मोरे कुछ अन्य स्टाफ के साथ, अपने जीवन एवं सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादियों की गिरफ्त में फँसे लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए इन आतंकवादियों का पीछा करते हुए कामा हास्पिटल में अन्दर चले गए। आतंकवादियों का पीछा करते हुए वे टैरेस की ओर आगे बढ़े। यह आतंकवादी क्रोधोन्माद में, जानबूझकर व्यक्तियों की हत्या कर रहे थे। इन आतंकवादियों ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अत्याधुनिक हथियारों से नृशंस गोलीबारी जारी रखी। निडर, श्री मोरे पुलिस पार्टी के साथ उन आतंकवादियों की ओर आगे बढ़े तथा उनकी गोलीबारी का विरोध किया। प्राणघातक चोट लगने के बावजूद श्री मोरे तथा श्री खाण्डेकर ने उन आतंकवादियों से अपनी जंग जारी रखी तथा उन दुर्दान्त आतंकवादियों के सम्मुख अडिग किले की तरह नाकाबंदी कर ली। अन्ततः इन आतंकवादियों ने श्री मोरे, श्री खाण्डेकर तथा अन्य पुलिस कार्मिकों पर हथगोले फेंके। श्री मोरे अन्तिम सांस तक लड़ते रहे और अन्ततः आतंकवादियों द्वारा फेंके गए हथगोले के स्पलिण्टरों एवं गोलियों से उन्होंने दम तोड़ दिया।

श्री मोरे अदम्य साहस के साथ अपने जीवन को खतरे में डालकर निर्दोष लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए अपनी कर्तव्यनिष्ठा से कहीं आगे बढ़ गए। आतंकवादियों द्वारा उन्मत्त गोलीबारी पर जवाबी हमला करते हुए अपने साथियों एवं आम आदमी के जीवन की रक्षा करने के लिए उनका अनुकरणीय साहस एवं आत्मबलिदान वास्तव में प्रशंसनीय हैं जो पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसे साहस के अनुरूप ही है।

<u>श्री बापूराव साहेबराव दुरगुडे द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 को होटल ताज, होटल ओबराय, नरीमन हाउस तथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर एक साथ हुए एक विध्वंसक आतंकवादी हमले में जिसमें कुछ विदेशी राष्ट्रिकों सहित कई लोग मारे गए थे, श्री बापूराव साहेबराव दुरगुडे ने अनुकरणीय साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया। वह एलटी मार्ग पुलिस थाना पर नाइट स्टेशन हाउस रिलीफ डियूटी पर थे। आतंकवादियों का विचार था ऐसी आम और अधिकाधिक हत्याएं की

जाएं जिसकी दहशत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक हो। उस रात दो आतंकवादियों ने अपनी एके-47 राइफल से अन्धाधुन्ध गोलियां चलाना शुरू करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर नृशंसतापूर्वक कुछ निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। पुलिस कार्मिकों द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने पर ये आतंकवादी बदरुद्दीन तैय्याबजी मार्ग की ओर भाग गए। यहां उन्होंने तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा कामा हास्पिटल में प्रवेश कर गए। एके-47 जैसे प्राणघातक हाथियारों का प्रयोग करते हुए एवं आम आदमी पर निष्ठुरतापूर्ण गोली चलाते हुए इन आतंकवादियों को अस्पताल एक साफ्ट टारगेट लगा। उन्होंने कामा हास्पिटल के दो सुरक्षा कार्मिकों और अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्यों की हत्या करके अपनी यह विनाशलीला जारी रखी।

अपर पुलिस आयुक्त केन्द्रीय क्षेत्र श्री दाते और अपर पुलिस आयुक्त पूर्वी क्षेत्र, श्री कामते की पुलिस टीम द्वारा किए गए जवाबी हमले से आतंकवादी कामा हास्पिटल के फ्रण्ट गेट से महापालिका मार्ग की ओर भागे। पी एस आई श्री दुरगुडे असाल्ट मोबाइल पर रात्रिकालीन डियूटी के लिए रिपोर्ट करने हेतु रास्ते में महापालिका मार्ग पर थे। इस आतंकी हमले की खबर सुनकर उन्होंने महसूस किया कि सड़क पर दर्शकों का जीवन खतरे में है तो उन्होंने उन्हे सतर्क करना शुरू कर दिया। इसी स्थिति में उन्होने देखा कि दोनों आतंकवादी उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। वह अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह न करके तथा अपने देशवासियों एवं साथियों की जीवन रक्षा करने के लिए, उन कट्टर आतंकवादियों को ललकारते हुए उनकी ओर आगे बढ़े। उन दोनों उग्रवादियों ने जब यह देखा कि श्री दुरगुडे उनकी और बढ़ते चले आ रहे हैं तो उन्होंने उन पर यकायक गोलियां चला दी जिससे की एस आई दुरगुडे का देहावासन हो गया।

पुलिस पार्टी की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई से ये दोनों आतंकवादी विधान भवन के सामने बने मैट्रो जंक्शन होकर रंग भवन लेन की ओर बढ़े और अन्ततः गिरगाम चौपाटी जंक्शन पहुंचे जहाँ उन्हें गोलीवारी के बीच डा0 डी बी मार्ग पुलिस थाना स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया। एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया तथा दूसरा स्वचालित आग्नेयास्त्रों एवं हथगोलों से घायल स्थिति में जिन्दा पकड़ लिया गया।

पुलिस उपनिरीक्षक दुरगुडे ने अपने साथी देशवासियों की रक्षा में अनुकरणीय उदाहरण प्रदर्शित करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सशस्त्र आतंकवादियों से घिरे श्री दुरगुडे ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन त्याग दिया।

<u>श्री बलवंत चन्दू भोंसले द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

श्री बलवंत चन्दू भोंसले, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को, सहायक पुलिस आयुक्त पायधोनिक संभाग, मुम्बई श्री शान्तिलाल बहमरे के ड्राइवर के रूप में तैनात किया गया था । आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की सूचना प्राप्त होने पर एसीपी श्री बहमरे ने अपनी पुलिस क्वालिस जीप एम एच-01-बी.ए.569 चलाने के लिए बहादुर एवं दक्ष ड्राइविंग में विशेषज्ञता के लिए विख्यात, श्री भोंसले और आपरेटर, योगेश पाटिल को लिया

तदनुसार, श्री बहमरे, श्री भोसले और श्री योगेश पाटिल के साथ मिलकर एल.टी. मार्ग पर हड़बड़ाये दर्शकों को नियन्त्रित करने एवं आतंकियों पर जवाबी हमला करने की दृष्टि से पैट्रोलिंग करने लगे। सड़क पर लोगों में अफरातफरी-एवं अराजकता का महौल था क्योंकि आतंकवादियों द्वारा विभिन्न स्थलों पर किए गए हमले की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। नियन्त्रण कक्ष से आतंकवादियों द्वारा विभिन्न स्थलों पर किए गए हमलों के अत्यावश्यक संदेश प्रसारित किए गए थे। सामूहिक नरसंहार करके दहशत फैलाना आतंकवादियों की योजना का एक व्यापक आयाम है जिसका राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बिस्तार है। आतंकवादी निरीह लोगों की नृशंस हत्यायें कर रहे थे। इस समय एक संदेश दिया गया कि आतंकवादी कामा हास्पिटल में हैं क्योंकि कामा हास्पिटल से विस्फोट एवं गोलीबारी की भारी आवाज आ रही थी।

श्री बहमरे, श्री भोसले और श्री योगेश पाटिल ने इस आह्वान का जवाब दिया और अपने आदमियों को कामा हास्पिटल के पिछले गेट के पास इकट्ठा कर लिया। यहाँ श्री करकरे, श्री कामटे और श्री सालासकर अभियान चलाने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। श्री भोंसले, के स्थिति की गम्भीरता का आकलन करते हुए अपनी गाड़ी में ही चौकस एवं सतर्क रहे। जब श्री करकरे, श्री कामटे और श्री सालासकर आतंकवादियों पर जवाबी हमले की रणनीति बना रहे थे तभी इन दोनों आतंकवादियों ने कामा हास्पिटल के पिछले द्वार पर मौजूद पुलिस पार्टी पर कामा हास्पिटल के टेरेस से गोलियाँ चला दीं। आतंकवादी टैरेस से, सड़क पर, खड़ी पुलिस पार्टी पर गोलियाँ चला रहे थे जो रणनीतिक रूप से काफी अलाभकर स्थिति थी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करने पर आतंकियों ने अपना हमला रोक दिया और वहाँ कुछ क्षणों के लिए शान्ति छा गई। हालात का जायजा लेने के पश्चात घटनास्थल पर एक टीम तैनात की गई। श्री करकरे, श्री अशोक कामटे ने श्री विजय सालासकर तथा स्टाफ के साथ मिलकर पहल की और आतंकवादियों को कामा हास्पिटल से बचकर भाग निकलने से रोकने के लिए वे पुलिस की क्वालिस जीप में श्री अरूण जाधव, श्री जयन्ती पाटिल, श्री योगेश पाटिल, और ड्राइवर श्री भोंसले के साथ सवार हुए तथा पूर्व वर्णित क्वालिस जीप में बैठे पुलिस कार्मिकों को भी अपने साथ ले लिया श्री भोंसले, अदम्य साहस एव दिलेरी से अपने ऊपर गोली लगने की जोखिम से बेपरवाह अन्य अधिकारियों के साथ जीप पर सवार हुए। साहस के प्रतीक श्री भोंसले, जिनकी सेवानिवृत्ति के अभी कुछ ही वर्ष शेष बचे थे, सतत उनके साथ लगे रहे और क्वालिस जीप की पिछली सीट पर बैठ गए। यह गाड़ी श्री सालासकर चला रहे थे और जैसे ही वे कारपोरेशन बैंक के एटीएम के पास पहुंचे, आतंकवादी, जिन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी वहां पहुँच जाएगी,भौचक्के रह गए। इस कारण वे कारपोरेशन बैंक के एटीएम के पास की झाड़ियों में छुप गए। इन दोनों आतंकवादियों ने क्वालिस जीप में बैठे पुलिस बल पर छिप कर हमला किया। हालांकि पुलिस बल को गम्भीर चोटें लगी थीं, इसके बावजूद पुलिस दल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों पर जवाबी हमला किया और एक आतंकवादी को घायल कर दिया। लेकिन श्री करकरे, श्री कामटे, श्री सालासकर, श्री योगेश पाटिल, श्री जयंवत पाटिल और श्री भोसले की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। एकाकी जीवित बचे श्री अरूण जाधव बुरी तरह घायल हो गए। आतंकवादियों द्वारा पहुंचाई गई चोट से उनकी कार्यक्षमता में कमी आ गई। तदुपरान्त, जब आतंकवादी छीनी गई स्कोडा गाड़ी से भाग रहे थे, तभी घायल आतंकवादी को

गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथी को गिरगाँव चौपाटी पर पुलिस पार्टी द्वारा गोली से मार गिराया गया।

श्री भोंसले ने स्वचालित हथियारों तथा हथगोलों से लैस आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध में अनुकरणीय साहस, बहादुरी एवं वीरता की प्रदर्शन किया।

<u>श्री विजय मधुकर खाण्डेकर पुलिस कांस्टेबल द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 को होटल ताज, होटल ओबराय, नरीमन हाउस तथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर एक साथ हुए एक विध्वंसक आतंकवादी हमले में, जिसमें कुछ विदेशी राष्ट्रिकों सहित कई लोग मारे गए थे, श्री विजय मधुकर खाण्डेकर ने अनुकरणीय साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया। वह एलटी मार्ग पुलिस थाना पर नाइट स्टेशन हाउस रिलीफ डियूटी पर थे। आतंकवादियों का विचार था कि ऐसी आम और अधिकाधिक हत्याएं की जाएं जिसकी दहशत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक हो। उस रात दो आतंकवादियों ने अपनी एके-47 राइफल से अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाना शुरू करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर नृशंसतापूर्वक कुछ निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। पुलिस कार्मिकों द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने पर ये आतंकवादी बदरूद्दीन तेय्याबजी मार्ग की ओर भाग गए। यहाँ उन्होंने तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा कामा हास्पिटल में प्रवेश कर गए। एके-47 जैसे प्राणघातक हाथियारों का प्रयोग करते हुए एवं आम आदमी पर निष्ठुरतापूर्ण गोली चलाते हुए इन आतंकवादियों को अस्पताल एक साफ्ट टारगेट लगा। उन्होंने कामा हास्पिटल के दो सुरक्षा कार्मिकों और अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्यों की हत्या करके अपनी यह विनाशलीला जारी रखी।

इसकी जानकारी मिलते ही अपर पुलिस आयुक्त श्री सदानन्द दाते, केन्द्रीय क्षेत्र, ने आतंकवादियों पर जवाबी हमला करने के लिए एपीआई पवार, एपीआई शिन्दे, पी एस आई मोरे पुलिस कांस्टेबल आपरेटर तिलेकर और श्री खाण्डेकर एवं अन्य उपलब्ध पुलिस कार्मिकों के साथ कामा हास्पिटल की ओर दौड़े। इसी बीच एक वायरलेस संदेश प्रसारित कराया गया कि कुछ आतंकवादी कामा हास्पिटल में घुस गए हैं। श्री दाते एवं श्री विजय मधुकर खाण्डेकर, कुछ अन्य स्टाफ के साथ, अपने जीवन एवं सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादियों की गिरफ्त में फँसे लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए इन आतंकवादियों का पीछा करते हुए कामा हास्पिटल में अन्दर चले गए। आतंकवादियों का पीछा करते हुए वे टैरेस की ओर आगे बढ़े। यह आतंकवादी क्रोधोन्माद में, जानबूझकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर रहे थे। इन आतंकवादियों ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अत्याधुनिक हथियारों से नृशंस गोलीबारी जारी रखी। निडर, श्री विजय मधुकर खाण्डेकर पुलिस पार्टी के साथ उन आतंकवादियों की ओर आगे बढ़े तथा उनकी गोलीबारी का विरोध किया। प्राणघातक चोट लगने के बावजूद श्री विजय मधुकर खाण्डेकर और श्री मोरे ने उन आतंकवादियों से अपनी जंग जारी रखी तथा उन दुर्दान्त आतंकवादियों के समक्ष अडिग किले की तरह नाकाबंदी कर ली। अन्ततः इन आतंकवादियों ने श्री मोरे, श्री खाण्डेकर तथा अन्य पुलिस कार्मिकों पर हथगोले फेंके। श्री विजय मधुकर खाण्डेकर अन्तिम सांस तक लड़ते रहे और

अन्ततः आतंकवादियों द्वारा फैंके गए हथगोले के स्पलिण्टरों एवं गोलियों से उन्होंने दम तोड़ दिया।

श्री खाण्डेकर ने आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी का मुकाबला करने में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया। पुलिस पार्टी द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी हमले में श्री खाण्डेकर ने अपने साथियों तथा आम जनता के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

<u>श्री जयवंत हनुमंत पाटिल द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

श्री जयवंत हनुमंत पाटिल, पुलिस कांस्टेबल, बकल सं0 29180 ने मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 को होटल ताज, होटल ओबेराय, नरीमन हाउस तथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर एक साथ हुए एक विध्वंसक आतंकवादी हमले, जिसमें कुछ विदेशी राष्ट्रिकों सहित कई लोग मारे गए, के दौरान अनुकरणीय साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही श्री जयवंत पाटिल तुरन्त हरकत में आ गए तथा अपर पुलिस आयुक्त श्री अशोक कामटे के साथ घटना स्थल की ओर दौड़े। इस समय तक आतंकवादियों ने एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग करके सी एस टी रेलवे स्टेशन पर नरसंहार कर दिया था और वे उपगामी पैदल पारपथ से होकर बदरूनद्दीन तैय्यब जी मार्ग की ओर बढ़ गए थे। वे आतंकवादी कामा हास्पिटल में प्रवेश कर गए और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना जारी रखा। आतंकवादियों की योजना सामूहिक नरसंहार के जरिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक फैलाने की थी। उन्होंने श्री दाते, अपर पुलिस आयुक्त, केन्द्रीय क्षेत्र और उनके स्टाफ पर भी हमला किया जो उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने अपने मारक हथियारों एके-47 से तथा उन पर हथगोले फेंककर दो पुलिस कार्मिकों की हत्या कर दी तथा अन्य कइयों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

नियन्त्रण कक्ष से यह सूचना प्राप्त होते ही कि आतंकवादी कामा हास्पिटल में घुस गए हैं, श्री हेमन्त कमलाकर करकरे, संयुक्त पुलिस आयुक्त एटीएस श्री कामटे अपर पुलिस आयुकत पूर्वी क्षेत्र, श्री विजय सालसकर पुलिस निरीक्षक, एण्टी एक्सटार्शन सैल, क्राइम ब्रांच, सीआईडी और उनका स्टाफ कामा हास्पिटल के बदरूद्दीन तैय्यब जी मार्ग पर बने पिछले द्वार पर एकत्र हुआ। यहां से गोले फटने तथा एके-47 राइफलें चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पृष्ठभूमि में भी श्री करकरे, श्री कामटे तथा श्री सालासकर आतंकवादियों का मुकाबला करने की रणनीति बनाते रहे। इस पर दोनों आतंकवादियों ने कामा के टैरेस से, कामा के पिछले गेट पर मौजूद पुलिस पार्टी पर गोलियाँ चला दीं। यह आतंकवादी सड़क पर खड़ी पुलिस पार्टी पर टैरेस से गोलियाँ चला रहे थे यह रणनीतिक रूप से पूरी तरह से अलाभकर स्थिति थी। फिर भी श्री कामटे जो कमाण्डो रणनिति में विशेष रूप से प्रशिक्षित थे अत्यधिक साहस का प्रदर्शन किया तथा उन्होंने आतंकवादियों पर टैरेस की दिशा में गोलीवारी की।

श्री कामटे द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद कुछ समय तक शान्ति बनी रही। यह स्पष्ट था कि यह कार्रवाई आसान तथा जल्दी सफलता दिलाने वाली नहीं होगी। अंधेरा था और

आतंकवादी पुलिस को यूनीफार्म से पहचान लेते थे। इस स्थिति में इन तीनों ने महापालिका मार्ग से गोली चलने की आवाज सुनी। अतः उन्होंने अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कामा हास्पिटल के पिछले गेट पर बाहर से घेराबंदी के लिए तैनाती कर दी। श्री करकरे, श्री कामठे, श्री सालसकर और स्टाफ तथा श्री भोसले, श्री जयवंत पाटिल, श्री योगेश पाटिल और श्री अरूण जाधव के साथ पुलिस की क्वालिस जीप सं0 एमएच-01-बीए-569 में सवार होकर महापालिका मार्ग की ओर आगे बढ़े। श्री सालासकर उनकी ओर बढ़ रही जीप चला रहे थे। इस कारण आतंकवादी कारपोरेशन बैंक के एटीएम सेण्टर के पास झाड़ियों में छुप गए। इन दोनों आतंकवादियों ने क्वालिस जीप में जा रही पुलिस पर घात लगा के हमला किया। तथापि, पुलिस दल के प्राणघातक चोट लगाने के बावजूद, पुलिस दल ने अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और एक आतंकवादी को जख्मी कर दिया। परन्तु श्री करकरे, श्री कामटे, श्री सालासकर, श्री भोसले, श्री योगेश पाटिल, और श्री जयवंत पाटिल की चोट लगने के कारण बाद में मृत्यु हो गई। एकाकी जीवित बचे श्री अरूण जाधव गम्भीर रूप से घायल हो गए। आतंकवादियों द्वारा पहुंचाई गई चोट से वह कम प्रभावी रह गए। तदनन्तर जब आतंकवादी छीनी गई स्कोडा गाड़ी में भाग रहे थे, तो घायल आतंकवादी पकड़े गए ओर उसका साथी गिरगॉव चौपाटी मार्ग पर पुलिस दल द्वारा मार गिराया गया।

श्री पाटिल ने आतंकवादियों के विरूद्ध लड़ी गई लड़ाई में अनुकरणीय साहस बहादुरी एवं वीरता का परिचय दिया।

<u>श्री योगेश शिवाजी पाटिल द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

श्री योगेश शिवाजी पाटिल, पुलिस कांस्टेबल पिधौनी संभाग, मुम्बई के सहायक पुलिस आयुक्त श्री शान्ति लाल बहमरे के वायरलेस अपरेटर थे। आतंकियो द्वारा हमला किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर श्री बहमरे वासरलैस आपरेटर श्री योगेश पाटिल तथा ड्राइवर श्री भोसले को लेकर पुलिस जीप सं0 एम एच-01-बी-569 से घटना स्थल पर पहुंचे।

तदनुसार, श्री बहमरे, श्री योगेश पाटिल और श्री भोसले के साथ, सड़क पर चल रहे लोगों को नियन्त्रित करने तथा आतंकवादियों पर जवाबी हमला करने के लिए एल टी मार्ग पर पैट्रोल करने लगे। सड़क पर चल रहे लोगों में अफरातफरी का महौल था क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि आतंकवादियों ने किन-किन स्थानों पर हमला किया है। आतंकवादियों द्वारा विभिन्न स्थलों पर किए गए हमलों के सम्बंध में नियन्त्रण कक्ष से विभिन्न संदेश भेजे गए। इसी समय एक संदेश मिला कि आतंकवादी कामा हास्पिटल पर हैं। कामा हास्पिटल से विस्फोटो तथा फायरिंग की आवाजें आ रहीं थी ।

श्री बहमरे, श्री भोसले और श्री योगेश पाटिल ने इस आह्वान का जवाब दिया और अपने आदमियों को कामा हास्पिटल के पिछले गेट के पास इकट्ठा कर लिया। वे महापालिका मार्ग के अन्त से बदरूद्दीन तैय्यब जी मार्ग से कामा हास्पिटल के पिछले गेट की ओर बढ़े । यहां श्री करकरे श्री ममटे और श्री सालासकर अभियान उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। श्री योगेश पाटिल ने

स्थिति की गम्भीरता का आकलन करते हुए अपनी गाड़ी में ही चौकस एवं सतर्क होकर कन्ट्रोल रूम से आ रही कालों की मानीटरिंग कर रहे थे। रहे। जब श्री करकरे, श्री कामटे और श्री सालासकर आतंकवादियों पर जवाबी हमले की रणनीति बना रहे थे तभी दोनों आतंकवादियों ने कामा हास्पिटल के टेरेस से गोलियां चला दीं। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करने पर आतंकियों ने अपना हमला रोक दिया और वहाँ कुछ क्षणों के लिए शान्ति छा गई। हालात का जायजा लेने के पश्चात घटनास्थल पर एक टीम तैनात की गई। श्री करकेर, श्री अशोक कामटे ने श्री विजय सालासकर तथा स्टाफ के साथ मिलकर (पहल की और आतंकवादियों को कामा हास्पिटल से बचकर भाग निकलने से रोकने के लिए वे पुलिस की क्वालिस जीप सं0 एम एच 01-बीए-569 जिसमें श्री अरूण जाधव, श्री जयन्ती पाटिल, श्री योगेश पाटिल, और ड्राइवर श्री भोंसले तथा पूर्व वर्णित क्वालिस जीप में बैठे पुलिस कार्मिकों को साथ लेकर क्वालिस जीप पर सवार हुए। कामा हास्पिटल में चल रहे आतंकी हमले से पूर्णतया दबावमुक्त श्री योगेश पाटिल ने क्वालिस जीप में श्री करकरे, श्री कामटे, श्री सालास्कर, श्री अरूण जाधव, श्री जयवंत पाटिल और श्री भोंसले के साथ अग्रणी भूमिका निभाई। साहस के प्रतीक श्री योगेश पाटिल, सतत उनके साथ लगे रहे और क्वालिस जीप की पिछली सीट पर बैठ गए। यह गाड़ी श्री सालासकर चला रहे थे और जैसे ही वे कारपोरेशन बैंक के एटीएम सेण्टर के पास पहुंचे, आतंकवादी, जिन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी वहां पहुँच जाएगी,भौचक्के रह गए और पुलिस पर अपनी एके-47 से गोलियाँ चला दी। हालांकि पुलिस बल को गम्भीर चोटें लगी थीं, इसके बावजूद पुलिस दल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों पर जवाबी हमला किया और एक आतंकवादी को घायल कर दिया। लेकिन श्री करकरे, श्री कामटे, श्री सालासकर, श्री भोसले, श्री जयंवत पाटिल और श्री योगेश पाटिल की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। एकाकी जीवित बचे श्री अरूण जाधव बुरी तरह घायल हो गए। आतंकवादियों द्वारा पहुंचाई गई चोट से उनकी कार्यक्षमता में कमी आ गई।

तदुपरान्त जब आतंकवादी छीनी गई स्कोडा गाड़ी से भाग रहे थे, तभी घायल आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथी को गिरगाँव चौपाटी पर पुलिस पार्टी द्वारा गोली से मार गिराया गया।

श्री योगेश शिवाजी पाटिल ने राष्ट्र के लिए अपने युवा कर्मठ जीवन का बलिदान कर दिया और स्वचालित हथियारों एवं हथगोलों से लैस आतंकवादियो के विरूद्ध लड़ाई में अनुकरणीय साहस, बहादुरी एवं वीरता का प्रदर्शन किया।

<u>श्री राहुल सुभाष सिन्दे द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

श्री राहुल सुभाष सिन्दे, एपीसी बी0. सं0 660, एस आर पी एफ जीआर एक्स की कम्पनी 'ए' की प्लाटून सं0 2 में तैनात था जिसे मुम्बई में 18.10.2008 से तैनात किया गया था। घटना की तारीख 26 नवम्बर 2008 को प्लाटून सं0 2 को सर जे.जे. मार्ग पुलिस थाना मुम्बई मे रोक रखा गया था जो जोन-1, मुम्बई कार्यालय के अधीन था जिसमें राहुल सुभाष सिन्दे को 19 अक्टूबर, 2008 से तैनात किया गया था।

26 नवम्बर 2008 को लगभग 21.30 बजे मुम्बई कन्ट्रोल रूम से एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ कि वह आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भाग लेने के लिए तुरन्त डीसीपी, जोन-1 को रिपोर्ट करें।

घटना की तारीख 26 नवम्बर, 2008 को भारी संख्या में सशस्त्र आतंकवादियों ने मुम्बई में होटल तथा अन्य विभिन्न स्थानों पर हमला बोल दिया था। श्री राहुल सिन्दे ने, अपना समय बरबाद किए बिना तथा प्रत्युत्पन्नमति का परिचय देते हुए, नेतृत्व दक्षता का प्रदर्शन किया और डीसीपी जोन-1 के साथ होटल ताज की ओर दौड़े। जब वे होटल पहुंचे तो आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करके तथा गोले फेंककर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे। श्री सिन्दे ने, अपने जीवन को आसन्न खतरे की जानकारी होने के बावजूद, इस अभियान में एक बहादुर सिपाही की तरह भाग लिया था। एक सच्चे एवं साहसी सैनिक की तरह वह होटल ताज में डीसीपी जोन 1, मुम्बई के साथ लगे रहे और वहाँ आतंकवादियों का मुकाबला करने की रणनीति बनाते रहे। आतंकवादियों ने होटल के अन्दर से उनकी ओर भारी गोलीबारी की। श्री सिन्दे ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। स्व0 श्री सिन्दे द्वारा की गई कार्रवाई कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं बहादुरी का दुर्लभ उदाहरण है।

इस मुठभेड में सर्व श्री(स्व0) प्रकाश पाण्डुरंग मोरे, पुलिस उपनिरीक्षक; (स्व0) बापूराव साहेबराव दुरगुडे, पुलिस उपनिरीक्षक; (स्व0) बलवंत चन्द्रु भोंसले, सहायक पुलिसउप निरीक्षक; (स्व0) विजय मधुकर खाण्डेकर, पुलिस कांस्टेबल; (स्व0) जयवंत हनुमंत पाटिल पुलिस कांस्टेबल; (स्व0) योगेश शिवाजी पाटिल, पुलिस कान्स्टेबल; (स्व0) राहुल सुभाष सिन्दे पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनॉक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 45-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. सदानन्द वसन्त दाते
   अपर पुलिस आयुक्त
2. अरूण दादा जाधव
   नायक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री सदानन्द वसन्त दाते, अपर पुलिस आयुक्त, केन्द्रीय परिक्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका

आतंकवादियों के व्यापक सशस्त्र हमले के बारे में कन्ट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर श्री सदानन्द दाते, अपर पुलिस आयुक्त, केंद्रीय परिक्षेत्र, पुलिस उप निरीक्षक पाण्डुरंग मोरे, एल टी मार्ग पुलिस थाना, एपी आई विजय सिन्दे, एपीआई विजय पवार हेड कांस्टेबल मोहन सिन्दे, कांस्टेबल विजय मधुकर खाण्डेकर, कांस्टेबल विनायक डंडगावहल/ सभी आजाद मैदान पुलिस थाना से सम्बद्ध, कांस्टेबल सचिन तिलेकर, (श्री दाते के साथ वायरलेस आपरेटर) तथा अन्य स्टाफ के साथ कामा हास्पिटल पहँचे। आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही घातक गोलियों की आवाज का अनुसरण करते हुए यह पुलिस दल कामा हास्पिटल में घुस गया और उसने आतंकवादियों का पीछा किया। पुलिस टीम को अपने पीछे आते देख दोनों आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं। इस पर श्री सदानन्द दाते ने असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपने उपरोक्त स्टाफ को एकत्र किया और गोलियों का सामना करते हुए अस्पताल में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। बिना किसी सुरक्षा कवच के यह पुलिस दल आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों, जो दीवार पर लग रहीं थी, से उत्पन्न संकट का सामना कर रहा था। आतंकवादियों द्वारा की गई प्राणघातक गोलीवारी से बिना डरे पी एस आई मोरे,तथा पी सी खाण्डेकर ने अपना जवाबी हमला साहस एवं बहादुरी से जारी रखा। पुलिस कार्मिकों को मारने के इरादे से आतंकवादियों ने उनकी ओर आती पुलिस टीम पर उच्च विस्फोटक हथगोले फेंके। आतंकवादियों द्वारा एके-47 राइफल से की गई गोली वर्षा और विस्फोटकों से पी एस आई मोरे तथा पीसी खाण्डेकर के शरीर के अधिकांश अंग घायल हो गए थे, परिणामस्वरूप चोटो के

कारण उनकी मौत हो गई। असाधारण शौर्य के साथ संघर्ष करते हुए, अन्य पुलिस अधिकारी श्री सदानन्द दाते, एपी आई विजय सिन्दे, एपी आई विजय पवार एच सी मोहन सिन्दे, पी सी सचिन तिलेकर, और पी सी विनायक घण्डगावहल भी इस गोलीवारी में बुरी तरह घायल हो गए थे तथापि, निढाल होने के बावजूद उन्होंने आम आदमी की रक्षा करने तथा उनमें विश्वास की भावना जागृत करने के लिए जवाबी कार्रवाई जारी रखी। उपर्युक्त टीम द्वारा प्रभावी सशस्त्र जवाबी कार्रवाई और बाहर टैरेस से की जा रही कार्रवाई से भयभीत आतंकवादियों ने कामा हास्पिटल को आगे वाले गेट से छोड दिया और महानगरपालिका मार्ग मार्ग की ओर बढ़ गए। पी एस आई बापू राव धुरगुडे, नईगाम असाल्ट मोबाइल में नाइट डियूटी के लिए रिपोर्ट करने हेतु रास्ते में महानगरपालिका मार्ग पर ही थे। आतंकवादियों द्वारा हमले की खबर सुनकर उसने महसूस किया कि सडक पर चल रहे लोगों के जीवन को खतरा है उसने इस सड़क पर इन्हें चौकस करना शुरू कर दिया। इसी समय उसने देखा कि दोनों आतंकवादी उसकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए पी एस आई धुरगुडे कट्टर आतंकवादियों को अपने वश में करने के इरादे से उनकी ओर आगे बढे। तथापि, अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों आतंकवादियों ने अचानक गोली चला दी जिसमें पी एस आई धुरगुडे की मौत हो गई। पी एस आई धुरगुडे ने अपने साथी देशवासियों के जीवन की रक्षा करने के लिए अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का वलिदान कर दिया। ये आतंकवादी घातक हथियारों से गोलियां बरसाते हुए महापालिका मार्ग से रंग भवन लेन की ओर आगे बढ़ गए।

<u>श्री अरूण दादा जाधव, पुलिस नायक, एण्टी एक्शटार्सन सैल, क्राइम ब्रांच, सी आई डी द्वारा अदा की गई भूमिका</u>

इसी बीच श्री हेमंत कमलाकर करकरे, संयुक्त पुलिस आयुक्त ए टी एस, श्री अशोक मारूतराव कामटे, अपर पुलिस आयुक्त, पूर्व परिक्षेत्र, श्री विजय सालासकर पुलिस निरीक्षक, एण्टी एक्सटार्शन सैल क्राइम ब्रांच, सी आई डी और उनका स्टाफ, कन्ट्रोल रूम से यह संदेश प्राप्त होने पर कि आतंकवादी कामा हास्पिटल में घुस गए हैं, बदरूद्दीन तैय्यबजी मार्ग से कामा हास्पिटल के पिछवाडे की ओर एकत्र हुआ। यहां से हथगोलों के फटने तथा एके-47 से गोली चलाने की अवाज सुनाई दे रही थी। जिस समय श्री करकरे, श्री कामटे, श्री सालासकर आंतकवादियों का मुकाबला करने की रणनीति बना रहे थे तभी दोनों आतंकवादियों ने अस्पताल के पिछले गेट पर पुलिस पार्टी की ओर कामा हास्पिटल के टैरेस से गोलियाँ चला दीं। आतंकवादी टैरेस से सड़क पर खड़ी पुलिस पर गोलियां चला रहे थे जो रणनीतिक रूप से लाभकर नहीं था। तब भी, श्री कामटे ने, जो कमाण्डो रणनीति में विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, असीम साहस का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों पर टैरेस की ओर जवाबी फायरिंग की। पुलिस दल की इस जवाबी कार्रवाई से आतंकवादियों ने कामा हास्पिटल छोड़ दिया और उसके सामने वाले गेट से महानगरपालिका मार्ग की ओर आगे बढ़ गए। पुलिस उप निरीक्षक बापूराव साहेबराव दुरगुडे, नाइगाम, असाल्ट मोबाइल पर रात्रि कालीन डियूटी पर रिपोर्ट करने के लिए महानगरपालिका मार्ग पर ही थे। आतंकवादियों के हमले की खबर सुनकर उन्होंने महसूस किया कि सड़क पर चल रहे लोगों के जीवन को खतरा है इस कारण उन्होंने उन्हें चौकस करना शुरू कर दिया। इसी समय उन्होंने

देखा कि दोनों आतंकवादी उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए पी एस आई दुरगुडे कट्टर आतंकवादियों को अपने वश में करने के इरादे से उनकी ओर आगे बढ़े। तथापि अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों आतंकवादियों ने अचानक गोली चला दी जिसमें पी एस आई दुरगुडे की मौत हो गई। पी एस आई दुरगुडे ने अपने साथी देशवासियों के जीवन की रक्षा करने के लिए अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये आतंकवादी मारक हथियारों से गोलियां बरसाते हुए महापालिका मार्ग से रंग भवन लेन की ओर आगे बढ़ गए। श्री कामते द्वारा जवाबी कार्रवाई करने पर वहाँ कुछ क्षणों के लिए शान्ति छा गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस पर आसानी से एवं जल्दी सफलता नहीं पाई जा सकती। अंधेरा होने के कारण आतंकवादी पुलिस कार्मिकों को उनकी यूनीफार्म के कारण आसानी से पहचान लेते थे। इसी समय इन तीनों ने महानगरपालिका मार्ग पर गोलियां चलने की आवाज सुनी। इसलिए इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कामा हास्पिटल के पिछले गेट पर घेराबंदी कर दी। ये तीनों श्री बलवंत चन्दू भोसले, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, एमटी, श्री जयवंत हनुमंत पाटिल, पुलिस कांस्टेबल, श्री योगेश शिवाजी पाटिल कांस्टेबल, श्री अरूण दादा जाधव पुलिस नायक के साथ कामा हास्पिटल की दूसरी ओर जल्दी से जाने के लिए पुलिस की क्वालिस गाड़ी सं0 एम0 एच0 01-बी.ए.-569 में बैठे और उक्त सड़क पर महापालिका मार्ग की ओर आगे बढ़े। इस क्वालिस गाडी सं0 एम एच-01-बीए-569 को श्री सालासकर ड्राइव कर रहे थे। रंग भवन लेन के किनारे -किनारे चल रहे दोनों आतंकवादियों ने अचानक महसूस किया कि पुलिस की एक क्वालिस गाड़ी उनकी ओर आ रही है। जैसे ही यह पुलिस दल कामा हास्पिटल पहुंचा, आतंकवादियों ने, जो पुलिस आधिकारियों को मारने के लिए घात लगाए बैठे थे, उस जीप पर गोली चला दी जिसमें श्री करकरे, श्री अशोक कामटे और श्री विजय सलासकर और उनकी टीम जिसमें श्री बलवंत चन्दू भोसले, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, श्री जयवंत हनुमंत पाटिल पुलिस कान्स्टेबल, श्री योगेश शिवाजी पाटिल पुलिस कांस्टेबल, श्री अरूण दादा जाधव पुलिस नायक, आ रही थी। उक्त पुलिस दल ने अपने बचाव में गोलियाँ चलाई। दुर्भाग्यवश, आतंकवादियों द्वारा एके-47 से चलाई गई अधिकांश गोलियाँ पुलिस कार्मिकों के लगीं। ये आतंकवादी इन अधिकारियों को हर हाल में मार गिराने के इरादे से उत्तेजित होकर फायरिंग कर रहे थे। इस समय हालात असामान्य रूप से अवसादमय एवं खतरनाक हो गए थे क्योंकि पुलिस पार्टी के अन्य सदस्य प्राणघातक रूप से घायल हो गए थे। यह पुलिस उनसे बहादुरी पूर्वक लड़ी और उनकी गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई की परन्तु सब निरर्थक रहा। श्री करकरे, श्री अशोक कामटे, श्री विजय सालासकर तथा उनके दल के अन्य सदस्य जिनमें शामिल थे श्री बलवंत चन्दू भोंसले, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, श्री जयवंत हनुमंत पाटिल, पुलिस कांस्टेबल, श्री योगेश शिवाजी पाटिल, पुलिस कांस्टेबल, की गोलियाँ लगने के कारण अन्ततः मृत्यु हो गई। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों से केवल अरूण दादा जाधव जीवित बचे, हालांकि आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोलियों से उन्होंने आतंकवादियों के इरादों को निष्क्रिय करने का प्रयास किया परन्तु उन्हें भी गोलियाँ लग गई थी। ये अधिकारी आतंकवादियों का ध्यान आम जनता पर गोलियां चलाने और उन्हें जख्मी करने से हटाने में सफल रहे जिसके परिणामस्वरूप वे वहाँ से भाग गए। इस जवाबी कार्रवाई मे एक आतंकवादी को अक्षम कर दिया गया क्योंकि एक

गोली से एक आतंकवादी घायल हो गया था जिससे मानव जीवन की और अधिक क्षति होने से बच गई।

इस मुठभेड में सर्व श्री सदानन्द वसन्त दाते, अपर पुलिस आयुक्त तथा अरूण दादा जाधव, नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 46-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. संजीव कुमार यादव
   सहायक पुलिस आयुक्त (पीपीएमजी)
2. मोहन चन्द शर्मा
   निरीक्षक (पीपीएमजी का प्रथम बार)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

आतंकवाद सम्बंधी कुछ मामलों की जाँच पड़ताल के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि पाकिस्तान आधारित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैय्यबा भारत में आतंकवादी भेजने के लिए बंगलादेश को पारेषण के रूप में उपयोग कर रहा है, वे आतकवादी तब वहां अपना आधार बना लेते हैं और देश में आतंकवादी क्रियाकलाप भी करते हैं । यह भी खुलाशा किया गया कि ये आतंकवादी भारत में आतंकवादी कार्य करने के पश्चात भारत बंगलादेश सीमा पर बनी कन्ड्यूट स्टेशनों की सहायता से अवैध रूप से सीमापार करके बंगलादेश में शरण लेते हैं। जब भी भारत में कोई आतंकवादी कृत्य करना होता तो बंगलादेश में इन आतंकवादियों को पाकिस्तान मे बैठे अपने आकाओं से विशिष्ट निर्देश मिलते हैं। ये आका उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए शस्त्र एवं गोलाबारूद तथा विस्फोटक भी देते हैं। ये उग्रवादी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते है, अपना आधार स्थापित करते है तथा आतंकवादी कृत्य करते हैं। इस षडयन्त्र का पदोफास करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त श्री संजीव कुमार यादव के पर्यवेक्षण मे एक टीम का गठन किया गया । इस उद्देश्य के लिए बलों को पश्चिम बंगाल, उ.प्र. और दिल्ली में तैनात किया गया । तकनीकी निगरानी भी की गई। दिनांक 26.02.06 को नई दिल्ली के स्पेशल प्रकोष्ठ शाखा थाना ने लश्कर-ए-तैय्यबा के अनीसुल मुर्शलिन उर्फ शमील और मुहीब्बुल मुस्तकिल नामक दो उग्रवादियों, जो जिला फरीदपुर बंगलादेश के निवासी थे, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121/121ए/122/123/120बी/489 बी एण्ड सी, 25 आर्म्स एक्ट,4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 14 विदेशी अधिनियम, 17/18/20 विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी संख्या 16/2006 के तहत गिफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों उग्रवादियों ने बताया कि वे लश्कर-ए-तैय्यबा के लिए कार्य कर रहे थे । उन्होंने आगे

बताया कि वे बंग्लादेश में लश्कर संगठन से भली भाँति परिचित हैं और बंग्लादेश में लश्कर का प्रमुख गुलाम यजदानी निवासी हैदराबाद भारत है। उन्होंने आगे बताया कि गुलाम यजदानी को उन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया था जिसके बदले उसने उन्हें पाकिस्तान भेज दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे अहसानुल्लाह हसन उर्फ काजोल से अच्छी तरह परिचित हैं, जो बंग्लादेश में हरकत-उल-जेहादी इस्लामी (हुजी) के प्रमुख मुफ्ती हन्नान का सचिव है। दोनों उग्रवादी दिनांक 8.3.2006 को पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर थे और उन्होंने शिनाख्त की कि मारे गए उग्रवादी गुलाम येजदानी उर्फ याहयाह और अहसान उल्लाह हसन उर्फ काजोल थे। दिनांक 7.3.2006 को सायं 7.00 बजे इन्फार्मर ने विशेष प्रकोष्ठ में एक विशिष्ट सूचना दी कि लश्कर-ए-तैय्यबा के उग्रवादी, बंग्लादेश में एल-ई-टी प्रमुख और कई आतंकवादी कृत्यों में वांछित अपराधी गुलाम येजदानी उर्फ नावेद उर्फ याहया निवासी हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा अहसान उल्लाह हसन उर्फ कबाब मोहम्मद उर्फ शाहबाज मोहम्मद उर्फ साजिद महमूद उर्फ सुमन उर्फ जमील उर्फ अहमद उर्फ काजोल निवासी चौरंगी मोड़, झीलचुली,फरीदपुर,बंग्लादेश, कार सं. यू.पी. 21-3851 से प्रातः 5-6 बजे के बीच होलम्बी कलां, मैट्रो विहार, नरेला, अलीपुर रोड़ टी प्वाइंट पर दिल्ली आएंगे। यह भी जानकारी दी गई कि उनके पास भारी मात्रा में शस्त्र एवं गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामग्री है। इस जानकारी को रोजनामचे में दर्ज कर लिया गया तथा इस पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई। इस सूचना पर कार्रवाई करने के लिए एसीपी संजय यादव की देखरेख में निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा, निरीक्षक बद्रीश दत्त, निरीक्षक संजय दत्त, उप निरीक्षक राहुल कुमार, धर्मेन्द्र, सुभाष वत्स, राजेन्द्र सेहरावत, दिलीप, कैलाश, रवीन्द्र त्यागी, भूप सिंह, विनय त्यागी, हरिन्द्र, सहायक उप निरीक्षक, विक्रम सिंह, देविन्दर, अनिल त्यागी, संजीव लोचन शाहजहाँ, सतीश, हेड कान्स्टेबल सतेन्द्र, हैड कांस्टेबल सतेन्द्र कुमार, हैड कांस्टेबल राजबीर, कृष्ण राम, रूस्तम, कांस्टेबल गुरमीत, बलवन्त, राजिन्दर, परवेश, हरी राम, विनोद गौतम और कांस्टेबल गुलबीर को मिलाकर एक टीम बनाई गई तथा इस टीम को इस सूचना के बारे में जानकारी दी गई। मालखाना रजिस्टर, थाना विशेष सैल के अनुसार जारी-शस्त्र एवं गोलाबारूद व गोलीरोधी जैकटों टार्चों, बुलेट प्रूफ वाहनों से लैस यह टीम तीन सरकारी वाहनों, तीन निजी कारों, दो दुपहिया वाहनों पर प्रातः 3.00 बजे स्पेशल सैल, लोधी कालोनी के कार्यालय से रवाना हुई। इस टीम में उप निरीक्षक राजेन्दर सेहरावत, उपनिरीक्षक दिलीप, उपनिरीक्षक हरिन्दर, हैड कान्सटेबल सतेन्दर, हैड कांस्टेबल सतेन्द्र कुमार, कांस्टेबल रजिन्दर, और कांस्टेबल बलवंत यूनीफार्म में थे जबकि अन्य सिविल ड्रेस में थे। यह टीम मुकरबा चौक के निकट जीटी करनाल रोड बाईपास पर प्रातः 3.45 बजे पहुंची जहाँ मोहन चन्द शर्मा ने 5-6 राहगीरों को गुप्त सूचना के तथ्यों की जानकारी दी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे हमलावर दल के साथ हो जाएं हालांकि उनमें से हर कोई अपना नाम पता बताए बिना कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। हमलावर टीम अपना समय व्यर्थ गंवाये बिना मुकरबा चौक से आगे बढ़ी तथा प्रातः 3.45 बजे अलीपुर नरेला रोड़ होलम्बी कलां, मेट्रो विहार 'टी' प्वाइन्ट पर पहुंच गयी। तत्पश्चात इस पूरी हमलावर पार्टी को 9 टीमों में बांटा गया तथा हर प्रवेश एवं निकास स्थल पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रत्येक टीम को एक वाहन उपलब्ध कराया गया। सभी टीमों से कहा गया कि वे रणनीतिक स्थलों पर अपनी पहचान छिपाए रखें। निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा ने एसीपी श्री

संजीव यादव तथा उपनिरीक्षक रवीन्द्र त्यागी के साथ नरेला अलीपुर रोड, होलाम्बी कलां, मैट्रो विहार, 'टी' प्वाइंट स्थित एक टी-स्टाल पर पोजीशन ले ली। नरेला अलीपुर रोड पर तैनात उपनिरीक्षक सुभाष वत्स को मिलाकर बनी टीम ने प्रात:4.30 बजे के लगभग एक मारूति कार सं. यू.पी-21/3851 अलीपुर की ओर से आती देखी। यह कार नरेला अलीपुर रोड, होलाम्बी कलां, मैट्रो विहार, टी-प्वाइंट पर आकर मैट्रो विहार की ओर मुड़ी तथा रोड के किनारे पार्क कर दी गई। तत्काल सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया। तत्पश्चात कार में बैठे दोनों लोग किसी का इंतजार करने लगे। निरीक्षक मोहन चन्द्र शर्मा ने पहचाना कि ड्राइवर की ओर से उतरने वाला आदमी गुलाम यजदानी उर्फ याहया है। तुरन्त ही, सभी टीमों को निर्देश दिया गया कि वे उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए उग्रवादियों की ओर आगे बढ़ें। निरीक्षक मोहन चन्द्र शर्मा तथा एसीपी श्री संजीव यादव ने जोर से अपनी पहचान बताई और दोनों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तथापि उन दोनों ने अपने आग्नेयास्त्र निकाल लिए तथा पास आ रही पुलिस पार्टी पर गोली चला दी और साथ ही वहां सड़क के किनारे बनी एक दीवार का कवच लेने के लिए बाउण्ड्री वाल कूदकर उसके पीछे चले गए तथा पास आ रही पुलिस पार्टी पर गोलीवारी करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने सुरक्षा की स्थिति लेकर उग्रवादियों की गोलीवारी पर जवाबी फायर किए। सभी राहगीरों की जानमाल की रक्षा करने का हर सम्भव प्रयास किया गया। उग्रवादी पुलिस दल से घिर गए थे तथा उन्हें फिर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। फिर भी उन उग्रवादियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाना जारी रखा तथा साथ ही उन्होंने बाउण्ड्री वाल के पीछे खुले खेत में दौड़ना शुरू कर दिया। यह गोलीवारी लगभग 30 मिनट तक चलती रही। तत्पश्चात उग्रवादियों ने गोली चलाना बंद कर दिया। तत्काल निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा तथा एसीपी श्री संजीव यादव ने टीम के सदस्यों को गोलीवारी बंद करने का निर्देश दिया। दोनों उग्रवादी खेत में घायल अवस्था में पड़े मिले, इसके अतिरिक्त उनके पास से एक -एक अर्द्ध-स्वचालित पिस्तौल भी मिली जिससे उन्होंने पास आती पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। तत्काल इसकी सूचना पुलिस नियन्त्रण कक्ष को दी गई तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस घटना से अवगत कराया गया। एक पीसी आर घटना स्थल पर पहुँच गई तथा घायल उग्रवादियों को अस्पताल भेज दिया गया। घातक अस्त्रों एवं गोलाबारूद से लैस लश्कर-ए-तैय्यबा के इन दोनों उग्रवादियों ने अपने विधिक कर्त्तव्यों का पालन कर रहे पुलिस कर्मिकों पर प्राणघातक हमला करके उनके कार्यों में बाधा डाली। इस बारे में थाना नरेला, दिल्ली में कानून की उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया।

<u>मारे गए आंतकवादियों से जब्त सामान</u>

1. एक एके-56 राइफल 2 मैगजीनों सहित
2. एके-56 के 51 राउण्ड कार्ट्रिज
3. चार हथगोले
4. पी ई टी एन के 100-100 ग्राम वजन के 40 पैकेट (कुल 4 किग्रा.)
5. 500 रूपये के मूल्यवर्ग में 47000/ की एफ आई सी एन

6. चेक गणराज्य के लुगार मेक की 9 एम एम क्षमता वाली दो पिस्तौलें दो मैगजीन सहित
7. 9 एम एम क्षमता वाले तीन जिन्दा राउण्ड, 125 फायर किए गए राउण्ड
8. एक मारूति 800 कार सं. यू.पी. 21-3851
9. अन्य अभिशंसात्मक दस्तावेज।

<u>पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका</u>

<u>श्री संजीव कुमार यादव, एसीपी</u>

यह सूचना प्राप्त होने पर कि एल ई टी के दो उग्रवादी गुलाम यजदानी तथा काजोल दिनांक 8.3.2006 को अलीपुर नरेला रोड, होलम्बी कलां, टी प्वाइंट पर आंएगे, एक टीम का गठन किया गया । दिनांक 8.3.2006 को सुबह सवेरे उनके पर्यवेक्षण में यह टीम अलीपुर नरेला रोड पहुँची और रणनीतिक स्थल पर पोजीशन ले ली। उन्होंने अपनी टीम को समुचित रूप से ब्रीफ किया। जब आतंकवादी घटना स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा एवं अन्य पुलिस दल की पहचान बता दी और उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा। दोनों उग्रवादियों की पहचान गुलाम यजदानी उर्फ नावेद उर्फ याहया निवासी हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश,) बंग्लादेश में एल ई टी प्रमुख तथा कई आतंकवादी दुष्कृत्यों में वांछित अपराधी तथा अहसान उल्लाह हसन उर्फ कबाब मोहम्मद उर्फ शाहवाज मोहम्मद उर्फ साजिद मोहम्मद उर्फ शुमन उर्फ जमील उर्फ अहमद उर्फ काजोल निवासी चौरंगी मोड, झीलचुली, फरीदपुर, बंग्लादेश के रूप में हुई। उग्रवादियों ने उनकी बात को तबज्जो नहीं दिया तथा पास आ रही पुलिस पार्टी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना आतंकवादी अहसान उल्लाह हसन उर्फ काजोल द्वारा चलाई जा रही गोलियों का मुकाबला किया। उन्होंने पोजीशन ले ली जिससे उग्रवादी काजोल द्वारा चलाई जा रही गोलियों का प्रतिरोध कर सकें। उन्होंने उग्रवादी काजोल द्वारा चलाई जा रही गोलियों का वीरता पूर्वक मुकाबला किया और अपने जीवन की परवाह किए बिना उसका पीछा किया। यह उग्रवादी उनकी ओर लगातार एवं अंधाधुंध गोलियाँ चला रहा था । गोलियों से बिना डरे, बहादुर श्री संजीव कुमार यादव ने आत्म रक्षा करने तथा उस उग्रवादी को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उस उग्रवादी पर जवाबी फायरिंग की साथ ही उन्होने निर्दोष नागरिकों एवं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे पुलिस कार्मिको की सुरक्षा भी सुनिश्चित की तथा अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए इस मुठभेड़ में उस उग्रवादी को मार गिराया। इस अधिकारी ने अपने सर्विस पिस्तौल से 5 राउण्ड गोलियाँ चलाई ।

<u>श्री मोहन चन्द शर्मा, निरीक्षक</u>

यह सूचना प्राप्त होने पर कि एल ई टी के दो उग्रवादी गुलाम यजदानी तथा काजोल दिनांक 8.3.2006 को अलीपुर नरेला रोड, होलम्बी कलां, टी प्वाइंट पर आंएगे, एक टीम का गठन किया गया । दिनांक 8.3.2006 को उनके पर्यवेक्षण में यह टीम सुबह सुबह अलीपुर नरेला रोड पर पहुँची तथा रणनीतिक पोजीशन ले ली। जब आतंकवादी घटना स्थल पर पहुँचे,

बाद में उनकी पहचान गुलाम यजदानी उर्फ नावेद उर्फ याहया निवासी हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), बंग्लादेश में एल ई टी का प्रमुख तथा कई आतंकवादी गतिविधियों में वांछित अपराधी तथा अहसान उल्लाह हसन उर्फ कबाब मोहम्मद उर्फ शाहबाज मोहम्मद उर्फ साजिद मोहम्मद उर्फ सुमन उर्फ जमील उर्फ अहमद उर्फ काजोल निवासी चौरंगी मोड़, झीलचुली, फरीदपुर, बंग्लादेश के रूप में हुई। उन्होंने, एसीपी श्री संजीव कुमार यादव के साथ पुलिस दल की पहचान बता दी और उग्रवादियों से कहा कि वे आत्मसर्पण कर दें। उग्रवादियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पास आ रही पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना, एल ई टी के दुर्दान्त उग्रवादी तथा लश्कर-ए-तैय्यबा की कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त गुलाम यजदानी का पीछा किया । उन्होंने गुलाम येजदानी द्वारा चलाई जा रही गोलियों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना उस आंतंकवादी का पीछा किया जो उनकी ओर लगातार एवं अंधाधुंध गोलियाँ चला रहा था । जब उग्रवादी येजदानी ने खेत में दीवार के पीछे पोजीशन ली तो निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा ने अपने शरीर पर लगने वाली चोटों की परवाह किए बिना पेट के बल सड़क पर रेंगते हुए पोजीशन ले ली ताकि उग्रवादी यजदानी खेत की बाउण्ड्री वाल का फायदा न उठा सके। मोहन चन्द शर्मा ने उग्रवादी येजदानी को अपनी दक्षता से बाउण्ड्री वाल का आश्रय छोड़ने को मजबूर कर दिया । इसी बीच घायल उग्रवादी ने खेत में भाग जाने का प्रयास किया परन्तु वह गोलियों से जख्मी होने की वजह से खेत में गिर पड़ा। निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा ने अपने जीवन की परवाह किए बिना गुलाम येजदानी को गिरफ्तार करने, आत्मरक्षार्थ तथा निर्दोष आम आदमी एवं अपने कर्तव्य का पालन कर रहे पुलिस दल की रक्षार्थ गोलियाँ चलाई। उन्होने अपने जीवन को जोखिम में डालकर इस मुटभेड में उस उग्रवादी को मार गिराया तथा अपने सर्विस पिस्तौल से 8 राउण्ड गोलियाँ चलाई।

इस मुटभेड़ में सर्व श्री संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त तथा मोहन चन्द शर्मा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार राष्ट्रपति का पुलिस पदक/राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते है और परिणामस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 8.3.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 47-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षाबल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री जिल्लू बद्दू यादव

हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

श्री जिल्लू बद्दू यादव ने 1979 में कांस्टेबल के रूप में सेवा ग्रहण की थी। वह इस समय आर पी एफ पोस्ट सी एस टी एम (एडमिन) में कार्यरत है। 26/27 नवम्बर, 2008 को उनकी सी एस टी स्टेशन के निकट बने महाप्रबंधक के कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर 20.00 बजे से 8.00 बजे तक शिफ्ट डियूटी थी। लगभग 21.58 बजे उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी और बाद में उन्होंने देखा कि भारी संख्या में सशस्त्र आतंकवादी स्टेशन पर सभी दिशाओं में अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों को घायल/हताहत कर रहे हैं। उस समय उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, जब यात्री, निहत्थे पुलिसमैन, आर पी एफ और रेलवे के कर्मचारी स्टेशन से भाग रहे थे, तो वह महाप्रबंधक भवन से स्थानीय स्टेशन प्लेटफार्म की उस ओर दौड़े जहाँ गोलियाँ चल रहीं थीं। महाप्रबंधक भवन के गलियारे में, जो प्लेटफार्म की ओर खुलता था, उसने देखा कि एक जी आर पी कांस्टेबल जिसके पास 303 राइफल है, एक खम्भे के पीछे छिपा है। यह पाकर की जी आर पी कांस्टेबल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है वह उसकी ओर कोरीडोर में दौड़े, उसकी राइफल छीन ली और उन आतंकवादियों की ओर गोली चला दी जो प्लेटफार्म संख्या -3 की ओर आ रहे थे। .303 राइफल से की गई कार्रवाई का आतंकवादियों की एके 47 से कोई मुकाबला नहीं था परन्तु उनके द्वारा बहादुरी पूर्वक चलाई गई गोली से आतंकवादियों के मन में भय व्याप्त हो गया और पोजीशन लेने के लिए बफर एवं प्लेटफार्म पर खड़ी लोकल गाड़ी के बीच में कूद पड़े। जब उसने उनका ध्यान बंटाने के लिए उनकी ओर दौड़ते कुर्सी फेंकी तो आतंकवादियों ने उसकी ओर गोली चलाना शुरू कर दी।

इस मुठभेड में श्री जिल्लू बद्दू यादव ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 27.11.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 48-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री असीम स्वर्गियारी
अपर पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 1 अगस्त, 2006 को जिला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि परमेश्वर सामची उर्फ राजन दत्ता, चरन माझी और अगन दत्ता के नेतृत्व में कुछ उल्फा उग्रवादियों ने लाहोवाल थाना के अन्तर्गत टीई क्षेत्र के तामुलबाड़ी में शरण ले रखी है। ये उग्रवादी घातक हथियारों से लैस थे और अगामी स्वतन्त्रता दिवस आयोजन का विरोध करने के लिए जबरन धन वसूली/तोड़फोड़ के लिए आए थे। जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने इन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। तदनुसार उक्त सूचना की सेना और सी आर पी एफ के साथ भागीदारी की गई। पुलिस रेंजर कोर और सेना को मिलाकर बनी एक पुलिस पार्टी ने श्री असीम स्वर्गियारी, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) डिब्रूगढ के नेतृत्व में एक अभियान शुरू किया और लक्षित घर की नाकेबंदी कर दी। जब लक्षित घर की नाकेबंदी की जा रही थी तभी उस भीड से बेखबर एक आदमी उस नाकेबंदी किए गए घर में घुसा। चुनौती दिए जाने पर संदिग्ध उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर एकाएक गोली चला दी। हमलावर टीम प्रभारी श्री असीम स्वर्गियारी, एपी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) डिब्रूगढ़ तथा पी आर सी और सेना के जवान उग्रवादियों की गोलीवारी से बाल-बाल बचे। हमलावर पार्टी ने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए तथा अन्य पुलिस कार्मिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए जवाबी गोलीबारी की। यह गोलीवारी कुछ मिनट तक चलती रही। गोलीवारी बंद होने पर उस क्षेत्र की तलाशी ली गई और पाया कि एक व्यक्ति, जिसे कई गोलियाँ लगी थीं, की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा दूसरा उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बाद में इस मारे गए संदिग्ध उग्रवादी की शिनाख्त एस/एस एस जी टी परमेश्वर सामाची उर्फ राजन दत्ता, गॉव मुकुलवाड़ी टीई, लाइन सं0 6 थाना-रोहमोरिया के रूप में हुई जो 28 बटालियन उल्फा की डिब्रूगढ़ और तिन्सुखिया जिलों में गतिविधियों का प्रमुख रहा था। पी.ओ से निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारूद और कुछ अभिशंसात्मक दस्तावेज जब्त किए गए:-

I.	ए.के. 56	1
II.	ए.के. 56 मैग्जीन	2
III.	ए.के.56 जिंदा राउण्ड	126
IV.	नोकिया मोबाइल सेट (क्षतिग्रस्त)	1
V.	सिम कार्ड	2
VI.	भारतीय मुद्रा नोट	2X500/-रूपये
VII.	लाइव डिटोनेटर	12
VIII.	छोटी-छोटी टेलीफोन डायरियां	3
IX.	चमड़े का वालेट	1
X.	जबरनधन वसूली की रसीदें	2
XI.	जबरन धन वसूली पत्र	1

इस मुठभेड में श्री असीम स्वर्गियारी, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 01.08.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 49-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. दीपक चौधरी
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. मानबेन्द्र देव राय
   अपर पुलिस अधीक्षक
3. राजीव सैकिया
   उप निरीक्षक
4. माधव कचरी
   लांस नायक
5. राजन सैकिया
   कांस्टेबल
6. राजू हजारिका
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

अभयपुर वन अभ्यारण्य में प्रतिबंधित उल्फा के एक शिविर की मौजूदगी के बारे में श्री मानबेन्द्र देव राय, एपी एस अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) शिवसागर द्वारा एकत्र गुप्त सूचना के आधार पर श्री दीपक चौधरी, आई पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) शिवसागर और श्री मानवेन्द्र देव राय, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) शिवसागर के कमाण्ड के अधीन सोनारी थाना के अन्तर्गत अभयपुर वन अभ्यारण्य में एक अभियान का आयोजन किया गया एवं चलाया गया । इस अभियान में जी/11 बटालियन सी आर पी एफ ने भी भाग लिया था। उल्फा का शिविर अभयपुर वन अभ्यारण्य क्षेत्र में घने जंगल के बीच बनी एक पहाडी की चोटी पर स्थित था। जैसे ही सुरक्षा बल प्रातः 3.30 बजे के लगभग शिविर के पास पहुँचे और उसकी घेराबंदी शुरू की वैसे ही उग्रवादियों ने शिविर से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में श्री दीपक चौधरी आई पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) शिवसागर ने अपने पी एस ओ

के साथ शिविर पर उत्तर की ओर से हमला किया और श्री मानबेन्द्र देव राय, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) शिवसागर ने अपने पी एस ओ और पी आर सी कमाण्डो के सेक्सन के साथ इस शिविर पर पश्चिमी ओर से हमला किया। दोनों ही अधिकारियों ने उग्रवादियों द्वारा यू एम जी और एके श्रृंखला के आयुधों जैसे अत्याधुनिक हथियारों से की जा रही भारी गोलीबारी के बीच शिविर पर अपने व्यक्तिगत जीवन को खतरे में डालकर हमला किया और शिविर को तहस-नहस करने में सफलता हासिल की। एक घण्टे तक चली भीषण गोलीबारी में ध्रुवज्योति लोहान उर्फ दीपक फूकन, निवासी बरूआ छिन्गमाई गाँव, थाना डेमाव नामक उल्फा कडर का एक कट्टर आतंकवादी मारा गया जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अन्य उग्रवादी घने जंगल में भाग गए। यह शिविर उल्फा का बेस कैम्प था और यह विभिन्न क्षेत्र कार्यकर्ताओं के बीच संचार सुलभ बनाने के लिए पारेषण केन्द्र के रूप में भी कार्य करता था। घटनास्थल से निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारूद जब्त किया गया:-

1.	यू एम जी	1-संख्या-86-7940021 नम्बर वाली
2.	मोर्टार लान्चर	1 संख्या 40 एम एन ए 7956 संख्या जस्ता युक्त
3.	वायरलेस सेट	02 संख्या
4.	एके श्रृंखला के शस्त्र	130 आर डी एस जिन्दा
5.	डिटोनेटर	25 संख्या
6.	मैगजीन	01 संख्या
7.	कुछ अभिशंसात्मक दस्तावेज और बरतन आदि	

इस मुठभेड में सर्व श्री दीपक चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक, मानबेन्द्र देव राय, अपर पुलिस अधीक्षक, राजीव सैकिया, उप निरीक्षक, माधव कचरी लान्स नायक, राजन सैकिया, कांस्टेबल और राजू हजारिका कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 22.052007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 50-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संजीब कुमार सैकिया
   पुलिस उपाधीक्षक
2. रूद्रेश्वर पेगू
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21.07.2007 को श्री संजीब कुमार सैकिया, एपीएस, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) कामरूप ने छठी राजपूत रेजीमेंट कैम्प-बोको के कैप्टन तुसार पिपलानी, एस आई गौतम चक्रवर्ती ओ.सी.बोको पी.एस, एस आई हारेन सेकिया, ओ.सी.चायगाँव पी एस और सी/एन संख्या 908 रूद्रेश्वर पेगू एवं अन्य स्टाफ के साथ मिलकर दिनांक 21.07.2007 के अपराह्न को निसिमपुर लामगाँव क्षेत्र तथा बोको पुलिस थाना के अन्तर्गत एक तलाशी अभियान, एक प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट आफ असम (उल्फा) कार्यकर्ताओं के सशस्त्र दल की मौजूदगी की एक विशिष्ट सूचना पर, आयोजित किया। अपराह्न लगभग 3.05 बजे चार युवकों का एक समूह बोगाई से लामगाँव की ओर बढ़ते हुए देखा गया। जब सुरक्षा कार्मिकों ने उनकी पूर्ववृत्त सत्यापन करने के लिए उन्हें रूकने को कहा तो घने जंगल की आड़ लेकर उन युवकों ने सुरक्षा कार्मिकों पर गोली चला दी। अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए संकट की इस घड़ी में पुलिस उपाधीक्षक श्री संजीब कुमार सैकिया और कान्स्टेबल रूद्रेश्वर पेगू ने असाधारण उच्च स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन किया और भयानक गोलीबारी के बीच भी विचलित नहीं हुए तथा बल कार्मिकों को एकजुट बनाए रखने में सफल हुए और उन्होंने सामने से जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया। लगभग 20 मिनट के बाद जब गोलीबारी समाप्त हो गई तो घटना स्थल की सघन तलाशी की गई। एक उग्रवादी जिसके पास एके- राइफल थी, जमीन पर मृत पडा पाया गया और जाँच करने पर ऐसा पाया गया कि गोली लगने से वह मारा गया। दूसरा आतंकवादी जंगल की आड़ लेकर भाग गया। बाद में इसकी शिनाख्त रमानी बैश्य उर्फ रामेन डेका, ओववारी गोरेश्वर पुलिस थाना, जो सशस्त्र विंग का एक महात्वपूर्ण सदस्य था और जो उल्फा काडरों का संवर्धन करने के लिए स्थानीय जनता से जबरन धन वसूली करने का मास्टरमाइन्ड था। एक खुफिया एवं उत्तरदायीपुलिस अधिकारी होने के कारण श्री संजीब कुमार सैकिया ने प्रतिबंधित संगठन यूनाटेड

लिबरेशन फ्रण्ट आफ असम (उल्फा) से जुड़े अतिवादी गुट की हलचल के बारे में स्वयं आसूचना सृजित की। पुलिस और सैन्य कार्मिकों को मिलाकर इन्होंने उग्रवादियों के विरूद्ध अभियान का नेतृत्व करने में दुर्लभ वीरता तथा उच्चस्तर के दायित्व एवं नेतृत्व का प्रदर्शन किया उन्होंने उस तथ्य की पूर्ण जानकारी होते हुए भी कि उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों एवं हथगोलों से लैस हैं, अभियान का नेतृत्व किया। देश हित के प्रति उनके समर्पण एवं उच्च स्तर की प्रेरणा के साथ किए गए शौर्यपूर्ण कार्य, कर्तव्यनिष्ठा और दायित्व,कार्य के प्रति वचनबद्धता और प्रभावकारी नेतृत्व के कारण श्री संजीब कुमार सैकिया एवं कांस्टेबल रूद्रेश्वर पेगू उन उग्रवादी तत्वों को निष्क्रिय कारने में सफल हुए जो हमारे देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता के लिए चुनौती बन गए थे।

इस मुठभेड में सर्व श्री संजीब कुमार सैकिया एपीएस, पुलिस उपाधीक्षक और रूद्रेश्वर पेगू, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 21.07.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 51-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. रतन लाल डांगी
   पुलिस अधीक्षक
2. के. एल नन्द
   इन्सपेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29.11.2006 को इंस्पेक्टर के.एल.नन्द एस एच ओ मिरतुर को स्थानीय स्रोत से एक पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी के निकट साल्वा जुदूम राहत शिविर पर नक्सलियों द्वारा हमला किए जाने की एक घातक योजना के बारे में सुदृढ आसूचना मिली। वे भारी संख्या में, जो 150 से कम नहीं थे, हेरूपाल और येतपाल के जंगलों में एकत्र हुए थे। इस सूचना के आधार पर श्री आर एल. डांगी ने, श्री रामचरित्र, कमाण्डेंट 31 बटालियन सी आर पी एफ के साथ परामर्श करके, विशेष अभियान की तत्काल एक योजना बनाई। सी आर पी एफ, जिला कार्यकारी बल और विशेष पुलिस अधिकारियों के एक संयुक्त बल को श्री नन्द के नेतृत्व में अगले दिन सुबह पैदल ही उस संदिग्ध क्षेत्र की ओर कूच करने का आदेश दिया गया। लगभग 1245 बजे जैसे ही यह असाल्ट पार्टी बेचपाल जंगल क्षेत्र के निकट पहुंची नक्सलियों ने सैन्यबल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। सैन्य बल ने तुरन्त पोजीशन ले ली और भारी जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। नक्सली भारी संख्या में थे और स्वचालित हथियारों जैसे एके-47, एस एल आर और एल एम जी से गोलियाँ चला रहे थे। हालात की गम्भीरता को देखते हुए श्री नन्द ने तुरन्त पुलिस अधीक्षक, बीजापुर एवं कमाण्डेंट 31 बटालियन सी आर पी एफ नेल्सनर को और बल भेजने के लिए संदेश भेज दिया। श्री डांगी और श्री रामचरित्र दोनों अतिरिक्त बल लेकर तुरन्त घटनास्थल की ओर दौडे। पुलिस अधीक्षक तथा कमाण्डेंट दोनों, सैन्य बलों की समुचित ब्रीफिंग करके हुरेपाल जंगल क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। जैसे ही यह पुलिस पार्टी हुरेपाल क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी नक्सलियों ने घटनास्थल पर अतिरिक्त बल आने से रोकने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की तथा आई ई डी विस्फोट किए। उन्होंने पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बम भी फेंके। पुलिस पार्टी जंगली पेड़ों और चट्टानों मे छुपती छुपाती बड़ी मुश्किल से उस स्थल पर पहुंची और प्रथम हमलावर पार्टी

को उनकी स्थिति से अवगत कराया। श्री डांगी और श्री रामचरित्र ने खुद को दो पार्टियों में विभाजित किया और समस्त स्थिति का चार्ज ले लिया। श्री डांगी श्री नन्द के साथ मिलकर पश्चिम की ओर बढ़े जबकि श्री रामचरित्र ने पूर्वी ओर पोजीशन ले ली और नक्सलियों को घेरने की कोशिश की। नक्सली स्वचालित हथियारों से लगातार फायरिंग करते रहे तथा उन्होंने एक और भू-सुरंग विस्फोट किया। परन्तु पुलिस पार्टियों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना जवाबी गोलीबारी की। अचानक नक्सली पुलिस दल पर पेट्रोल बम फेंकने लगे। आग और धुएं से पुलिस कार्मिकों का जीवन खतरे में पड़ गया। परन्तु श्री डांगी और नन्द ने उच्च पेशेवर दक्षता एवं प्रशंसनीय प्रत्युपन्नमति का प्रदर्शन किया तथा अपने जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने रेंगने की स्थिति में आगे बढ़ना जारी रखा। यह क्षेत्र बड़ा दुर्गम था। लगभग 350 मीटर तक रेंग कर चलने के पश्चात, वे नकसलियों के नजदीक पहुँच गए। इसी तरह, श्री राम चरित्र ने रणनीतिक पोजीशन लेकर नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई करना जारी रखा और नक्सलियों को महत्वपूर्ण पोजीशन नहीं लेने दी। श्री डांगी, श्री रामचरित्र और श्री नन्द सेनाओं को सामने से लीड कर रहे थे। इसी बीच नक्सली, जो पार्टी पर गोलीवारी कर रहे थे, ने श्री डांगी की पोजीशन देख ली तथा उन पर गोली चला दी। श्री डांगी ने हमले से बचाव के लिए तुरन्त अपनी पोजीशन बदल ली और असाधारण बहादुरी, साहस एवं चौकसी का प्रदर्शन किया। अपने जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने तुरन्त आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिससे एक नक्सली मारा गया। दूसरी ओर श्री रामचरित्र ने भी असाधारण बहादुरी एवं साहस का प्रदर्शन करते हुए तथा अपने जीवन की परवाह किए बिना आत्मरक्षार्थ गोली चलाना जारी रखा। नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध गोली चलाए जाने के बावजूद श्री रामचरित्र की तीव्र एवं सक्रिय अनुक्रिया से एक नक्सली मारा गया। कुछ समय पश्चात नक्सली; पुलिस गोलीबारी के समक्ष टिक नहीं सके तथा जंगल में भाग गए। उस क्षेत्र की तलाशी के दौरान पुलिस को एक मजल लोडेड गन, एक 4 किग्रा की भू सुरंग, डिटोनेटर युक्त 100 फीट की इलेक्ट्रिक बायर, दो प्रेसर बम, नक्सली साहित्य और पिट्ठू बैग जिसमें रोजमर्रा का सामान रखा था, बरामद हुए। मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त (1) कोण्डा पुत्र मंगू मूरिया, 30 वर्ष, गाँव हुरेपाल और (2) राधा उर्फ राधे पत्नी गुड्डी मूरिया, 26 वर्ष, गाँव डोरागुडा के रूप में हुई। पुलिस पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर खून के धब्बे तथा घसीटने के निशान देखे जिससे यह संकेत मिलता था कि नक्सली अंधेरा, पहाड़ी भू-भाग तथा घने जंगल का फायदा उठाकर कम से कम दो अन्य शवों को उठाकर ले गए है।

इस मुठभेड में सर्व श्री रतन लाल डांगी, पुलिस अधीक्षक एवं श्री के.एल.नन्द निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 30.11.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 32-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री भावेश पी रोजिया
पुलिस उपनिरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 04.02.2007 को परिवीक्षाधीन पुलिस उपनिरीक्षक रोजिया, को पुलिस उप निरीक्षक एन.एच. पटेल, प्रभारी, वरनामा पुलिस थाना से जानकारी प्राप्त हुई कि एक वैगन आर वाहन अवैध आई एम एफ एल लिकर (मदिरा) लेकर पोइचाब्रिज की ओर बढ़ रही है। पुलिस उप निरीक्षक, रोजिया ने आनन-फानन में एक टीम बनाई और स्टेशन डायरी में जरूरी प्रविष्टि करने के पश्चात, रोड अवरोध और चेकिंग के लिए सेगवा चोकडी की ओर बढ़े। सेगवा चोकडी एक क्रास रोड है जहाँ डाभोई, साधली, शिनार और पोइचा ब्रिज (रंग सेतु) से आने वाली सड़कें मिलती हैं और पोइचा ब्रिज जाने वाला हर वाहन यहाँ से होकर गुजरता है। शीघ्र ही नाकाबंदी और चेकिंग शुरू कर दी गई और संदिग्ध वाहन इस क्रास रोड पर सांधली साइड से आया। बाद में पता चला कि गाडी का चालक एक अनुभवी एवं खतरनाक अपराधी था जिसका सड़क ब्लाक पर गाड़ी रोकने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वह पुलिस पोस्ट की ओर आगे बढ़ा, उसने वाहन की गति धीमी कर दी और वाहन को रोकने का दिखावा किया।

परिवीक्षाधीन पुलिस उपनिरीक्षक वाहन में वाई ओर बैठे यात्री की ओर बढ़े और वाहन में बैठे 3 (तीन) लोगों को वहाँ रूकने को कहा। पुलिस पार्टी को पूरी तरह नाखवर देखकर ड्राइवर ने पुलिस द्वारा बनाए गए अस्थायी रोड ब्लाक के बीच बनी जगह से गाड़ी को निकालने के लिए उसकी स्पीड बढ़ा दी। परन्तु पुलिस उपनिरीक्षक उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होने गाड़ी की वाई वोफर (कैरियर पट्टी) पकड़ ली जो पुल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। परिवीक्षाधीन पुलिस उप निरीक्षक रोजिया उस गाड़ी के साथ-साथ दौड़ने लगे जिससे उनके पैरों एवं टांगो में चोट भी लग गई परन्तु उन्होंने वाहन की पकड़ नहीं छोड़ी। इस स्थिति में लगभग 100 मीटर तक घसिटने के पश्चात उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर से हवा में एक राउण्ड गोलियाँ दाग दीं। इससे वाहन में बैठे एक व्यक्ति ने उनके चेहरे पर जोर से प्रहार किया जिससे उनकी पकड ढीली पड़ जाए। उन लोगों ने उनके हाथ से रिवाल्वर भी छीनना चाहा और इस छीना-

झपटी में उनके रिवाल्वर से एक अन्य राउण्ड गोली चल गई जो गाड़ी के चालक के दाहिने कंधे पर लगी। यह गाड़ी सड़क पर बने एक गड्ढे की ओर आगे बढ़ी और ड्राइवर गाड़ी को इधर-उधर दौड़ाने लगा जिससे पी एस आई रोजिया की पकड़ छूट गई और वह सड़क पर गिर पड़े। यह गाड़ी कुछ दूरी तक सामने गई और गाड़ी ड्राइवर के चोट लग जाने के कारण वह सड़क पर बने दाहिने मोड़ की ओर नहीं मुड़ पाया और उसने सेगवा गाँव के तालाब के किनारे पर गाड़ी रोक दी। तीनों संदिग्ध लोग बच कर भाग निकलने के लिए उस स्थान से आगे बढ़े और उन तीन में से एक को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में परिवीक्षाधीन पुलिस उप निरीक्षक के चेहरे, पैर और हाथों में काफी चोट लगी जिससे उनके पैर में एक टांका, हाथ में चार टांके, मुंह पर एक टांका लगाया गया और पाँच दिनों तक उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। डाक्टर ने उन्हें 20 दिन आराम करने की सलाह दी।

इस संदिग्ध वाहन में आई एम एफ एल के 31 केस मिले और उन्हें बडोदरा होकर हालोट गाँव, थाना साधली से नन्देरिया गाँव, डामोई तालुका ले जाया जा रहा था।

इस गाड़ी के चालक की बाद में प्रदीप ठक्कर के रूप में शिनाख्त हुई जो शराब का नामी तस्कर था और उसके खिलाफ बड़ोदरा शहर में पी ए एस ए वारण्ट लम्बित था। उसे इससे पूर्व पासा में 6 बार नजरबंद किया गया था। वह सूरत में डकैती के एक अपराध सहित जिले में कई गम्भीर अपराधों में संलिप्त था।

कार में बैठे अन्य व्यक्ति की पहचान नीलेश जायसवाल के रूप में हुई जिसे इससे पहले भी शराब की तस्करी करने के आरोप में वरनामा पुलिस थाना बड़ोदरा और अंकलेश्वर पुलिस थाना भरूच में गिरफ्तार किया गया था।

परिवीक्षाधीन श्री रोजिया, पुलिस उपनिरीक्षक ने अपने कर्तव्य का पालन करने में उच्च जोखिम उठाने का साहस किया और इस कर्तव्यपालन में अपने शरीर पर उन्हें गम्भीर चोटें लगीं।

इस मुठभेड में श्री भावेश पी रोजिया, पुलिस उपनिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 04.02.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 53-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री उमर मोहम्मद
कांस्टेबल (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

कांस्टेबल उमर मोहम्मद, जिसने अभी हाल ही में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक मुठभेड में अपने जीवन का बलिदान दे दिया डकैती, झपटमारी, चोरी आदि जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त मेवात के कट्टर अपराधी गुटों के विरूद्ध अभियान चलाने के लिए गुडगांव के आयुक्त अपराध-शाखा द्वारा बनाए गए विशेष सैल का सदस्य था । ये गुट पुलिस आयुक्तालय गुडगॉव के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2007 में अधिकांश चोरी और वाहन चोरी करने के लिए उत्तरदायी थे। वे इतने खतरनाक थे कि पुलिस पार्टी पर भी, सामने आने पर, हमला करने से नहीं चूकते थे। इस विशेष सैल ने नूह में अपना मुख्यालय बनाया और इसके अधिकारियों ने जिनमें कांस्टेबल उमर मोहम्मद, कांस्टेबल अली हुसैन और कांस्टेबल महमूद खान शामिल थे इन लुटेरों झपटमारों और चोरों, जो मेवात से अपना अभियान चलाते थे, के बारे में पूर्ण जानकारी एकत्र कर ली थी कई अभियान चलाकर उन्होंने पुलिस आयुक्तालय गुडगॉव तथा आसपास के क्षेत्रों में छीना-झपटी एवं वाहन चोरी में संलिप्त 70 अपराधियों को गिरफ्तार किया तथा उनकी टीम के प्रयासों से 72 वाहन जब्द किए गए। कुछ समय बाद उनहोंने 18 डकैतियों छीना झपटी। वाहन चोरी के मामलों में संलिप्त मुश्ताक नामक एक कुख्यात अपराधी के नेतृत्व में चल रहे एक गुट का पता लगाया जिसने घात लगाकर राजस्थान के पुलिस दल को घायल कर दिया था। इस विशेष प्रकोष्ठ ने अपराधी गुटों के अन्य विवरण तथा अवागमन को जानकारी एकत्र की तथा इसकी हलचल का अनुकरण करने के स्रोत का सृजन किया। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि 9 फरवरी, 2008 को सुबह सबेरे मुश्ताक कुछ छीने गए वाहनों के साथ राजस्थान की ओर जाएगा। कांस्टेबल उमर मोहम्मद, कांस्टेबल अली हुसैन और कांस्टेबल मोहम्मद खान, जो उस क्षेत्र में मौजूद थे, अपराधी गुटों को पकड़ने की तलाश में उस स्थान के लिए चल पड़े। मुश्ताक अपने अन्य साथियों के साथ राजस्थान की सीमा पर बसे गधानेर गॉव से दो बोलैरो तथा मोटरसाइकिलों पर आता दिखाई दिया। इस पुलिस पार्टी, जिसमें अभी तक मात्र तीन सदस्य थे,

ने महसूस किया कि स्थानीय पुलिस से तुरन्त सहायता मिलना सम्भव नहीं है क्योंकि निकटतम पुलिस थाना 20 किमी0 दूर है। तथापि वे यह भी नहीं चाहते थे कि दुर्दान्त अपराधी मुश्ताक, जिसका बड़ी मुश्किल से उन्होंने पता लगाया था, चोरी किए गए वाहन लेकर बचकर भाग जाए। अपने जीवन की परवाह किए बिना इस टीम ने मुश्ताक को पकड़ने का प्रयास किया। अपराधियों को पुलिस कार्मिकों की भनक लग गई और उन्होंने उन पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं। एक गोली कांस्टेबल उमर मोहम्मद के सिर पर लगी तथा उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथी कांस्टेबल अली हुसैन तथा कांस्टेबल मोहम्मद खान ने धैर्य नहीं खोया और वे अपराधियों का पीछा करते रहे। इस कोर ग्रुप द्वारा एकत्र की गई जानकारी पुलिस के लिए अति सहयोगी साबित हुई। भयानक अपराधी मुश्ताक तथा उसके गुट के सदस्यों को हरियाणा एवं राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में पुलिस थाना पहाड़ी, जिला भतरपुर में शस्त्र अधिनियम की धारा 148/149/302/307/332/253/186 और 25/54/59/के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 43 के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2008 को गिरफ्तार कर लिया।

इस मुठभेड में स्वर्गीय श्री उमर मोहम्मद कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 09.02.2008 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 54-प्रेज/2009. राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जहूर अहमद,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 18.6.2007 को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पी डी पी) ने बीरवा में एक जन रैली का आयोजन किया जिसको वरिष्ठ पी डी पी नेता श्री मुजफ्फर हुसैन बेग द्वारा संबोधित किया गया। जब रैली चल रही थी तभी बड़गाँव पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को जानकारी मिली थी कि आतंकवादी इस रैली पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और नरवाड़ा, मीरपोरा बीरवा के आसपास उपस्थित हैं। जानकारी पर कार्रवाई करते हुए बड़गाँव पुलिस तथा 34 आर आर की टुकड़ियों ने तीन किलोमीटर के दायरे में क्षेत्र को घेर लिया। निरीक्षक जहूर अहमद के नेतृत्व में एक मारक पुलिस टोली का गठन किया गया और यह टोली आगे बढ़ी तथा उसने पास के एक नाले में आतंकवादियों की गतिविधि का पता लगा लिया। आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, परन्तु इसकी बजाय उन्होंने निरन्तर गोलीबारी शुरु कर दी जिसका प्रत्युत्तर पुलिस टोली ने दिया और एक तगड़ी मुठभेड़ शुरु हो गई। मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी पुलिस की गोलीबारी के सामने नहीं टिक सके और नरवाड़ा-मीरपोरा गांव की ओर भागने लगे जिसे पहले से ही 34 आर आर की टुकड़ियों ने घेर रखा था। भगोड़े आतंकवादियों का निरीक्षक जहूर अहमद, थाना प्रभारी, बड़गाँव थाना के नेतृत्व में छोटी पुलिस टोली द्वारा बहादुरी से पीछा किया गया और अन्ततः मीरपोरा-नरवाड़ा गाँव के पास एक नाला में 34 आर आर की टुकड़ियों की सक्रिय भागीदारी से पुलिस टोली द्वारा उन्हें मार गिराया गया। इस अधिकारी ने सामने से नेतृत्व किया जिससे उनके अधीनस्थों को प्रोत्साहन मिला। लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी इस कार्रवाई में मारे गए थे जिनकी पहचान फुरकान (लश्कर-ए-तैयबा का डिवीजनल कमान्डर), अमार (लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमान्डर) (दोनों विदेशी ए श्रेणी के आतंकवादी) और एक स्थानीय आतंकवादी बिलाल अहमद डार, पुत्र अजीज डार, निवासी नरवाड़ा बीरवा के रूप में की गई। पुलिस थाना बीरवा में मामला एफ आई आर सं. 88/2007यू/एस307 आर पी सी, 7/27 आई ए ए के तहत दर्ज है। हालांकि, इस कार्रवाई के दौरान, पुलिस सुरक्षा बलों के बीच कोई हताहत नहीं हुआ और

न ही कोई समानान्तर क्षति हुई, जिसे काफी सतर्कता से और पेशेवर ढंग से अंजाम दिया गया था।

निम्नलिखित अस्त-शस्त्र जब्त किए गए थे:-

(i)	ए के -47 राईफल	-	01
(ii)	ए के-56 राईफलें	-	02
(iii)	ए के मैग	-	13
(iv)	ए के अमन	-	64 राऊण्ड्स
(v)	ग्रेनेड थ्रोवर	-	01
(vi)	यू.बी.जी.एल. ग्रेनेड	-	01

इस मुठभेड़ में श्री जहूर अहमद, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.6.2007 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 55-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अब्दुल कयूम,
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

पुलिस थाना बुधाल, कांडी और धर्मसाल के कार्यक्षेत्र में विभिन्न नागरिक जनसंहारों में शामिल तथा क्षेत्र में सक्रिय उच्च श्रेणी के आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए बुधाल एवं कांडी क्षेत्रों में पुलिस उपाधीक्षक कम्पनी कमाण्डर एस एस आर राजौरी के संरक्षण में कमाण्डो दस्ते की एक छोटी टुकड़ी का गठन कर उसे तैनात किया गया था। अपने ही स्त्रोतों से प्राप्त विशेष जानकारी के आधार पर 27.6.2007 को कांडी पुलिस थाना के इलाके में नीला तुलियानी अनि ढोक में एक कार्रवाई शुरु की गई थी। पुलिस उपाधीक्षक एस एस आर राजौरी ने एक छापामार दल को तैनात किया, ढोक में आतंकवादी को घेरा और आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परन्तु इसकी बजाय ढोक में छुपे आतंकवादी ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। इस गोलीबारी का जमकर जवाब दिया गया और इस मुठभेड़ में अब्दुल कयूम उर्फ अबु मुसम्मी-उल-इस्लाम, पुत्र - मोहम्मद शफी, निवासी – मोहरा कराग, हिजबुल मुजाहिद्दीन दल के जिला कमाण्डर को मार गिराया गया। उक्त आतंकवादी पिछले 10 वर्षों से जिला में सक्रिय था और नागरिक जनसंहारों में शामिल था। पुलिस उपाधीक्षक ने कार्रवाई में अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों से जमकर मुकाबला किया जिसके परिणामस्वरुप खूंखार आतंकवादी की एक श्रेणी को मिटाया जा सका। अधिकारी ने इस कार्रवाई में अतिविशिष्ट कार्य का प्रदर्शन किया और कार्रवाई के दौरान उसकी भूमिका की घटनास्थल पर मौजूद सेना अधिकारियों द्वारा भी प्रशंसा की गई थी। मुठभेड़-स्थल से निम्नलिखित अस्त्र/शस्त्र भी बरामद किए गए थे:-

01.	राईफल ए के-47	-	01
02.	मैगजीन ए के-74	-	03
03.	वायरलैस	-	01
04.	डायरी	-	01
05.	कोड शीट	-	01

इस मुठभेड़ में श्री अब्दुल कयूम, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27.6.2007 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 56-प्रेज/2009. राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अश्वनी कुमार शर्मा,
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 3.8.2006 को सी ओ 8 आर आर के अनुरोध पर, एस पी (ऑपरेशन) डोडा ने वानीपुरा गुंडना में कुमुक प्रदान करने के लिए उप निरीक्षक अश्वनी कुमार शर्मा सं. 7216/एन जी ओ, पी आई डी सं. ई एक्स जे-005602 के नेतृत्व में एक पुलिस दल को प्रतिनियुक्त किया जहाँ 8 आर आर की सेना टुकड़ी पहले से ही लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में व्यस्त थी और सात जानें जा चुकी थी। चूंकि सेना की टुकड़ी को तत्काल कुमुक प्रदान करने के लिए पुलिस दल ही एकमात्र ताकत थी, इसलिए उप-निरीक्षक अश्वनी कुमार ने अपने दल के साथ मुठभेड़ स्थल तक पहुँचने के लिए लगभग 48 किलोमीटर (बस द्वारा 33 किलोमीटर एवं पैदल 15 किलोमीटर) की दूरी तय की। वास्तविक मुठभेड़ स्थल से लगभग आधा किलोमीटर पहले उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा घेर लिया गया, जिसका उप-निरीक्षक अश्वनी कुमार शर्मा एवं उनके दल द्वारा, अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए, डटकर मुकाबला किया गया। जब उप-निरीक्षक अश्वनी कुमार शर्मा लक्षित मकान तक पहुँचे, जहाँ आतंकवादी छुपे थे और सेना कर्मियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, उन्होंने देखा कि सेना के 3 जवान घायल स्थिति में पड़े थे और सहायता के लिए कराह रहे थे। इस पर उप-निरीक्षक अश्वनी कुमार शर्मा आतंकवादियों द्वारा फेंके गए हथगोलों एवं भारी गोलीबारी के बीच काफी तरकीब से रेंगते हुए घायल जवानों के पास पहुँचे और उन्हें असलों के साथ बचा लिया। इस कार्रवाई में हालांकि उप-निरीक्षक अश्वनी कुमार शर्मा को बुलेट-प्रूफ जैकेट एवं पाऊच पर गोलियों के छर्रे भी लगे। आतंकवादियों ने 10 फीट की दूरी से ही गोलियों एवं हथगोलों की बौछार जारी रखी परन्तु उप-निरीक्षक अश्वनी कुमार शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए उन पर जवाबी गोलीबारी की और नजदीकी गोलीबारी में अबु जुबैर कोड अब्दुल जबर निवासी पाकिस्तान नामक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया। उक्त आतंकवादी डोडा जिले में विभिन्न तरह की अन्य आतंकवादी वारदातों के अतिरिक्त, 1.5.2005 को कुलहंद गांव के अल्पसंख्यक समुदाय के 19 लोगों को मारने की घटना में संलिप्त था। मृतक आतंकवादी के पास से 2 हथगोले (जीवित), स्नीपर राइफल के 13 चक्र, 1 हाथघड़ी, 1 पाऊच और अन्य आरोपित सामग्री बरामद हुई थी।

इस मुठभेड़ में श्री अश्वनी कुमार शर्मा, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3.8.2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 57-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री इम्तियाज हुसैन मीर,
अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 20 अक्टूबर, 2007 को सोपोर पुलिस थाने में बारामूला जिला सोपोर तहसील मालपुरा गांव के बागानों में अवैध असलों के साथ कुछ आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में जानकारी मिली। इस जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, श्री इम्तियाज हुसैन मीर, अपर पुलिस अधीक्षक, सोपोर के नेतृत्व में एक पुलिस दल बागानों की ओर गया और तलाशी शुरु कर दी। जैसे ही यह दल बागान क्षेत्र को अलग करने वाले नालों के पास पहुँचा, नाले में छुपे एक आतंकवादी ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी और हथगोले भी फेंके। इसके परिणामस्वरुप अपर पुलिस अधीक्षक (सोपोर) के निजी सुरक्षा गार्ड श्री इम्तियाज अहमद वानी नामक सिपाही को जांघ में गोली लगी जबकि दल के अन्य सदस्य बाल-बाल बच गए। गोली से घायल होने और खून के रिसाव के बावजूद सिपाही इम्तियाज अहमद वानी उस स्थान से नहीं हटा और अपनी तरफ से भारी गोलीबारी करते हुए आतंकवादी को उलझाए रखा और दल को कवर प्रदान किया। श्री इम्तियाज हुसैन मीर, अपर पुलिस अधीक्षक (सोपोर), जो इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे, तेजी से अपने निजी सुरक्षा गार्ड के पास पहुँच गए और अपने दल के अन्य सदस्यों को भी उसे बचाने के लिए सिपाही इम्तियाज अहमद वानी के पास पहुँचने के लिए कहा। नाले के पास एक बोल्डर की आड़ में सिपाही इम्तियाज अहमद वानी के नजदीक अपने पुलिस कर्मियों को तैनात कर, श्री इम्तियाज हुसैन मीर अपर पुलिस अधीक्षक (सोपोर) ने उच्चकोटि के साहस एवं सहचारिता का परिचय दिया और सिपाही इम्तियाज अहमद वानी को आतंकवादी की गोलीबारी की सीमा से बाहर खींच लाए। जब कार्रवाई चल रही थी, अतिरिक्त कुमुक घटनास्थल पर पहुँच गई और सिपाही इम्तियाज अहमद वानी को तत्काल एक वाहन में बचाकर ले जाया गया। जब जख्मी सिपाही लँगड़ाता हुआ वाहन की ओर बढ़ रहा था, तब आतंकवादी ने फिर से उस पर गोलीबारी की, तो उसने फिर से अत्यन्त दिलेरी एवं साहस का परिचय देते हुए वाहन में घुसने से पहले आतंकवादी पर गोली बरसाई। हालांकि बचाव वाहन समय पर अस्पताल पहुँच गया, लेकिन सिपाही इम्तियाज अहमद वानी को जांघ में लगे गहरे जख्म के कारण, वह जख्म

से दब गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। चूंकि बचाव प्रयास पूरा हो चुका था, श्री इम्तियाज हुसैन मीर, अपर पुलिस अधीक्षक (सोपोर) ने कार्रवाई के दौरान अपने पुलिसकर्मियों को उच्च मनोबल को बनाए रखने में न केवल प्रोत्साहित किया वरन आतंकवादी पर भारी जवाबी हमला भी किया जो बोल्डरों के माध्यम से अत्यधिक आड़ पाकर अभी भी नाले में छुपे हुए थे। उच्चकोटि के साहस एवं बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, अपर पुलिस अधीक्षक श्री इम्तियाज हुसैन मीर दूसरी तरफ से नाले के पास गए। जैसे ही अपर पुलिस अधीक्षक और उनका दल दक्षिणी किनारे से चला आतंकवादी ने दल पर एक हथगोला फेंका और ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरुप सिपाही मुस्ताक अहमद के पैर में गोलियाँ लगीं। इसी समय श्री इम्तियाज हुसैन मीर, अपर पुलिस अधीक्षक ने घायल सिपाही मुस्ताक अहमद को खतरे वाले स्थान से हटा लिया। चूंकि आतंकवादी की तरफ से गोलीबारी रुक गई थी, अपर पुलिस अधीक्षक ने घेरा को नाले के और करीब कर दिया। उच्चकोटि की तत्परता और नेतृत्व का परिचय देते हुए तथा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, वे आतंकवादी के छुपने के वास्तविक स्थान तक पहुँच गए। जैसे ही आतंकवादी को उनका पता चला, उन्होंने अधिकारी पर अपनी अंतिम गोलीबारी की, जिस पर जवाबी गोलीबारी की गई और परिणामस्वरुप उक्त आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। स्थल की तलाशी लेने पर मृतक आतंकवादी की लाश के पास से एक ए के राईफल, तीन ए के-47 मैगजीन, छः ए के राऊण्ड्स और दो यू बी जी एल बरामद किए गए थे। इस घटना के लिए सोपोर पुलिस थाना में मामला एफ आई आर सं. 2007 का 328 आर पी सी की धारा 307 के अन्तर्गत 7/27ए पर दर्ज है।

इस मुठभेड़ में श्री इम्तियाज हुसैन मीर, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिनांक 20.10.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 58-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वसीम कादरी
   पुलिस उपाधीक्षक
2. शीतल चरक
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

आगामी ग्रीष्मकाल में श्रीनगर शहर को निशाना बनाने के उद्देश्य से श्रीनगर शहर में और इसके आसपास लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी दल को मजबूत बनाए जाने तथा पहाड़ों से घनी आबादी की ओर इनके बढ़ने के संबंध में अपने ही स्त्रोत से मिली जानकारी पर एस ओ जी, श्रीनगर कार्रवाई कर रहे थे। इस जानकारी की पुनः पुष्टि की गई जिससे पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा का एक कमाण्डर हसन उर्फ मुस्सा, जो पहले हाफिज उर्फ मुस्सा निवासी पाकिस्तान के कोड नाम से अल-बदर आतंकवादी दल से जुड़ा हुआ था, नए सेल सृजित करने के अतिरिक्त स्लीपर सेलों को फिर से सक्रिय बना रहा है। इस कथित आतंकवादी को वर्ष 1999 में कश्मीर घाटी में घुसाया गया था और वह गंदरबल-कंगन के सामान्य क्षेत्र में सक्रिय रहा। अल-बदर के अपने सहयोगियों के मारे जाने तथा इसके परिणामस्वरुप वर्ष 2005-2006 में दल के कमजोर हो जाने पर, वह लश्कर-ए-तैयबा दल में शामिल हो गया। वह अबु खालिद उर्फ दाऊद निवासी पाकिस्तान नामक लश्कर-ए-तैयबा कमाण्डर का काफी नजदीकी था। अल-बदर से लश्कर-ए-तैयबा में आने पर उसे हसन उर्फ मुस्सा नामक कोड नाम दिया गया। वर्ष 2006 के मध्य में, अबु खालिद को एक कार्रवाई में अशक्त बना दिया गया था और भागने पर मजबूर कर दिया गया था। अबु सलमान उर्फ हसन उर्फ मुस्सा उर्फ असद श्रीनगर-कंगन क्षेत्र हेतु लश्कर-ए-तैयबा का डिवीजन कमाण्डर बन गया। इस कथित आतंकवादी को निशाना बनाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक वसीम कादरी तथा उप-निरीक्षक शीतल चरक के कमाण्ड में एस ओ जी, श्रीनगर का एक दल गठित किया गया था। इस दल ने ऑपरेशन सेंटर श्रीनगर में प्राप्त हुई तकनीकी जानकारी का विश्लेषण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों एवं अपने स्त्रोतों से जानकारी एकत्र की। नवम्बर, 2007 के दूसरे सप्ताह में, इस दल ने सूचना दी कि उक्त कमाण्डर भविष्य में पर्यटक पर हमला

करने की योजना बनाने के क्रम में बगीचे का मुआयना करने के लिए शालीमार गार्डन आ सकता है। इस दल ने उस स्थान का अभिनिर्धारण किया जहाँ उक्त आतंकवादी कमाण्डर को आना था। यह बगीचे के पिछवाड़े था। इस जानकारी के अनुसार एस ओ जी, श्रीनगर के पुलिस उपाधीक्षक वसीम कादरी ने कार्रवाई की योजना बनाने के लिए स्थल का दौरा किया। स्थलगत स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद, यह पाया गया कि उस स्थान से भागने के तीन रास्ते हैं। भागने के सभी तीनों रास्तों को प्रति रास्ता 3 पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिया गया। 29.11.2007 को लगभग 2.30 बजे दिन में, अपने ही स्त्रोतों से पुष्टि की गई थी कि आतंकवादी कमाण्डर लगभग 5.00 बजे शाम में उक्त स्थान पर आ सकता है। पुलिस उपाधीक्षक वसीम कादरी तथा उप-निरीक्षक शीतल चरक के कमाण्ड में उपरोक्त दल पुलिस पार्टी के साथ कार्रवाई करने के लिए चल पड़ा। लगभग 5.20 बजे शाम में, उक्त कमाण्डर स्थान पर पहुँचा। कवरिंग पार्टियाँ भी निशाने की ओर आगे बढ़ी। पुलिस उपाधीक्षक वसीम कादरी के नेतृत्व में पुलिस पार्टी आतंकवादी की ओर बढ़ी। आतंकवादी को शंका हो गई और उसने तुरन्त पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में इसका जवाब दिया। आतंकवादी ने दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश की। उक्त रास्ते को उप-निरीक्षक शीतल चरक के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी द्वारा कवर किया गया था, इस प्रकार आतंकवादी की भागने की योजना विफल हो गई। पुलिस उपाधीक्षक वसीम कादरी के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने भागते आतंकवादी पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरुप लगभग 10 मिनटों तक चली गोलीबारी में पाकिस्तान निवासी अबु सलमान उर्फ हसन उर्फ असद नामक आतंकवादी को ढ़ेर कर दिया गया। इस संबंध में मामला हर्वन पुलिस थाना में एफ आई आर सं. 98/2007 के तहत दर्ज है। निम्नलिखित मात्रा में असलों की बरामदगी की गई थी :-

(1)	ए के-47 राइफल	- 01	(2)	ए के-मैगजीन -	03
(3)	ए के राऊण्डस शस्त्र	- 30 राऊ.	(4)	ग्रेनेड -	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री वसीम कादरी, पुलिस उपाधीक्षक तथा शीतल चरक, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29.11.2007 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 59-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शाम लाल,

अनुचर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 5.8.2007 को, गंडोह पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत गुगलाला धार क्षेत्र में एक ढ़ोक में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के मौजूद होने से संबंधित जानकारी विश्वस्त सूत्रों से पता चली। इस जानकारी को निरीक्षक चंचल सिंह द्वार पुष्ट किया गया और उनके द्वारा सतर्कतापूर्वक योजना बनाकर एक कार्रवाई शुरु की गई। पुलिस दल जंगल एवं पहाड़ी तराई से सारी रात पैदल चलकर 6.8.2007 को तड़के लक्षित स्थल तक पहुँचा। कार्रवाई दल ने ढ़ोक को घेर लिया और वहाँ पर गहन निगरानी बनाए रखी। लगभग 1000 बजे आतंकवादियों की गतिविधियां देखी गईं। पुलिस कार्रवाई दल ने उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परन्तु ऐसा करने की बजाय उन्होंने एक निर्मित आश्रयस्थल पर मोर्चा बना लिया और भारी गोलीबारी शुरु कर दी और कार्रवाई दल पर हथगोले फेंके। कार्रवाई दल ने जवाबी गोलीबारी की और घेरे को तंग कर दिया। आधे घंटे की मुठभेड़ के बाद, अनुचर शाम लाल और एक छोटे दल ने स्वैच्छिक रूप से आश्रयस्थल तक रेंगते हुए दूरी तय की और उन पर आक्रमण किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए, साथी दल द्वारा दी जा रही कवर फायर के अन्तर्गत, उन्होंने आश्रयस्थल पर हमला बोल दिया। आने वाले पुलिस कर्मी की भनक पाकर, एक आतंकवादी छुपने के स्थल से बाहर आ गया, उसने भारी गोलीबारी करते हुए घेरा को तोड़ने की कोशिश की और कार्रवाई दल पर गोली बरसाते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस दल द्वारा उसका पीछा किया गया और सेकेण्डों में उसे मार गिराया गया। जबकि दूसरे आतंकवादी ने छुपने के स्थल से गोलीबारी चालू रखी तथा हथगोला फैंकता रहा। घेरा को फिर से व्यवस्थित किया गया और लगभग 1245 बजे, घिरे हुए आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, परन्तु उसने इसके जवाब में भारी गोलीबारी की और हथगोले फेंके। इस पर अनुचर शाम लाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना, अदम्य साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए, सामने से दल का नेतृत्व किया, छुपने के स्थल पर हमला किया और आमने-सामने की लड़ाई में आतंकवादी को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान अनुचर शाम लाल जख्मी हो गया। मृतक आतंकवादियों की

पहचान लश्कर-ए-तैयबा के (1) अबु शकील उर्फ अफगानी निवासी अफगानिस्तान तथा (2) फिरदौस अहमद उर्फ बिलाल पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इकबाल निवासी लोहरथावा थत्री के रूप में की गयी। मृतक आतंकवादियों से की गई बरामदगी में 1 मैगजीन के साथ 1 एस एल आर, 2 मैगजीनों के साथ 1 पिस्तौल, 1 वॉकी-टॉकी सैट, 1 पाऊच और कुछ संदिग्ध दस्तावेज शामिल हैं।

इस मुठभेड़ में श्री शाम लाल, अनुचर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 06.8.2007 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा,
संयुक्त सचिव

सं. 60-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. अत्तार समद,
   उप-निरीक्षक
2. फैयाज अहमद,
   सिपाही
3. रफीक अहमद,
   सिपाही
4. गुलाम मुस्तफा,
   सिपाही

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 4 नवम्बर 2007 को, पुलिस अधीक्षक कुलगाम को पुलिस थाना डी एच पोरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत चेक वाट्टो गांव में अ. गफ्फार नाईक के मकान में कुछ आतंकवादियों के उपस्थिति होने के संबंध में जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक

(ऑप) श्री वी.के. भट्ट की सहायता से उप-निरीक्षक अत्तार समद के नेतृत्व में एक छोटे एवं सुसंहत दल को अभियान को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। बिना कोई समय गंवाए, उप-निरीक्षक अत्तार समद के नेतृत्व में एस ओ जी जिला कुलगाम के 12 सदस्यीय संयमी दल को मकान को घेरने के लिए बस्ती में भेजा गया था। अत्तार समद के दल, जिसमें सिपाही फैयाज अहमद, सिपाही रफीक अहमद और सिपाही घ. मुस्तफा शामिल थे, ने लक्षित मकान तक पहुँच कर घेरा डाल दिया। जिस समय घेरा डाला जा रहा था, छुपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर ताबड़तोड गोलीबारी शुरु कर दी। उप-निरीक्षक अत्तार समद के नेतृत्व में पुलिस दल आतंकवादियों की गोलीबारी से नहीं सहमे वरन् बेहद दिलेरी एवं साहस का परिचय दिया और आर-पार की गोलीबारी के बीच फंसे दो नागरिकों को बचाकर बाहर निकाल लिया। जल्दी ही उन्होंने पुलिस दल पर गोलीबारी करते हुए घेरा तोड़कर भागने का प्रयास कर रहे छुपे हुए आतंकवादियों का पीछा किया। इन चारों पुलिस कर्मियों ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उच्चकोटि के साहस एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और संगीन लड़ाई में आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस आतंकवादी की पहचान आरीफ पठान (पाक आतंकवादी), डिवीजनल कमाण्डर, अल-बदर आतंकवादी दल के रूप में की गई। उक्त आतंकवादी "ए" श्रेणी का था और यह कार्रवाई जम्मू व कश्मीर पुलिस की एक विशिष्ट कार्रवाई थी जिसमें :-

क) कार्रवाई के दौरान कोई समानान्तर क्षति नहीं हुई;

ख) कार्रवाई काफी कम समय में पूरी हो गई;

ग) उप-निरीक्षक अत्तार समद के दल ने अत्यन्त साहसिक कार्रवाई का प्रदर्शन किया।

निम्नलिखित बरामदगी की गई थी:

ए.के. राईफल-01, ए के मैगजीन-02, ए के गोलाबारुद-27 राऊण्डस, ग्रेनेड-01, मोबाईल सेट-01

इस मुठभेड़ में सर्व/:श्री अत्तार समद (उप-निरीक्षक), फैयाज अहमद (सिपाही), रफीक अहमद (सिपाही), और गुलाम मुस्तफा (सिपाही) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 04.11.2007 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 61-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. एच.के. लोहिया,
   उप महानिरीक्षक
2. गुलाम मोहम्मद,
   सार्जेण्ट कांस्टेबल
3. मुश्ताक अहमद,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 23.12.2007 के तड़के जम्मू व कश्मीर पुलिस द्वारा पालनू गांव में खोजी कार्रवाई के कारण 3 खूँखार हिजबुल मुजाहिद्दीन आतंकवादी 5 नागरिकों को बंधक बनाकर उनके साथ मस्जिद में छुप गए। उन्होंने धुँआधार गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें एक नागरिक घायल हो गया और मस्जिद के दरवाजे के पास गिर गया। श्री एच.के. लोहिया, आई.पी.एस., डी.आई.जी. एस.के.आर अनंतनाग ने अपने दल के साथ तुरन्त मस्जिद को अच्छे ढंग से घेर लिया और काफी अधिक खतरा उठाकर नागरिकों को उनकी जान बचाते हुए बाहर निकालने की व्यवस्था कर ली। इसके बाद आबादी (लगभग 600) को खाली कराया गया और जाड़े का महिना होने के कारण उनके पशुओं सहित समस्त प्रबंध किए गए। आतंकवादियों से सम्पर्क साधने के लिए पी.ए. सिस्टम को स्थापित किया गया क्योंकि वे बंधक नागरिकों के माध्यम से मस्जिद की पी.ए. सिस्टम से आतंक फैलाने वाली घोषणाएँ कर रहे थे। मस्जिद को आक्रमण से बचाने के लिए आतंकवादी बंधकों को मारने की धमकी दे रहे थे। स्थिति की संवदेनशीलता/गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल नियंत्रित और संयुक्त कार्रवाई अपेक्षित थी। अत: श्री एच.के. लोहिया और उसके दल ने अत्यधिक संयम बरता और आतंकवादियों को निरन्तर वार्ता में व्यस्त रखते हुए बंधकों एवं मस्जिद को नुकसान पहुँचाने वाले उनके अनगिनत प्रयासों को विफल कर दिया। तभी रात हो गई और आतंकवादियों ने पुलिस दल एवं श्री लोहिया को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरु कर दी। परन्तु उकसाए जाने के बावजूद, अधिकारी ने बंधकों एवं मस्जिद को हानि से बचाने के लिए गोलीबारी पर बिल्कुल संयम बनाए रखा। लगभग 0300 बजे (24.12.2007) कुछ गतिविधि महसूस की गई और पूरे क्षेत्र को अच्छे ढंग से रोशनी से जगमगा दिया गया, जिससे छुपे हुए

आतंकवादी भागने से वंचित रह गए। छोड़े गए बंधक एवं मौलवी से विश्वसनीय जानकारी हासिल कर श्री लोहिया द्वारा एक स्पष्ट योजना तैयार की गई, जिसके अनुसार बांयी तरफ रोशनी को इस तरकीब से लगाया गया कि पूरा क्षेत्र अंधकारमय रहे जबकि दांयी तरफ पूरी रोशनी फैल जाए। ऐसा इस समझ के साथ किया गया कि आतंकवादी अंधेरे की तरफ भागेंगे जबकि नागरिक रोशनी की ओर दौड़ेंगे। नागरिकों की सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, लगातार घोषणाएँ (पी.ए. सिस्टम पर) की गई कि नागरिक अपने हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ जाएं। लगभग 2130 बजे (24.12.2007) श्री लोहिया द्वारा अंतिम कमाण्ड जारी किया गया और टी.एस. एम्यूनिशन छोड़ दिया गया। लगभग 40-45 मिनट बाद, गतिविधि महसूस की गई और दलों को सचेत कर दिया गया। लगभग 2230 बजे (24.12.2007) आतंकवादी बंधक नागरिकों को ढ़ाल बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बाहर आए। जैसा कि अपेक्षित था, दो व्यक्ति (आतंकवादी) गोली चलाते हुए अंधेरे की ओर भागे और दो व्यक्ति (नागरिक) रोशनी की ओर भागे, जिन्हें आसानी से पहचान लिया गया। श्री लोहिया के नेतृत्व में पुलिस दल ने निजी तौर पर नियंत्रित और तीव्रता से गोली चलाई तथा दोनों आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। तीसरे आतंकवादी ने गोलीबारी शुरु कर दी और अधिकारी तथा उसके दल ने तरकीब से उसे व्यस्त रखकर उसे भी निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार किसी तरह की समानान्तर क्षति किए बिना 40 घंटे लम्बी मस्जिद घेराबंदी समाप्त हो गई। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगी की गई:-

1.	ए के 47 राईफल (अंशतः क्षतिग्रस्त) बटरहित	-	01
2.	ए के 56 (क्षतिग्रस्त) बटरहित	-	01
3.	ए के 56 (क्षतिग्रस्त) बटरहित	-	01
4.	ए के मैगजीन	-	04
5.	ए के मैगजीन (क्षतिग्रस्त)	-	04
6.	एम्यूनिशन पाऊच (क्षतिग्रस्त)	-	03
7.	डायरियाँ	-	02
8.	ए के एम्यूनिशन	-	60 राऊण्ड्स

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एच.के. लोहिया, उप महानिरीक्षक, गुलाम मोहम्मद, सार्जेण्ट कांस्टेबल और मुश्ताक अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23.12.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 62-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अजीत पीटर डुंगडुंग,
   सब डिवीजनल पुलिस ऑफीसर
2. के.के. राय,
   सब इंस्पेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 4/5 अक्टूबर 2005 की रात में, श्री अजीत पीटर डुंगडुंग, एस डी पी ओ को सूचना मिली कि लगभग 70 की संख्या में हथियारबंद सी पी आई (माओवादी) का एक बड़ा दल दंडिलिया पहाड़ी में एकत्र हुए हैं और हुसैनाबाद क्षेत्र में एक बड़ा आघात करना चाहते हैं। हालांकि श्री डुंगडुंग, एस डी पी ओ के पास मात्र लगभग 30 अधिकारी और पुलिसकर्मी थे, फिर भी उन्होंने माओवादियों को रोकने का निर्णय लिया। जैसे ही श्री डुंगडुंग अपने दल के साथ जंगल पहुँचे, माओवादियों ने पुलिस बल पर अचानक हमला बोल दिया। अत्यन्त बुद्धिमता का परिचय देते हुए श्री डुंगडुंग ने अविलम्ब अपने दल को चार भागों में बांट दिया। इसमें से एक का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया तथा शेष का नेतृत्व पुलिस के प्रत्येक सब इंस्पेक्टर को दिया। स्थिति यह थी कि एक तरफ बड़ी संख्या में हथियारों से सुसज्जित बेहतर मोर्चाबंद नक्सलवादी दल था, तो दूसरी तरफ एक छोटी पुलिस टुकड़ी जिन पर उनके हावी होने की पूरी संभावना थी। परन्तु अपनी जान की परवाह किए बिना तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए, श्री डुंगडुंग, एस डी पी ओ श्री के.के. राय, एस आई, श्री विजय कुमार, एस आई और श्री जीतेन्द्र कुमार, एस आई के साथ भारी गोलीबारी के बावजूद नक्सलवादियों के ठिकाने की ओर बढ़े। यह महज विधाता की देन ही थी कि ये अधिकारी इस घातक गोलीबारी में घायल नहीं हुए। उक्त ऑपरेशन में नक्सलवादी दल का नेता और दुर्दांत एल डब्ल्यू ई सब-जोनल कमाण्डर नरेश रजवाड़ उर्फ बिनोद रजवाड़ श्री डुंगडुंग, एस डी पी ओ के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा वहीं मारा गया। 90 राऊण्ड्स जीवित कारतूसों के साथ .306 बोर का एक अमेरिकन राईफल बरामद किया गया। रिंकू पासवान को अकेले श्री के.के. राय, एस आई द्वारा पकड़ा गया और उसे 48 जीवित कारतूसों के साथ एक .303 पुलिस राईफल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। श्री विजय कुमार, एस आई एवं जीवेन्द्र कुमार, एस

आई के नेतृत्व में दूसरा और तीसरा दल नक्सलवादियों की भारी गोलीबारी के बीच घिर गया, परन्तु वे सहायतार्थ गोलीबारी करने के लिए अपने स्थान पर डटे रहे। बाद में बड़ी संख्या में खाली कारतूसों एवं बमों की उस स्थान से हुई बरामदगी मुठभेड़ की हिंसकता की भयानक गवाही देते हैं।

इस मुठभेड़ में श्री अजीत पीटर डुंगडुंग, सब डिवीजनल पुलिस ऑफीसर और श्री के.के. राय, सब इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 05.10.2005 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 63-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. ईशाक बागवां,
   असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस
2. अमित अरुण तिवारी,
   पुलिस कांस्टेबल
3. मंगेश महादेव चव्हाण,
   पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 26.11.2008 को लश्कर-ए-तैयबा के पूर्ण प्रशिक्षित आतंकवादियों के 10 सदस्यों का एक दल मुम्बई के तट पर उतरा। वे पूर्व-निर्धारित योजना के साथ आए थे जिसमें सी.एस.आर. रेलवे स्टेशन, होटल ताज, नरीमन हाऊस एवं होटल ओबेराय (ट्रिडेन्ट) पर घातक हमला किया जाना शामिल था। दो आतंकवादी कोलाबा स्थित नरीमन हाऊस पहुँच गए।

ए सी पी बागवां पांचप्यारी लेन की तरफ चले। उन्होंने स्थिति का मुआयाना किया और देखा कि आतंकवादियों ने नरीमन हाऊस नामक भवन को कब्जे में ले लिया है। उन्होंने परिसर में दो हथगोले फेंके जिसके कारण पेट्रोल पम्प के पास एक व्यक्ति मर गया। आतंकवादियों ने कोलाबा कोर्ट बिल्डिंग पर भी गोलीबारी की और दो नागरिकों को मार दिया। ए सी पी बागवां ने इस घटना के बारे में अपने उच्च अधिकारियों एवं मुख्य नियंत्रण कक्ष को सूचना दी। आधे घंटे के अंदर, एक एस आर पी एफ पलटन पंचप्यारी पहुँच गई। ए सी पी बागवां ने उपलब्ध स्टाफ के साथ नरीमन हाऊस के चारों ओर घेरा डाल दिया। उन्होंने नरीमन हाऊस के चारों ओर सुरक्षित स्थानों पर एस आर पी एफ/ के जवानों को तैनात कर दिया और भवन को घेर लिया।

नरीमन हाऊस में घुसे आतंकवादियों ने भवन के अंदर अंधेरा कर दिया। उन्होंने बीच-बीच में अपने अत्याधुनिक हथियारों से जनता की ओर रुखकर और नरीमन हाऊस से सटे भवन की ओर भी गोलीबारी जारी रखी। इस अचानक गोलीबारी से कोलाबा कोर्ट बिल्डिंग के दो निवासियों

की मृत्यु हो गई। संयोगवश यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि नरीमन हाऊस के भीतर आतंकवादियों ने तीन पुरुषों एवं दो महिलाओं (इजरायली राष्ट्रिक) को निर्ममता से मार दिया।

अंधाधुंध गोलीबारी को देखते हुए, ए सी पी ने आसपास के भवनों को खाली कराने का निर्णय लिया। ए सी पी बागवां और कांस्टेबल अमित अरुण तिवारी एवं कांस्टेबल मंगेश महादेव चव्हाण ने भवन के अंदर आतंकवादियों की ओर गोलीबारी की। तब तक आतंकवादियों ने समझ लिया था कि उन्हें घेर लिया गया है और चुनौती दी जा रही है। उसके बाद आतंकवादियों ने पुलिस की ओर हथगोले फेंकना शुरु कर दिया।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, ए सी पी बागवां के मार्गदर्शन में कांस्टेबल अमित अरुण तिवारी एवं कांस्टेबल मंगेश महादेव चव्हाण ने साहसपूर्वक उपलब्ध कमाण्डो/एस आर पी एफ जवानों की सहायता से नरीमन हाऊस को घेर लिया जिससे भवन के अंदर छुपे आतंकवादी बचकर भाग न सकें। उसी समय वरिष्ठ अधिकारीगण, ज्वाईंट कमीश्नर ऑफ पुलिस (एडमिन), एडिशनल कमीश्नर ऑफ पुलिस, आर्मड पुलिस, नैगाँव, डिप्टी कमीश्नर ऑफ पुलिस, हेड-I, डिप्टी कमीश्नर ऑफ पुलिस, हेड-II, स्थल पर पहुँच गए और कार्रवाई के अंत तक उसकी निगरानी की। ए सी पी बागवां को उपयुक्त सहायता प्रदान की गयी थी और निकासी द्वारों को सील कर एवं उपयुक्त निगरानी रखकर सम्पूर्ण कार्रवाई को सतर्कता से योजनाबद्ध किया गया था जिससे क्षेत्र में भावी नुकसान को रोका जा सके।

अगले दिन एन.एस.जी. कमाण्डो स्थल पर पहुँच गए और स्थिति का कार्यभार संभाल लिया। ए सी पी बागवां ने नरीमन हाऊस एवं इसके आसपास के क्षेत्रों की स्थलाकृति तथा नरीमन हाऊस के अंदर आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी दी।

इस मुठभेड़ में श्री ईशाक बागवां, असिस्टेंट कमीश्नर ऑफ पुलिस, श्री अमित अरुण तिवारी, पुलिस कांस्टेबल और श्री मंगेश महादेव चव्हाण, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 64-प्रेज/2009. राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. योगेन्द्र चन्द्रकांत पाचे,
   पुलिस सब इंस्पेक्टर
2. विनायक बाजीराव वेटल,
   असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 26.11.2008 को देश के कानून को धत्ता बताने की बदनियत के साथ, खूंखार आतंकवादियों द्वारा भयंकर एवं थरथराने वाला हमला किया गया, जिसमें दक्षिण मुम्बई के नागरिकों पर कई तरह के घातक हथियारों ए के-47 राईफल से गोली बरसाई गई और भारी विस्फोटक धमाके किए गए, जिसमें 183 निर्दोष नागरिकों की घिनौनी एवं दर्दनाक मौत हो गई तथा 300 से अधिक लोग अशक्त बना दिए गए। इसके साथ ही, कई भारतीयों एवं विदेशियों को बंधक बना लिया गया था और उन्हें निरन्तर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसमें से कुछेक को पहले ही दुर्दान्त आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि मुम्बई पूर्णतः आंतकवादियों के कब्जे में है और स्थिति बेहद भयावह थी जहाँ कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। आतंकवादी पूर्ण क्रोधित मुद्रा में निर्दोष लोगों को मार रहे थे। आतंकवादियों ने अपने घातक हथियार ए के-47 तथा हथगोले का प्रयोग करते हुए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, कामा अस्पताल, गिरगांव चौपाटी, लिओपोल्ड रेस्टोरेन्ट, ताज होटल, नरीमन हाऊस, ट्रिडेन्ट एवं ओबेरॉय होटलों पर घनी आबादी के बीच गहन गोलीबारी और धमाके कर क्रमिक हमला किया। हमले का मकसद काफी लोगों को मारकर एवं सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुँचाकर भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना था। इन खूंखार आतंकवादियों की खतरनाक मंशा अस्थिरता का माहौल पैदाकर देश में पूर्ण असुरक्षा की भावना पैदा करना तथा बड़े पैमाने पर विश्व में देश की छवि को खराब करना था। मुम्बई महानगर पर हमला करने वाले इन दस पूर्ण प्रशिक्षित दुर्दान्त आतंकवादियों को पुलिस एवं नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड के साथ 59 घंटे से अधिक चली ऐतिहासिक भयंकर मुठभेड़ में एक-एक कर मार गिराया गया और एक को जीवित पकड लिया गया। दस पूर्ण प्रशिक्षित दुर्दान्त आतंकवादियों में से दो अराजकता एवं अफरा-तफरी का

माहौल बनाते हुए, प्रवेश द्वार पर ही निर्दोष लोगों को मारते हुए, उन्मत्त और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए, ट्रिडेन्ट एवं ओबेरॉय होटलों को जोड़ने वाली लॉबी के माध्यम से 26.11.2008 को लगभग 2200 बजे ओबेरॉय होटल में घुस गए। आतंकवादियों ने ओबेरॉय की लॉबी में "टिफिन रेस्टोरेण्ट" में निरन्तर गोलीबारी जारी रखी जिसमें लगभग 15 मेहमान मारे गए जिसमें कुछ विदेशी राष्ट्रिक भी शामिल थे। इसके बाद वे ओबेरॉय के "कंधार" रेस्टोरेण्ट में गोली बरसाते हुए घुस गए जहाँ भोजन कर रहे व्यक्तिगण मारे गए। उन्होंने अपनी हिंसात्मक गोलीबारी ओबेराय के स्पा एवं "ओपियम्स डेन बार" में भी जारी रखी तथा निर्दोषों को मारते रहे। आतंकवादी पुनः ओबेरॉय की लॉबी में "टिफिन रेस्टोरेण्ट" में घुस आए और घायलों पर फिर से अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे जिससे कोई जिन्दा न बचे। उन्होंने होटल में आतंक की लहर फैला दी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए जहाँ-तहाँ भाग रहा था। दोनों ने लगभग छः लोगों को बंधक बनाया, जिन्हें एक-एक कर मार दिया गया, और कुछ अन्य निर्दोषों की तलाश में होटल में ऊपर चले गए जिन्हें ढूंढकर मारा जा सके। इस समय तक पुलिस आ गई थी और उन्होंने होटल को घेर लिया था। जैसा लग रहा था उसके अनुसार जीत हासिल करना आसान या जल्द नहीं थी। स्थानीय पुलिस पर हमला हो चुका था और मुख्य नियंत्रण कक्ष से स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। इसके प्रत्युत्तर में "ए" कम्पनी के एस आर पी एफ प्लाटून नं.3, जो पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर तैनात था, घटनास्थल की ओर गई। जब पुलिसकर्मी होटल ओबेराय में आतंकवादियों पर जवाबी हमला करने के लिए तैनात हो रहे थे, तभी उन पर आतंकवादियों की तरफ से ए के-47 की गोलियों और गोलों की बारिश की गई। बेशक एस आर पी एफ प्लाटून के पुलिसकर्मियों ने इसका जवाब दिया, परन्तु हेड वायरलैस ऑपरेटर श्री अनिल भाऊसाहेब कोल्हे और पुलिस कांस्टेबल श्री रंजीत जगन्नाथ जाधव आतंकवादियों की ओर से घातक हथियारों ए के-47 से चली गोलियों एवं गोलों के छर्रों से बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरन्त ईलाज के लिए बम्बई अस्पताल भेज दिया गया। अन्ततः नेशनल सिक्यूरिटी गार्डों को बुलाया गया और उन्होंने होटल ओबेराय की किलेबंदी का भार संभाल लिया। 27 नवम्बर 2008 को लगभग 1300 बजे दोपहर एक एन एस जी कमाण्डो की ओर से केन्द्र को सूचना मिली कि लगभग 16 पर्यटक होटल ओबेराय की 19वीं मंजिल पर फंसे हैं और उनहें बचाया जाना है। तत्काल पी आई निशिकांत पाटिल, ए पी आई विनायक वेटल तथा ए पी आई उमेश कदम को सोशल सर्विस ब्रांच, क्राईम ब्रांच से, पी एस आई योगेन्द्र पाचे, पी सी निलेश कदम तथा पी सी अमोल गादी को साऊथ रीजन ऑफिस से आगे की तरफ से क्वीक रिस्पांस टीम के पी एस आई बाला कुंभार, पी एस आई चंदीकांत महाजन, पी सी शरद सर्वे, सुरेश कदम, मुकेश तीरमारे तथा सचिन पाटिल के साथ इन पर्यटकों को मुक्त कराने की जिम्मेवारी के साथ एक दल का गठन किया गया। गोलीबारी तथा गोलों के धमाकों के बीच पुलिस दल ने आपातकालीन निकास द्वार का प्रयोग करते हुए होटल में प्रवेश किया। उस समय बिल्कुल अंधेरा था और उन्होंने आतंकवादियों की स्थिति की जरा भी जानकारी नहीं होने के बावजूद मोबाईल की रोशनी में तंग सीढ़ियों को पार किया। 19वें तल का दृश्य अत्यन्त मार्मिक था, क्योंकि वहाँ महिलाओं की लाशें पड़ी थीं। ब्रिगेडियर राठी ने उन 16 पर्यटकों को बिना शोर किए सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी के साथ अपने दल को सौंप दिया, क्योंकि इसकी भनक आतंकवादियों को लग सकती थी और इन पर्यटकों की जान को

खतरा हो सकता था। इनमें से एक पर्यटक यू पिंग, एक सिंगापुरी राष्ट्रिक, के पैर को गोली भेद गई और खून की धार बहने लगी। पीएस आई पाचे तथा ए पी आई वेटल ने काफी मुश्किल से उसे कंधे का सहारा दिया और अन्य पर्यटकों के साथ अपने दल का नेतृत्व किया तथा पुनः उसी तंग एवं अंधेरे आपातकालीन निकास द्वार से पर्यटकों को सुरक्षित केन्द्र तक पहुँचा दिया। बचाए गए सिंगापुरी राष्ट्रिक यू पिंग को अविलम्ब अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि, सीढ़ियों से उतरते वक्त, "टिफिन रेस्टोरेण्ट" की लॉबी से प्रथम तल पर पी एस आई पाचे ने सहायता के लिए एक महिला की कराहती आवाज सुनी। पर्यटकों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के बाद, पी एस आई पाचे, पी सी नीलेश कदम, पी सी अमोल गादी पी आई निशिकांत पाटिल, ए पी आई विनायक वेटल,ए पी आई उमेश कदम, पी एस आई बाला कुंभार, पी एस आई चन्द्रकांत महाजन, पी सी शरद सर्वे, सुरेश कदम, मुकेश तीरमारे तथा सचिन पाटिल के साथ महिला की कराहती आवाज की ओर पुनः उसी आपातकालीन निकास द्वार से ओबेराय होटल में दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने "टिफिन रेस्टोरेण्ट" का पिछला दरवाजा खोला, वहाँ खून से लथपथ शवों का ढेर पड़ा था। पुलिस दल अपने-आपको खतरे में महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस जगह पर हथगोलों के फटने और गोलियों के दागे जाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। इस समय तक भी पुलिस दल को न तो होटल में उपस्थित आतंकवादियों की संख्या और न ही उनकी स्थिति का पता था। यह एक खतरनाक कार्य था क्योंकि वह स्थान आतंकवादियों के सीधे निशाने पर था। फिर भी, पी एस आई पाचे ने अपने जान की परवाह किए बिना और अदम्य साहस का परिचय देते हुए घायल महिला को बचाने का निर्णय लिया और "टिफिन रेस्टोरेण्ट" के दरवाजे से अंदर घुस गए। लाशों के ढ़ेर से होकर चलते हुए, पी एस आई पाचे ने खून के ढ़ेर में खुली आँखों से देखती लेटी हुई महिला को देखा। उसका बाँया हाथ हथगोले से बिल्कुल बर्बाद हो गया था और दाहिना हाथ पूर्णतः मुड़ा हुआ था। उसकी कमर में गोली लगी थी और बेहद संतप्त स्थिति में थी। वह बिल्कुल जड़ हो चुकी थी और हिलने-डुलने की स्थिति में नहीं थी। उसे अत्यधिक वेदना हो रही थी। पी एस आई पाचे ने महिला को चुप रहने का ईशारा किया क्योंकि किसी तरह की आवाज मौत को दावत दे सकती थी। उसी समय पी एस आई बाला कुंभार, पी एस आई चन्द्रकांत महाजन, पी सी नीलेश कदम, पी सी सुरेश कदम, पी सी मुकेश तीरमारे और पी सी सचिन पाटिल ने पी एस आई पाचे को सुरक्षा प्रदान की। पी आई निशिकांत पाटिल, ए पी आई विनायक वेटल, ए पी आई उमेश कदम ने सीढ़ी की ओर से सुरक्षा प्रदान की। वातावरण बिल्कुल तनावपूर्ण था। हथगोलों के धमाकों और गोलियों के सनसनाहट की आवाज बढ़ गई थी। इसी समय पी एस आई पाचे ने लकड़ी के खंभे की आड़ ली। कुछ समय बाद, कुछ देर के लिए शांति छा गई। उसके बाद, पी एस आई पाचे ने महिला को सुरक्षित स्थान तक ले जाने की कोशिश की। परन्तु वह काफी भारी थी और ले जाना मुश्किल था। इस बात को समझते हुए, पी एस आई पाचे ने स्ट्रेचर मंगवाने के लिए कहा। इसी समय, पी आई निशिकांत पाटिल, ए पी आई विनायक वेटल और ए पी आई उमेश कदम ने पहल दिखाई, नीचे भागकर गए और तत्काल एक स्ट्रेचर शीट उठाकर ले आए। अधिकारियों ने अपनी जान को जोखिम में डाला क्योंकि वे होटल की खिड़की की तरफ से आतंकवादियों के निशाने पर थे। पी एस आई पाचे ने अपने लोगों की सुरक्षा हटा ली और अपनी जान को और अधिक जोखिम में डालते हुए तथा उनकी सहायता से काफी अधिक प्रयास कर उस

महिला को स्ट्रेचर शीट पर डाल दिया। उसके बाद अत्यधिक प्रयत्न करते हुए पुलिस दल ने उसे आधारस्थल तक पहुँचाया और वहाँ से तत्काल उसे बम्बई अस्पताल भेज दिया गया। बाद में उस महिला की पहचान मुम्बई की नेपियनशी रोड में रहने वाली रेशमा खियानी के रूप में की गई, जो अपने संबंधियों के साथ भोजन करने "टिफिन रेस्टोरेण्ट" में आई थी। वह लाशों के ढेर के साथ, जिसमें उनकी लाशें भी थीं जिनके साथ वह भोजन करने आई थी, लगभग 15 घंटे तक पड़ी रही। उसको बचाने में किसी तरह की देरी उसके जान के लिए खतरा थी। बाद में कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों को मार दिया गया। इस दल ने बेझिझक अपनी बचाव कार्रवाई को जारी रखा तथा 100 से अधिक पर्यटकों को बचाते हुए कब्जे में लिए गए 33 मंजिले "होटल ट्रिडेन्ट" को खाली कराने में अपना योगदान दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री योगेन्द्र चन्द्रकांत पाचे, पुलिस सब इंस्पेक्टर, विनायक बाजीराव वेटल, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 65-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. महेन्द्र विनायक जरेकर,
   पुलिस कांस्टेबल
2. सचिन देव राणे,
   पुलिस कांस्टेबल
3. संदीप सुरेश तलेकर,
   पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

श्री महेन्द्र विनायक जरेकर, पुलिस कांस्टेबल द्वारा निभाई गई भूमिका

दिनांक 26.11.2008 को लश्कर-ए-तैयबा के पूर्ण प्रशिक्षित आतंकवादियों के 10 सदस्यों का एक दल मुम्बई के तट पर उतरा। वे पूर्व-निर्धारित योजना के साथ आए थे जिसमें सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन, होटल ताज, नरीमन हाऊस और होटल ओबेराय(ट्रिडेन्ट) पर घातक हमला किया जाना शामिल था। दो आतंकवादी लगभग 22.00 बजे होटल ट्रिडेन्ट (होटल ओबेराय का दूसरा हिस्सा) पहुंच गए और इसके प्रवेश मार्ग, इसकी लॉबी और टिफिन रेस्टोरेन्ट में भी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें कई मेहमान और होटल के कर्मचारी मारे गए। आतंकवादियों ने होटल के प्रवेश मार्ग एवं कॉफी लाऊन्ज रेस्टोरेन्ट में भी आर डी एक्स बम लगाया था। इसके बाद आतंकवादी होटल के अंदर सीढ़ियों से ऊपर गए। लगभग 22.05 बजे महेन्द्र विनायक जरेकर, पी सी 960441 ने वायरलेस पर संदेश सुना कि सी एस टी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी हो रही है। उसी समय एडिशनल सी पी श्री करगांवकर ने उसे अपने साथ होटल ट्रिडेन्ट चलने के लिए कहा क्योंकि ट्रिडेन्ट के पास विस्फोट हुआ था। पी सी जरेकर एडिशनल सी पी करगांवकर के साथ होटल ट्रिडेन्ट गए। एयर इंडिया बिल्डिंग, जो होटल ट्रिडेन्ट के सामने है, के पास पहुंचने पर पी सी जरेकर ने महसूस किया कि गोली ट्रिडेन्ट/ओबेराय होटल के अन्दर चल रही थी। वे एडिशनल सी पी करगांवकर एवं अन्य वायरलेस ऑपरेटर के साथ होटल ट्रिडेन्ट के मुख्य द्वार तक गए। ट्रिडेन्ट के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने चारों तरफ खून के धब्बे तथा शीशे के

टुकड़े बिखरे हुए पाए। अतिरिक्त बल की प्रतीक्षा किए बिना, वे एडिशनल सी पी एवं दूसरे वायरलेस ऑपरेटर श्री सचिन राणे के साथ मुख्य द्वार से होटल में घुस गए। वे भूतल पर रिसेप्शन डेस्क एवं रेस्टोरेन्ट तक गए और पाया कि चारों तरफ खून की धार और गोली के निशान हैं। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने में एडिशनल सी पी की सहायता की। उन्होंने गोली के निशानों, खाली खोकों एवं क्षति की मात्रा का अवलोकन किया। वे बचाव कार्य की योजना बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर से बात करने हेतु एडिशनल सी पी के साथ होटल से बाहर आ गए। कुछ मिनटों बाद वे पुनः एडिशनल सी पी, क्वीक रिस्पान्स टीम के छः पुलिसकर्मियों एवं दूसरे वायरलेस ऑपरेटर के साथ होटल ट्रिडेन्ट के अंदर गए। वे एडिशनल सी पी एवं दल के साथ ट्रिडेन्ट एवं ओबेराय होटलों को जोड़ने वाले पुल तक गए। मार्ग के पूर्णतः धुंए से भरे होने के बावजूद वे अपने दल के साथ आगे बढ़े और गोली से छलनी खून में लथपथ एक विदेशी की लाश देखी। ओबेराय के प्रांगण में पहुंचने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवादियों ने ऊपरी तल पर मोर्चा संभाल रखा है और वे ओबेराय के प्रांगण में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति पर हथगोला फेंकने अथवा गोली चलाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। परन्तु पी सी जरेकर एडिशनल सी पी के साथ रहे और होटल के कर्मचारियों की सहायता से होटल में घायल तथा फंसे हुए मेहमानों की तलाश जारी रखी। उनके एडिशनल सी पी को होटल के कर्मचारियों से जानकारी मिली कि पूल की तरफ से होटल ट्रिडेन्ट की छठी मंजिल पर लगभग 17 विदेशी हैं। तत्काल वे अपने एडिशनल सी पी, अन्य वायरलेस ऑपरेटर पी सी सचिन राणे तथा पी सी तलेकर और होटल के एक कर्मचारी के साथ छठी मंजिल पर गए, कमरों की तलाशी ली और विभिन्न देशों के 17 विदेशियों (अधिकांशतः यूरोप निवासी) को बचाया। तलाशी के दौरान, उनके दल ने सिस्टम्स रूम के पास बुरी तरह से घायल छः व्यक्तियों को पाया। जो जिन्दा हैं उन्हें बचाने के उद्देश्य से, उन्हें तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। फंसे लोगों को बचाने के बाद, उनका दल कार्य करता रहा और ओबेराय होटल के प्रांगण के प्रवेश तक गया। ऊपरी मंजिलों से आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी और हथगोले फेंकने के कारण उनके आगे बढ़ने में बाधा पहुंची। वे तब एडिशनल सी पी के साथ होटल के सी सी टी वी रूम में गए और सी सी टी वी की रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया। उसी समय मरीन कमाण्डो(मारकोस) होटल ट्रिडेन्ट में पहुंच गए। उन्होंने मारकोस की तैनाती में एडिशनल सी पी का साथ दिया। उन्होंने ट्रिडेन्ट के चारों तरफ स्टेट रिजर्व पुलिस की तैनाती में भी एडिशनल सी पी का साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि होटल के सभी निकास द्वार सील कर दिए गए हैं। जब एन एस जी ऑपरेशन चल रहा था, 28 नबम्बर की सुबह, पी सी जरेकर ने बचे हुए मेहमानों को बाहर निकालने में एडिशनल सी पी का साथ दिया। वे होटल ट्रिडेन्ट के सबसे ऊपरी तल (33 वें तल) पर चले गए। होटल के कुछ कर्मचारियों एवं पुलिसकर्मियों की सहायता से, उनकी पार्टी ने प्रत्येक कमरे की तलाशी ली और विभिन्न तलों पर अलग-अलग कमरों में फंसे लगभग 100 मेहमानों को बचाया। ट्रिडेन्ट को खाली कराने के बाद, उन्होंने ओबेराय में एडिशनल सी पी का साथ दिया, हालांकि उस भाग में एन एस जी ऑपरेशन अभी भी चल रहा था और वहां भयानक खतरा था। पी सी जरेकर और उनके दल ने ऊपरी तलों पर पहुंचने के लिए आपातकालीन निकास मार्ग का सहारा लिया। आपातकालीन निकास मार्ग काफी संकरा था और पानी से लबालब भरा हुआ था (आग के कारण छिड़काव प्रणाली को चालू कर

दिया गया था) तथा वहाँ पूर्णरूपेण अंधेरा था। पी सी जरेकर और उनका दल 18 वीं मंजिल पर पहुंचा और एन एस जी के मेजर से मिला जो कार्रवाई का निरीक्षण कर रहे थे। 17 वीं मंजिल पर चार घायल व्यक्ति एक कमरे में ढेर हुए पड़े थे। उन्हें तत्काल बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। पी सी जरेकर ने एडिशनल सी पी के तलाशी कार्य एवं बचाव कार्य में साथ दिया तथा समस्त फंसे मेहमानों को बाहर निकाला। पी सी जरेकर और उनके दल ने ओबेराय होटल की तलाशी ली और सुनिश्चित किया कि होटल में अब कोई आतंकवादी नहीं छुपा है। पी सी जरेकर ने ओबेराय के विभिन्न तलों पर पाए गए मेहमानों एवं होटल के कर्मचारियों के 25 से अधिक शवों को हटाने की व्यवस्था में एडिशनल सी पी का साथ दिया। इस सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान पी सी जरेकर ने अदम्य साहस का परिचय दिया और कार्रवाई में हिस्सा लिया। वह हथगोलों के फटने तथा ए के-47 की गोलियों से बेखौफ था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर होटल के सैकड़ों मेहमानों को बचाने में सहायता प्रदान की। उसकी विशिष्ट बहादुरी के कारण कई मेहमान ट्रिडेन्ट/ओबेराय होटल से बिना हानि के जीवित बचा लिए गए।

श्री संदीप सुरेश तलेकर, पुलिस कांस्टेबल द्वारा निभाई गई भूमिका

दिनांक 26.11.2008 को लश्कर-ए-तैयबा के पूर्ण प्रशिक्षित आतंकवादियों के 10 सदस्यों का एक दल मुम्बई के तट पर उतरा। वे पूर्व-निर्धारित योजना के साथ आए थे जिसमें सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन, होटल ताज, नरीमन हाऊस और होटल ओबेराय(ट्रिडेन्ट) पर घातक हमला किया जाना शामिल था। दो आतंकवादी लगभग 22.00 बजे होटल ट्रिडेन्ट (होटल ओबेराय का दूसरा हिस्सा) पहुंच गए और इसके प्रवेश मार्ग, इसकी लॉबी और टिफिन रेस्टोरेन्ट में भी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें कई मेहमान और होटल के कर्मचारी मारे गए। आतंकवादियों ने होटल के प्रवेश मार्ग एवं कॉफी लाऊन्ज रेस्टोरेन्ट में भी आर डी एक्स बम लगाया था। इसके बाद आतंकवादी होटल के अंदर सीढ़ियों से ऊपर गए। लगभग 2230 बजे श्री संदीप सुरेश तलेकर, पुलिस कांस्टेबल सं. 960003 ने मुम्बई के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले संबंधी टेलीविजन समाचार देखा। इन्होंने अपने वायरलेस आपरेटरों से अपर सी पी श्री करगांवर की अवस्थिति का पता लगवाया और अपने अपर सी पी की सहायता करने के लिए होटल ट्रिडेंट की ओर कूच करने का निर्णय लिया। अपने अपर सी पी और होटल ट्रिडेंट के अंदर पहले से मौजूद अपने आपरेटरों की सहायता करने के लिए ये होटल ट्रिडेंट के अंदर गए। होटल कर्मचारियों की सहायता से होटल में फंसे मेहमानों और घायल लोगों को खोजने के लिए पी सी तलेकर, अपने अपर सी पी के साथ गए। उनके एडिशनल सी पी को होटल के कर्मचारियों से जानकारी मिली कि पूल की तरफ से होटल ट्रिडेन्ट की छठी मंजिल पर लगभग 17 विदेशी फंसे हैं। तत्काल वे अपने एडिशनल सी पी, अन्य वायरलेस ऑपरेटर पी सी जरेकर तथा पी सी सचिन राणे और होटल के एक कर्मचारी के साथ छठी मंजिल पर गए, कमरों की तलाशी ली और विभिन्न देशों के 17 विदेशियों (अधिकांशत: यूरोप निवासी) को बचाया। तलाशी के दौरान, उनके दल ने सिस्टम्स रूम के पास बुरी तरह से घायल व्यक्तियों को पाया। जो जिन्दा हैं उन्हें बचाने के उद्देश्य से, उन्हें तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। फंसे लोगों को बचाने के बाद, उनका दल कार्य करता रहा और ओबेराय होटल के प्रांगण के प्रवेश तक गया। ऊपरी मंजिलों से आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी

और हथगोले फेंकने के कारण उनके आगे बढ़ने में बाधा पहुंची। वे तब एडिशनल सी पी के साथ होटल के सी सी टी वी रूम में गए और सी सी टी वी की रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया। उसी समय मरीन कमाण्डो(मारकोस) होटल ट्रिडेन्ट में पहुंच गए। उन्होंने मारकोस की तैनाती में एडिशनल सी पी का साथ दिया। उन्होंने ट्रिडेन्ट के चारों तरफ स्टेट रिजर्व पुलिस की तैनाती में भी एडिशनल सी पी का साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि होटल के सभी निकास द्वार सील कर दिए गए हैं। जब एन एस जी ऑपरेशन चल रहा था, 28 नवम्बर की सुबह, पी सी तलेकर ने बचे हुए मेहमानों को बाहर निकालने में एडिशनल सी पी का साथ दिया। वे होटल ट्रिडेन्ट के सबसे ऊपरी तल (33 वें तल) पर चले गए। होटल के कुछ कर्मचारियों एवं पुलिसकर्मियों की सहायता से, उनकी पार्टी ने प्रत्येक कमरे की तलाशी ली और विभिन्न तलों पर अलग-अलग कमरों में फंसे लगभग 100 मेहमानों को बचाया। ट्रिडेन्ट को खाली कराने के बाद, उन्होंने ओबेराय में एडिशनल सी पी का साथ दिया, हालांकि उस भाग में एन एस जी ऑपरेशन अभी भी चल रहा था और वहां भयानक खतरा था। पी सी तलेकर और उनके दल ने ऊपरी तलों पर पहुंचने के लिए आपातकालीन निकास मार्ग का सहारा लिया। आपातकालीन निकास मार्ग काफी संकरा था और पानी से लबालब भरा हुआ था (आग के कारण छिड़काव प्रणाली को चालू कर दिया गया था) तथा वहां पूर्णरूपेण अंधेरा था। पी सी तलेकर और उनका दल 18 वीं मंजिल पर पहुंचा और एन एस जी के मेजर से मिला जो कार्रवाई का निरीक्षण कर रहे थे। 17 वीं मंजिल पर चार घायल व्यक्ति एक कमरे में ढेर हुए पड़े थे। उन्हें तत्काल बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। पी सी तलेकर ने एडिशनल सी पी के तलाशी कार्य एवं बचाव कार्य में साथ दिया तथा समस्त फंसे मेहमानों को बाहर निकाला। पी सी तलेकर और उनके दल ने ओबेराय होटल की तलाशी ली और सुनिश्चित किया कि होटल में अब कोई आतंकवादी नहीं छुपा है। पी सी तलेकर ने ओबेराय के विभिन्न तलों पर पाए गए मेहमानों एवं होटल के कर्मचारियों के 25 से अधिक शवों को हटाने की व्यवस्था में एडिशनल सी पी का साथ दिया। इस सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान पी सी तलेकर ने अदम्य साहस का परिचय दिया और कार्रवाई में हिस्सा लिया। वह हथगोलों के फटने तथा ए के-47 की गोलियों से बेखौफ था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर होटल के सैकड़ों मेहमानों को बचाने में सहायता प्रदान की। उसकी विशिष्ट बहादुरी के कारण कई मेहमान ट्रिडेन्ट/ओबेराय होटल से बिना हानि के जीवित बचा लिए गए।

श्री सचिन देव राणे, पुलिस कांस्टेबल द्वारा निभाई गई भूमिका

दिनांक 26.11.2008 को लश्कर-ए-तैयबा के पूर्ण प्रशिक्षित आतंकवादियों के 10 सदस्यों का एक दल मुम्बई के तट पर उतरा। वे पूर्व-निर्धारित योजना के साथ आए थे जिसमें सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन, होटल ताज, नरीमन हाऊस और होटल ओबेराय(ट्रिडेन्ट) पर घातक हमला किया जाना शामिल था। दो आतंकवादी लगभग 22.00 बजे होटल ट्रिडेन्ट (होटल ओबेराय का दूसरा हिस्सा) पहुंच गए और इसके प्रवेश मार्ग, इसकी लॉबी और टिफिन रेस्टोरेन्ट में भी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें कई मेहमान और होटल के कर्मचारी मारे गए। आतंकवादियों ने होटल के प्रवेश मार्ग एवं कॉफी लाऊन्ज रेस्टोरेन्ट में भी आर डी एक्स बम लगाया था। इसके बाद आतंकवादी होटल के अंदर सीढ़ियों से ऊपर गए। लगभग 22.05 बजे एडिशनल सी पी श्री

करगांवकर ने उसे अपने साथ होटल ट्रिडेन्ट चलने के लिए कहा क्योंकि ट्रिडेन्ट के पास विस्फोट हुआ था। श्री सचिन देव राणे एडिशनल सी पी करगांवकर के साथ होटल ट्रिडेन्ट गए। एयर इंडिया बिल्डिंग, जो होटल ट्रिडेन्ट के सामने है, के पास पहुंचने पर पी सी राणे ने महसूस किया कि गोली ट्रिडेन्ट/ओबेराय होटल के अन्दर चल रही थी। वे एडिशनल सी पी करगांवकर एवं अन्य वायरलेस ऑपरेटर के साथ होटल ट्रिडेन्ट के मुख्य द्वार तक गए। ट्रिडेन्ट के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने चारों तरफ खून के धब्बे तथा शीशे के टुकड़े बिखरे हुए पाए। अतिरिक्त बल की प्रतीक्षा किए बिना, वे एडिशनल सी पी एवं दूसरे वायरलेस ऑपरेटर श्री श्री विनायक जरेकर के साथ मुख्य द्वार से होटल में घुस गए। वे भूतल पर रिसेप्शन डेस्क एवं रेस्टोरेन्ट तक गए और पाया कि चारों तरफ खून की धार और गोली के निशान हैं। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने में एडिशनल सी पी की सहायता की। उन्होंने गोली के निशानों, खाली खोकों एवं क्षति की मात्रा का अवलोकन किया। वे बचाव कार्य की योजना बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर से बात करने हेतु एडिशनल सी पी के साथ होटल से बाहर आ गए। कुछ मिनटों बाद वे पुन: एडिशनल सी पी, क्वीक रिस्पान्स टीम के छ: पुलिसकर्मियों एवं दूसरे वायरलेस ऑपरेटर के साथ होटल ट्रिडेन्ट के अंदर गए। वे एडिशनल सी पी एवं दल के साथ ट्रिडेन्ट एवं ओबेराय होटलों को जोड़ने वाले पुल तक गए। मार्ग के पूर्णत: धुंए से भरे होने के बावजूद वे अपने दल के साथ आगे बढ़े और गोली से छलनी खून में लथपथ एक विदेशी की लाश देखी। ओबेराय के प्रांगण में पहुंचने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवादियों ने ऊपरी तल पर मोर्चा संभाल रखा है और वे ओबेराय के प्रांगण में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति पर हथगोला फेंकने अथवा गोली चलाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। परन्तु पी सी राणे एडिशनल सी पी के साथ रहे और होटल के कर्मचारियों की सहायता से होटल में घायल तथा फंसे हुए मेहमानों की तलाश जारी रखी। उनके एडिशनल सी पी को होटल के कर्मचारियों से जानकारी मिली कि पूल की तरफ से होटल ट्रिडेन्ट की छठी मंजिल पर लगभग 17 विदेशी फंसे हैं। तत्काल वे अपने एडिशनल सी पी, अन्य वायरलेस ऑपरेटर जरेकर तथा पी सी तलेकर और होटल के एक कर्मचारी के साथ छठी मंजिल पर गए, कमरों की तलाशी ली और विभिन्न देशों के 17 विदेशियों (अधिकांशत: यूरोप निवासी) को बचाया। तलाशी के दौरान, उनके दल ने सिस्टम्स रूम के पास बुरी तरह से घायल छ: व्यक्तियों को पाया। जो जिन्दा हैं उन्हें बचाने के उद्देश्य से, उन्हें तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। फंसे लोगों को बचाने के बाद, उनका दल कार्य करता रहा और ओबेराय होटल के प्रांगण के प्रवेश तक गया। ऊपरी मंजिलों से आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी और हथगोले फेंकने के कारण उनके आगे बढ़ने में बाधा पहुंची। वे तब एडिशनल सी पी के साथ होटल के सी सी टी वी रूम में गए और सी सी टी वी की रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया। उसी समय मरीन कमाण्डो(मारकोस) होटल ट्रिडेन्ट में पहुंच गए। उन्होंने मारकोस की तैनाती में एडिशनल सी पी का साथ दिया। उन्होंने ट्रिडेन्ट के चारों तरफ स्टेट रिजर्व पुलिस की तैनाती में भी एडिशनल सी पी का साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि होटल के सभी निकास द्वार सील कर दिए गए हैं। इसी बीच होटल कर्मचारियों की सहायता कुछ फंसे हुए मेहमानों को भोजन और दवाइयां दी गईं। जब एन एस जी ऑपरेशन चल रहा था, 28 नवम्बर की सुबह, पी सी राणे ने बचे हुए मेहमानों को बाहर निकालने में एडिशनल सी पी का साथ दिया। वे होटल ट्रिडेन्ट के सबसे ऊपरी तल (33 वें तल) पर चले गए। होटल के कुछ कर्मचारियों

एवं पुलिसकर्मियों की सहायता से, उनकी पार्टी ने प्रत्येक कमरे की तलाशी ली और विभिन्न तलों पर अलग-अलग कमरों में फंसे लगभग 100 मेहमानों को बचाया। ट्रिडेन्ट को खाली कराने के बाद, उन्होंने ओबेराय में एडिशनल सी पी का साथ दिया, हालांकि उस भाग में एन एस जी ऑपरेशन अभी भी चल रहा था और वहां भयानक खतरा था। पी सी राणे और उनके दल ने ऊपरी तलों पर पहुंचने के लिए आपातकालीन निकास मार्ग का सहारा लिया। आपातकालीन निकास मार्ग काफी संकरा था और पानी से लबालब भरा हुआ था (आग के कारण छिड़काव प्रणाली को चालू कर दिया गया था) तथा वहां पूर्णरूपेण अंधेरा था। पी सी राणे और उनका दल 18 वीं मंजिल पर पहुंचा और एन एस जी के मेजर से मिला जो कार्रवाई का निरीक्षण कर रहे थे। 17 वीं मंजिल पर चार घायल व्यक्ति एक कमरे में ढेर हुए पड़े थे। उन्हें तत्काल बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। पी सी राणे ने एडिशनल सी पी के तलाशी कार्य एवं बचाव कार्य में साथ दिया तथा समस्त फंसे मेहमानों को बाहर निकाला। पी सी राणे और उनके दल ने ओबेराय होटल की तलाशी ली और सुनिश्चित किया कि होटल में अब कोई आतंकवादी नहीं छुपा है। पी सी राणे ने ओबेराय के विभिन्न तलों पर पाए गए मेहमानों एवं होटल के कर्मचारियों के 25 से अधिक शवों को हटाने की व्यवस्था में एडिशनल सी पी का साथ दिया। इस सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान पी सी राणे ने अदम्य साहस का परिचय दिया और कार्रवाई में हिस्सा लिया। वह हथगोलों के फटने तथा ए के-47 की गोलियों से बेखौफ था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर होटल के सैकड़ों मेहमानों को बचाने में सहायता प्रदान की। उसकी विशिष्ट बहादुरी के कारण कई मेहमान ट्रिडेन्ट/ओबेराय होटल से बिना हानि के जीवित बचा लिए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री महेन्द्र विनायक जरेकर, पुलिस कांस्टेबल, सचिन देव राणे, पुलिस कांस्टेबल और संदीप सुरेश तलेकर, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 66-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री समाधान शंकर मोरे,
पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को चार आतंकवादियों ने एके-47 बंदूकों, ग्रेनेडों और आर डी एक्स की आई ई डी एस से 9.40 बजे ताज होटल पर हमला बोल दिया और एक एस आर पीएफ कांस्टेबल और एन एस जी के मेजर सहित 32 लोगों की हत्या कर दी। यह हमला सर्वाधिक व्यस्त समय में किया गया था और उस समय ताज के नए और पुराने भवनों के 573 कमरों और 20 से अधिक हॉलों में 1000 से अधिक लोग मौजूद थे। इस पर तुरंत कार्रवाई किए जाने और 15वें मिनट में होटल में प्रवेश करने तथा आतंकवादियों द्वारा प्रवेश किए जाने के 22वें मिनट पर जोन 1 के डीसीपी के दल द्वारा उन पर अचानक जवाबी हमला और गोलीबारी किए जाने से उनमें से एक आतंकवादी घायल हो गया और वे अपना बचाव करने पर मजबूर हो गए। अगले 45 मिनट तक टीम द्वारा तलाशी लिए जाने से उनकी स्वच्छंद आवाजाही पर रोक लग गई। सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष से निगरानी किए जाने और दूसरी मंजिल से दोनों ओर से गोलीबारी किए जाने से आतंकवादी, ताज होटल की पुरानी बिल्डिंग की छठी मंजिल पर अगले 4 घंटों तक खामोश रहे जिससे विभिन्न हॉलों, कमरों, चेम्बरों और रेस्टोरेंट के आपात निकासी द्वारों से 500 से अधिक निर्दोष लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी। पूरे अभियान के दौरान टीम ने सर्वोच्च प्रेरणा और प्रतिबद्धता से अपने जीवन को स्वेच्छा से जोखिम में डाला। डीसीपी और उनकी टीम द्वारा चलाया गया अभियान बढ़ते क्रम में आगे दिया गया है जो ताज तथा डीसीपी, सीपी, संयुक्त सीपी और पुलिस नियंत्रण कक्ष के बेतार संचार पर रिकार्ड किए गए सीसीटीवी कवरेज की सी डी पर अधारित है।

21:38 से 22:02- चार आतंकवादियों ने ताज के दो प्रवेश द्वारों से प्रवेश किया और अंधाधुंध गोलीबारी करने और ग्रेनेड फैंकने शुरू कर दिए जिससे निर्दोष लोग मारे गए।

21:40- डीसीपी जोन-I विश्वास नांगरे पाटिल को 21:47 बजे ल्योपोल्ड होटल पर आतंकी हमले के बारे में अपर सीपी से संदेश प्राप्त हुआ-जब डीसीपी रास्ते

में थे तो इन्हें ताज होटल, कोलाबा पर आतंकी हमले के बारे में बताया गया।

21:55 से 22:03- डीसीपी जोन- I, आरटीपीसी अमित ठेतले के साथ ताज पहुंचे और ताज सुरक्षा प्रमुख सुनील खुदियादी के साथ ताज के पिछवाड़े से प्रवेश किया। ये दूसरी मंजिल पर पंहुचे और पुराने ताज की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़े तीन आतंकवादियों पर इन्होंने सर्विस ब्लोक पिस्तौल से 3 राउंद गोलीबारी की जिससे एक आतंकवादी घायल हो गया। जब आतंकवादियों ने ए के-47 से इन पर जवाबी गोलीबारी की तो इन्होंने दीवार की आड़ ले ली। इसी बीच पी ए आई काकाडे, जो गेटवे ऑफ इंडिया पुलिस चौकी में थे, होटल ल्योपोल्ड आए और इन्होंने घायल लोगों का बचाव किया तथा उन्हें अस्पताल भेजा और फिर आतंकवादियों का पीछा करने के लिए ताज होटल गए। इस अवधि के दौरान इन्हें होटल ताज के सामने 8 कि.ग्रा. आर डी एक्स बम लावारिस पड़ा मिला। इन्होंने तत्काल उस स्थान को खाली करा दिया और निष्क्रिय करने वाले दल को बुलाया तथा फिर आतंकवादियों को ढूंढने के लिए ताज में प्रवेश किया। इन्होंने रेस्टोरेंट से होटल ताज के किचन कर्मचारियों और पुराने ताज के स्वागत कर्मचारियों को वहां से हटाया। बाद में वे डी सी पी जोन-I और इनकी टीम में शामिल हो गए।

22:04 से 22:30- डी सी पी जोन-I ने ताज के सुरक्षा अधिकारी सुनील खुदियादी से कहा कि वह इन्हें छठी मंजिल पर ले जाएं जहां से ये उन्हें नियंत्रित कर सकें। इन्होंने पूरी छठी, पांचवीं, चौथी और तीसरी मंजिल की जॉच की और वापस भू-तल पर आ गए। इस पर आतंकवादियों ने इन पर एक ग्रेनेड फेंका। इसके जाबाव में डी सी पी ने ऊपर की ओर दो राउंद गोलीबारी की।

22:30 से 22:50- डी सी पी जोन-I ने दो कांस्टेबलों, एस आर पी एफ ग्रुप x के पी.सी.नं. 660 राहुल सुभाष शिंदे और एस आर पी एफ ग्रुप III के पी. सी. नं. 620 समाधान एस. मोरे के साथ छठी मंजिल के उत्तर की ओर कूच किया ताकि आतंकवादियों की तुलना में बेहतर स्थिति तक पहुंचा जा सके और पूरी मंजिल की तलाशी ली जा सके। इन्होंने पूरी मंजिल की तलाशी ली। उस समय आतंकवादी पांचवीं मंजिल में थे, ये उन्हें नहीं देख सके।

22:50- पी आई ढोले, जो दिन की ड्यूटी करने के बाद अपने घर वापस आए थे, फिर ड्यूटी पर चले गए। इन्होंने पुलिस स्टेशन से कार्बाइन हथियार लिया और ताज होटल की तरफ चल पड़े। यहां पर पी.आई. ढोले ने कोलाबा पुलिस स्टेशन के श्री अशोक लक्ष्मण पवार, पी.एन. 5, 122, श्री सौदागर निवृत्ति शिंदे, पी.सी. 2395 तथा एस आर पी एफ ग्रुप 10, सोलापुर के श्री राजू पांडुरंग माने, पी.सी. 955, श्री विश्वनाथ मारुति गायकवाड, पी. सी. 952 के साथ होटल ताज में प्रवेश किया तथा ये डी सी पी जोन-I और इनकी टीम में शामिल हो गए।

22:50 से 03:00- चूंकि डी सी पी जोन-I ने ताज भवन की सुरक्षा की जांच की थी इसलिए इन्होंने दूसरी मंजिल पर सी सी टी वी नियंत्रण कक्ष में जाने और आतंकवादियों की अवस्थिति का पता लगाने का निर्णय लिया। ये राजवर्धन, डी सी पी, एस बी-II, पी.आई. ढोले, पी एस आई काकाडे, पी सी नं. 660. राहुल सुभाष शिंदे, एस आर पी एफ ग्रुप x और पी सी नं. 620-समाधान एस. मोरे, एस आर पी एफ ग्रुप-III आर टी पी सी अमित खेतले, नौशेर और पुरू, ताज प्रबंधन तथा ताज के एक सुरक्षा गार्ड के साथ वहां गए। यहां से ये छठी मंजिल पर आतंकवादियों की हलचलों पर नजर रख सके। तदनुसार यहां से ये नियंत्रण कक्ष के कमरों की सही-सही स्थिति बता सके और फिर अतिरिक्त सहायता की मांग की। इन्होंने आतंकवादियों के रास्ते रोक दिए और दूसरी मंजिल से दोनों तरफ गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों को 5 वीं मंजिल पर नहीं उतरने दिया। सांय 11 बजे (26.11.2008) से प्रात: 03:00 बजे (27.11.2008) तक ताज के प्रबंधक, नौशेर और पुरू, सुरक्षा ने इंटरकॉम और सी सी टी वी कक्ष में मोबाइल संचार के माध्यम से लोगों से कहा कि वे क्रिस्टल हॉल, चैम्बर, समारोहों के अन्य हॉलों और रूफटॉप हॉल में ही रहें। फायर ब्रिगेड और ताज प्रबंधन ने आग निकासी और आपात मार्गों के माध्यम से पुलिस की सहायता से सैकड़ों लोगों को नए ताज भवन से सफलतापूर्वक बचाया।

प्रात: 03:00- आतंकवादियों ने पूरी मंजिल पर बमबारी शुरू कर दी। इसलिए इन्होंने टीमें बनाई और कोरिडोर में आ गए। इन्हें लक्ष्य क्षेत्र में देख करके आतंकवादियों ने उस मंजिल पर बमबारी कर दी और ए के-47 से भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर आतंकवादियों की ए के-47 की गोलियां लग जाने के कारण एस आर पी एफ के श्री पी.सी. राहुल शिंदे शहीद हो गए और ग्रेनेड के छर्रों और ए के-47 से बरसी गोलियों के कारण पी.सी. समाधान एस मोरे गंभीर रूप से घायल हो गए। आर.टी.पी.सी. अमित खेतले के पेट में गोली लगने के कारण ये गंभीर रूप से घायल हो गए। पी आई ढोले, जिन्होंने कोसोवो और साइप्रस के संयुक्त राष्ट्र की (शांति) सेना के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया था और अग्नि शमन बुनियादी पाठ्यक्रम किया था, उन कर्मचारियों के बचाव अभियान में काम आया जो कर्मचारी पुराने ताज के अन्दर आतंकवादी द्वारा लगाई गई आग में फंस गए थे। पी आई ढोले ने पुलिस कर्मचारियों को आग से सफलतापूर्वक बचाया जिससे और पुलिस कर्मी हताहत नहीं हुए। पी आई ढोले की श्री अशोक पवार, पी.एन.5- 122, श्री सौदागर शिंदे, पी सी 2395. श्री राजू माने, पी.सी. 955, विश्वनाथ गायकवाड़ और पी.सी. 952 ने पूरी तरह से सहायता की। लेकिन आतंकवादियों ने गोलीबारी जारी रखी और पुलिस पर ग्रेनेड फेंके। इस अभियान में पी.आई. ढोले, पी.एस.आई. काकाडे,

पी.सी. अरूण माने और पी.सी. अशोक पवार, पी.सी. शिंदे बुरी तरह जख्मी करके घायल हो गए। गोलियों की बौछार में पी.सी. संजय गोमसे भी घायल हो गए। आतंकवादियों की गोलीबारी से पी.सी. आनंदराव पाटिल और नौशेर भी घायल हो गए। तथापि, डी सी पी जोन-I और डी सी पी, एस बी-II, पहली मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सके। आतंकवादियों पर जवाबी हमला करने के लिए होटल ताज के पिछले दरवाजे पर तैनात एस आर पी एफ ग्रुप 7 के पी.सी. रंगाराव पाटिल भी आतंकवादियों द्वारा ए के-47 से चलाई गई गोलियों से घायल हो गए।

03:45 से आगे- चूंकि तब तक नौसेना के कमांडो आ गए थे इसलिए फायर ब्रिगेड की सहायता से पुलिस कार्मिक नीचे आ गए और इन्होंने आगे के अभियान में इनकी सहायता की।

28.11.2008 एस.आर.पी.एफ. ग्रुप 8 के पी.सी. गोमसे, जो आतंकवादियों पर जवाबी हमला करने के लिए होटल ताज में तैनात थे, आतंकवादी द्वारा की गई गोलीबारी से घायल हो गए। टखने में गोली लगने से ये घायल हुए।

इस मुठभेड़ में श्री समाधान शंकर मोरे, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 67-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. एम. प्रेमकुमार सिंह
   हैड कांस्टेबल
2. पी. लोकेन्द्रो सिंह
   कांस्टेबल
3. एस. रोबिन्द्रो सिंह
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24.5.2008 को दोपहर लगभग 12.30 बजे इस आशय की विश्वसनीय सूचना मिलने पर कि विध्वंसात्मक कार्य करने और राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर चल रहे ट्रकों से जबरन धन वसूली करने जैसे समाज-विरोधी क्रियाकलाप करने, फिरौती के लिए निर्दोष लोगों का अपहरण करने, वाहनों का अपहरण करने के उद्देश्य से ग्राम कीथेल्मन्बी के सामान्य क्षेत्र में घाटी में रह रहे भूमिगत आतंकवादी संगठन के कुछ सदस्यों ने शिविर लगाया हुआ है, इंफाल पश्चिम जिले के पुलिस कमांडो के एक मजबूत ग्रुप ने उक्त क्षेत्र की ओर कूच किया। न्यू कीथेल्मन्बी गांव पहुंचने पर तीन दलों में विभक्त कमांडो पूरे क्षेत्र में फैल गए और तलाशी अभियान शुरू कर दिया - कुछ कमांडो घर-घर जा कर तलाशी ले रहे थे जबकि बाकी कार्मिक राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के दोनों ओर स्थित मकानों/दुकानों में तलाशी अभियान चला रहे थे। इस प्रकार जबकि कमांडो दोपहर लगभग 1.45 बजे गांव में अभियान चला रहे थे तो कमांडो ने देखा कि पाओकम हावोकिप नामक एक ग्रामीण के मकान के निकट 4/5 युवा खड़े हैं। जब कमांडो ने उनका सत्यापन करने के लिए उन्हें रूकने के लिए कहा तो युवाओं ने कमांडो की ओर गोलियां दागते हुए भागना शुरू कर दिया। कमांडो ने इस आशय की अत्यधिक एहतियात बरतते हुए कि कोई भी सिविलियन हताहत न हो, भागते हुए उग्रवादियों का तेजी से पीछा किया। तथापि, जब एक उग्रवादी

को भागने का रास्ता नहीं मिला सका तो वह फिर उसी मकान के अंदर दौड़ पड़ा जो पाओंकम हावोकिप का था और कमांडो की ओर हथ गोला फैंकने की कोशिश करने लगा। इस पर तुरंत ही उप-निरीक्षक एन. सदानंद सिंह के नेतृत्व वाले कमांडो दल ने मकान की तरफ गोलीबारी कर दी। इस नाजुक अवस्था में हैड कांस्टेबल एम प्रेम कुमार सिंह, जो अपनी एके-47 राइफल से जोरदार गोलीबारी करके हमला कर रहे थे, उस युवा को मार गिराने में सफल हो गए जिसकी पहचान बाद में असेम बिक्रम सिंह पुत्र ए. इबोचा सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, खुमबोंग मखा लेइकई के रूप में हुई और जो कंग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एम सी) का उग्रवादी था। उसके शव के निकट बिना फटा चीन निर्मित एक हथ गोला बरामद हुआ। अन्य उग्रवादी जो पूर्व की ओर भाग रहे थे उन्होंने कमांडो की तरफ गोलीबारी करना जारी रखा। कमांडो ने भी पहाड़ी क्षेत्र में उनका पीछा करना जारी रखा जिसमें उनके सामने गहरी खाइयां, चट्टानें और घनी झाड़ियां आड़े आ रही थीं। चूंकि हथियारों से सज्जित उग्रवादी पहाड़ी में ऊपर की तरफ होने के कारण लाभप्रद स्थिति में थे इसलिए कमांडो के सामने कठिन चुनौती थी। तथापि, कांस्टेबल पी. लोकेन्द्रो सिंह और कांस्टेबल एस रोबिन्द्रो सिंह नामक कुछ बहादुर कमांडो आगे बढ़े और इन्होंने उग्रवादियों पर हमला कर दिया। अंततः जब कमांडो ने उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए तो दो उग्रवादी धान के खेतों की ओर दौड़ने लगे। कांस्टेबल पी.लोकेन्द्रो सिंह और कांस्टेबल एस.रोविन्द्रो सिंह ने अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों का पीछा करना जारी रखा। इस प्रकार भयंकर मुठभेड़ के बीच दो उग्रवादियों ने कमांडो की ओर दो हथगोले फैंके जो गिर कर फट गए। लेकिन कमांडो घायल नहीं हुए और ये बच गए। इस नाजुक अवस्था में कांस्टेबल पी. लोकेन्द्रो और कांस्टेबल एस. रोविन्द्रो की अन्य कमांडो ने दो उग्रवादियों को मार गिराने में सहायता की। इन उग्रवादियों की बाद में पहचान (1) कोलोम बिशरूप सिंह पुत्र के. सेलुंग सिंह,22 वर्ष, खुम्बोंग मखा लेइकई और (2) थंग्बोइ किप्गेन पुत्र लेतखोइ किप्गेन, 22 वर्ष, न्यू कीथरलम्नबी गांव के रूप में हुई जो केसीपी (एमसी) के सदस्य थे। क्रम सं0 1 में उल्लिखित शव के निकट एक .36 एचई हथगोला पाया गया और उल्लिखित क्र0 सं0 2 के शव के निकट एक चीनी हथ गोला भी पाया गया। लेकिन उनमें से एक उग्रवादी ने कमांडो पर रूक-रूक कर गोलीबारी करते हुए पुलिस घेरे को तोड़ दिया और वह भागने में सफल हो गया। इस घटना स्थल पर एके-47 गोलीबारूद के 04(चार) खाली केस, एम-20 गोलीबारूद के 2 (दो) खाली केस और 09 एम एम गोलीबारूद का 01 (एक) खाली केस भी बरामद हुआ। यह मामला आई पी सी की धारा 307/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 16/1720 यू ए (पी) और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी मामला सं. 37(5) 2008 पत्सोई पी एस में दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री एम. प्रेमकुमार सिंह, हैड कांस्टेबल, पी लोकेन्द्रो सिंह, कांस्टेबल और एस. रोविन्द्रो सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता,साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 24.05.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 68-प्रेज./2009- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. वाई.किशोरचंद मैतेई,
   निरीक्षक
2. मो. ताजुद्दीन खाँ,
   राइफलमैन
3. टी. हरिदास सिंह,
   राइफलमैन
4. मो. दौलत खाँ,
   राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

निंगोम्बम से इकोपो पैट के बीच अंतर-ग्राम सड़क के साथ-साथ विभिन्न गैर-कानूनी ग्रुपों और विशेष रूप से पीआरईपीएके के सशस्त्र संवर्गों की हलचल के बारे में विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 03.09.2008 को निरीक्षक वाई. किशोरचंद मैतेई, ओसी/कमांडो, थाउबल के नेतृत्व में थाउबल कमांडो के दो दलों ने उन उग्रवादियों की हलचल रोकने का प्रयास करने के लिए सायं लगभग 6:45 बजे उस क्षेत्र की ओर कूच किया। इस बारे में यह आशंका की जा रही थी कि वे उग्रवादी सुरक्षा बलों पर घात लगा सकते हैं इसलिए उन उग्रवादियों के खिलाफ घात लगाने के लिए इन कमांडो दलों को भेजा गया था। जमादार सी एच सुरजीत कुमार के नेतृत्व में एक दल को रास्ता रोकने के लिए मिनी स्टेडियम के निकट निंगोम्बम जंक्शन में तैनात किया गया था। चूंकि निरीक्षक वाई. किशोरचंद, रणनीतिक स्थानों पर मोर्चा संभालने के लिए अपने कमांडो को अनुदेश दे रहे थे इसलिए सायं लगभग 7 बजे अंतर ग्राम सड़क पर इकोपो पैट (दलदली गीली भूमि) से धीरे-धीरे बोलने और कदमों की आवाज सुनाई दी जो इनके निकट आ रही थी। इस पर निरीक्षक किशोरचंद ने तत्काल राइफलमैन मो. ताजुद्दीन को संकेत किया कि वे आवाज की दिशा में टार्च से प्रकाश करें लेकिन टार्च को हाथ से दूर से पकड़ कर रखे ताकि उग्रवादी उन्हें अपना लक्ष्य न बना सकें। इस पर अधुनातन हथियार लिए हुए 4/5 लोगों को अंतर ग्राम सड़क के साथ-साथ आते हुए देखा गया और निरीक्षक किशोर चंद ने अपने

कमाडो को तत्काल मोर्चा लेने के लिए कहा। इसी बीच संदिग्ध उग्रवादियों ने भी सी डी ओ दल पर गोलीबारी कर दी और सी डी ओ दल ने भी तत्परता से जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों में मुठभेड शुरू हो गई। जब मुठभेड़ चल रही थी तो निरीक्षक किशोरचंद ने राइफलमैन टी. हरिदास और राइफलमैन मो. दौलत खाँ से फुसफुसा कर कहा कि वे उस दिशा में आगे बढें जिस दिशा से गोलीबारी की आवाज आ रही है। निरीक्षक किशोरचंद भी धान के खेतों के बीच धान के पौधों से हो कर रेंगते हुए आगे बढ़े। इनके ठीक पीछे राइफलमैन मो. ताजुद्दीन थे। अंतर-ग्राम सड़क की दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाले और निरीक्षक किशोरचंद से लगभग 50 गज की दूरी पर मौजूद एक उग्रवादी अचानक ही उठ खड़ा हुआ और उसने अधुनातन हथियारों से उनकी ओर गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी ओर बंदूक से हो रही गोलीबारी की छाया को देख करके निरीक्षक किशोरचंद ने राइफलमैन मो. ताजुद्दीन. जो इनके निकट थे, के साथ अपनी ए के-47 राइफल से उग्रवादी पर गोलीबारी कर दी और उस सशस्त्र उग्रवादी को मार गिराया। इसके बाद निरीक्षक किशोरचंद ने जमादार सुरजीत कुमार, जो मिनी स्टेडियम के निकट निंगोम्बम जंक्शन पर थे, को निदेश दिया कि वे अपने वायरलेस सेट के माध्यम से अपने दल के साथ उत्तरी दिशा की ओर उग्रवादियों के भागने के किसी भी प्रयास को विफल करने की कोशिश करें। इसी बीच राइफलमैन टी. हरिदास और राइफलमैन मो. दौलत खाँ ने भी अपनी बाई तरफ से आ रही कदमों की धीमी आवाज के आधार पर भाग रहे उग्रवादियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और जब आवाज आनी बंद हो गई तो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया। उसी समय एक उग्रवादी ने बच कर भागने के उद्देश्य से सी डी ओ दल पर गोलीबारी कर दी। इस पर राइफलमैन टी. हरिदास और राइफलमैन मो. दौलत खाँ ने चपलता से कार्रवाई की और उस उग्रवादी को मार गिराया जो धान के खेत के ऊंचाई वाले विभाजित स्थान पर मोर्चा संभालने की तैयारी कर रहा था। दूसरे उग्रवादी, बढते अंधेरे का फायदा उठाते हुए इकोपो पैट की ओर भाग जाने में सफल हो गए। मुठभेड के बाद मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर निम्नलिखित मदें/वस्तुएं बरामद हुईं :-

(क) 10864 संख्या वाली एक ए के राइफल जिसकी मैग्जीन में 6 जीवित राउंद की गोलियां भरी थीं और जो अंतर ग्राम सड़क की दक्षिणी तरफ पड़े मृतक आतंकवादी के निकट पड़ी थी।

(ख) 488384 संख्या वाली 2139x19 एम एम चिन्हित एक 9 एम एम पिस्तौल नोरिंको जो चीन में बनाई गई थी और जिसकी मैग्जीन में 9 एम एम के 2 जीवित राउंद की गोलियां भरी थीं और जो धान के खेत की ऊंचाई वाली विभाजित जगह पर मृतक उग्रवादी के निकट पडी थी और

(ग) मुठभेड़ स्थान की आगे और तलाशी लेने पर ए के राईफल की गोलियों के 13 (तेरह) खाली केस और 9 एम एम गोलियों के 5(पांच) खाली केस भी बरामद हुए। इन्हें उक्त स्थल पर औपचारिकतायें पूरी करने के बाद जब्त कर दिया गया था।

यह मामला आई पी सी की धारा सं. 307/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-सी) और शस्त्र अधिनियम, 04 की धारा 16(1)(ख)/20 यू ए (पी) के तहत प्राथमिकी मामला सं. 253 (9) 08 टीवीएल पी एस के रूप में दर्ज है। बाद में मृतकों की पहचान(1)

692

तखेलचंगबम सनतोई शर्मा उर्फ चाओरेन उर्फ यैमा उर्फ प्रधान (27) पुत्र (स्व0) टी. बाबूजाओबा शर्मा, मुटुम फिबाऊ, जो पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) का स्वयंभू कार्पोरल था और (2) अकोइजम दिनेश सिंह ऊर्फ नओगा (28) पुत्र व एके चाओटोम्वी सिंह, थाउबल बंगम्तबा सोरोक मखा, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) का स्वयंभू लांस कार्पोरल के रूप में हुई। ये निम्नलिखित अपराधों के लिए जिम्मेदार थे:

(क) दिनांक 6/7/2008 को निंगोम्बम गोजन सिंह, थाऊबल निंगोम्बम के मकान पर गोलीबारी की। यह मामला आई पी सी की धारा 307/427/400/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-सी) की प्राथमिकी सं0 62(7)08 के रूप में दर्ज है।

(ख) विधायक के. मेघचन्द्र सिंह, वांग्खेम केन्द्र के मकान पर 23.8.2008 को बम फेंका। यह मामला आईपीसी की धारा 307/447/427/34, शस्त्र अधिनियम 2004 की धारा 20 यू ए (पी) और विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी सं0 122(8)08 वाई पी के पुलिस स्टेशन के रूप में दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री वाई.किशोरचंद मैतेई, निरीक्षक, मो0 ताजुद्दीन खां, राइफलमैन, टी. हरिदास सिंह, राइफलमैन और मो0 दौलत खां, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 03.09.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 69-पेज/2009- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. एम. संजित शर्मा
   जमादार
2. मो0 शौकत अली
   हैड कांस्टेबल
3. एच. गुणेश्वर सिंह
   राइफल मैन
4. के0 शशिकुमार शर्मा
   राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 1/07/2008 को अपराह्न लगभग 1 बजे जब हेइरोक गांव के लोग भूमिगत तत्वों के विरुद्ध हेइरोक गांव में अपनी सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के संबंध में प्रतिबंधित भूमिगत तत्वों से प्राप्त गंभीर धमकी के साये में थे तो इस आशय की विश्वसनीय सूचना मिली कि हेइरोक गांव से इंफाल के बीच चलने वाली रजि0सं एम एन-01-0775 की यात्री बस का अपहरण कुछ सशस्त्र युवाओं ने खुमन लम्थक बस टर्मिनल से कर लिया है और इसी बस को राष्ट्रीय खेल गांव, लैंगोल के सामान्य क्षेत्र में देखा गया है। यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कमांडो के दो दल बनाए गए। एक दल का नेतृत्व जमादार एम. संजित शर्मा ने किया और दूसरे दल का नेतृत्व हैड कांस्टेबल मो0 शैकत अली ने किया। ये दोनों दल खोजी अभियान पर उक्त क्षेत्र की ओर चल पड़े। जब कमांडो दल लैंगोल तरूंग से लैंगोल पहाड़ी तलहटी की सड़क के साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे तो वे राष्ट्रीय खेल गांव के जोन-III क्षेत्र में पहुंच गए और जब वे एक तीखे मोड़ से गुजर ही रहे थे कि इन्होंने पहाड़ी की तलहटी में खड़ी बस देख ली। तत्काल ही कमांडो अपने-अपने वाहनों से नीचे कूद पड़े और तलहटी क्षेत्र की असमतल जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। कमांडो ने मुश्किल से मोर्चे संभाले ही थे कि उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी हिस्से सहित अलग-अलग दिशाओं से अधुनातन हथियारों से इन

पर गोलीबारी कर दी। तलहटी क्षेत्र में कुछ क्षणों के लिए कमांडो के सामने एक कठिन और विकट स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उन्हें अपने आप को कवर करना भी मुश्किल हो गया। तथापि, कमांडो वहां से तितर-बितर हो गए और झाड़ियों, असमतल जमीन और छोटे नाले में मोर्चा लेने के लिए ये पहाड़ी क्षेत्र में फैल गए और पलट कर गोलीबारी कर दी। इस प्रकार 10 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में जमादार संजित और इनके कार्मिक भारी गोलीबारी के बीच पूर्वी तरफ से पहाड़ी के ऊपर की ओर आगे बढ़े जब कि हैड कांस्टेबल मो0 शौकत अली ने आगे बढ़ कर दूसरे दल का नेतृत्व किया ताकि दक्षिण की तरफ से विद्रोहियों पर गोलीबारी की जा सके। मो0 शौकत अली किसी तरह से बस के निकट पहुंचने में सफल हो गए और बस के निकट बेहतर स्थिति बना कर वहां से जबावी गोलीबारी कर दी। इन्होंने एक छोटे नाले को अपना कवरेज बनाया जहां पर राइफलमैन शशिकुमार शर्मा अकेले ही अपनी एके-47 राइफल से उग्रवादियों पर गोलीबारी कर रहे थे। अब हैड कांस्टेबल मो0 शौकत अली इनकी सहायता के लिए आए और इस प्रकार इन्होंने उक्त स्थान से प्रभावी ढंग से कार्रवाई की। दूसरी ओर जमादार संजित और इनके निकट ही राइफलमैन गुणेश्वर सिंह लगातार आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने दक्षिण की तरफ से पीछे हट रहे उग्रवादियों के साथ गोलीबारी की । इस भयंकर लड़ाई में अपने आप को व्यस्त रखा। उग्रवादी पहाड़ी में ऊपर की ओर दौड़ते हुए पीछे हटे लेकिन वे रूक-रूक कर गोलीबारी भी करते रहे। कमांडो ने उनका पीछा करना जारी रखा। जब गोलीबारी बंद हो गई और सन्नाटा छा गया तो कमांडो ने तलाशी अभियान चलाया। घने जंगल में तलाशी के दौरान, जो अपने आप में एक अत्यधिक जोखिम भरा कार्य था, अलग-अलग स्थानों पर गोलियों से छलनी हुए 3 (तीन) शव पाए गए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान (1) खुंद्रकपम इबोयैमा सिंह, 35 वर्ष पुत्र (स्व0) के एच. नोडियाचंद सिंह, थगमीबंद खोमद्रम सेलुंग्बा लेइकई, (2) वागखौमयुम तेजमणि सिंह (35 वर्ष) पुत्र डब्ल्यू गोपाल सिंह, सिंग्जमेई मख क्षेत्री लेइकई और (3) मैबम किरन सिंह उर्फ थेबा (22 वर्ष) पुत्र एम मनिहर सिंह, सिंग्जमेई नवोरेम लेइकई के रूप में हुई। ये सभी "पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के)" के गैर-कानूनी भूमिगत गुट के दुर्दांत सदस्य/कार्यकर्ता थे। घटना स्थल से एक 9 एम एम पिस्तौल, एक हथ गोला और एके के 18 नग खाली केस सहित अन्य गोलीबारूद बरामद हुआ। दूसरे उग्रवादी लैंगोल पहाड़ी के घने जंगल का लाभ उठाते हुए बच कर भाग निकलने में सफल हो गए। अपहृत बस में सवार तीन लोगों (जो सभी निर्दोष सिविलियन थे) और बस को कमांडो दल ने बचा लिया। बचाए गए सिविलियनों की बाद में पहचान (1) थोक्चोम प्रसुराम (25 वर्ष) सुपुत्र टीएच. नबा सिंह हेइरोक बाजार,(2) मैबम नोरेन सिंह (37 वर्ष) सुपुत्र एम. तोचाउ सिंह, चरंगपट बाजार, (3) मो0 इथेम (24 वर्ष) सुपुत्र मो0 बबीश, संगैयुमफम पुलेइपोक्पी गांव के रूप में हुई।

इस मुठभेड में सर्व श्री एम. संजित शर्मा, जमादार, मो0 शौकत अली, हेडकांस्टेबल, एच.गुणेश्वर सिंह, राइफलमैन और के. शशिकुमार शर्मा, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 01/07/2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 70-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, नागालैंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री एस.कुम्तसु यिमचुंगर
टाउन हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 18 अगस्त, 2007 को 0830 बजे श्री एस. कुम्तसु यिमचुंगर, टाउन हैड कांस्टेबल ने देखा कि जो भी निर्दोष ड्राइवर-खुदेई पुलिस चैक गेट से गुजर रहा है उन्हें तीन व्यक्ति (इनमें से दो व्यक्ति फौजी वर्दी में थे और- एक व्यक्ति साधारण कपड़े पहने हुए था) परेशान कर रहे हैं और प्रतिवाहन 300/-रूपये से 500/-रूपए तक वसूल रहे हैं/जबरन ऐंठ रहे हैं। इस अनुचित कृत्य को देख करके श्री एस.कुम्तसु यिमचुंगर, टी एच सी (टाउन हैड कांस्टेबल), जो खुदेई पुलिस चैक गेट के प्रभारी भी थे, ने उन बदमाशों के कृत्यों में हस्तक्षेप किया और उन्हें चेतावनी दी कि वे इन कृत्यों को बंद कर दें। इस पर एक बदमाश ने, जिसकी बाद में पहचान नमंग फोम, एसएस सीएओ, एनएससीएन (आई एम) फोम क्षेत्र के रूप में हुई और जो नागालैंड राज्य का सर्वाधिक प्रभावशाली और दुर्दांत उग्रवादी था, ने छिपे हुए होल्स्टर से .32 एम एम की भरी हुई पिस्तौल (इटली में निर्मित) तत्काल निकाली और गोली चला दी। यह गोली टीएचसी एस. कुम्तसु यिमचुंगर के बांये पैर पर घुटने से ऊपर लगी जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि गंभीर रूप से घायल होने और बगैर हथियार के होने के बावजूद टीएचसी एस. कुम्तसु यिमचुंगर ने अपने जीवन की तनिक भी परवाह किए बगैर-असाधारण साहस का परिचय दिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए नमंग फोम नामक अपराधी को पकड़ लिया, उसके साथ गुत्थम-गुत्था की और उस अपराधी के चंगुल से 10(दस) राउंड और 2(दो) मैग्जीनों के साथ उससे पिस्तौल छीन ली। टीएचसी एस. कुम्तसु यिमचुंगर के इस साहसपूर्ण कृत्य से राष्ट्र और राज्य के संपूर्ण पुलिस बल को असीमित गौरव और सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त राजमार्ग पर, और विशेष रूप से त्यैंगसांग जिले में अपराधियों के क्रियाकलापों पर पूर्ण विराम लग गया जिसकी सभी ने प्रशंसा की। यही नहीं, श्री एस. कुम्तसु के उस साहसी कृत्य से नमंग फोम के दो अन्य उग्रवादियों (जो फौजी वर्दी में थे) को पकड़ने में भी सहायता मिली और वे इस घटना के घटित होने के दो घंटों के अंदर पकड़े भी गए। जो

उग्रवादी पकड़े गए बाद में उनकी पहचान एसएस. एल/कार्पो.सोलोबा चैंग और एसएस प्रा0 मोइलैंग फोम के रूप में हुई। यह मामला यूए (पी) अधिनियम 1967/7/78 एन एस आर-1962 की धारा 25(1-क) शस्त्र अधिनियम 1959/10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 326/307 के तहत तवेंसेंग पी एस मामला सं0 29/07 के रूप में दर्ज है।

मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप स्थिति नियंत्रण में हो गई और पुलिस में लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री एस.कुम्तसु यिमचुंगर, टाउन हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 18.08.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 71-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संजीव कुमार यादव
सहायक पुलिस आयुक्त

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 08/05/2006 को विशेष सैल/ एन डी आर, दिल्ली में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित एल ई टी के दो उग्रवादी, जिनका नाम फिरोज ऊर्फ अबदुल्ला और मो0 अली है और जिन्होंने हाल में गुजरात सीमा के माध्यम से आजम चीमा ऊर्फ बाबा (भारत में एल ई टी का आपरेशनल चीफ) द्वारा भेजी गई विस्फोटक सामग्री की खेप प्राप्त की थी, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस गाड़ी से दिल्ली आएंगे और वे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। इस सूचना के आधार पर विशेष कक्ष के एक दल ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया और सायं लगभग 7 बजे फिरोज अब्दुल लतीफ घासवाला उर्फ अब्दुल्ला और मोहम्मद अली छिपा उर्फ उवेदुल्ला को 4 किलो ग्राम आर डी एक्स, 4 डिटोनेटर और 50,000/- रूपए नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछ-ताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें मोहम्मद इकबाल उर्फ अबू हमजा, निवासी बहावलपुर, पाकिस्तान, जो भारत में " एल ई टी का आपरेशनल कमांडर है", नामक अपने पाक राष्ट्रिक सहयोगी को एक खेप पहुंचानी थी। उन्होंने यह भी बताया कि मो0 इकबाल उर्फ अबू हमजा, वर्ष 2000-2003 से जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है और वह सशस्त्र बलों के साथ दर्जनों आतंकवादी अभियानों में संलिप्त है जिनमें जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बलों के कई कार्मिक हताहत हुए हैं। उन्हें सायं लगभग 9 बजे जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली के मुख्य गेट के निकट अबू हमजा से मिलना था जो वहां पर 4457 नम्बर वाली सफेद सांत्रों कार में आएगा। तत्काल श्री अजय कुमार, तत्कालीन डी सी पी/ विशेष कक्ष के नेतृत्व में एक शक्तिशाली दल का गठन किया गया जिसमें ए सी पी संजीव यादव, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार त्यागी, उप निरीक्षक दलीप कुमार, निरीक्षक बद्रीश दत्त, निरीक्षक संजय दत्त, उपनिरीक्षक राहुल कुमार, उपनिरीक्षक भूप सिंह, उपनिरीक्षक विनय त्यागी, उप निरीक्षक कैलाश विष्ट, उपनिरीक्षक पवन कुमार, उप निरीक्षक रमेश लांबा, उपनिरीक्षक अशोक शर्मा, उप निरीक्षक धर्मेन्द्र , सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार,

सहायक उप निरीक्षक विक्रम, सहायक उपनिरीक्षक संजीव लोचन, हैड कांस्टेबल सतेन्द्र, हैड कांस्टेबल राजबीर सिंह, हैड कांस्टेबल विजेन्द्र, हैड कांस्टेबल कृष्ण राम, हैड कांस्टेबल रूस्तम, कांस्टेबल राजेन्द्र, कांस्टेबल बलवंत, कांस्टेबल गुरमीत, कांस्टेबल इकबाल, कांस्टेबल निसार और कांस्टेबल राजीव शामिल थे। इस दल को उपयुक्त हथियारों/गोली बारूद से सज्जित किया गया था। दल के सदस्यों को छोटे-छोटे दलों में विभाजित किया गया था और उन्हें जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के मुख्य गेट की ओर आ रहे रास्तों और बचाव के रास्तों पर तैनात किया गया था ताकि उग्रवादियों को पकड़ा जा सके। इस क्षेत्र का योजनाबद्ध ढंग से ऐसा घेराव भी किया गया था कि कोई सिविलियन हताहत न हो। श्री अजय कुमार, तत्कालीन डी सी पी, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार त्यागी और उपनिरीक्षक दलीप कुमार से युक्त अग्रिम दल ने स्टेडियम के मुख्य गेट के निकट गोल चक्कर पर अपने मोर्चे संभाले। सायं लगभग 9.15 बजे सी जी ओ कांप्लेक्स, लोधी रोड की ओर से एच आर- 29 एल-4457 संख्या वाली एक सफेद सांत्रो कार आई और स्टेडियम के मुख्य गेट के निकट गोल चक्कर के नजदीक रूक गई तथा उस कार से एक आदमी बाहर आया और कार के नजदीक फुटपाथ पर खड़ा हो गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त फिरोज अब्दुल लतीफ घासवाला उर्फ अब्दुल्ला ने उसे अपने सहयोगी मो0 इकबाल उर्फ अबू हमजा के रूप में पहचाना। तत्काल ही श्री अजय कुमार, डी सी पी, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार त्यागी और उप निरीक्षक दलीप कुमार से युक्त अग्रिम दल ने दूसरे कर्मचारियों को सतर्क कर दिया और उस उग्रवादी मो0 इकबाल उर्फ अबू हमजा को चेतावनी दी कि वह पुलिस दल के सामने समर्पण कर दे। समर्पण करने की ऊंची आवाज सुन करके अबू हमजा ने तुरंत अपना आग्नेयास्त्र निकाला और चारों ओर देखने लगा तथा गोल-चक्कर की तरफ से पुलिस दल की गतिविधि देख कर उसने गोल चक्कर के निकट मोर्चा संभाले अग्रिम दल पर अंधाधुंध गोली बारी की और पंप हाऊस की तरफ भागने लगा और स्टेडियम की लोहे की बाड़ के निकट सूखे नाले में मोर्चा लिया। छापामार दल ने एक बार फिर इस विदेशी आतंकवादी को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन इस दल की चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने अग्रिम दल के सदस्यों को हताहत करने और अंधेरे का फायदा उठा कर बच कर भाग निकलने के उद्देश्य से छापामार दल पर अपने स्वचालित हथियारों से फिर गोलीबारी कर दी। उस विदेशी आतंकवादी मो0 इकबाल उर्फ अबू हमजा ने पुलिस दल को लक्ष्य बनाते हुए गोलीबारी जारी रखी। श्री अजय कुमार, तत्कालीन डी सी पी/विशेष कक्ष, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार त्यागी और उप निरीक्षक दलीप कुमार के नेतृत्व वाले अग्रिम दल ने भी अपने-अपने स्वचालित हथियारों से पलट कर गोलीबारी कर दी ताकि दल का कोई सदस्य हताहत न होने पाए। दल के अन्य सदस्यों ने भी अग्रिम दल को पीछे से कवरिंग फायरिंग दी। दोनों ओर से लगभग 20 मिनट तक गोलीबारी हुई और बच कर भाग निकलने की कोशिश में विदेशी आतंकवादी को गोली लग गई और वह घायल हो गया। जब उग्रवादी की ओर से गोलीबारी रूक गई तो अग्रिम दल उस पाकिस्तानी उग्रवादी की ओर बढ़ा और उसे घायल पाया। घायल उग्रवादी को तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत लाया गया घोषित किया गया। मृत उग्रवादी ने अपनी स्वचालित पिस्तौल से पुलिस दल पर 20 से अधिक राउंद गोलीबारी की। विशेष कक्ष के दल ने भी उस खूंखार उग्रवादी को काबू

करने के लिए 44 राउंद गोलियां चलाई। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि मृतक उग्रवादी दिल्ली और इसके उप-नगरों में आतंकवादी क्रियाकलाप करने के लिए राजेश कुमार के जाली नाम और पहचान से जगदीश कालोनी, बल्लभगढ़ हरियाणा में किराये के मकान में रह रहा था और उसके कब्जे/ छिपने के स्थान से 2 एके-56 आसाल्ट राइफलें, एके राइफलों के 6 मैग्जीन, एके राइफल के 179 जीवित राउंद, 10 जीवित हैंड ग्रेनेड, 4 किलो ग्राम आर डी एक्स विस्फोटक पदार्थ, 5 कि0 पीईटीएन विस्फोटक पदार्थ (प्लास्टिक विस्फोटक), 4 इलैक्ट्रोनिक डिटोनेटर, 2 अतिरिक्त मैग्जीन के साथ .30 कैलिबर की 1- स्टार पिस्तौल, एक थुरया सेटेलाइट फोन, 10 हैंड ग्रेनेडों के लिए एक बंडोलियर, 3 किलोग्राम यूरिया, छः बोतलों में भरी 3 लीटर नाइट्रिक एसिड, एक लीटर ग्लिसरीन जैसे रसायन, पाकिस्तान से कार्य कर रहे एल ई टी कमांडरों और एल ई टी गुटों के अन्य भारतीय सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करने के टेलीफोन संस्थाओं वाली डायरी, आतंकवादी क्रियाकलापों आदि के लिए भारत में उनके लक्ष्य, मोनीटर के साथ फिट किया गया एक कंप्यूटर, सीपीयू और इंअरनेट, 50,000/-रूपए नकद, जाली ड्राइविंग लाइसैंस और एक सांत्रो कार जब्त की गई। जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला कि मृत उग्रवादी मो0 इकबाल उर्फ अबू हमजा, निवासी मोहल्ला अब्बासियन, मुल्तान रोड़ बहावलपुर पाकिस्तान को पाकिस्तान में भारत के लिए एल ई टी चीफ आपरेशन कमांडर अर्थात आजम चीमा उर्फ बाबा, निवासी बहावलपुर पाकिस्तान द्वारा भारत में आपरेशनल कमांडर के रूप में भेजा गया था। मृत उग्रवादी, एल ई टी गुट का विदेशी सदस्य था। सूचना के अनुसार मृत मो0 इकबाल उर्फ अबू हमजा, वर्ष 2000 से 2003 तक जम्मू और कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टरों में एल ई टी का जिला कमांडर भी था जहां वह सेना, बी एस एफ, सी आर पी एफ पर आतंकवादी हमलों के दर्जनों मामलों के लिए जिम्मेदार था जिनमें सशस्त्र बलों के कई कार्मिक हताहत हुए।

मृत उग्रवादी मो0 इकबाल उर्फ अबू हमजा ने काफी समय से बल्लभगढ़, हरियाणा के मकान नं0 441/9, जगदीश कालोनी, बल्लभगढ़, हरियाणा को किराये पर लिया हुआ था और इसे उसने अपना आधार शिविर बनाया हुआ था तथा वह यहां पर राजेश कुमार के जाली नाम पर रह रहा था। उसने जाली नाम और पहचान से जाली ड्राइविंग लाइसैंस प्राप्त कर लिया था, सान्त्रो कार और अन्य वस्तुयें खरीद ली थीं। उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट करने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार, गोली बारूद और विस्फोटक पदार्थ प्राप्त कर लिए थे। एन सी आर में किसी आतंकवादी गुट से बरामद की गई यह अधिकतम विस्फोटक सामग्री है। उसने पाकिस्तान में प्रशिक्षित गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों अर्थात फिरोज अब्दुल लतीफ घासवाला उर्फ अब्दुल्ला, निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) और मो0 अली छिपा उर्फ उवेदुल्ला निवासी अहमदाबाद (गुजरात) की सहायता से भारत में व्यापक नेटवर्क स्थापित किया हुआ था। बाद में इस एल ई टी गुट के दो और उग्रवादी अर्थात उमर और लासो को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी।

इस संबंध में लोधी कालोनी पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत एक मामला दायर किया गया था।

श्री संजीव कुमार यादव, ए सी पी की व्यक्तिगत भूमिका

इस अभियान में श्री संजीव कुमार यादव ने पुलिस दल का पर्यवेक्षण भी किया और गोल चक्कर के निकटवर्ती सुभेद्य बिंदुओं पर स्वयं मोर्चा संभाला। इन्होंने 3 उग्रवादियों को पुलिस दल के सामने समर्पण करने की भी चेतावनी दी लेकिन उग्रवादी ने समर्पण करने की इनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और श्री संजीव कुमार यादव की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। उग्रवादी द्वारा चलाई गई एक गोली, ए सी पी संजीव कुमार यादव के बिल्कुल नजदीक से निकल गई। ए सी पी/ एन डी आर ने तत्काल मोर्चा संभाला और पलट कर गोलीबारी कर दी। विदेशी उग्रवादी ने बच कर भाग निकालने और कर्मिकों को हताहत करने के उद्देश्य से पुलिस दल पर गोलीबारी करनी जारी रखी। छापामार दल ने भी विदेशी उग्रवादी पर जबाबी गोलीवारी की। ए सी पी/ एन डी आर ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 3 राउंड गोलियां चलाई जिससे वह उग्रवादी घायल हो गया। घायल उग्रवादी ने छापामार दल के सदस्यों पर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी। ए सी पी/ एन डी आर और छापामार दल के अन्य सदस्यों ने फिर इस आतंकवादी पर गोलियां चलाई और 20 मिनट से अधिक समय तक दोनों ओर से हुई गोलीबारी के बाद उग्रवादी की तरफ से गोली चलनी बंद हो गई । ए सी पी/ एन डी आर, अपने जीवन की परवाह किए बगैर सबसे आगे रहे और इन्होंने बिलकुल नजदीक से संपूर्ण अभियान का सर्वेक्षण भी किया।

इस मुठभेड़ में श्री संजीव कुमार यादव, एसीपी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक का द्वितीय बार नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 08.05.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 72-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, उड़ीसा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. हिमांशु कुमार लाल,
   पुलिस अधीक्षक
2. शरत चन्द्र मिश्रा,
   रिजर्व इंस्पेक्टर
3. जरीफ अहमद खां,
   डिप्टी सूबेदार
4. अरूण कुमार पांडा,
   लांस नायक
5. शिवशंकर नायक,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस चौकी/पुलिस कार्मिकों पर हमला करने और तीन-चरण के जी.पी. चुनाव के दौरान हिंसा करने के उद्देश्य से कुरूब क्षेत्र में नक्सलियों के एक ग्रुप द्वारा योजना बनाए जाने और वहां पर एकत्रित होने के संबंध में दिनांक 12.02.2007 को विश्वसनीय सूचना पर श्री हिमांशु कुमार लाल, आई पीएस, पुलिस अधीक्षक, मल्कांगिरि ने इस सूचना का सत्यापन करने के लिए एस ओ जी की एक यूनिट को तैनात किया और पुलिस चौकी/पुलिस कार्मिकों पर होने वाले हमले को रोकने और अतिवादियों का सफाया करने के उद्देश्य और तीन-चरण वाले चुनाव को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए यह सूचना तत्काल प्रसारित कर दी। तदनुसार, उचित जानकारी देने के बाद लांस नायक अरूण कुमार पांडा और श्री शिवशंकर नायक के नेतृत्व में एस ओ जी का एक दल उक्त स्थल की ओर भेजा गया। जब उसी दिन कुरूब क्षेत्र में एस ओ जी दल तलाशी अभियान पर था तो पूर्वाह्न लगभग 9.45 बजे अचानक लगभग दस सदस्यों वाले नक्सलियों के एक ग्रुप (सी पी आई माओवादी) ने एस ओ जी कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी ताकि इनकी हत्या की जा सके। नक्सलियों द्वारा घात लगाए जाने और गोलीबारी किए जाने

तथा नक्सलियों द्वारा लगाई गई घात से बचने के उद्देश्य से एस ओ जी दल द्वारा की गई जबाबी गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलने पर श्री हिमांशु कुमार लाल, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक तुरंत कार्रवाई पुलिस दल ने कलीमेला पुलिस स्टेशन से कूच किया। इस दल में श्री शरत चन्द्र मिश्रा, रिजर्व इंस्पेक्टर, मल्कांगिरि, जे.ए.खां, डिप्टी सुबेदार, ओ एस एपी (तीसरी वटालियन) शामिल थे। यह दल घने जंगल के रास्ते चतुराई से घटना स्थल की ओर बढा ताकि उन एस ओ जी कार्मिकों को सुरक्षित बचाया जा सके और पीछे हटाया जा सके जो कुरूब क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में व्यस्त हैं। उनके रास्ते में तुरंत कार्रवाई दल पर भी नक्सलियों ने उसी दिन अर्थात 12.02.2007 को सायं लगभग 3 बजे मेरीगेटा और बोडीगेटा के बीच घने जंगली क्षेत्र में घात लगाई। नक्सलियों ने यहां पर इसलिए घात लगाई कि वे जानते थे कि मुठभेड़ के बाद एस ओ जी दल इस रास्ते से वापस आएगा तो वे इन पर हमला करने की बेहतर स्थिति में होंगे। इसी बीच एस ओ जी दल, जो कुरूब क्षेत्र में मुठभेड़ में व्यस्त था, इस दल में शामिल हो गया जब यह दल श्री अरूण पांडा और शिबशंकर नायक के नेतृत्व में लौट रहा था। यहां पर 15 से अधिक नक्सलियों के एक ग्रुप ने अपने छिपने की जगहों/घात लगाने वाली जगहों से अपने-अपने अधुनातन हथियारों से इन पर गोलियों की बौछार कर दी ताकि बचाव दल की हत्या की जा सके। इस पर श्री हिमांशु कुमार लाल, पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कवर/सुरक्षात्मक मोर्चो संभालते हुए नक्सलियों को गोलीबारी रोकने और समर्पण करने का आदेश दिया लेकिन उन्होंने इनका आदेश नहीं माना। इसके बजाय नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी और तेज कर दी। अपने जीवन को बचाने का कोई विकल्प न पा कर श्री हिमांशु कुमार लाल, श्री शरत चन्द्र मिश्रा, जे.ए.खां और अन्य कार्मिकों से युक्त पुलिस असॉल्ट दल ने भी प्राइवेट डिफैंस के दांई ओर उन पर गोलीबारी कर दी। लांस नायक अरूण पांडा,कांस्टेबल शिबशंकर नायक के नेतृत्व वाले इसके कट-ऑफ दल ने, जिसमें अन्य कार्मिक भी शामिल थे, मार्चो संभालते हुए अपनी रक्षा में गोलियां चला दी। दोनों ओर से लगभग एक घंटे तक गोलीबारी चलती रही और उसके बाद घने जंगल और चट्टानों की आड़ ले कर नक्सली बच कर भागने में सफल हो गए। अभियान के बाद एस ओ जी दल ने घटना स्थल के चारों ओर पूरी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ये केवल एक अज्ञात नक्सली का शव ही बरामद कर सके जिसके पास जीवित गोली वारूद के सात राउंड से भरी एसबीबीएल बंदूक और एक जीवित एच.ई. ग्रेनेड पड़ा था। इसके अतिरिक्त एक जीवित क्लेमोर माइन, फ्लोक्सिबल इलैक्ट्रिक वायर, एस बी बी एल बंदूक का एक खाली कारतूस, ए के 47 राइफल के छः खाली कारतूस, एस एल आर के चार खाली कारतूस आदि भी घटना स्थल से मरामद हुए। बाद में अज्ञात नक्सली की पहचान देब मदकमी, पुत्र भीम कदकमी, ग्राम: कुरूब, कालीमेला पुलिस स्टेशन के रूप में हुई। वह विगत दो वर्षो से कालीमेला बालसंगम दलाम का कमांडर था और उसके अंतर राज्य संबंध थे तथा वह छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में कार्य करने के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य के मल्कांगिरि जिले में भी कार्यरत था। यह घटना आई पी सी की धारा 148/147/307/120(ख)/121/149, 4/5 ई. एस. अधिनियम, 25/27 शस्त्र अधिनियम /17(i) (ii) आपराधिक एल ए अधिनियम के तहत दिनांक 12.02.2007 को कालीमेला पुलिस स्टेशन में मामला सं0 9 के रूप में दर्ज है। वह आई पी सी की धारा सं0 147/148/302/307/326/120(ख)/121/122/149, 3/4 ई. एस. अधिनियम, 25/27 शस्त्र

अधिनियम के तहत दिनांक 26.01.2007 को दर्ज एम0 वी0 79 पी.एस. मामला सं0 2 में भी संलिप्त था जिसमें सी पी आई (माओवाद) ने गणतंत्र दिवस -2007 को एम.वी. 126 के निकट क्लेमोर माइन में विस्फोट किया था जिसके परिणामस्वरूप सी आर पी एफ के एक कार्मिक (हैड कांस्टेबल घनश्याम सिंह) की मृत्यु हो गई थी और सी आर पी एफ के एक और कार्मिक (हैड कांस्टेबल उमा शंकार) भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सी पी आई (माओवाद) के ए ओ वी एस जेड सी के सशस्त्र बलों के साथ उड़ीसा पुलिस की यह उत्कृष्ट और सफल मुठभेड़, नक्सल-विरोधी अभियान के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह पहली बार हुआ कि उड़ीसा पुलिस बल का कुमुक दल, मुठभेड़ स्थल पर उस समय पहुंच सका जब मुठभेड़ चल रही थी। इसने उन नक्सलियों को सफलतापूर्वक समाप्त किया (बाल संगम कमांडर देब मदकामी) जिसने अन्य नक्सलियों के साथ मिल करके उस एस ओ जी दल के रास्ते में घात लगाई थी जो मुठभेड़ के बाद कुरूब से लौट रहा था। इस प्रकार इस अभियान से जिले मे घात लगाने के नक्सलियों के इरादों को भारी धक्का लगा। इसके अतिरिक्त इस अभियान से पुलिस बल में विश्वास की भावना भी जागृत हुई। उक्त अभियान से कानून प्रवर्तन करने वाली विंग के प्रति भी जनता में विश्वास पुनः बहाल हुआ। सर्वाधिक सफल नक्सल-विरोधी अभियानों का आगे बढ़ कर नेतृत्व करने वाले उक्त पांच अधिकारियों ने दृढ संकल्प, बहादुरी, साहस, प्रयोजन सिद्ध करने की भावना, चतुराई और कर्तव्यपरायणता प्रदर्शित की, अपने जीवन की परवाह नहीं की जिससे बल का मनोबल अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच गया।

इस मुठभेड में सर्व श्री हिमांशु कुमार लाल, पुलिस अधीक्षक, शरत चन्द्र मिश्रा, रिजर्व इंस्पेक्टर, जरीफ अहमद खां, डिप्टी सुबेदार, अरूण कुमार पांडा, लांस नायक और शिवशंकर नायक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनॉक 12.02.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 73-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. दीपक कुमार
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. दिलीप देववर्मा
   उप मंडल पुलिस अधिकारी
3. श्यामल देबबर्मा
   उपनिरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 26.05.2008 सायं को श्री दिलीप दवबर्मा, एसडीपीओ, खोवई को इस आशय की गुप्त सूचना मिली कि चम्पाहौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उजन मैदान जंगल की एक झुम झोपड़ी में 14/15 एनएलएफटी (बी एम) के उग्रवादी छिपे हुए हैं। यह भी विश्वास किया गया कि उग्रवादियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियर श्री देबब्रत दास को अपने कब्जे में किया हुआ है। इस इंजीनियर का अपहरण पश्चिम त्रिपुरा जिले के तहत पीएस मुंगियाकमी के तुइकर्मा रेलवे के कार्य स्थल से दिनांक 24.04.2008 को सशस्त्र उग्रवादियों ने कर लिया था (मुंगियाकमी पी एस मामला सं0 09/08 आई पी सी की धारा 148/149/302/364(क) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत)। अपहरण किए गए इंजीनियर को छुड़ाने के लिए दिनांक 24.4.2008 से क्षेत्र में कार्य कर रहे अलग-अलग सुरक्षा बलों द्वारा कई विशेष अभियान चलाए गए थे।

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्री दीपक कुमार, आईपीएस, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने श्री दिलीप देबबर्मा, टीपीएस, एसडीपीओ(खोवई), उपनिरीक्षक श्यामल देबबर्मा, ओ/सी सीपीएच पीएस और अन्य कार्मिकों के साथ उग्रवादियों को पकड़ने और उपहृत इंजीनियर को उनसे छुड़ाने के लिए दिनांक 26.05.2008 को 2350 बजे उस स्थल की ओर कूच किया। चूंकि कार्रवाई करने के लिए बहुत कम समय था और सुरक्षा बल अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात थे इसलिए अभियान दल ने उन सभी बलों को एकत्र किया जो उस समय उपलबध थे। इस अभियान दल में उल्लिखित 3 अधिकारियों सहित 12 पुलिस कार्मिक और सीपीएच पीएस से 7पी/जी अधिकारी और 2 कांस्टेबल शामिल थे।

चूंकि वह स्थल घने जंगल में था और वह उग्रवादियों से भरा था इसलिए अभियान दल ने अपनी चाल बुद्धिमता से बनाई और जीवन की हानि न हो ऐसी सावधानी बरती। रात में कठिन रास्तों पर 25 कि मी0 पैदल चलने के बाद अभियान दल दिनांक 27.05.2008 को लगभग

0600 बजे उस स्थल पर पहुचा। उस स्थल पर पहुंचने के बाद इसने पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित झुम झोपड़ी खोजनी शुरू की। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद अभियान दल ने देखा कि अधुनातन हथियारों से लैस 3/4 उग्रवादी झुम झोपड़ी के निकट छिपे हुए हैं।

चूंकि अभियान दल में केवल 12 कार्मिक थे इसलिए यह दल चतुराई से लक्ष्य की ओर बढ़ा। यह दल अपर पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) पश्चिम और एस डी पी ओ (खोवई) के नेतृत्व में क्रमशः दक्षिण – पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा से आगे बढ़ने के लिए दो भागों में बंट गया। इनका उद्देश्य यह था कि जान माल की हानि के बगैर उन्हें जीवित पकड़ा जाए। किसी तरह से सशस्त्र उग्रवादियों को अभियान दल की इस चाल की भनक लग गई और उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पश्चिम और उप-निरीक्षक (यूवी) श्यामल देबबर्मा, ओ/सी सीपीएच पीएस के दक्षिण-पूर्वी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने आप को बचाने और कोई अन्य विकल्प न होने पर दल ने उग्रवादियों को लक्ष्य बना कर जवाबी गोलीबारी कर दी। इसे देखते हुए और उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए दिलीप देबबर्मा, एस डी पी ओ, खोवई के नेतृत्व वाले उत्तर-पूर्वी दल ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। कार्मिकों ने स्थिति का बहादुरी से सामना किया। अभियान दल ने कुल 235 राउंद गोलियां चलाईं।

भयंकर मुठभेड़ के बाद अभियान दल ने झुम छोपड़ी और निकटवर्ती चारा (नाले) की तलाशी ली और गोलियों से घायल हो कर मरे एक उग्रवादी का शव बरामद किया। बाद में उस शव की पहचान एन एल एफ टी के उग्रवादी दांचरज रियांग (23) पुत्र श्री कृष्णजोय रियांग, हडुक कलक पीएस अंबसा (ढलाई जिला) के रूप में हुई। उक्त उग्रवादी 6 वर्ष पहले एनएलएफटी (बीएम) में शामिल हुआ था।

अभियान दल ने 1 (एक) 7.62 एमएम एस एल आर, 2(दो) मैग्जीन, 73(तिहत्तर) जीवित कारतूस, 1(एक) मैगजीन पाउच, 1(एक) थैला, 20 (बीस) एन एल एफ टी के अभिदान नोटिस और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद और जब्त की।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री दीपक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, दिलीप देबबर्मा, उप मंडल पुलिस अधिकारी और श्यामल देबबर्मा, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत शौर्य के लिए दिए जाते हैं और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27.05.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 74-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक/ पुलिस पदक का द्वितीय बार/ पुलिस पदक का प्रथम बार प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	गुरबचन लाल महानिरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
2.	सत्येन्द्र वीर सिंह पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
3.	विजय कुमार राणा निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4.	सुरेन्द्र सिंह उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

शाहजहांपुर जिले के कटरा पुलिस थानातंर्गत ग्राम हीरपुर के निकट घने नदी तटीय क्षेत्र (कटरी) में खूंखार डकैत नरेश उर्फ नरेशा गैंग (जिस पर 50,000/-रूपए का पुरस्कार था) की उपस्थिति के बारे में कार्रवाई की जाने वाली सूचना मिलने पर आई जी पी बरेली जोन, गुरबचन लाल ने दिनांक 9 फरवरी, 2008 को एक अत्यंत गुप्त और साहसिक अभियान की योजना बनाई, उसका नेतृत्व किया तथा उसे निष्पादित किया। ये स्वयं एक निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 3 हैड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल से युक्त एक असॉल्ट दल के साथ प्रातः लगभग 3 बजे निश्चित स्थान "कटरी" पहुंचे। इस असाल्ट दल को एस पी शाहजहांपुर के नेतृत्व वाले एक उप-निरीक्षक और अन्यों से युक्त एक अन्य दल द्वारा बाईं ओर से कवर किया गया था। लगभग 0415 बजे पुलिस दलों ने कटरी क्षेत्र में पैदल ही चतुराई से आगे बढ़ना शुरू किया। नरेशा और उसके गैंग के सदस्यों ने अपने आप को घनी और कंटीली झाड़ियों में छिपा दिया। कुछ समय बाद आई जी पी श्री लाल और इनका दल ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से नरेशा गैंग मुश्किल से 30 गज की दूरी पर था। ऐसी स्थिति में आई जी पी श्री लाल ने महसूस किया कि और निकट जाने की

कोशिश का मतलब और खतरा और जोखिम होगा। खूंखार डकैत नरेशा, कुख्यात "पुलिस हत्यारा" था जिसने इससे पहले पुलिस के साथ हुई कई मुठभेड़ों में 15 से अधिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की हत्या की थी। जिस क्षण गैंग को बाहर आने और समपर्ण करने की चुनौती दी गई उसी क्षण गैंग के सदस्यों ने पुलिस दलों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी लेकिन आई जी पी श्री लाल और इनके बहादुर कार्मिकों ने अपने जीवन के लिए भयंकर खतरा होने के बावजूद सर्वोच्च कर्तव्यपरायणता, समर्पण, अत्यधिक साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए अत्यंत चतुराई और नियंत्रित ढंग से भयंकर गोलीबारी का जबाव दिया। आई जी पी श्री लाल की छाती के बीच में एक गोली लगी लेकिन इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिससे वे घायल होने से बच गए। जब कि कुछ गोलियां एस पी श्री सत्येन्द्र वीर सिंह, निरीक्षक विजय कुमार राणा और उप-निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह के निकट से गुजर गईं। आई जी श्री लाल ने अपने कार्मिकों को बार-बार प्रोत्साहित किया और बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। इससे आसॉल्ट दल में इच्छा शक्ति बढ़ी और फिर इन्होंने कारगर जवाबी गोलीबारी की। गैंग पर अंतिम हमले में आई जी पी श्री गुरबचन लाल और निरीक्षक विजय कुमार राणा ने अपनी-अपनी एके-47 से क्रमशः 32 और 28 राउंद गोलियाँ चलाईं। एस पी श्री सत्येन्द्र वीर सिंह ने अपनी 9 एम एम पिस्तौल से 6 राउंद गोलियां चलाई और उप-निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने अपनी एस एल आर से 18 राउंद गोलियां चलाई। इससे डकैतों का मनोबल टूट गया और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भागना शुरू कर दिया। आई जी पी श्री गुरबचन लाल और एस पी श्री सत्येन्द्र वीर सिंह, निरीक्षक विजय कुमार राणा और उप-निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह के आदेशों और प्रेरणा से पुलिस कार्मिक, जिन्होंने अत्यंत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, आगे बढ़े और निकट पहुंचने पर इन्होंने एक डकैत को रक्त कुंड में मरा पड़ा पाया । मृतक डकैत की पहचान नरेश उर्फ नरेशा के रूप में हुई जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पचास हजार रूपए का इनाम रखा हुआ था। उस स्थल से रक्त की घनी रेखायें अलग-अलग दिशाओं में जा रही थीं। अत्यधिक खोजबीन करने के बावजूद गैंग का कोई अन्य सदस्य नहीं मिल सका। दोनों ओर से चली गोलीबारी 0500 से 0545 बजे तक लगभग 45 मिनट तक चली। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित वस्तुयें बरामद हुईं:-

1. एक डी.बी.बी.एल-बंदूक, 12 बोर फैक्ट्री मेड, डीबीबीएल बंदूक के 27 जीवित और 60 खाली कारतूस।
2. एक एस बी बी एल बंदूक 12 बोर, फैक्ट्री मेड।
3. दो राइफलें 315 बोर, कंट्री मेड, 17 जीवित और 24 खाली कारतूस।
4. एक हैंड ग्रेनेड।
5. 455 बोर के 13 जीवित कारतूस।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री गुरबचन लाल, महानिरीक्षक, सत्येन्द्र वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, विजय कुमार राणा, निरीक्षक और सुरेन्द्र सिंह, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

708

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/ पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का द्वितीय बार नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत शौर्य के लिए दिए जाते हैं और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनॉक 09.02.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 75-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक/ पुलिस पदक का प्रथम बार प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. राम बदन सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   उप पुलिस अधीक्षक
2. बृज मोहन पाल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   उप-निरीक्षक
3. धर्मेन्द्र सिंह यादव, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   उप-निरीक्षक
4. अवध नारायण चौधरी (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

23.12.2007 को श्री राम बदन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ, उ0 प्र0 को इस आशय की सूचना मिली कि अधुनातन हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैइबा के दो आतंकवादी मारूति-800 कार में देवा रोड से हो कर पूर्वाह्न पांच से छः बजे के बीच बाराबंकी से लखनऊ आ रहे हैं। उनको रोकने के उद्देश्य से श्री रामबदन सिंह ने अपने दल के साथ लखनऊ-बाराबंकी सीमा की ओर कूच किया। उक्त स्थल पर पहुंचने के बाद, जो पी.एस.चिन्हित, जिला लखनऊ के अंतर्गत आता है, श्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र का मुआयना करने के बाद अपने दल को दो ग्रुपों में विभाजित किया। पहले ग्रुप में श्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, हैड कांस्टेबल अवध नारायण चौधरी, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर था। इस दल का नेतृत्व उप निरीक्षक बृज मोहन पाल ने किया और इस ग्रुप के अन्य सदस्यों में उप निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर था। प्रातः लगभग 5.05 बजे इन्होंने देखा कि लखनऊ-देवा सड़क पर बाराबंकी की तरफ से एक सफेद मारूति कार आ रही है। श्री सिंह और इनके दल के सदस्यों ने अपना-अपना मोर्चा संभाला। श्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कार को रूकने का आदेश दिए जाने के बावजूद इस कार का ड्राइवर और इसमें सवार नहीं रूके। इसके बजाए इन्होंने कार की गति बढ़ा दी। इस पर श्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और इनके दल के सदस्यों ने अपने

वाहनों में उनका पीछा किया। मारुति कार, केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र के निकट एक पुलिया से टकरा कर रूक गई। एके-47 राइफलों से लैस दो व्यक्ति कार से उतरे और उन्होंने पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। श्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और इनके कार्मिकों ने भी सड़क के किनारे खुदे हुए गड्ढों में मोर्चा संभाला और आतंकवादियों से समर्पण करने के लिए कहा। आतंकवादियों ने "लश्कर-ए-तैइबा जिंदाबाद" के नारे लगाए और इन्हें मारने की दृष्टि से गोलीबारी करनी जारी रखी। खतरनाक और विकट स्थिति को देखते हुए श्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, उप-निरीक्षक बी एम पाल, उप-निरीक्षक डी एस यादव और हैड कांस्टेबल ए0एन0 चौधरी ने अपने जीवन को खतरा और संकट होने के बावजूद आतंकवादियों की ओर रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। पुलिस कार्मिकों ने भी आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की। श्री आर0बी0सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, उप-निरीक्षक बी0एम0पाल, उप-निरीक्षक डी0एस0यादव और हैड कांस्टेबल ए0एन0 चौधरी की साहस भरी कार्रवाई और पहलों के कारण दोनों ओर से चली गोलियों में दो आतंकवादी मारे गए।

श्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, उपनिरीक्षक बी0एम0पाल, उप-निरीक्षक डी0एस0यादव और हैडकांस्टेबल ए0एन0 चौधरी ने इस भयानक मुठभेड़ में अनुकरणीय साहस, कर्तव्यपरायणता और सर्वोच्च शौर्य का परिचय दिया जिससे लश्कर-ए-तैइबा के आत्मघाती दस्ते के दो आतंकवादी मारे गए।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

1. सं0 113110 की एक एके-47 राइफल जिसमें एक खाली मैग्जीन और 29 खाली कारतूस थे।
2. दूसरे आतंकवादी से सं0 17343 की एक एके-47 राइफल जिसमें एक खाली मैग्जीन और एके-47 राइफल के 25 खाली कारतूस ।
3. पंजीकरण सं0 यू0पी0 32-ए/4374 वाली एक मारुति-800 कार।
4. काले रंग का एक थैला जिसे मारूति कार में पाया गया था, 4 मैग्जीन जिसमें से एक एके-47 राइफल के बिना कवर का था, जिसमें प्रत्येक में एके-47 राइफल के 30 जीवित कारतूस थे।
5. 10 फ्यूज के साथ 10 जीवित हथ गोले।
6. आत्मघाती दस्ते द्वारा पहनी हुई बैल्ट
7. एक विद्युत बैटरी
8. कागज पर बना उस स्थल का खाका।

एक आतंकवादी से एके-47 राइफल के कारतूस

इस मुठभेड़ में सर्व श्री राम बदन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, बृज मोहन पाल, उप निरीक्षक, धर्मेन्द्र सिंह यादव, उप-निरीक्षक और अवध नारायण चौधरी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 23.12.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 76-प्रेज/2009- राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक/ पुलिस पदक का द्वितीय बार प्रदान करते हैं:

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. अशोक कुमार त्रिपाठी (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   अपर -पुलिस अधीक्षक
2. इन्द्रजीत सिंह तेवतिया (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
   उप पुलिस अधीक्षक
3. तेज बहादुर सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   उप-निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 4 फरवरी, 2006 को लगभग 0430 बजे श्री अशोक त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक, एस टी एफ को इस आशय की सूचना मिली कि कुख्यात डकैत रघुवीर धीमर और उसके गैंग के सदस्य जिला कानपुर नगर के बिठूर क्षेत्र के एक व्यापारी का अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। इस पर श्री त्रिपाठी और इनके दल ने उस क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरू कर दी जहां पर उस गैंग को देखा गया था। कुछ समय बाद पुलिस दल के वाहनों की हेडलैंप के प्रकाश में आठ से नौ सशस्त्र लोगों का एक ग्रुप देखा गया। श्री त्रिपाठी और इनके दल के सदस्य उन लोगों की ओर बढ़े। इसे देख करके गैंग के सदस्यों ने फसल वाले खेतों और पेड़ों के पीछे मोर्चा लेने की कोशिश की। श्री त्रिपाठी और इनके दल के सदस्यों ने डकैतों को चुनौती दी और अपना परिचय देने के बाद इन्होंने डकैतों से समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन गैंग के सदस्यों ने समर्पण करने के बजाय पुलिस दल को गाली देनी और उन पर गोलीबारी करने शुरू कर दी। इस पर श्री त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने दल को तीन दलों में बांटा। प्रथम दल का नेतृतव श्री त्रिपाठी ने स्वयं किया। दूसरे दल का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक श्री इन्द्रजीत सिंह तेवतिया ने किया और तीसरे दल का नेतृत्व उप निरीक्षक टी बी सिंह ने किया। इनके जीवन को अत्यधिक जोखिम होने के बावजूद पुलिस दल धीरे-धीरे डकैतों की ओर बढ़े और नियंत्रित ढंग से गोलीबारी की। अपने दल के सदस्यों को प्रेरित करने के उद्देश्य से श्री त्रिपाठी, अपर-पुलिस अधीक्षक ने आगे बढ़ कर नेतृत्व किया और अपने साथियों को कवरिंग फायरिंग की सहायता से

आगे बढ़े। इन्हें एक गोली लगी और यह इनकी बुलेट प्रुफ जैकेट से लग कर छिटक गई। इस पर इन्होंने डकैतों के गैंग की ओर गोलीबारी कर दी जिससे उनमें से एक डकैत घायल हो गया। इसी बीच श्री इन्द्रजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और इनके दल ने भी डकैतों को जीवित पकड़ने के उद्देश्य से पुलिस दल एक डकैत के बहुत निकट पहुंच गया। इस डकैत ने इन पर अचानक गोलियां बरसा दीं। इस पर श्री त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई की और डकैत की बंदूक के बेटल को ऊपर की ओर उठा दिया। इस कार्रवाई में डकैत भागने में सफल हो गया। भाग रहे डकैत ने एक और गोली चलाई जो फिर श्री त्रिपाठी की बुलैट-प्रुफ जैकेट में लगी। जब गोलीबारी बंद हो गई तो पुलिस कार्मिकों ने तीन डकैतों को गंभीर रूप से घायल पाया। उन्हें निकट के अस्पताल ले जाया गया जहा यह घोषित किया गया कि वे अस्पताल में मृत लाए गए हैं। मृत डकैत की पहचान निम्नवत हुई:

1. रघुवीर धीमर जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पचास हजार रूपए के नकद पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार ने चालीस हजार रूपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की हुई थी।
2. मोहन धीमर जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दस हजार रूपए के नकद पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार ने पन्द्रह हजार रूपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की हुई थी।
3. भजन लाल एक दुर्दांत सदस्य था।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:

(i) एक राइफल विंचेस्टर
(ii) एक डी.बी.बी.एल.बंदूक फैक्ट्री मेड
(iii) एक एस.बी.बी. एल. बंदूक फैक्ट्री मेड
(iv) 7.61 बोर के 7 जीवित कारतूस
(v) 12 बोर के 8 जीवित और 20 खाली शैल

इस मुठभेड में सर्व श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक, इन्द्र जीत सिंह तेवतिया, उप पुलिस अधीक्षक और तेज बहादुर सिंह, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/ पुलिस पदक का द्वितीय बार नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं और परिणामस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 04.02.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 77-प्रेज./2009- राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री चन्द्र भान सिंह
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

काफी समय से उत्तर मध्य रेलवे के आगरा प्रभाग में इस आशय की शिकायत की जा रही थी कि ओ एच ई में प्रयोग किए जाने वाले तेल और कॉपर कोइल की ऑग्जिलरी ट्रांसफार्मरों से चोरी हो रही है। इन शिकायतों के आधार पर दिनांक 31.07.2008 को अपराध मामला सं0 एजीसी/आरपीएफ/सी-3ए और बी/ लोक-08/ओएचई -1/2008 और दिनांक 01.08.2008 को आर पी एफ/सी-3ए और बी/ लोक-10/ ओ एच ई/ एम टी जे/2008 क्रमश: आर पी एफ पोस्ट आगरा कैंट और मथुरा में दायर किए गए। इस चोरी को रोकने के लिए श्री चन्द्र भान सिंह और श्री कदम सिंह, कास्टेबल, रेलवे सुरक्षा बल, बाद की बाह्य चौकी को रेलवे की संपत्ति और उपकरणों की रक्षा करने के लिए हथियार तथा गोली बारूद के साथ दिनांक 27-28 अगस्त, 2008 की रात को 1800 बजे से 0500बजे तक के एम सं0 1386 से 1395 तक बाद-मथुरा के बीच गश्त लगाने के लिए तैनात किया गया। लगभग 2345 बजे जब दोनों कांस्टेबल के एम सं0 1392/17 पर गश्त लगा रहे थे तो इन्होंने बाद स्टेशन की ओर मोटर साइकल पर जा रहे संदिग्ध दिखाई दे रहे तीन व्यक्तियों को रोका। इस संदेह पर कांस्टेबल चन्द्र भान सिंह ने उन्हें रूकने के लिए कहा, उन्होंने अपनी मोटर साइकल रोक दी और इन पर गोलीबारी कर दी जिससे कांस्टेबल चन्द्र भान सिंह की दाईं जांघ में एक गोली लग गई। अपने जीवन की परवाह किए बगैर और अत्यंत साहस का परिचय देते हुए कांस्टेबल चन्द्र भान सिंह ने अपनी सर्विस पिस्तौल से गोलीबारी कर दी जिससे गिरिराज सिंह पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी ग्राम तरोली, पुलिस स्टेशन छटा, जिला मथुरा नामक एक अपराधी की मृत्यु हो गई। उसके दो सहयोगी भागने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी मोटर साइकल, चार खाली जैटी केन और 14 फुट का प्लास्टिक पाइप वहीं छोड़ दिया। कांस्टेबल चन्द्र भान सिंह को सिविल अस्पताल मथुरा ले जा कर भर्ती कराया गया जहां इनका उपचार किया गया। इनकी प्राथमिकी के आधार पर सिविल पुलिस थाना हाइवे, मथुरा में दिनांक 28.8.2008 को आई पी सी की धारा 307 के तहत अपराध मामला संख्या

571/08 दर्ज किया गया । पुलिस रिकार्डों से पता चलता है कि मृतक अपराधी एक ऐसे गैंग का सदस्य था जो रेलवे की आग्जिलरी ट्रांस्फार्मर से ऑयल की चोरी करने में संलिप्त था। सिविल पुलिस स्टेशन, हाइवे, मथुरा ने भी शस्त्र अधिनियम के धारा 5/25 के तहत अपराध मामला सं0 39/03 के अंतर्गत वर्ष 2003 में हथियारों के अवैध निर्माण के लिए अपराधी के विरुद्ध एक मामला दायर किया था।

इस मुठभेड में श्री चन्द्र भान सिंह, कांस्टेबल, रेलवे सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 27.08.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 78-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, असम राईफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री उदाल सिंह

राईफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

04 सितम्बर, 2007 को इरिलबंग आर एम 4582 में सशस्त्र आतंकवादियों को खत्म करने हेतु रास्ते में घात लगाए बैठे मेजर राजेन्द्र कुमार शर्मा का साथ जी/5004705 वाई राइफलमैन सामान्य ड्यूटी उदाल सिंह दे रहे थे। 040130 बजे रास्ते के उपमार्ग से एक अनपेक्षित जिप्सी आई और अधिकारी एवं जवान दोनों ने उसे रुकवाने की कोशिश की। जिप्सी में बैठे व्यक्तियों ने तुरंत स्वचालित गोलीबारी शुरु कर दी तथा निकट से मृत्यु का सामना करने के बावजूद राइफलमैन उदाल सिंह ने जवाबी कार्रवाई की तथा भागती हुई जिप्सी पर गोलीबारी की। तब उन दोनों ने जिप्सी का पीछा किया और जिप्सी में बैठे लोगों को जिप्सी से उतरने तथा बचकर धान की खेती में भागने के लिए मजबूर कर दिया। वाहन से एक मृत आतंकवादी का शव और एक ए के-47 राईफल बरामद की गई। 040430 बजे राइफलमैन उदाल सिंह अपने कम्पनी कामंडर के साथ धान की खेती में घुसे और अचानक उन पर छिपे आतंकवादी ने गोलीबारी शुरु कर दी। तभी इन दोनों ने गोलीबारी करके और सतर्कता भरी चाल से एक और आतंकवादी को मार गिराया तथा एक ए के-56 राईफल बमराद की। बाद की जानकारी से पुष्टि हुई कि मारे गए दोनों आतंकवादी पीपुल्स यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट के क्रमशः सशस्त्र विंग कमांडर और प्रशिक्षित केडर थे।

इस मुठभेड़ में श्री उदाल सिंह, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 04.09.2007 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

संयुक्त सचिव

सं. 70-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, असम राईफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री मुतुम अर्जुन मैतई
राईफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

तैमेंगलोंग पुलिस स्टेशन (मणिपुर) के अधीन तैमेंगलोंग कस्बे के नजदीक में एन एस सी एन (के) के सशस्त्रधारी केडर की संदिग्ध कारवाई के बारे में अपने सूत्रों की सूचना के आधार पर विद्रोहियों को मारने हेतु संभावित रास्ते पर 28 फरवरी, 2008 को घात लगाई गई। मेजर एस उपासनी के नेतृत्व वाले घात दल में एक जूनियर कमीशंड आफीसर और बटालियन मुख्यालय से अन्य रैंकों के चौदह कार्मिक शामिल थे, जब ये लगभग 2350 बजे घात स्थान पर कब्जे की प्रक्रिया में थे तभी 40-45 के ग्रुप में भारी सशस्त्रधारी विद्रोहियों की मौजूदगी के बारे में पता चला। घात कमांडर द्वारा विद्रोहियों को चुनौती देने से पहले ही उन्होंने जवानों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी।

श्री मुतुम अर्जुन मैतई, राईफलमैन/जी डी जो भारी गोलीबारी में टीम को कवर करने वाले सदस्य थे, ने अपने बाएं घुटने में गोली लगने के घाव के कारण अत्यधिक खून निकलने के बावजूद, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए तथा अदम्य साहस, बहादुरी और शान्ति का प्रदर्शन करते हुए तेज गति से आक्रमण किया और विद्रोहियों के ग्रुपों पर भारी गोलीबारी की। बहादुर सैनिक ने अदम्य साहस, धैर्य और दृढता का परिचय देते हुए अपनी स्थिति बदली और जवानों पर भारी गोलीबारी कर रहे विद्रोहियों पर भारी और प्रभावीगोलीबारी की। उसकी प्रभावी एवं अचूक गोलीबारी के परिणामस्वरुप दोनों विद्रोहियों को गहरी चोट पहुंची और उनको हटने के लिए मजबूर किया गया । बहादुर सैनिक आतंकवादियों पर लगातार गोलीबारी करता रहा जब तक कि उसे 0115 बजे यूनिट अस्पताल नहीं पहुंचाया गया।

बहादुर सैनिक मुतुम अर्जन मैतई, राइफलमैन/जी डी बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए भारी सशस्त्रधारी विद्रोही ग्रुपों को व्यस्त रखते हुए घात दल को तीन गुणा शक्ति प्रदान की जिसके परिणामस्वरुप अपने जवानों, सिविलियनों की जान

की रक्षा की और दो विद्रोहियों को बुरी तरह घायल किया, बाद में उनमें से एक की मौत हो गई।

वीरतापूर्वक कार्रवाई के स्थान से निम्नलिखित बरामदगी हुई :-

(क)	एम – 16 के दागे हुए कारतूस	-	21
(ख)	एम-16 के जिंदा कारतूस	-	09 नग
(ग)	ए के-47 के दागे हुए खोल	-	59 नग
(घ)	ए के-47 जिन्दा कारतूस	-	5 नग
(ङ)	7.62 एम एम एस एल आर/एल एम जी के दागे हुए खोल – 19 नग		
(च)	7.62 एम एम एस एल आर/एल एम जी के जिन्दा कारतूस – 4 नग		
(छ)	7.62 एम एम एल एम जी/एस एल आर राईफल, पिस्तौल ग्रीप और बट प्लेट के टुटे हुए टुकड़े		

इस मुठभेड़ में श्री मुतुम अर्जुन मैतई, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.02.2008 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 40-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, असम राईफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री विजय कुमार
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

राइफलमैन विजय कुमार नाम के एक जवान ने, जिनकी सेवा 5 वर्ष की थी, कई अभियानों में असाधारण क्षमता, प्रेरणा एवं उच्च स्तर की दृढ़क्षमता का प्रदर्शन किया है। बडे स्तर पर जबरन धन वसूलने की गतिविधियों में शामिल भूमिगत व्यक्तियों को पकड़ने के लिए चलाए गए "अप्रैल शोवर" नामक अभियान के दौरान, अत्यधिक खतरे से भरे कार्य के बारे में अच्छी तरह जानते हुए भी वह अपनी इच्छा से टीम कमांडर, मेजर सुशमीत बेनर्जी का साथी बना। 0445 बजे जब गांव की तलाशी जोरों पर थी, तब बिना पंजीकरण संख्या की एक मोटरसाइकिल तुलीहाल - लीसाम लोक सड़क से येरीपोक तुलीहाल की तरफ से आई, जहां राइफलमैन विजय की घात पार्टी तैनात थी। घात पार्टी ने मोटरसाईकिल का नजदीक आने तक इंतजार किया और मोटरसाईकिल को रुकने का इशारा किया। मोटर साइकिल सवार लोग सकते में आए गए और निराशा में पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने घात पार्टी पर संशोधित कार्बाइन से भारी गोलीबारी शुरु कर दी और तेजी से भागना शुरु कर दिया। जब घात पार्टी कमांडर मोटरसाईकिल की तरफ आगे जा रहा था तभी राइफलमैन विजय कुमार ने अधिकारी को गोलीबारी करके कवर देते हुए स्थिति संभाल ली जिन्होंने मोटर साईकिल चला रहे आतंकवादी को प्रभावी गोलीबारी से मार गिराया। अपने कमांडर द्वारा प्रेरित राइफलमैन विजय कुमार भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और अपने कमांडर की गोलीबारी से रक्षा करते हुए प्रभावी गोलीबारी से दूसरे भूमिगत को मार गिराया। वीर सैनिक और अधिकारी की निर्भीक कार्रवाई ने पी यू एल एफ (आजाद) ग्रुप के स्वयंभू सहायक वित्तीय सचिव मोहम्मद मुस्तफा और अब्दुल अजीज उर्फ तोम्बा नाम के दो आतंकवादियों को मार गिराया गया।

मृत आतंकवादी के पास से निम्नलिखित हथियार और बारुद बरामद किए गए:-

क)	9 एम एम परिष्कृत कार्बाईन, मैगजीन के साथ	-	01
ख)	9 एम एम की पिस्तौल (चीन निर्मित), मैगजीन के साथ	-	01
ग)	9 एम एम के जिंदा कारतुस/दागे हुए खोल	-	05
घ)	मोबाइल टेलिफोन	-	01
ङ.)	मोटर साईकिल (पल्सर)	-	01

इस मुठभेड़ में श्री विजय कुमार, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17.04.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 81-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, असम राईफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री इंद्रजीत रामचैरी (मरणोपरांत)
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

(स्वर्गीय) राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी, बी पी-56 (आर आर-5190) क्षेत्र में घात लगाने के लिए गश्त कार्य के स्काऊट के नेतृत्व की ड्यूटी का निष्पादन कर रहे थे।

4 जून, 2008 को जब बी पी-56 की तरफ गश्त लगाई जा रही थी तब (स्व.) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए परिष्कृत विस्फोटक साधनों की सीमा पीलरों तक पूरी जांच की। बी पी-56 के रास्ते की सुरक्षा के बारे में गश्त कमांडर के संतुष्ट होने के बाद भी (स्व.) राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी ने कर्तव्यनिष्ठा से ऊपर उठकर अपनी इच्छा से बी पी-56 के आगे के रास्ते की जांच की। इस प्रक्रिया में उस से यू जी द्वारा लगाई गई परिष्कृत विस्फोटक डिवाइस अचानक दब गई और उसके बाएं पैर में गहरी चोट लगी।

घायल होने और अत्यधिक मात्रा में खून बहने के बावजूद भी (स्व.) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी ने स्ट्रेचर के लिए मना कर दिया क्योंकि इससे केन्द्र की तरफ जाने में गश्त से बाधा होती और वह गश्त केन्द्र की तरफ पैदल चल दिए। जब (स्व.) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी को अत्यधिक दर्द होना शुरु हुआ तभी उन्होंने स्ट्रेचर पर लेटना स्वीकार किया।

बुरी तरह घायल होने और अत्यधिक दर्द होने के बावजूद भी (स्व.) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी ने शांत और मुस्कुराहट बनाए रखते हुए अपनी और गश्त भावना का

निर्वाह किया। तथापि, 05 जून, 2008 को 0715 बजे के आस-पास (स्व.) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी की खून बहने के कारण मृत्यु हो गई। पूरी घटना में (स्व.) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी इंद्रजीत रामचैरी ने अपनी अत्यधिक सूझबूझ एवं शारीरिक दक्षता से एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे उसके सभी साथी प्रेरित हुए।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री इंद्रजीत रामचैरी, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 05.06.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 82-प्रेज/2009. राष्ट्रपति, असम राईफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री प्रभात सिंह जमाल
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 11 नवम्बर, 2008 को विशिष्ट सूचना मिली कि के वाई के एल के सशस्त्रधारी आतंकवादी केथलमनबी रक्षक सेना, 9 सेक्टर असम राईफल के मुख्यालय को लक्ष्य बनाने की योजना बना रहे थे। इस आसूचना पर आधारित, बटालियन विशेष टीम द्वारा 1800 बजे एक अभियान चलाया गया। ये पता होने के बावजूद भी कि आतंकवादी सशस्त्रधारी और खतरनाक होंगे. संख्या जी/3200783 डब्ल्यू राईफलमैन प्रभात सिंह जमाल अपनी इच्छा से उस घात दल में रुके जिसकी आतंकवादियों से सबसे पहले मुठभेड़ होनी थी। 1830 बजे उपमार्ग से दो संदिग्ध व्यक्ति घूमते दिखाई दिए। राईफलमैन जमाल ने उन्हें रुकने और अपने हाथ ऊपर करने के लिए ललकारा। तथापि, एक आंतकवादी ने पिस्तौल निकाली और बहादुर सैनिक पर गोलीबारी शुरु कर दी और सभी दोनों अलग-अलग दिशाओं में भागे। चमत्कार से कुछ मौते होते-होते बच गई, बहादुर सैनिक सहमे नहीं और तुरंत भागते हुए आतंकवादियों के पीछे भागना शुरु किया और गोलीबारी करके जवाबी हमला किया। हवलदार जमाल की प्रभावी गोलीबारी के कारण, एक आतंकवादी को कंधे में गोली लगी और वह भागने लायक नहीं रहा, उसने नाले के अंदर स्थिति

ले ली और लगातार गोलीबारी करता रहा। राइफलमैन जमाल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए आतंकवादी की तरफ रेंगना शुरु किया जबकि उसका साथी उसको गोलीबारी से कवर दे रहा था। अकेला और घिरा हुआ होने के कारण, घायल आतंकवादी ने बहादुर सैनिक पर ग्रेनेड संख्या 36 फेंका, जिसके छर्रों से बहादुर सैनिक आश्चर्यपूर्वक ढंग से बचे। परन्तु प्रेरणात्मक बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए, राइफलमैन प्रभात सिंह जमाल उठे और खाई में अच्छी तरह से तैनात आतंकवादी पर हमला किया और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। दूसरा आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए और निर्मित क्षेत्र के कारण जवानों की गोलीबारी को रोकते हुए भागने में सफल रहा।

इस मुठभेड़ में श्री प्रभात सिंह जमाल, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11.11.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 83-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. आलोक कुमार श्रीवास्तव
   डिप्टी कमांडेंट
2. राजेश कुमार यादव
   उप निरीक्षक
3. अजय कुमार बाग
   कांस्टेबल
4. पवन कुमार
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

एक विशिष्ट सूचना मिली कि कट्टर नक्सली अयातु के नेतृत्व के अधीन एक नक्सलवादी ग्रुप दोर्नापल पुलिस स्टेशन, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के तहत देवरपाली गांव में घुसे और उन्होंने कुछ गांव वालों का अपहरण किया, इसके बाद वे अपहृत गांव वालों के साथ नजदीक के जंगल में चले गए, स्थानीय पुलिस उप निरीक्षक नरसिंह राम और अन्यों के साथ श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कमांडेंट की कमान के अधीन सी आर पी एफ की 119वीं बटालियन की एक पार्टी ने नक्सलवादियों को खत्म करने और उनके घृणित कार्य को समाप्त करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया। नक्सलवादी बैठक कर रहे थे और वे कुछ गांव वालों को सल्वा जुडम आन्दोलन से जुड़ने के कारण दण्ड के रूप में उन्हें मारने और सल्वा जुडम राहत कैम्प, दोनपिल पर भी आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, पार्टी कमांडर ने सशस्त्रधारी, नक्सलवादियों को पकड़ने हेतु अपने कार्मिकों को चार पार्टियों में बांट दिया। उन्होंने 8.6.06 को 0900 बजे के आसपास कूच किया और उनका मिलनस्थान देवरपाली गांव था जहां नक्सलवादियों के छिपे होने की सूचना थी और बैठक कर रहे थे जहां उन्होंने गांवों वालों की जबरदस्ती इकठ्ठा किया हुआ था। अभियान पूर्ण रूप से योजनाबद्ध था जिससे नक्सलवादी भौचक्के रहे गये। तथापि नक्सलवादियों ने अपने आसपास पुलिस पार्टी की मौजूदगी की अनुमति होने के बाद घने जंगल, नाले और पहाड़ियों में स्थिति संभाल ली और पुलिस पार्टी पर ए के-47,

एस एल आर इत्यादि जैसे स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने आई ई डी/बम विस्फोटों का भी सहारा लिया। श्री श्रीवास्तव ने तुरंत स्थिति पर काबू किया और अपने कार्मिकों को नक्सली हमले की जवाबी कार्रवाई करने हेतु आदेश दिए। जब श्री श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस पार्टी नक्सलवादियों की तरफ बढ़ रही थी तभी अन्य तीन पार्टियां भी चतुराई से नक्सलवादियों की तरफ बढ़ी। नक्सलवादियों ने एक दूसरे के नाम पुकारकर पुलिस पार्टी को मारने एवं उनके हथियार छीनने हेतु पुलिस पार्टी को घेरने हेतु पुकारना शुरु किया और उन्होंने गोलीबारी तेज की तथा आई ई डी विस्फोट करने शुरु किए। कोई विकल्प न बचने पर, सुरक्षा बलों ने नक्लवादियों की तरफ भारी गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की। उनकी तुरंत और बहादूरीपूर्ण कार्रवाई ने आक्रमणकारी नकसलवादियों को अपनी स्थिति छोड़ने और भागने के लिए मजबूर किया। गोलीबारी लगातार लगभग 3 घण्टे तक चली। इसके बाद, दल ने पूरे गांव को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरु किया। दल ने देवरपाली गांव से 2 नक्सली महिलाओं सहित 5 नकसलवादियों को पकडा जिसमें से दो पुरुष और एक महिला नक्सली घायल अवस्था में थे। श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, डी सी ने उक्त अभियान में सामने से दल का नेतृत्व करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच अपने दल को नक्सलवादियों की तरफ आगे बढने से रुकने नहीं दिया और दल को तर्कसंगत लक्ष्य पाने में लाभप्रद नेतृत्व किया। इसी प्रकार, एस आई (जी डी) राजेश कुमार यादव ने भी अभियान में सक्रिय रूप से व्यस्त रहते हुए अदम्य साहस और दृढ़विश्वास का परिचय दिया। वे नक्सलवादियों की भारी गोलीबारी का बहादुरी और साहस से सामना करते हुए आगे बढ़े और अपने हथियार से नक्सलियों की तरफ प्रभावी गोलीबारी से जवाबी कार्रवाई करते रहे। सी टी (जी डी) अजय कुमार बागं जब नक्सलवादियों की तरफ बढ रहे थे तभी अचानक से भारी गोलीबारी के बीच आ गए परन्तु उन्होंने पहल की ओर नक्सलवादी गोलीबारी की मुख्य बौछार को सहन करने हेतु बहादुरी से अपने को जोखिम में डाला और रेंगते हुए आगे बढ़कर पेड़ के पीछे स्थिति ले ली। जब नक्सलवादियों ने दल की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरु की तब भी इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने हथियार से प्रभावी गोलीबारी करके नक्सली हमले की जवाबी कार्रवाई की। इन्होंने दृढता, समर्पण और बहादुरी के साथ वीरतापूर्वक कार्रवाई का परिचय दिया। सी टी (जी डी) पवन कुमार जब आगे बढ रहे थे तभी नक्सलवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच आ गए। अपनी जिन्दगी को जोखिम में डालने के बावजूद भी पवन कुमर भयमुक्त और चतुराई से रेंगते हुए तथा नीचे की स्थिति में आगे बढ़े और पेड़ के पीछे स्थिति ले ली। इसके बाद, वह नक्सलवादियों की भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े। उन्होंने साहसिकता और वीरता से नक्सलवादियों को बचकर भागने के लिए घेरे में सेंध लगाने के प्रयास को विफल कर दिया। इनकी अभियान में वीरतापूर्ण कार्रवाई बहादुरी की गाथा बन गई।

स्थानीय अखबारों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार उपर्युक्त अभियान में कम से कम 10 नक्सलवादियों के मारे/घायल होने की सूचना थी जिसकी वरिष्ठ राज्य पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्टि की थी। इसके अतिरिक्त, 5 नक्सलवादी पकड़े गए और 3 नग डेटोनेटर, 5 नग आई ई डी, एक टिफीन बम, जिन्दा राउंद, सेल, वायर और खाली खोल भी बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने 9.6.06 और 12.06.06 को भी तलाशी अभियान चलाया। 12.6.06 को घटनास्थल से दो शव

जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, बरामद किए गए। बरामद शवों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। इस अभियान में उपर्युक्त कार्मिकों ने मुख्य नक्सली हमले को नष्ट करने तथा नक्सल भय से अपना घर छोड़ चुके 500 गांव वालों से अधिक दोनपिल राहत कैम्प के घरों पर हमला करने की योजना बना रहे नक्सलियों को असंगठित करने, में अहम भूमिका निभाई और निर्दोष गांव वालों का अपहरण होने और मारे जाने से भी बचाया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कमांडेंट, राजेश कुमार यादव, उप निरीक्षक, अजय कुमार बाग, कांस्टेबल और पवन कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 08.06.2006 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 84-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राम चरित्र

कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 29.11.06 को, निरीक्षक के एल आनंद एस एच ओ मिर्तुर को अपने स्थानीय स्त्रोत से पक्की आसूचना प्राप्त हुई कि नक्सली पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट के नजदीक "सल्वा जुडम" राहत कैम्प पर आक्रमण करने की घृणित योजना बना रहे हैं। वे हुरेपाल और येतपाल के जंगलों में अत्यधिक संख्या में यानि कम से कम 150 के आसपास इकठ्ठे हुए थे। इस सूचना के आधार पर, श्री आर एल डांगी ने सी आर पी एफ की 31वीं बटालियन के कमांडेंट श्री राम चरित्र से परामर्श करके एक विशैष अभियान की तुरंत योजना बनाई गई। सी आर पी एफ, जिला कार्यपालक बल और विशेष अधिकारियों (एस पी ओ) के एक संयुक्त दल को श्री नंद के नेतृत्व में अगली सुबह 12.45 बजे के आसपास संदिग्ध क्षेत्र की तरफ पैदल चलने के आदेश दिए गए, जेसे ही आक्रमण दल बेचपाल जंगल के नजदीक पहुंचा, नक्सलवादियों ने अचानक दल पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। दल ने तुरंत स्थिति संभाल ली और भारी गोलीबारी से जवाबी कार्रवाई की। नक्सलवादी संख्या में ज्यादा थे और ए के-47, एस एल आर और एल एम जी जैसे स्वचालित हथयारों से गोली बारी कर रहे थे। स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए श्री नन्द ने पुलिस अधीक्षक, बीजापुर और नेल्सनार में स्थित सी आर पी एफ की 31 वीं बटालियन के कमांडेट को और बल भेजने हेतु तुरंत संदेश भेजा। दोनों, श्री डांगी और श्री रामचरित्र तुरंत अतिरिक्त बल सहित मौके की ओर चले। एस पी और कमाडेन्ट दोनों दल को ब्रीफ करने के बाद हुरेपल जगंली क्षेत्र की तरफ चले। जैसे ही पुलिस पार्टी हुरेपल जगंल के पास पहुची नक्सलवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और मौके पर अतिरिक्त बलों को पहुँचने न देने के लिए आई ई डी का विस्फोट किया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बम भी फैके। बड़ी मुश्किलों से पुलिस पार्टी चट्टानों और जगंली वृक्षों का सहारा लेते हुए कब्जे वाले स्थान पर पहुंचे और पहली पार्टी को उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया। श्री डांगी और श्री राम चरित्र ने अपने को दो दलों में बांट लिया और पूरी स्थिति को संभाल लिया। श्री डांगी, श्री नन्द के साथ पश्चिम की तरफ चले जबकि श्री रामचरित्र ने पूर्व की तरफ स्थिति संभाल ली और नक्सलवादियों को घेरने की कोशिश की।

नक्सलवादी लगातार स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे तथा एक ओर बारूदी सुरंग का भी विस्फोट किया। परन्तु पुलिस पार्टी अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए जवाबी गोलीबारी करते रही। अचानक से नक्सलवादियों ने पुलिस दलों पर पेट्रोल बम फैकने शुरू कद दिए। गोलीबारी और धुएं के कारण, पुलिस वालों की जिन्दगी खतरे में थी। परन्तु, श्री डांगी और नंद उच्च स्तर की कुशाग्रता और प्रशसनीय सूझबूझ का परिचय देते हुए और अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए रेगंते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। भू-भाग बहुत मुश्किल था। लगभग 350 मीटर रेगंने के बाद वे नक्सलवादियों के नजदीक पहुंचे। इसी प्रकार, श्री रामचरित्र ने चतुराई से जगह बदली। वे नक्सलवादियों की गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई करते रहे और नक्सलवादियों को प्रमुख स्थिति नहीं लेने दी। श्री डांगी, श्री रामचरित्र और श्री नंद सामने से दल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी बीच दल पर गोलीबारी कर रहे नक्सलवादियों ने श्री डांगी की स्थिति को देखा और उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। श्री डांगी ने आक्रमण से बचने के लिए तेजी से अपनी स्थिति बदली और अदम्य साहस, वीरता और सतर्कता का परिचय दिया। अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए उन्होंने आत्मरक्षा में तेजी से गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप एक नक्सलवादी मारा गया। दूसरी तरफ, श्री रामचरित्र भी अदम्य साहस, वीरता का परिचय देते हुए तथा अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए आत्मरक्षा में लगातार गोलीबारी करते रहे। नक्सलवादियों की अंधाधुन्ध गोलीबारी के बावजूद भी श्री रामचरित्र की तीव्रतापूर्ण कार्रवाई के कारण एक नक्सलवादी मारा गया। कुछ समय बाद नक्सलवादी पुलिस की गोलीबारी का सामना नहीं कर सकें और जंगल में भाग गए। क्षेत्र की तलाशी के दौरालन पुलिस को एक भरी हुई बन्दूक, 4 किग्रा बारूदी सुरंग विस्फोटक, डेटोनेटर के साथ 100 फीट की इलैक्ट्रिक वायर, दो प्रेशर बम, नक्सली साहित्य और प्रतिदिन प्रयोग की मदों वाला एक पिठु बैग बरामद हुआ। मृत नक्सलवादियों की पहचान (1) कोंडा पुत्र मंगु मुरिया, उम्र 30 वर्ष, हुरेपल और (2) राधा उर्फ राधे पत्नि गुडी मुरिया उम्र 26 वर्ष, गांव दोरागुडा के रूप में हुई। पुलिस पार्टी ने मौके पर पड़े खून के धब्बे और विभिन्न स्थानों पर घिसटने के चिन्ह भी देखे जो दर्शाते थे कि नक्सलवादी अंधेरे, पहाड़ी भू-भाग और घने जंगल का फायदा उठाते हुए अपने साथ कम से कम दो शवों को ले जाने मे सफल रहे।

इस मुठभेड़ में श्री राम चरित्र, कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 30.11.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 85-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. सुरेन्द्र कुमार सिंह,
   उप निरीक्षक
2. आर.पी. शुक्ला,
   हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 15.05.2007 को लगभग 1600 बजे तेवड कालोनी, बेरैल वाटर हाल, जिला बड़गाम (जम्मू और कश्मीर) में दो आतंकवादियों के इकठ्ठा होने के बारे में स्थानीय स्रोतों से विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार वे किसी विशिष्ट संस्थान अथवा सुरक्षा बलों के कैम्पों पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। सूचना मिलने पर, वाटर हाल चौकी के प्रभारी ए एस आई सैय्यद सब्बीर, सी आर पी एफ की डी 89 वीं बटालियन के प्लाटून कमांडर एस आई/जीडी सुरेन्द्र कुमार सिंह के पास पहुंचे और क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में बताया। तदनुसार अभियान चलाया गया और सी आर पी एफ की डी/89 के 13 कार्मिक तथा जे के पी के 08 कार्मिकों ने पूरी तेवड कालोनी बेरैल वाटर हाल को घेर लिया, एस आई/जीडी सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ चिह्नित मकान के दांयी तरफ स्थिति संभाल ली तथा एच सी/जीडी आर पी शुक्ला ने अपनी टुकड़ी के साथ मकान के बांयी तरफ स्थिति ले।

उचित योजना और बचने के रास्तों का आंकलन करने तथा मकान को सही तरह से घेरने के बाद गुलाम मोहम्मद डार के घर में छिपे आतंकवादियों को ललकारा। जब आतंकियों को यह पता चला कि उनकी उपस्थिति के बारे में पुलिस को सूचना मिल चुकी है तथा उन्हें सी आर पी एफ और जे के पी पुलिस कार्मिकों द्वारा घेर लिया गया है, तब दोनों आतंकी मकान से बाहर आए और घेरे को तोड़ने और बचने के उद्देश्य से दलों पर भारी गोलीबारी करते हुए दोनों आतंकवादी मकान की दांयी और बांयी तरफ भागे। मकान के दांयी तरफ भागते हुए आतंकवादी को देख कर, एस आई/जीडी सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने दल को सचेत किया और स्थिति सभांल ली तथा भागते हुए आतंकवादी पर जवाबी गोलीबारी की। दल की उपस्थिति अपने सामने देखने

पर भागते हुए आतंकवादी ने भी नजदीक की झाड़ियों में स्थिति ले ली और लगातार गोलीबारी करता रहा। आगे एस आई/जीडी सुरेन्द्र कुमार सिंह ने स्थिति का आंकलन किया और अपने कार्मिकों को आतंकवादी पर गोलीबारी न करने के आदेश दिए क्योंकि आतंकवादी ने झाड़ियों का सहारा लिया हुआ था। एस आई/जीडी सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए तथा भारी गोलीबारी का सामना करते हुए आतंकवादी की तरफ रेंगते हुए चले तथा उसकी स्थिति को निस्थित करते हुए अपने हथियार से गोलीबारी की तथा उसे मार गिराया।

दूसरा आतंकवादी जो मकान के बांयी तरफ भाग रहा था, ने उन कार्मिकों पर अधांधुध गोलीबारी शुरू कर दी जो घेरे में बैठे हुए थे, उसकों सबसे पहले एच सी/जी डी आर पी शुक्ला ने देखा और घेरे में बैठे हुए सभी कार्मिकों ने भी जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। दल की उपस्थिति अपने सामने देखने के बाद आतंकवादी गहरे खड्डों में छुप गया और चुपचाप बैठ गया। एच सी/जी डी आर पी शुक्ला ने आतंकवादी की तरफ से गोलीबारी न होने के बाद अपने कार्मिकों को भी गोलीबारी बन्द करने को कहा। दोनों तरफ लगभग 5 से 7 मिनट तक शांति रहने के बाद एच सी/जी डी शुक्ला ने आतंकवादी के छिपे होने के स्थान की तलाशी लेने का निर्णय लिया। एच सी/जी डी शुक्ला ने अपनी स्थिति छोड़ी तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादी की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़े परन्तु आतंकवादी ने उसे देख लिया और उस पर अपनी ए के-47 राईफल से भारी गोलीबारी शुरू कर। एच सी/जी डी आर पी शुक्ला ने इस भयंकर स्थिति का साहस से सामना किया तथा अदभुत वीरता का परिचय दिया और युद्ध कला तथा चतुराई से दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

अभियान में मारे गए इस आतंकवादी की बाद में पहचान लश्कर-ए-तैयबा के गुट तंजीम के सैयद मोहम्मद, सरताज उर्फ बुखरी जिला कमांडर, बडगाम जिला, पुत्र सैयद शाह निवासी चेवदारे (बिरवाह), जिला बडगाम (जम्मू और कश्मीर) के रूप में हुई, सैयद सरताज उर्फ बुखरी ने विज्ञान में स्नातक और बी एड की हुई थी। वह एल ई टी ग्रुप में 20/07/2006 को शामिल हुआ। दूसरे आतंकवादी की पहचान तोशेफ अहमद वानी उर्फ उस्मान पुत्र मोहम्मद रफीक वानी निवासी हेल्फ शेरीमल सोपिआ के रूप में हुई जो आतंकी ग्रुप में वर्ष 2006 में शामिल हुआ था।

02 ए के-47 राइफल, 10 मैगजीन ए के-47 की, ए के-47 के 250 राउड, एक मोबाईल फोन सेट, 02 पाऊच, 02 पहचान पत्र. 03 डायरी, मोबाइल फोन सेट के 05 सिम कार्ड और 01 पर्स उनके कब्जे से बरामद हुए। आतंकवादियों के शव और अन्य मदे स्थानीय पुलिस को सौप दी गई। 16.05.07 को बडगाम (जम्मू और कश्मीर) पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियान के दौरान किसी भी सुरक्षा बल की जान माल की हानी नहीं हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक और आर पी शुक्ला, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15.05.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 86-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जय भगवान,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 16.09.2006 को वहीपुरा गांव, पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में आतंकवादियों की उपस्थिति से संबंधित विशिष्ट सूचना मिलने पर, राज्य पुलिस के साथ 55 आर आर द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। लक्षित मकान को पहचानने के बाद, सी आर पी एफ, पुलिस और सेना, प्रत्येक से एक-एक पार्टी खास मकान की ओर चली। लक्षित मकान में छिपे आतंकवादियों ने पार्टियो पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। आतंकवादियों की अत्यधिक गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए, एस आई/जी डी जय भगवान, 166वीं बटालियन, सी आर पी एफ उन सिविलियनों को बचाने हेतु आगे बढ़े, जो आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच फंसे थे। 166वीं बटालियन के एस आई/जी डी जय भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अन्य पार्टियों द्वारा प्रभावी कवरिंग के साथ बच्चों और महिलाओं को बचाना शुरु किया। सी आर पी एफ की 166वीं बटालियन के एस आई/जी डी जय भगवान ने बहादुरी का उदाहरण पेश करते हुए फंसे हुए सभी सिविलयनों को बचाया। तब तक आतंकवादियों ने शौचालय की चादरों के नीचे बंकरों में अपनी स्थिति बदल ली। सी आर पी एफ की 166वीं बटालियन के एस आई/जी डी जय भगवान ने आतंकवादियों की भारी गोलीबारी की प्रतिक्रिया में डटकर जवाबी गोलीबारी की और उन बंकरों पर हथगोले भी फैंके जिनमें आतंकवादी छिपे हुए थे। सी आर पी एफ की 166वीं बटालियन के एस आई/जी डी जय भगवान की साहसिक कार्रवाई से न केवल दो कट्टर आतंकवादियों को मारने में सहायता मिली बल्कि उन अनेक निर्दोष लोगों की जानें भी बचाई जिनकी जिंदगी गोलियों के बीच फंसी हुई थी। आतंकवादियों की बाद में पहचान हिजबुल मुजाहिद्दीन गुट के शबीर अहमद भट्ट उर्फ उमर निवासी डेंगरपोरा और फिरोज अहमद भट्ट निवासी अरमुला, के रूप में हुई।

इसके अतिरिक्त, ए के-47 राईफल-01 (क्षतिग्रस्त), ए के-56 राईफल-01 (क्षतिग्रस्त), ऐ के मैगजीन-02 (क्षतिग्रस्त), ऐ के राउंद-09 नगर, ग्रेनेड-01 (नष्ट हुआ), यू बी जी एल ग्रेनेड-

03(नष्ट हुए), यू बी जी एल लांचर-01 (क्षतिग्रस्त), सिम के साथ मोबाइल फोन-02 (क्षतिग्रस्त) और फोन-03 नग उनसे बरामद हुए। सी आर पी एफ टीम ने ऐ के-47 से 23 राउंद तथा 7.62 एस एल आर से 22 राउंद दागे। बरामदगी/शवों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिए गया। किसी की भी कोई हानि/नुकसान नहीं हुआ। इस यूनिट के एस आई/जी डी जय भगवान द्वारा प्रदर्शित अदभुत वीरतापूर्ण कार्रवाई की स्थानीय पुलिस, सेना तथा सी आर पी एफ प्राधिकारियों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई।

इस मुठभेड़ में श्री जय भगवान, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16.09.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 87-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. ए.पी. महेश्वरी,
   महानिरीक्षक
2. नरेश पाल
   कांस्टेबल
3. अजय भान सिंह
   कांस्टेबल
4. संजीव शर्मा
   द्वितीय कमान अधिकारी
5. विक्रम सिंह बिष्ट
   डिप्टी कमांडेंट
6. संजीव कुमार
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

शेर-ए-कश्मीर पार्क, श्रीनगर में 21.5.06 को जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस की लोक रैली के दौरान, जिसको विशिष्ट व्यक्तियों अर्थात राज्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री द्वारा सम्बोधित किया जाना था, उस समय अव्यवस्था फैल गई जब दो फिदायिनों ने पुलिस की वर्दी में अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोले फेंकने शुरु कर दिए। यह 1330 बजे के आसपास की बात है जब शिक्षा राज्य मंत्री रैली को सम्बोधित कर रहे थे तब पहला फिदायीन जे के पी की वर्दी में मुख्य प्रवेश से चुपके से आ गया तथा मुख्य गेट पर जे के पी के कांस्टेबल फारुक अहमद से उसका सामना हुआ तथा उसने अपनी ए के-47 से गोलीबारी करके कांस्टेबल फारुक अहमद को मार गिराया। दूसरा फिदायीन भी जे के पी की वर्दी में था जो आम लोगों में घुलमिल गया तथा फिर उसने सिविलियनों एवं सुरक्षा बलों की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी तथा हथगोले फेंकने शुरु कर दिए। श्री राजेन्द्रन आई जी पी, कश्मीर जोन उस क्षेत्र की ओर दोड़े जहां सबसे पहले गोलीबारी हुई थी और मंच के नजदीक फिदायीन द्वारा की जा रही गोलीबारी में दुर्भाग्य से वे बुरी तरह से घायल हो

गए। श्री ए पी महेश्वरी, जो आई जी, सी आर पी एफ शहर में सी आर पी एफ इकाई का दौरा करने के बाद अमर सिंह क्लब कम्पाउंड के पास पहुंचे थे, उन्होंने गोलीबारी और विस्फोट के बारे में मोबाइल पर एस एस पी श्रीनगर से पूछा लेकिन श्री राजेन्द्रन आई जी कश्मीर जवाब देने में सफल नहीं रहे। घटना के बारे में सुनते ही, श्री महेश्वरी तुरंत रैली स्थान की ओर चले तथा साथ में श्री नरेन्द्र भारद्वाज, डी आई जी (प्रशा.) श्रीनगर एवं अन्य अधिकारियों को रैली स्थान पर पहुंचने के निर्देश दिए, इसके अतिरिक्त ए डी आई जी (आई एन टी) को मोबाइल बंकर और उपलब्ध क्यू आर टी एवं कमांडो टीम को रैली स्थान पर तुरंत भेजने के लिए कहा। जमीनी स्थिति का जायजा लेते हुए तथा श्री फारुक अहमद, डी आई जी (सी के आर) एवं एस एस पी श्रीनगर के साथ परामर्श करके, श्री ए पी महेश्वरी, आई जी (प्रशा.) श्रीनगर ने सबसे वरिष्ठ होने के कारण स्थिति की कमान संभाली और बल की तैनाती करनी शुरु कर दी, तब तक श्री एन भारद्वाज, डी आई जी (प्रशा.) श्रीनगर और अन्य अधिकारी भी स्थल पर पहुंच गए। सबसे पहला कदम जे के पी और सी आर पी एफ जवानों के साथ समन्वय करके पार्क से लोगों को निकालना था जोकि एक कठिन कार्य था। श्री संजीव कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, 131वीं बटालियन ने अपने दल के साथ लोगों को निकालने की सुविधा देते हुए शेर-ए-कश्मीर पार्क को घेर लिया। इसी बीच विक्रम सिंह बिष्ट, डी सी, 27वीं बटालियन, सी आर पी एफ ने श्री आनंद जैन, एस पी (ई) जे के पी के साथ बी पी बंकरों में मंच की तरफ बढना शुरु किया, जहां फिदायीन अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। कांस्टेबल अयजभान सिंह, 27वीं बटालियन, सी आर पी एफ जो कि बी पी बंकर के ऊपर था, ने फिदायीन पर गोलीबारी की, जिसके बाद 5 आई आर बी कार्मिकों ने भी गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरुप पहला फिदायीन मारा गया। दूसरे फिदायीन ने शोरगुल का फायदा उड़ाया और अपने आपको छिपा लिया। श्री ए पी महेश्वरी, आई जी (प्रशा.) का कार्य और भी कठिन हो गया क्योंकि क्षेत्र की उचित छानबीन करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री को डी जी पी के साथ क्षेत्र में पहुंचना था। दलों की सही स्थिति एवं पार्क की प्रभावी घेराबंदी और बी पी बंकरों से सट्टे हुए क्षेत्र के कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुआ। यह देखकर कि वह घिर गया है, दूसरे फिदायीन ने गोलीबारी करके घेरे को तोड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी स्थिति का पता चल गया। श्री ए पी महेश्वरी, आई जी (प्रशा.) श्रीनगर ने श्री एन. भारद्वाज, डी आई जी (प्रशा.), श्रीनगर के साथ अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हुए, फिदायीन द्वारा की जा रही गोलीबारी की दिशा की ओर तुरंत बढ़े। उन दोनों ने सुविधाजनक स्थल पर स्थिति संभाल ली और टीमों को आई जी ट्रेफिक कार्यालय को चारों तरफ से घेर लेने के निर्देश दिए, जहाँ फिदायीन ने अपने को छुपा लिया था। दोनों, श्री महेश्वरी और श्री नरेन्द्र भारद्वाज ने अपनी स्थिति किलींग जोन में ले ली जहां से वे आतंकवादी द्वारा सभी दिशाओं से दबाव होने के कारण भागते हुए को देखा जा सके। श्री महेश्वरी ने इसके बाद उपलब्ध कामंडेंट को अपने क्यू आर टी के साथ स्टाप पार्टी के रूप में कार्रवाई करने का कार्य दिया। तब तक स्थानीय पुलिस अधिकारी भी सी आर पी एफ पार्टियों में शामिल हो गए। आतंकवादी इसी बीच आई जी ट्रेफिक की इमारत से कूद गया और उसने तुरंत एक ग्रेनेड फेंकने का प्रयास किया और श्री नरेन्द्र भारद्वाज के दिशा निर्देशों पर, कांस्टेबल नरेश पाल, 131वीं बटालियन के साथ कांस्टेबल संदीप कुमार, 71वीं बटालियन जो कि बी पी बंकर के ऊपर थे, ने एक साथ गोलीबारी शुरु कर दी और

फिदायीन को मार गिराया। दो फिदायिनों को मारने के अलावा, 2 ए के-47 राईफल्स, 5 मैगजीनें, 26 जिंदा राउंद और 2 जिन्दा हथगोले अभियान के दौरान बरामद किए गए।

जे के पी की वर्दी में लोगों के बीच भारी हथियारों से लैस दोनों फिदायीनों को मारने का सबसे कठिन कार्य दो घंटे की अवधि में पूरा हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री ए.पी. महेश्वरी, महानिरीक्षक, नरेश पाल, कांस्टेबल, अजय भान सिंह, कांस्टेबल, संजीव शर्मा, द्वितीय कमान अधिकारी, विक्रम सिंह बिष्ट, डिप्टी कमांडेंट, संजीव कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21.05.2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 88-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पी आर मिश्रा

सहायक कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

स्थानीय पुलिस से गावों के नजदीक छापा मारने और तलाशी अभियान चलाने हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ। तदनुसार श्री पी आर मिश्रा, ए सी की कमान के अधीन दो प्लाटून, घेरने और तलाशी हेतु सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए चतुराई से आगे बढ़ीं। रास्ते में, सतवनी नदी के नजदीक पुलिया को देखकर टुकड़ी रुकी और किसी अनहोनी की संभावना हेतु जांच शुरु की। संदेह सही निकला और घात लगाए बैठे सी पी आई (एम) केडरों ने सड़क के दोनों तरफ से सी आर पी एफ पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी तथा बाद में बारुदी सुरंग विस्फोट भी हुआ। जल्दी से, श्री पी आर मिश्रा, ए सी ने अपनी पार्टी के साथ स्थिति संभाल ली और सभी सावधानियां बरतते हुए नियंत्रित जवाबी गोलीबारी की। गोलीबारी के दौरान, नक्सलवादियों द्वारा श्री पी आर मिश्रा, ए सी के बहुत नजदीक शक्तिशाली विस्फोट किया गया परन्तु इससे वह घबराए नहीं और सूझबूझ से वह लगातार गोलीबारी करते रहे तथा अपने कार्मिकों का प्रत्येक क्षण मनोबल और विश्वास बढ़ाते रहे। यहाँ यह उल्लेख करना जरुरी है कि श्री पी आर मिश्रा, ए सी ने अपनी ऐ के-47 राईफल से विवेकपूर्ण गोलीबारी की तथा इसके अतिरिक्त, सी टी/जी डी सुखबीर सिंह और सी टी/जी डी रानाप्रताप सुर को लगातार निर्देश और संचालन करते रहे तथा अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए उन्होंने संदिग्ध स्थलों/स्थानों पर मोर्टर बमों से घेरे को तोड़ दिया। इसी बीच, श्री डी सी बास्के, ए सी की कमान के अधीन जी/136 की दो प्लाटूनें अलग-अलग दिशाओं से बल को बढ़ाने हेतु मौके पर पहुँची। बल की क्षमता संभावना से अधिक होने को भांपते हुए, नक्सली 6 घंटे की लम्बी लड़ाई के बाद पीछे हट गए। श्री पी आर मिश्रा, ए सी ने निडरता, धैर्य और कुशाग्र बुद्धि का दुर्लभ उदाहरण पेश किया। उन्होंने न केवल नक्सलवादियों के हमले का सफलतापूर्वक जवाब दिया बल्कि बटालियन मुख्यालय से वायरलैस पर सम्पर्क में भी रहे। इस तरह की वीरतापूर्ण कार्रवाई ने उसके कार्मिकों को लड़ने के लिए प्रेरित किया और यह बहुत ही प्रभावशाली था। उनके दिमाग में यह बात थी कि इस तरह की स्थिति में या तो बहादूरीपूर्ण कार्रवाई करनी है या फिर मर जाना है। यह उनके दुर्लभ कौशल तथा साहस का

नतीजा ही था जिससे कि बिना किसी नुकसान के 200-250 व्यक्तियों की मजबूत नक्सली पार्टी को पीछे धकेलने में सफल रहे, यद्यपि नक्सलवादी 40 शक्तिशाली बारुदी सुरंगों को बिछा करके बड़े हत्याकांड के लिए तैयार थे जबकि वे स्वयं के बनाए हुए मोर्चो के पीछे सुरक्षित थे। घटनास्थल से निम्नलिखित विस्फोटक बरामद हुए थे।

(क)	आयरन पाइप बम	-	05 नग, 3-5 फीट लम्बे तथा 50-85 कि.ग्रा.
(ख)	40 कि.ग्रा. सिलेण्डर बम	-	04 नग
(ग)	40 कि.ग्रा. क्लोमोर माईंस	-	2 नग
(घ)	5 कि.ग्रा. केन बम	-	02 नग
(ड.)	60 कि.ग्रा. स्टील निर्मित लम्बे बम	-	01 नग
(च)	केमरे	-	02 नग
(छ)	एच ई बम की फायरिंग पीन	-	02 नग
(ज)	चार्जर क्लिप	-	01 नग
(झ)	इलैक्ट्रिक वायर	-	01 नग

इस मुठभेड़ में श्री पी आर मिश्रा, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30.01.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 89-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. चन्द्र बल्लभ
   उप निरीक्षक
2. रमन गोड
   कांस्टेबल
3. प्रदीप कुमार राय,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

डी/83 की एक प्लाटून महबूब नगर (आन्ध्र प्रदेश) में मन्नूर के नालामुला जंगल के अंदर तैनात की गई थी जिसमें एक एस आई, 6 हैड कांस्टैबल और 17 कांस्टैबल मौजूद थे जिनका उद्देश्य पुलिस स्टेशन की बाह्य चौकी को बचाना और क्षेत्र में नक्सलवाद विरोधी अभियान चलाना था। 3 जून, 2005 को 2115 बजे 70-80 की संख्या में सी पी आई माओवादियों के एक बड़े ग्रुप ने रात के अंधेरे में रॉकेट लांचरों, पेट्रोल बमों, बकैट बमों (डायरेक्शनल माईंस), देशी हथगोलों, .303, 7.62 एम एम और ए के-47 राइफलों इत्यादि के साथ सभी दिशाओं से बाह्य चौकी पर अचानक आक्रमण कर दिया। शुरु में उन्होंने संतरी चौकी पर गोलीबारी की और उसके बाद सभी दिशाओं से गोलियों की बौछार तथा रॉकेट लांचरों से विस्फोट किए। कांस्टेबल/जी डी प्रदीप कुमार राय, छत के मार्चे पर संतरी थे उन्होंने आक्रमण को भांपा और तुरंत नियंत्रित गोलीबारी से कुशल जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले को रोका। एस आई/जी डी चन्द्र बल्लभ, पोस्ट कमांडर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो गए तथा उन्होंने अपने कार्मिकों को तैनात करने तथा हमले को रोकने हेतु निडरता से लड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाना शुरु किया। चूंकि, उनके पास सीमित मात्रा में हथियार और गोलाबारुद था और कहीं से भी ओर बल के आने की संभावना भी नहीं थी (उसी समय माओवादियों ने और अधिक बल को आने से रोकने हेतु अमराबाद की सी आर पी एफ चौकी पर भी आक्रमण कर दिया था) और चूंकि, यह लड़ाई लम्बी चलनी थी, इसलिए एस आई/जी डी चन्द्र बल्लभ ने माओवादियों की चाल को समझते हुए तथा वचनबद्धता एवं कौशल का प्रदर्शन करते हुए बड़े हमले को रोकने की योजना बनाई। अपनी

जिन्दगी की बिलकुल भी परवाह न करते हुए, वह गोलीबारी के बीच एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर गए, जिसके परिणामस्वरुप उन्होंने न केवल अपने कार्मिकों और हथियारों की रक्षा की बल्कि अत्यधिक संख्या में माओवादियों को जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए मजबूर भी किया।

उनके अर्ध-प्रदीप्त बमों को दागने के आदेश की कुशलता ने कार्मिकों को अंधेरी रात में गोलीबारी करने के लक्ष्य में समर्थ बनाया। पुराने अनुभवों के आधार पर, चौकी पर अत्यधिक गोलीबारी एवं अत्यधिक संख्या में इस तरह के योजनाबद्ध आक्रमण को रोकना सुरक्षा बलों की दुर्लभ कार्रवाई थी। मुख्य दरवाजे से घुसने की संभावनाओं को भांपते हुए, जहां से आक्रमण केन्द्रित था, कांस्टेबल/जी डी प्रदीप कुमार राय ने अपनी एम एम जी पोस्ट से कुशल गोलीबारी में आक्रमणकारियों को व्यस्त रखा तथा घुसने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया। परन्तु उसके मोर्चे पर केन्द्रित गोलीबारी के बीच में सही समय पर की गई कार्रवाई के कारण ही चौकी को बचाया जा सका। कांस्टेबल/जी डी रमन गौड, ने अंधेरी रात में माओवादियों के आक्रमण को नोटिस करने में सतर्कता और साहस का परिचय दिया तथा गोलीबारी से उनको व्यस्त रखने के कारण पोस्ट में घुसने हेतु उनको नजदीक नहीं आने दिया। माओवादियों द्वारा उसके मोर्चे पर भारी गोलीबारी के साथ मुख्य बाधा को दूर करने के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इन सभी प्रयासों ने न केवल चौकी को बचाया बल्कि माओवादियों के उत्साह को भी भंग किया, जिससे उनकी विस्तार की योजना को नियंत्रण करने में बड़ा सहयोग मिला।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री चन्द्र बल्लभ, उप निरीक्षक, रमन गोड, कांस्टेबल और प्रदीप कुमार राय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 03.06.2005 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 90-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री श्यामल प्रसाद सैकिया
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

सोनारी थाना के अन्दर नाफुक नहरानीबाम गाँव में सशस्त्र उल्फा उग्रवादियों के गुट की मौजूदगी के सम्बंध में प्राप्त एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 16.02.2008 को श्री श्यामल प्रसाद सैकिया, पुलिस अधीक्षक, शिवसागर जिला ने सेना की 316 फील्ड रेजीमेंट, शिवसागर के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान का आयोजन किया। तदनुसार श्री सैकिया ने पुलिस और सैन्य कर्मिकों के साथ मिलकर उस गाँव की ओर प्रस्थान किया तथा उस क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी। इस अभियान दल पर लगभग 2-45 बजे प्रातः नाफुक नहरानीबाम गाँव के कमला बावरी के घर से अचानक भारी गोलियाँ चलाई गईं। अपनी रक्षा करते हुए श्री सैकिया एक ऊंची पहाड़ी से कूद पड़े और उनके दाहिने टखने में चोट लग गई। इस चोट के बावजूद श्री सैकिया ने अभियान दल को तत्काल जवाबी कार्रवाई करने का कमाण्ड दिया। उन्होंने उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी का प्रतिरोध करते हुए अपनी एके-47 राइफल से गोलीबारी शुरू कर दी। इससे अन्य सुरक्षा कार्मिकों में भी जोश आ गया तथा उन्होंने भी उग्रवादियों की ओर गोली चलाना शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप भयंकर मुठभेड़ हुई। यह गोलीबारी लगभग 50 (पचास) मिनट तक चली। श्री सैकिया ने अपनी एके-47 राईफल से .17(सत्रह) राउण्ड गोलियाँ चलाई। इस मुठभेड़ में श्री सैकिया तथा उनके दल द्वारा समय पर एवं त्वरित जवाबी कार्रवाई से 04 (चार) कट्टर उल्फा उग्रवादी मारे गए और अन्य उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। यह सोनारी थाना में आई पी सी की धारा 353/307, शस्त्र अधिनियम की आर/डब्ल्यू की धारा 25(1) (क), यू0ए0(पी) अधिनियम आर/डब्ल्यू की धारा 10/13 के अन्तर्गत मामला सं0 35/08 से स्पष्ट है।

इस मुठभेड़ स्थल से एक एके-47 राइफल, दो मैगजीनें, 14 आरडीएएस जिन्दा 7.62 एम एम गोलाबारूद, चार आर डी ए जिन्दा 9 एम एम एम्यूनिशन युक्त एक पिस्तौल (इटेलियन मेड) तीन 36 नम्बर के हथगोले, एक चीनी ग्रेनेड और कुछ अभिशंसात्मक दस्तावेज प्राप्त हुए। इन

उल्फा उग्रवादियों की बाद में (01) मानिक लिकसन उर्फ फटिक हाण्डिक पुत्र कालिया हाण्डिक गाँव- सिंगिबिल, थाना गोलेकी (02) रंजू हजारिका उर्फ धीरेन दत्ता पुत्र स्व0 भुवन दत्ता गॉव होलोगुरी (03) जतिन चेतिया उर्फ भेटी पुत्र तुलसी चेतिया गाँव रोगांपाथर, थाना सोनारी सभी जिला शिवसागर के निवासी और (04) केशव मोलिया उर्फ बाबू उर्फ हरिप्रसाद कोच पुत्र श्री खुदीराम मोलिया गाँव निकिनिखोवा गाँव, थाना जेन्ग्राईमुख, माजुली जिला जोरहाट के रूप में शिनाख्त हुई।

इस मुठभेड में श्री श्यामल प्रसाद सैकिया, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाँक 16.02.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जून 2009

सं. एम-13011/01/2009-टीएसी/एनएडी (पीसीएल)--भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए 9 जून, 2009 से मूल्य एवं जीवन निर्वाह लागत की सांख्यिकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति को एतद्द्वारा पुनर्गठित करती है :--

1.	महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	अध्यक्ष
2.	सलाहकार, परिदृश्य योजना प्रभाग, योजना आयोग, योजना भवन नई दिल्ली-110001	सदस्य
3.	आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001	सदस्य
4.	आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001	सदस्य

5.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001	सदस्य
6.	आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001	सदस्य
7.	महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
8.	अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, पूर्वी खण्ड-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066	सदस्य
9.	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, कलेरमोन्ट बिल्डिंग, शिमला-171004.	सदस्य
10.	अपर महानिदेशक, रा.ले.प्र. (पी.सी.एल.यूनिट) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, एस.पी.भवन, नई दिल्ली-110001	सदस्य
11.	अध्यक्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,नई दिल्ली-110001	सदस्य

12.	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुबंई-400001.	सदस्य
13.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम	सदस्य
14.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	सदस्य
15.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता.	सदस्य
16.	प्रो.सी.पी.चन्द्रशेखर, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067.	सदस्य
17.	प्रो. अरुप मित्रा, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय इन्क्लेव, दिल्ली-110007.	सदस्य
18.	श्री पी.टी.राव वित्तीय क्षेत्र के प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ, इडाकट्टी हाउस, सास्था टेंपल रोड, अलुवा-683101, केरल	सदस्य
19.	श्री शरद एस.पाटिल, महासचिव, भारतीय नियोक्ता संघ, आर्मी एवं नेवी बिल्डिंग, 148-एम जी रोड, मुंबई-400001	सदस्य
20.	उप महानिदेशक, रा.ले.प्र. (पीसीएल एकक), केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, एस पी भवन, नई दिल्ली-110001.	सदस्य-सचिव

2.. राज्य सरकारों, शैक्षिक क्षेत्र तथा ट्रेड यूनियनों के कर्मचारी/नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि- 9 जून, 2009 से दो वर्षों की अवधि के लिए समिति को सेवा प्रदान करेंगे ।

3. पुनर्गठित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-

(i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा परिवार बजट पूछताछ के संचालन हेतु प्रस्तावों की जांच ;

(ii) उपभोक्ता मूल्य, थोक, खुदरा, उत्पादक, तुलनीय मंहगापन के सूचकांकों, अखिल भारत तथा राज्य स्तरीय सूचकांकों के निर्माण से संबंधित समस्याओं सहित अन्य मूल्य सूचकांकों तथा उनसे जुड़ी विशेष समस्याओं हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासी प्रशासनों द्वारा तैयार की गई स्कीमों की जांच ;

(iii) अवधारणाओं, परिभाषाओं, मूल्य संग्रहण की पद्धतियों तथा उपभोक्ता मूल्य के समेकन, थोक, खुदरा,उत्पादकों और प्रत्येक प्रकार के सूचकांकों हेतु समुचित भारण की पद्धतियों सहित तुलनीय मंहगापन सूचकांकों तथा अन्य मूल्य सूचकांकों का सुधार तथा मानकीकरण ;

(iv) मूल्य सांख्यिकी के संग्रहण, समेकन तथा प्रसार की एक एकीकृत प्रणाली को बुद्धिसंगत बनाने तथा विकसित करने के विचार से संगठनात्मक प्रबंधों और मूल्य संग्रहण हेतु मशीनरी की समीक्षा ।

4. समिति को सचिवालयी सहायता केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी ।

5. समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी व्यय उनसे संबंधित मूल मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा ।

6. क्रम सं. 16,17, 18 तथा 19 में उल्लिखित गैर-सरकारी सदस्यों को, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर यथासंशोधित और स्पष्टीकृत दिनांक 23 जून, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19020/1/84-ई.IV के पैरा 1 (ii) में निहित निर्देशों के अनुसार बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को ग्राह्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

7. ऊपर पैरा 1 के क्रमांक 16,17,18 और 19 में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान पर होने वाला व्यय योजना स्कीम के घटक "क्षमता निर्माण" के अंतर्गत बजट प्रावधान में से वहन किया जाएगा ।

8. इसे वित्तीय सलाहकार की सहमति से बजट एवं वित्त अनुभाग की डायरी सं.309/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिनांक 27.5.2009 के तहत जारी किया जाता है ।

एस. दास
अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2009

संकल्प

सं. 5--17/2009--अकादमी--राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसायटी के नियमों तथा विनियमों के नियम 4 (क) (i) के अनुसार, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय एतद्द्वारा श्रीमती अमाल अल्लाना को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसायटी की अध्यक्षा नियुक्त करती है। उक्त नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहावलपुर हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाए और यह कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

निहाल चंद गोयल
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 12th June, 2009

No. 43-Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Bhaskar Dattatray Kadam, Police Sub Inspector**	**(PPMG)**
2.	**Hemant Anant Bawdhankar, Assistant Police Inspector**	**(PPMG)**
3.	**Sanjay Yashvant Govilkar, Assistant Police Inspector**	**(PPMG)**
4.	**Ashok Muralidhar Shelke, Head Constable**	**(PMG)**
5.	**Sunil Sahadev Sohani, Police Constable**	**(PMG)**
6.	**Vijay Mahadevrao Avhad, Police Naik**	**(PMG)**
7.	**Vikram Tanaji Nikam, Head Constable**	**(PMG)**
8.	**Shivaji Kashinath Kolhe, Head Constable**	**(PMG)**
9.	**Sarjerao Jijaba Pawar, Assistant Sub Inspector**	**(PMG)**
10.	**Sanjay Anant Patil, Police Constable**	**(PMG)**
11.	**Chandrakant Ganpat Kamble, Police Const Driver**	**(PMG)**
12.	Mangesh Anant Naik, Police Naik	(PMG)
13.	Santosh Pandurang Chendvankar, Police Naik	(PMG)
14.	Chandrakant Sadashiv Chavan, Head Constable	(PMG)

15. Ramesh Shripati Mane,
Police Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On November 26, 2008 several terrorists simultaneously attacked various places in South Mumbai with AK-47 rifles, grenades and explosives and killed and injured number of citizens and police personnel by firing indiscriminately. Senior Inspector of Police, Dr. D.B. Marg Police Station, Shri Nagappa Mali and ACP Girgaum Division Shri Tanaji Ghadge informed Police officers and men of Dr. D.B. Marg Police Station that the said terrorists were likely to proceed towards north Mumbai and instructed them to proceed to Girgaum Chowpatty and to effect Nakabandi. As per the instructions of superiors, PSI Kadam, API Bawdhankar, API Govilikar along with HC Ashok Muralidhar Shelke, PC Sunil Sahadev Sohani, PN Vijay Madhavrao Avhad, HC Vikram Tanaji Nikam, HC Shivaji Kashinath Koihe, ASI Sarjerao Jijaba Pawar, ASI (Late) Tukaram Govind Ombale, PC Sanjay Anant Patil, PCD Chandrakant Ganpat Kamble, PN Mangesh Anant Naik, PN Santosh Pandurang Chendvankar, HC Chandrakant Sadashiv Chavan, PC Ramesh Shripati Mane, immediately proceeded to the location, took positions and arranged nakabandi by placing barricades. On November 27, 2008 at 00.16 hours A.C.P. Tanaji Ghadge of Girgaum Division informed Control Room, that two armed terrorist are approaching towards Mann Drive in a robbed Skoda car. Hence, the Control Room immediately flashed a global call, informing all police personnel that two armed terrorists were proceeding from Vidhan Bhavan to Marine Drive in a Skoda make motor vehicle. PC Patil, the wireless operator on Peter mobile alerted the police team about the movements of the approaching terrorists and the entire police team became doubly alert. At about 00.30 hours the police team spotted a silver coloured Skoda vehicle proceeding towards their location, on N.S.Purandare Marg, at a very high speed. On noticing this suspicious vehicle approaching PN Naik and PC Chendwankar armed with SLR rifles, took positions behind the barricades. The entire police team whistled, gesticulated and shouted for the said vehicle to halt. The vehicle halted at 50 feet from the barricade. After waiting for few moments, the driver of the vehicle sped his vehicle and attempted to take a right turn with a view to flee from the police. In this attempt, the said motor vehicle crashed onto the road divider. Immediately, thereafter the aforesaid team surrounded the said vehicle and warned the occupants to alight from the vehicle. The driver and the second occupant raised their hands and pretended to surrender. All of a sudden, the driver of the vehicle turned and opened fire from his pistol towards the police team. Bravely and courageously PSI Kadam and API Bawdhankar fired in retaliation from their service pistols at the assailant, seriously injuring him. The said driver (now known to be Abu Ismail) later succumbed to the injuries. In the meantime, P.N. Avhad rushed towards the injured driver and removed the car keys and pistol from the driver. Kolhe and Nikam noticed a AK-47 rifle on the hand rest of the drivers door and showing gumption's presence of mind

immediately took it in custody. At this juncture, the other occupant (now known to be Ajmal Amir Kasab) opened the door at his side and pretended to fell on the ground. He abruptly opened fire at the police with his A.K.-47 rifle when the (late) ASI Tukaram Gopal Ombale, with the rarest of the rare courage fell on him and hold his barrel shielding the members of the police team. However, he was hit by the bullets in the process. API Govilkar was also hit by a bullet fired by the said terrorist. Even then, API Govilkar along with ASI Pawar, HC Shelke, HC Chavan, PC Sohani, PC Mane and PC Kamble pounced on him and overpowered him. The armed terrorist was taken in custody with the help of LATHIS Immediately, HC Shelke snatched the AK-47 rifle from the hands of the terrorist and PC Sohani removed the pistol from the pocket of his cargo pant. At the same time, P.S.I. Kadam approached the injured terrorist and tied his hands with handkerchief. API Govilkar and ASI Ombale who were injured as a result of bullet injuries fired by the terrorist were immediately removed to Harkisandas Hospital. ASI Ombale succumbed to the injuries, while API Govilkar was admitted for medical treatment. Both the injured terrorists were taken to Nair Hospital for medical treatment where terrorist by name Abu Ismail was declared dead before admission and Ajmal Amir Kasab was admitted for medical treatment. Throughout the whole operation, the team voluntarily risked their lives with utmost motivation and commitment and thereby averted the further calamity perpetrated by the said two armed terrorists. The evil designs of the perpetrators of the gruesome war against the nation came to fore as the terrorist by name Ajmal Amir Kasab was nabbed alive.

In this encounter S/Shri Bhaskar Dattatray Kadam,Police Sub Inspector, Hemant Anant Bawdhankar,Assistant Police Inspector, Sanjay Yashvant Govilkar, Assistant Police Inspector, Ashok Muralidhar Shelke, Head Constable, Sunil Sahadev Sohani, Police Const, Vijay Mahadevrao Avhad, Police Naik, Vikram Tanaji Nikam, Head Constable, Shivaji Kashinath Kolhe,Head Constable Sarjerao Jijaba Pawar, Assistant Sub Inspector, Sanjay Anant Patil, Police Const, Chandrakant Ganpat Kamble, Police Const Driver, Mangesh Anant Naik, Police Naik, Santosh Pandurang Chendvankar, Police Naik, Chandrakant Sadashiv Chavan, Head Constable, Ramesh Shripati Mane, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 44–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **Prakash Pandurang More, Police Sub Inspector** **(Posthumously)**
2. **Bapurao Sahebrao Durgude, Police Sub Inspector** **(Posthumously)**
3. **Balwant Chandru Bhosale, Assistant Police Sub Inspector** **(Posthumously)**
4. **Vijay Madhukar Khandekar, Police Constable** **(Posthumously)**
5. **Jaywant Hanumant Patil, Police Constable** **(Posthumously)**
6. **Yogesh Shivaji Patil, Police Constable** **(Posthumously)**
7. **Rahul Subhash Shinde, Police Constable** **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Role played by Late Shri Prakash Pandurang More

Shri Prakash Pandurang More during the devastating simultaneous terrorists attack at multiple places in Mumbai including the Hotel Taj, Hotel Oberaoi, Nariman House and Chatrapati Shivaji Terminus Railway Station on November 26, 2008 in which large numbers of persons including some foreign nationals, were killed. Shri More showed exemplified courage and bravery. He was on Night Station House relief duty at L.T. Marg Police Station. The designs of the terrorists to spread terror through mass killings were a gigantic proportions having national and international ramifications. On that night, two terrorists started rampant indiscriminate firing with their AK 47, brutally killing innocents at Chatrapati Shivaji Terminus Railway Station. Upon being retaliated by police personnel's these terrorists fled towards Badruddin Tayyabji Marg. Here they killed three persons and entered the Cama hospital. The hospital seemed to be the soft target

with the terrorists wielding lethal weapons AK-47, firing relentlessly at the public. They continued with their mayhem killing security guards of Cama Hospital and two other staff members of the hospital.

After the receipt of the information, Addl. C.P. Sadanant Date, Central Region, to counter attack the terrorists, rushed with the available police staff including API Powar, API Shinde, PSI More, Police Constable Operator Tilekar and Shri Khandekar towards Cama Hospital. Meantime, a wireless message was flashed to the effect that the terrorists have entered at Cama Hospital. Shri Date, Shri More along with the staff entered the Cama Hospital chasing these terrorists without caring for their own life or safety to safeguard the lives of the people under terrorist's siege. They advanced towards the terrace following the terrorists. The terrorist were at rampage intentionally killing the innocent people in cold blood. The terrorists with determined design continued the ghastly fire with their sophisticated weapons. Undeterred, Shri More moved forward along with the police party towards the terrorists and retaliated their fire. Despite fatal injuries, Shri More and Shri Khandekar, continued their battle with the terrorists and held the fort against the deadly terrorists. Ultimately, the terrorists lobbed hand grenades on Shri More, Shri Khandekar, and other policemen. Shri More, fought till his last breath and finally succumbed to the bullets and splinters of hand-grenades of the terrorists.

Shri more with unflagging courage went beyond the call of duty to save the lives of innocents by risking his own life. This exemplary courage by the counter attacking on berserk firing by the terrorists and sacrificing himself for saving life of his colleagues and members of public is indeed commendable which is on par with any such courage shown by a Police Officer.

Role played by Late Shri Bapurao Sahebrao Durgude

Shri Bapurao Sahebrao Durgude during the devastating simultaneous terrorists attack at multiple places in Mumbai including the Hotel Taj, Hotel Oberaoi, Nariman House and Chatrapati Shivaji Terminus Railway Station on November 26, 2008 in which large numbers of persons including some foreign nationals, were killed, Shri Durgude showed exemplified courage and bravery. He was on Night Station House relief duty at L.T. Marg Police Station. The designs of the terrorists to spread terror through mass killings were a gigantic proportions having national and international ramifications. On that night, two terrorists started rampant indiscriminate firing with their AK 47, brutally killing innocents at Chatrapati Shivaji Terminus Railway Station. Upon being retaliated by police personnel's these terrorists fled towards Badruddin Tayyabji Marg. Here they killed three persons and entered the Cama hospital. The hospital seemed to be the soft target with the terrorists wielding lethal weapons AK-47, firing relentlessly at the public.

They continued with their mayhem killing security guards of Cama Hospital and two other staff members of the hospital.

The counter attack from police teams of Shri Date, Addl. Commissioner of Police, Central Region and Shri Kamte, Addl. Commissioner of Police, East region resulted the terrorists to leave the Cama hospital from the front gate towards Mahapalika Marg. PSI Durgaude, was at Mahapalika Marg, on his way to report for night duty on assault mobile. On hearing the news of this terrorist attack, he realized the threats to the lives of onlookers and started alerting them on this road. At this juncture he noticed the terrorist's duo approaching towards them. With utter disregard for his personal life and in order to save the lives of his country men and colleagues PSI Durgude with a view to accost the dreaded terrorists dashed towards them. The duo terrorists on seeing the Shri Durgude rushing towards them abruptly opened fire on him. Subsequently, PSI Durgude succumbed to the injuries.

The two terrorists after strong retaliation by police party moved towards Rang Bhavan Lanc, via metro junction further to Vidhan Bhavan and at last reached to Girgaum Chowpaty junction, where they were apprehended by the Dr. D. B Marg Police Station staff after exchange of fire. One of the terrorist died on the spot and the other was caught alive in injured condition with automatic firearms and hand grenades.

PSI Durgude exhibiting exemplary courage laid down his life to save his fellow countrymen. Unfazed by the armed terrorist, Shri Durgude fell in the line of duty.

Role played by Shri Balwant Chandru Bhosale

Shri Balwant Chandru Bhosale, Asst. Sub Inspector of Police, was detailed as driver for Shri Santilal Bhamre, Asst. Commr. Of Police, Pydhonic Division, Mumbai. On receipt of the information about the attack by the terrorist, ACP Shri Bhamre took Shri Bhosale for driving his Police Qualis Jeep MH-01-BA-569, as he was known for his courage and expertise in skilful driving along with Shri Yogesh Patil as Operator.

Accordingly, Shri Bhamre along with Shri Bhosale and operator Shri Yogesh Patil patrolled along the L.T. Marg with a view to counter attack the terrorists and control the panicked onlookers on the roads. There was chaos and anarchy among the people on the roads as the real picture of attack by the terrorist at different places was not yet clear. There were different urgent messages flashed by the control room giving out the location of the attacks of the terrorists. The design of the terrorists to spread terror through mass killings was a gigantic proportions having national and inter-national ramifications. The terrorists were on rampage

killing the innocents. At this time, there was a message that the terrorists were at Cama hospital as there was huge noise of explosion and firing from Cama Hospital.

Shri Bhamre, Shri Bhosle and Shri Yogesh Patil responded to the call and rallied their men at the rear gate of Cama hospital. Here Shri Karkare, Shri Kamte and Shri Salaskar had assembled for operational purpose. Shri Bhosale, assessed the gravity of the situation, remaining alert and vigil in his vehicle. As Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar were working out the strategy to counter the terrorists, the duo terrorists opened fire from the terrace of Cama hospital towards the police party at the rear gate of Cama. The terrorists were firing from the terrace towards the police party standing on road, tactically at gross disadvantage. On retaliation from the police, the terrorist stopped their attack and there was silence for few minutes. After the assessment of the situation a team was positioned at this spot. Shri Karkare, Shri Ashok Kamte along with Shri Vijay Salaskar and staff took the initiative and to prevent the terrorist from escaping from the hospital, they boarded the police Qualis Jeep along with Shri Arun Jadhav, Shri Jayant Patil, Shri Yogesh Patil and driver Shri Bhosale and in their aforesaid Qualis jeep. Against the back drop, Shri Bhosale, indomitably, with conscientious courage braving the risk of being fired upon boarded the jeep with other officers. The dare devil Shri Bhosale, though on the verge of retirement in few years insisted on continuing with them and occupied rear seat in the Qualis jeep. Shri Salaskar drove this vehicle and when they reached near the Corporation Bank, ATM Centre, the terrorist who were not expecting the police to have reached them so fast, were taken by surprise. As such they hid themselves in bushes near Corporation Bank, ATM Centre. The terrorist duo ambushed the police team in the Qualis jeep. However, despite fatal injuries sustained by the police team, the police team unflagging great courage retaliated injuring one of the terrorist. But, Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar, Shri Yogesh Patil, Shri Jaywant Patil, and Shri Bhosale subsequently succumbed to the injuries. The lone survivor Shri Arun Jadhav was badly injured. The injury suffered by the terrorist had rendered him less effective. Subsequently, when the terrorist were fleeing in hijacked Skoda, the injured terrorist was captivated and his accomplice was shot dead by the police party at Girgaon Chowpaty.

Shri Bhosale has displayed exemplary courage, and bravery and valour in a fight against terrorist yielding automated weapons and hand grenades.

Role played by Shri Vijay Madhukar Khandekar, Police constable

During the devastating simultaneous terrorists attack at multiple places in Mumbai including the Hotel Taj, Hotel Oberaoi, Nariman House and Chatrapati Shivaji Terminus Railway Station on November 26, 2008 in which large numbers of persons including some foreign nationals, were killed, Shri Khandekar showed exemplified courage and bravery. He was on Night Station House relief duty at L.T. Marg Police Station. The designs of the terrorists to spread terror through mass

killings were gigantic proportions having national and international ramifications. On that night, two terrorists started rampant indiscriminate firing with their AK 47, brutally killing innocents at Chatrapati Shivaji Terminus Railway Station. Upon being retaliated by police personnel's these terrorists fled towards Badruddin Tayyabji Marg. Here they killed three persons and entered the Cama hospital. The hospital seemed to be the soft target with the terrorists wielding lethal weapons AK-47, firing relentlessly at the public. They continued with their mayhem killing security guards of Cama Hospital and two other staff members of the hospital.

After the receipt of the information, Addl. C.P. Sadanand Date, Central Region, to counter attack the terrorists, rushed with the available police staff including API Powar, API Shinde, PSI More, Police Constable Operator Tilekar and Shri Khandekar towards Cama Hospital. Meantime, a wireless message was flashed to the effect that the terrorists have entered at Cama Hospital. Shri Date, Shri Khandekar along with the staff chased these terrorists without caring for their own life or safety and in order to safe guard the lives of the people under terrorist's siege. They advanced towards the terrace following the terrorists. The terrorist were at rampage intentionally killing the innocent people in cold blood. The terrorists with determined design continued the ghastly fire with their sophisticated weapons. Undeterred, Sh Khandekar moved forward alongwith the police party towards the terrorists and retaliated their fire. Despite fatal injuries, Shri Khandekar and Shri More continued their battle with the terrorists and held the fort against the deadly terrorists. Ultimately, the terrorists lobbed hand grenades on Shri Khandekar, Shri More and other policemen. Shri Khandekar fought till his last breath and finally succumbed to the bullets and splinters of hand grenades of the terrorists.

Shri Khandekar showed an exemplary courage by countering the berserk firing of the terrorists. In the counter terrorist assault launched by the police party Shri Khandekar sacrificed his life to save the lives of his colleagues and members of the public.

Role played by Shri Jaywant Hanumant Patil

Shri Jaywant Hanumant Patil, Police constable, Buckle No. 29180 during the devastating terrorists attack at various places including Taj, Oberoi and Nariman House on November 26, 2008, in which large number of deaths have occurred including some foreign nationals; Shri Jayant Patil showed his exemplary skill of courage. On receipt of this information, Shri Jaywant Patil swung into action along with his Addl. C.P. Shri Ashok Kamte and rushed on the spot. By this time the terrorists by indiscriminate firing of AK-47 had committed massacre at CST Railway Station and had moved from foot over bridge towards Badruddin Tayyabji Marg. They had entered the Cama Hospital and had continued with their berserk firing the innocents. The terrorists were on rampage intentionally killing the

innocents with a view to spread reign of terror in the city. The design of the terrorists to spread terror through mass killings was of gigantic proportion having national and international ramifications. They also attacked Shri Date, Addl. CP, Central Region and his staff who were chasing those killing two police personnel and grievously injuring the others by their lethal weapon AK-47 and by lobbing hand grenades on them.

On receipt of Control Room message about terrorists to have entered Cama Hospital, Shri Hemant Kamalakar Karkare, Jt. CP, ATS, Shri Kamte, Addl. CP, East Region, Shri Vijay Salaskar, Police Inspector, Anti Extortion Cell, Crime Branch, CID and their staff gathered at the rear side of the Cama Hospital along Baddruddin Tayyabji Marg. From here the noise of explosion of grenades and firing from AK-47 could be heard. Against this back drop, Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar were working out the strategy to counter the terrorists. At this, the duo terrorists opened fire from the terrace of Cama towards the police party at the rear gate of Cama. The terrorists were firing from the terrace towards the police party standing on road, tactically at gross disadvantage. Even though, Shri Kamte, specifically trained in commando tactics, exhibiting extreme courage retaliated fire in the direction of the terrace towards the terrorists.

After the retaliation from Shri Kamte, there was silence for a while. It was apparent that this was not going to easy and quick success. It was dark and the terrorists had advantage of identifying the police in uniform. At this juncture, the trio heard some firing shots from Mahapalika Marg. Hence they deployed an outer cordon at the rear gate of the Cama hospital for ensuring the operational success. Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar and staff boarded a qualis police jeep No. MH 01-BA-569 along with Shri Bhosale, Shri Jayawant Patil, Shri Yogesh Patil, and Shri Arun Jadhav, and moved by the said road towards Mahapalika Marg. Shri Salaskar drove the Qualis jeep and was approaching towards them. As such they hid themselves in bushes near Corporation Bank, ATM Centre. The terrorist duo ambushed the police team in the qualis jeep. However, despite fatal injuries sustained by the police team, the police team unflagging great courage retaliated injuring one of the terrorist. But, Shri Karkare, Shri Kampte, Shri Salaskar, Shri Bhosale, Shri Yogesh Patil and Shri Jaywant Patil, subsequently succumbed to the injuries. The lone survivor Shri Arun Jadhav was badly injured. The injury suffered by the terrorist had rendered him less effective. Subsequently, when the terrorist were fleeing hijacked Skoda, the injured terrorist was captivated and his accomplice was shot dead by the police party at Girgaon Chowpaty.

Shri Patil has displayed exemplary courage, and bravery and valour in a fight against terrorist.

Role played by Shri Yogesh Shivaji Patil

Shri Yogesh Shivaji Patil, Police Constable was detailed as Wireless operator for Shri Shantilal Bhamre, Assistant Commissioner of Police, Pydhonie Division, Mumbai. On receipt of the information about the attack by the terrorist, Shri Bhamre, took along Shri Yogesh Patil as wireless operator and Shri Bhosale as driver in Police Jeep No. MH-01-B-569, rushed on to the spot.

Accordingly, Shri Bhamre along with Shri Yogesh Patil and driver Shri Bhosale patrolled along the L.T. Marg with a view to counter attack the terrorists and control the onlookers on the roads. There was chaos and anarchy among the people on the roads as the real picture of attack by the terrorist at different places was not yet clear. There were different urgent messages flashed by the control room giving out the location of the attacks of the terrorists. At this time, there was a message that the terrorists were at Cama hospital. There was huge noise of explosions and firing from Cama hospital.

Shri Bhamre, Shri Bhosale and Shri Yogesh Patil responded to the call and rallied their men at the rear gate of the Cama hospital. They moved from the Mahapalika Marg end towards Badruddin Tayyabji Marg at the rear gate of Cama Hospital. Here Shri Karkare, Shri Kamte and Shri Salaskar had assembled for operational purpose. Shri Yogesh Patil, assessed the gravity of the situation and remained alert and vigil in his vehicle monitoring the calls from the control room. As Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar were working out the strategy to counter the terrorists, the duo terrorists rained fire from the terrace of Cama Hospital. On retaliation from the police, the terrorist stopped their attack and there was silence for few minutes. After the assessment of the situation a team was positioned at this spot. Shri Karkare, Shri Ashok Kamte along with Shri Vijay Salsakar and staff took the initiative and to prevent the terrorist from escaping from the hospital, they boarded the police Qualis Jeep MH-01-BA-569 along with Shri Arun Jadhav, Shri Jaywant Patil, Shri Bhosale and operator Shri Yogesh Patil led the front as operator in Qualis Jeep. Absolutely unfazed by the terror attack going on at Cama Hospital. Shri Yogesh Patil led the front as operator in Qualis Jeep with Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar, Shri Arun Jadhav, Shri Jaywant Patil and Shri Bhosale. The dare devil Shri Yogesh Patil insisted on continuing with them and occupied rear seat in the Qualis jeep. Shri Salaskar drove this vehicle and when they reached near the Corporation Bank ATM Centre, the terrorists who were not expecting the police to have reached them so fast, were taken by surprise and opened burst fire of AK-47 on them. However, despite fatal injuries sustained by the police team, the police team unflagging great courage retaliated injuring one of the terrorist. But, Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar, Shri Bhosale, Shri Jaywant Patil and Shri Yogesh Patil subsequently succumbed to the injuries. The

lone survivor Shri Arun Jadhav was badly injured. The injury suffered by the terrorist had rendered him less effective. Subsequently, when the terrorist were fleeing hijacked Skoda, the injured terrorist was captivated and his accomplice was shot dead by the police party at Girgaon Chowpaty.

Shri Yogesh Shivaji Patil has sacrificed his young, energetic life for the nation and displayed exemplary courage, and bravery and valour in a fight against terrorist yielding automated weapons and hand grenades.

Role played by Late Shri Rahul Subhash Shinde

Shri Rahul Subhash Shinde, APC B. No. 660 was deployed in Plt. No. 2 of 'A' Coy of SRPF Gr. X which was deployed at Mumbai w.e.f. 18-10-2008 on the eventful day on 26th November 2008 plt No.2 was detained at Sir J.J Marg Police Station in Mumbai which was under office of Zone-I, Mumbai in which Rahul Subhash Shinde was posted from 19th October 2008.

On 26th November 2008 at around 2130 hrs, he received a telephone message from Mumbai Control Room to report D.C.P. Zone-I urgently for taking part in the operation against the terrorists.

On the fateful night of 26th November 2008 heavy armed terrorists had launched attack in Hotel Taj and various places in Mumbai. Without wasting time and keeping presence of mind Shri Rahul Subhash Shinde showed skill of leadership and rushed to the Taj Hotel along with D.C.P Zone-I. When they reached the Hotel, the terrorist who had resorted to indiscriminate firing and throwing grenades thereby by killing number or innocents. Shri Shinde participated in the contingent as brave soldier in the operation despite being fully aware of the risk to his life. As a true and courageous soldier he accompanied the D.C.P. Zone-I, Mumbai in Hotel Taj and where while preparing their strategy to counter the terrorists. The terrorists opened heavy fire from the Hotel towards them. Shri Shinde made supreme sacrifice and laid down his life while fighting the terrorists. Action taken by the Late Shinde is a rare example of bravery, devotion to duty

In this encounter S/Shri (Late) Prakash Pandurang More, Police Sub Inspector, (Late) Bapurao Sahebrao Durgude, Police Sub Inspector, (Late) Balwant Chandru Bhosale, Assistant Police Sub Inspector, (Late) Vijay Madhukar Khandekar, Police Constable, (Late) Jaywant Hanumant Patil, Police Constable, (Late) Yogesh Shivaji Patil, Police Constable and (Late) Rahul Subhash Shinde, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 45–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police..

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **Sadanand Vasant Date,**
   Additional Commissioner of Police
2. **Arun Dada Jadhav,**
   Naik

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Role played by Shri Sadanand Vasant Date, Addl.Commissioner of Police, Central Region,

On receipt of the information from the control room about the widespread terrorist armed attack, Shri Sadanand Date, Addl. Commissioner of Police, Central Region along with PSI Prakash Pandurang More, L. T. Marg Police Station, API Vijay Shinde, API Vijay Powar, Head Constable, Mohan Shinde, Constable, Vijay Madhukar Khandekar, Constable, Vinayak Dandgavhal/ all attached to Azad Maidan P.Stn., Constable, Sachin Tilekar (Wireless Operator with Shri Date) and staff reached at Cama hospital. Scrupulously tracking the sound of the deadly bullets fired by the terrorists, the police team entered Cama Hospital and chased the terrorists. On seeing the police team following them, the terrorist duo opened burst fire on them. At this, Shri Sadanand Date exhibiting extraordinary courage and sterling leadership rallied his above staff and climbed up from the staircase in the hospital facing the hail of bullets. With no cover around police team was encountering an imminent danger form the ricochet of the bullets fired by the terrorists which were hitting the walls relentlessly. Undaunted by deadly firing by the terrorists, PSI More, PC Khandekar bravely and courageously continued with their counter attack. Seized with the intention of killing the police personnel, the terrorists hurled high explosive hand grenades at the police team approaching them. The hail of bullets from AK-47 rifle of the terrorists and shrapnel of explosives hit PSI More, PC Khandekar on the vital parts, as a result of which they succumbed to the injuries. While fighting with exceptional gallant, other police officers Shri Sadanand Date, API Vijay Shinde, API Vijay Powar, HC Mohan Shinde, PC Sachin

Tilekar and PC Vinayak Dandgavhal were also badly injured in this firing but despite getting incapacitated, they continued with the counter firing for protecting the people and inspiring confidence in them. The effective armed retaliation from above team and also from outside on terrace forced the terrorists to leave the Cama hospital from the front gate towards Mahanagarpalika Marg. PSI Bapurao Sahebrao Durgude, Naigaum, was at Mahanagarpalika Marg, on his way to report for night duty on Assault mobile. On hearing the news of this terrorist attack, he realized the threats to the lives of onlookers and started alerting them on this road. At this juncture he noticed the terrorist's duo was approaching towards them. With utter disregard for his personal life, PSI Durgude with a view to accost the dreaded terrorists dashed towards them. However, taking advantage of the prevalent darkness, the terrorist duo abruptly opened fire in which PSI Durgude succumbed. PSI Durgude exhibiting exemplary courage laid down his life to save his fellow countrymen. The terrorists further moved from the Mahapalika Marg towards Rang Bhavan Lane with open lethal weapons.

Role played by Shri Arun Dada Jadhav, Police Naik, Anti Extortion Cell, Crime Branch, C.I.D

Mean while Shri Hemant Kamalakar Karkare, Jt. Commissioner of Police, ATS, Shri Ashok Marutrao Kamte, Addl. Commissioner of Police, East Region, Shri Vijay Salaskar, Police Inspector, Anti-Extortion Cell, Crime Branch, C.I.D. and their staff gathered at the rear side of the Cama hospital along Baddrudin Tayyabji Marg on receipt of control room message about terrorists to have entered Cama Hospital. From, here the noise of explosion of grenades and firing from AK-47 could be heard. As Shri Karkare, Shri Kamte, Shri Salaskar were working out the strategy to counter the terrorists, the duo opened fire from the terrace of Cama towards the police party at the rear gate of Cama. The terrorists were firing from the terrace towards the police standing on road, tactically at gross disadvantage. Even though Shri Kamte, specifically trained in commando tactics, exhibiting extreme courage retaliated fire in the direction of the terrace towards the terrorists. The retaliation from these police teams resulted the terrorists to leave the Cama hospital from the front gate towards Mahanagarpalika Marg. PSI Bapurao Sahebrao Durgude, Naigaum, was at Mahanagarpalika Marg, on his way to report for night duty on Assault mobile. On hearing the news of this terrorist attack, he realized the threats to the lives of onlookers and started alerting them on this road. At this juncture, he noticed the terrorist's duo was approaching toward them. With utter disregard for his personal life, PSI Durgude with a view to accost the dreaded terrorists dashed towards them. However, taking advantage of the prevalent darkness, the terrorist duo abruptly opened fire in which PSI Durgude succumbed. PSI Durgude exhibiting exemplary courage laid down his life to save his fellow countrymen. The terrorists further moved from the Mahapalika Marg towards Rang Bhavan Lane with open lethal weapons. After the retaliation from Shri Kamte, there was silence for a while. It was apparent that this was not going to be easy and

quick success. It was dark and the terrorists had advantage of identifying the police in uniform. At this juncture, the trio heard some firing shots from Mahanagarpalika Marg. Hence they deployed an outer cordon at the rear gate of the Cama hospital for ensuring the operational success. The trio boarded a qualis police jeep MH01-BA-569 for swift movement toward the other side of Cama hospital alongwith Shri Balwant Chandru Bhosalè, Asstt. Sub Inspector of Police, M.T., Shri Jaywant Hanumänt Patil, Police Constable, Shri Yogesh Shivaji Patil, Police Constable, Shri Arun Dada Jadhav, Police Naik and moved by the said road towards Mahanagarpalika Org. Shri Salaskar drove the Qualis Jeep MH-01-BA-569. The terrorist's duo walking through the Rang Bhavan lane suddenly realised that a police Qualis Jeep was approaching towards them. As soon as the police team, reached the Cama Hospital, the terrorists who had laid an ambush to kill the police officers, fired at the vehicle carrying Shri Karkare, Shri Ashok Kamte and Shri Vijay Salaskar and his team which included Shri Balwant Chandru Bhosale, Asstt. Sub Inspector of police, Shri Jaywant Hanumant Patil, Police Constable, Shri Yogesh Shivaji Patil, Police Constable, Shri Arun Dada Jadhav. Police Naik. The above police team returned the fire in self defense. Unfortunately, many of the AK-47 bullets fired by the terrorists had hit the police team. The terrorists were firing relentlessly on the police with the intention to liquidate them at all costs. At this point of time, the situation was extraordinarily depressing and dangerous as the other members of the police party were also fatally injured. The police party fought valiantly and retaliated their fire, but in vain. Shri Karkare, Shri Ashok Kamte and Shri Vijay Salaskar and his team which included Shri Baiwant Chandru Bhosale, Asstt. Sub Inspector of police, Shri Jaywant Hanumant Patil, Police Constable, Shri Yogesh Shivaji Patil, Police Constable, ultimately succumbed to the bullet injuries. Only Shri Arun Dada Jadav survived the terrorist's bullets, though he too sustained multiple bullet wounds in the above bid to neutralize the terrorists in self defense. These officers succeeded in diverting the terrorists firing from the public on the spot and also injuring them as a result of which they fled from the site. This retaliation had incapacitated one of the terrorists, as one of the bullets had injured one of the terrorists thus reducing further loss of human life.

In this encounter S/Shri Sadanand Vasant Date, Additional Commissioner of Police and Arun Dada Jadhav, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 46–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police** — **(PPMG)**
2. **Mohan Chand Sharma, Inspector.** — **(1ST Bar to PPMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

During the investigation of some terrorist related cases it was revealed that Pakistan based banned militant organization Laskar-e-Tayyeba has been using Bangladesh as a transit to pump militants into India who then make their bases and also carryout terrorist activities in the country. It was also revealed that these militants after conducting a terrorist act in India seek refuge in Bangladesh after illegally crossing over the border with the help of their conduits stationed at Indo-Bangladesh border. Whenever a terrorist act was to be committed in India these militants hiding in Bangladesh would receive specific directions from their handlers in Pakistan. These handlers also provide them the consignments of arms, ammunitions and explosive to achieve their targets. These militants illegally enter into India, set-up their base and conduct a terrorist act. To unearth this conspiracy a team constituted under the supervision of ACP Shri Sanjeev Kumar Yadav. Sources were deployed in this regard at West-Bengal, UP and Delhi. Technical surveillance was also mounted. On 26.02.06 two militants of Lashker-e-Toiba namely Anisul Murshlin @ Shamil and Muhibbul Muttakil both r/o Distt. Faridpur, Bangladesh were arrested vide FIR No. 16/2006 u/s 121/121A/122/123/120B/489 B&C IPC, 25 Arms Act, 4/5 Explosive Substance Act, 14 Foreigners Act, 17/18/20 Unlawful Activities (P) Act PS Special Cell, New Delhi. During the interrogation both the militants disclosed that they were working for Lashkar-e-Tayyeba. They further disclosed that they known well the organization of Lashkar in Bangladesh, Chief of Lashkar in Bangladesh was Ghulam Yezdani r/o Hyderabad, India. They further disclosed that Ghulam Yezdani was trained by them for terrorist activities, who in turn send them in Pakistan. They also disclosed that they known well Ahsanullah Hasan @ Kajol,

who is the Secretary to Mufti Hannan, Chief of Harkat-ul-Jehadi Islami (HUJI) in Bangladesh. Both the militants were on police custody remand on 8.3.2006 and they identified that killed militants as Ghulam Yezdani @ Yahyah and Ahsan Ullah Hasan @ Kajol. On 07.03.2006 at 7 P.M., specific information through the informer was revealed in the office of Special cell that Lashkar-e-tayyeba militants Ghulan Yazdani @ Naved @ Yahya r/o Hyderabad(AP), Chief of LeT in Bangladesh and wanted in several cases of terrorist activities acts and Ahsan Ullah Hasan @ Kabab Mohd @ Shahbaz Mohd @ Sajid Mehmood @ Shumon @ Jamil @ Ahmed @ Kajol r/o Chorangi Mor, Jheelchuli, Faridpur, Bangladesh will arrive in Delhi in Car No. UP-21-3851 at Holambi Kalan, Metro Vihar, Narela Alipur Road T-point between 5Am-6AM. It was also informed that they are heavily armed with arms ammunition and explosives. This information was recorded into daily diary and discussed with senior officers. To act upon this information a team under the supervision of ACP Sanjeev Yadav, Inspr Mohan Chand Sharma, Inspr. Badrish Dutt, Inspr. Sanjay Dutt, SI Rahul Kumar, Dharmender, Subhash Vats, Rajender Sehrawat, Dilip, Kailash, Ravinder Tyagi, Bhoop Singh, Vinay Tyagi, Harinder, ASI Vikram Singh, Devinder, Anil Tyagi, Sanjeev Lochan, Shahjahan, Satish, HC Satender, HC Satender Kumar, HC Rajbir, Krishna Ram, Rustam, Cts. Gurmit, Balwant, Rajinder, Parves , Hari Ram, Vinod Gautam and Ct. Gulbir was formed the team was briefed regarding this information. The team duly armed with arms ammunition, BP jackets, torches and bulletproof vehicles etc issued as per malkhana register PS Special Cell departed from the office of Special Cell, Lodhi Colony in three official vehicle, 3 private cars, 2 two wheelers at 3 AM. In this team SI Rajender Sehrawat, SI Dilip, SI Harinder, HCt. Satender, HCt. Satender Kumar, Ct. Rajinder and Ct. Balwant were in uniform while others were in civies. The teamreached GT Karnal Road bypass near Mukharba Chowk at 3.45 AM where Inspr Mohan Chand Sharma disclosed the facts of the information to 5-6 passer byes and requested them to join the raiding party however every one of them left the spot with out giving their names and address after submitting their genuine excuses. Without wasting further time the raiding party departed from Mukharba Chowk and reached Alipur Narela Road, Holambi Kalan, Metro Vihar "T" point at 3.45 AM. Thereafter the entire raiding party was distributed into 9 teams and each team has provided with a vehicle in order to plug all the entry and exit points. All the team were briefed to conceal their presence at strategic places. Inspr Mohan Chand Sharma alongwith ACP Shri Sanjeev Yadav and SI Ravinder Tyagi positioned at T-stall on Narela Alipur Road, Hulambi Kalan Metro Vihar T-point. At about 4.30 am one blue coloured Maruti Car bearing No. UP-21-3851 was spotted coming from Alipur side by a team consisting of SI Subhash Vats stationed at Narela Alipur Road. This car came at Narela Alipur road Hulambi Kala metro vihar T-Point turned towards Metro Vihar and parked on the roadside. Immediately, all the teams were alerted. Thereafter both the occupants of the car started waiting. Inspr Mohan Chand Sharma as Ghulam Yezdani @ Yahya identified the person who

alighted from the driver side. Immediately all the teams were directed to close in on the militants in order to apprehend the militants. Inspr Mohan Chand Sharma along with ACP Shri Sanjeev Yadav loudly disclosed their identities and directed both of them to surrender. However both of them whisked out their firearms and started firing towards the approaching police party (team) and simultaneously jumped over the boundary wall on the roadside, to take cover of the wall and started firing at the approaching police team. The police team also took cover and retaliated by firing back at the militants. All possible care was taken to protect the lives and properties of the passerby's. The militants were surrounded by the police team and again asked to surrender. However they continued indiscriminate firing at the police team and started running towards the open field behind the boundary wall. The exchange of firing continued for about 30 minutes and when the firing from the militant's side stopped. Immediately Inspr. Mohan Chand Sharma along with ACP Sh. Sanjeev Yadav directed the team members to stop firing. Both the militants were found lying in an injured condition in the field; besides them one semi automatic pistol each was found lying with them from which they had fired at the approaching police team. Police control room was informed immediately and senior officers were also informed regarding the incident. The PCR reached the spot and injured militants were removed to the hospital. Both the Laskhar-e-Tayyeba militants armed with deadly arms and ammunition have obstructed the police team who were discharging their legal duties by launching murderous assault at the police team. A case was registered under appropriate sections of law in this regard at PS Narela, Delhi.

RECOVERIES FROM THE SLAIN TERRORISTS

1. One AK-56 Rifle with 2 magazines
2. 51 rounds cartridges of AK-56
3. Four Hand grenades
4. 40 packets of PETN of 100 gms each (Total 4 kgs)
5. FICN Rs. 47,000/- in the denomination of Rs. 500/-
6. Two pistols of make Lugar of Czech Republic of 9mm caliber with 2 magazines
7. Three live rounds of 9mm caliber, 125 fired rounds
8. One Maruti 800 car No. UP-2-3851
9. Other incriminating documents

INDIVIDUAL ROLE OF POLICE OFFICERS

Shri Sanjeev Kumar Yadav, ACP : On the receipt of information that 2 LeT militants namely Ghulam Yezdani and Kajol would be arriving at Alipur Narela Road, Holambi Kalan T Point on 8.3.2006, a team was constituted. On 8.3.2006 in the early morning team under his supervision reached Alipur Narela

Road and took position at the strategic points. He properly briefed the team. When the terrorists reached the spot, he along with Insp. Mohan Chand Sharma disclosed the identity of the police team and asked the militants to surrender.Both the militants were later on identified as Ghulan Yazdani @ Naved @ Yahya r/o Hyderabad(AP), Chief of LeT in Bangladesh and wanted in several cases of terrorist activities acts and Ahsan Ullah Hasan @ Kabab Mohd @ Shahbaz Mohd @ Sajid Mehmood @ Shumon @ Jamil @ Ahmed @ Kajol r/o Chorangi Mor, Jheelchuli, Faridpur, Bangladesh. The militants did not pay to the heed and started firing at the approaching police party. He without caring for his life, face the hails of the bullets fired by the terrorist Ahsan Ullah Hasan @ Kajol. He took position so as to valiantly retaliate the firing of the militant Kajol. He gallantly confronted the hail of bullets fired by militant Kajol, and without caring for his life gave chase to him. The militant was constantly and indiscriminately firing towards him. Unfazed and undeterred Sh. Sanjeev Kumar Yadav, in self defence and in order to apprehend the militants, also returned fire in order to ensure the safety of innocent public persons and police party discharging their official duty present there, he put his own life at risk and shot dead the militants in the ensuing encounter. The officer fired 5 rounds from his service pistol.

Shri Mohan Chand Sharma, Inspector:- On the receipt of information that 2 LeT militants namely Ghulam Yezdani and Kajol would be arriving at Alipur Narela Road, Holambi Kalan T Point on 8.3.2006, a team was constituted. On 8.3.2006 in the early morning team under his leadership reached Alipur Narela Road and took position at the strategic points. When the terrorists reached the spot, they were later on identified as Ghulan Yazdani @ Naved @ Yahya r/o Hyderabad (AP), Chief of LeT in Bangladesh and wanted in several cases of terrorist activities acts and Ahsan Ullah Hasan @ Kabab Mohd @ Shahbaz Mohd @ Sajid Mehmood @ Shumon @ Jamil @ Ahmed @ Kajol r/o Chorangi Mor, Jheelchuli, Faridpur, Bangladesh. He along with ACP Sh. Sanjeev Kumar Yadav disclosed the identity of the police team and asked the militants to surrender. The militants did not pay to the heed and started firing at the approaching police party. He without caring for his life gave chased to the militant Ghulam Yezdani, a die-hard militant of LeT and has been involved in several terrorist activities of Lashkar-e-Toiba. He faced the hails of the bullets fired by the terrorist Ghulam Yezdani. He gallantly confronted him and without caring for his life gave chase to the militant who was constantly and indiscriminately firing towards him. When the militant Yezdani took position behind the wall in the field, Inspector Mohan Chand Sharama by crawling on the road without caring bodily injuries took a position so that the militant Yezdani could not take the benefit of boundary wall of the field. Insp. Mohan Chand Sharma forced the militant Yezdani under his marksmanship firepower to leave the shelter of the boundary wall. Meanwhile the injured militant tried to run in the field but due to the bullet injuries fall in the field. Inspector Mohan Chand Sharma without caring his life and in order to apprehend the militant Ghulam Yezdani fired in self-defence

and in order to ensure the safety of innocent public persons passing there and the police party discharging their official duty. He put his own life at risk and shot dead the militants in the ensuing encounter fired 8 rounds from his service pistol.

In this encounter S/Shri Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police and Mohan Chand Sharma, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ 1st Bar to President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08-03-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 47–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Railway Protection Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jillu Baddu Yadav,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Shri Jillu Baddu Yadav who joined service as Constable in the year 1979 is presently working as HC at RPF Post CSTM (Admn.) On 26/27 November 2008 he was on duty in 20.00 hrs to 08.00 hrs shift at the main gate of General Manager's Building near CST Station. At about 21.58 hrs, he heard gun shots and further noticed that heavily armed terrorists were firing indiscriminately in all directions in the station causing casualties/injuries. He was deployed unarmed while the passengers, unarmed policemen, RPF and Railway staff were running away from the station, he ran towards the local station platform from General Manager building in the line of fire. In the corridor of GM Building which opens towards the platform, he found a GRP Constable with .303 Rifle hiding behind the pillar. Finding that the GRP Constable was not taking any action, he ran towards him in the corridor, snatched his rifle and fired in the directions of the terrorists who were coming towards platform No. 3. The bolt action .303 rifles was no match to terrorist's AK-47 but his dare-devilry created panic in their mind who jumped on the track between buffer and stationery local train to take position. The terrorists started firing in his direction when he threw a chair towards them to divert their attention.

In this encounter Shri Jillu Baddu Yadav, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

36—121 GI/2009

No. 48-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ashim Swargiary,
Additional Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 1st August 2006 information was received by the district police that some ULFA extremists led by Poromeswar Samachi @ Rajen Dutta, Charan Majhi and Agan Dutta had taken shelter at Tamulbari T.E. area under Lahowal P.S.. The extremists were armed with deadly weapons and came for the purpose of extortion/sabotage activities in protest against celebration of the forthcoming Independence Day. As per information police officials chalked out a plan to nab the extremists. Accordingly, the said information shared with the Army and CRPF. The police party including police Ranger Core and Army launched an operation under the leadership of Shri Ashim Swargiary, APS, Addl. Supdt. of Polic (HQ), Dibrugarh and cordoned off the targeted house. As the targeted house was being cordoned one individual oblivious to the surroundings entered the cordoned house. On being challenged the suspected militants all of a sudden opened fire towards the force personnel. The striking team in-charge Shri Ashim Swargiary, APS, Addl. Supdt. of Police, (HQ), Dibrugarh and PRC and Army narrowly escaped from being hit by the firing of extremists. The striking party at the risk of their lives and saving the life of other force personnel opened fire in retaliation. The exchange of fire took place for few minutes. After firing had stopped the area was searched and found that an individual who had received multiple bullet injuries had died on the spot and other extremists fled away under the cover of darkness. Later on the suspected militant who was killed identified as S/S SGT. Poromeswar Samachi @ Rajen Dutta, Village- Mukulbari T.E. line No. 6 PS- Rohmoria who was the king pin of 28 Bn ULFA activities of Dibrugarh and Tinsukia district. The following arms/ammunitions and some incriminating documents were recovered from the P.O.-

(i) AK-56 - 1
(ii) AK- 56 Magazine- 2

(iii) AK-56 Live Round- 126
(iv) Nokia Mobile set (damage)- 1
(v) SIM Card - 2
(vi) Indian currency note- 2x Rs. 500/-
(vii) Live Detonator - 12
(viii) Small Telephone diaries- 3
(ix) Leather Wallet - 1
(x) Extortion receipt - 2
(xi) Extortion Letter - 1

In this encounter Shri Ashim Swargiary, Additional Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01-08-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 49–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Deepak Choudhury,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Manabendra Dev Ray,**
   Additional Superintendent of Police
3. **Rajib Saikia,**
   Sub-Inspector
4. **Madhab Kachari,**
   Lance Naik
5. **Rajen Saikia,**
   Constable
6. **Raju Hazarika,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the basis of secret information collected by Shri Manabendra Dev Ray, APS. Addl. Supdt. Of Police (Security), Sivasagar regarding existence of a camp of banned ULFA at Abhoypur Forest Reserve, an operation was organized and launched under the command of Shri Deepak Choudhury, IPS, Addl. Supdt. Of Police. (HQ), Sivasagar and Shri Manabendra Dev Ray. APS, Addl. Supdt. Of Police(Security), Sivasagar at Abhoypur Forest Reserve under Sonari P.S. on 22.05.2007. In this operation G/11 Bn., CRPF also took part. The camp of ULFA was located on the top of a hillock amidst the thick jungles of Abhoypur Forest Reserve area. As soon as the security forces reached the camp at around 3.30 A.M and started cordoning it, the militants started indiscriminates firing from the camp. At this juncture, Shri Deepak Choudhury, IPS. Addl. Supdt. Of Police (HQ) Sivasagar assaulted the camp alongwith his PSOs from the northern side and Shri Manabendra Dev Ray, APS, Addl. Supdt. Of Police (Security) Sivasagar assaulted the camp from the Western side alongwith his PSOs and a section of PRC Commandos. Both the officers endangered their personal lives by assaulting the camp amidst heavy firing done by militants by sophisticated weapons like UMG

and A.K. Series weapons and were successful in destroying the camp. One hardcore ULFA cadre namely Dhurbajyoti Lahon @ Dipak Phukan, of Baruah Changmai Gaon, P.S. Demow got killed during this fierce gun-battle which lasted for one hour while a few other extremist managed to escape into deep forest under the cover of darkness. This camp was the base camp of ULFA and it also worked as transmission center to facilitate communication among various field functionaries. The following arms/ammunition was recovered from the site: -

1.	UMG	-	1 No. marked as No. 86-7940021
2.	Mortar Launcher	-	1 No. marked as No.40 MNA 7956
3.	Wireless set	-	02 Nos.
4.	Amns. AK Series	-	130 Rds. Live
5.	Detonators	-	25 Nos.
6.	Magazines	-	01 No.
7.	Some incriminating documents and utensils etc		

In this encounter S/Shri Deepak Choudhury, Additional Superintendent of Police, Manabendra Dev Ray, Additional Superintendent of Police, Rajib Saikia, Sub-Inspector, Madhab Kachari, Lance Naik, Rajen Saikia, Constable and Raju Hazarika, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22-05-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 50–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sanjib Kumar Saikia,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Rudreswar Pegu,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 21.07.2007 Shri Sanjib Kumar Saikia, APS, Deputy Superintendent of Police (HQ), Kamrup accompanied by Captain Tusar Piplani of 6th Rajput Regiment, Camp-Boko, SI Gautam Chakraborty, O.C.Boko P.S. SI Haren Saikia, O.C. Chaygaon P.S.and the staff alongwith C/N No.908 Rudreswar Pegu conducted search operation in the afternoon on 21.07.2007 at Nissimpur Lamgaon area and under Boko Police Station on receipt of specific information about presence of an armed group of the banned United Liberation Front of Assam (ULFA) Activist. At about 3.05 P.M. a group of four youths were seen moving from Bogai villalge to Lamgaon. When the security personnel asked the youths to stop for verifying their antecedents, the youths opened fire on security personnel taking cover of dense vegetation, Risking their life Dy.SP Shri Sanjib Kumar Saikia and Constable Rudreswar Pegu demonstrated an extraordinarily high quality of leadership in the time of crisis and remained unperturbed even in the face of intense gun fire, and succeeded in holding the force personnel together and led the retaliatory action by front. When exchange of gunfire had stopped after about 20 minutes, a thorough search was conducted at the place of occurrence. An extremist with an A.K.Rifle was found lying on the ground and on examination he appeared to have died during exchange of fire. The others managed to escape taking cover of jungles. Later on the deceased was identified as One Ramani Baishya @ Ramen Deka, Owbari under Goreswar Police Station, an important member of armed wing and who has been mastermind in extorting money from the local population to augment ULFA coffers. As an intelligent and responsible police officer, Shri Sanjib Kumar Saikia and himself generated the intelligence about the movement of extremist group belonging to the banned outfit, United Liberation Front, Assam (ULFA). He also demonstrated rare sense of valour and a very high degree of responsibility and

leadership when he himself led the operation from the front consisting of the police and the Army personnel against the extremists. He led the operation being fully aware of the fact that the extremists were equipped with highly sophisticated weapons and grenades. Through his gallant act alongwith a very high degree of motivation and dedication to the cause of the nation, devotion to duties and responsibility, commitment to his work and effective leadership, Shri Sanjib Kumar Saikia and Constable Rudreswar Pegu succeeded in neutralizing the extremist elements, who had been threatening the very essence of the sovereignty, unity and integrity of our country.

In this encounter S/Shri Sanjib Kumar Saikia, APS, Deputy Superintendent of Police and Rudreswar Pegu, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21-07-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 51–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Chhatisgarh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Ratan Lal Dangi,**
   Superintendent of Police
2. **K L Nand,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 29.11.06, Inspector K L Nand, SHO Mirtur, received a strong intelligence from his local source about nefarious planning of Naxalites to attack 'Salwa Judum' Relief Camp, nearby Police Station and Police Post. They had gathered in huge number and not less than about 150 in the forest of Hurepal and Yetpal. Based on this information, a special operation was immediately planned by Shri RL Dangi with consultation of Shri Ramcharitra, Commandant 31 Bn. CRPF. Joint troops of the CRPF, District Executive Force and Special Police Officers (SPOs) were ordered to move early in the next morning towards the suspect area on foot in the leadership of Shri Nand. At about 1245 hours, as soon as the assault party reached near the Bechapal jungle area, all of sudden Naxalites opened heavy fire on the troops. The troops immediately took position and retaliated with heavy fire. The Naxalites were very large in number and firing with automatic weapons like AK-47, SLR and LMG. Sensing the gravity of situation Shri Nand immediately passed on the message to Superintendent of Police, Bijapur and Commandant 31 Bn CRPF based at Nelsnar for the reinforcement. Both, Shri Dangi and Shri Ramcharitra immediately rushed to the spot with additional force. The SP and CO, both after proper briefing the troops, advanced toward Hurepal forest area. As soon as police party approached near the Hurepal forest, Naxalites opened indiscriminate fire and blasted IED to prevent the additional forces to reach the spot. They also threw patrol bombs on the police party. With great difficulty, police party, taking shield of rocks and jungle trees, reached the dominating spot and apprised the first assault party about their position. Shri Dangi and Shri Ramcharitra divided themselves into two parties and took charge of the whole situation. Shri Dangi along with Shri Nand moved towards western side whereas Shri Ramcharitra took position on the eastern

side and tried to surround the Naxalites. Naxalites continued firing with automatic weapons and also blasted one more land mine. But the police parties retaliated the firing without fearing their life. All of sudden naxalites started throwing patrol bombs on police troops. Due to fire and smoke, life of policemen fell in danger. But, Shri Dangi and Nand Showed high professional acumen and admirable presence of mind and without caring for their life, continued moving ahead in crawling position. The terrain was very difficult. After crawling for nearly 350 meters, they reached close to the Naxalites. Similarly, Shri Ramcharitra, taking tactical movement, kept on retaliating the Naxalites' firing and did not let the Naxalites take dominating position. Shri Dangi, Shri Ramcharitra and Shri Nand were leading the troops from the front. In the meanwhile, the Naxalites, who were firing at the party noticed the position of Shri Dangi and fired at him. Shri Dangi swiftly changed his position to escape the attack and showed conspicuous valour, courage and alertness. Without caring for his own life, he promptly fired in self-defence resulting into killing of one Naxalite. On the other side, Shri Ramcharitra also showing conspicuous valour, courage and without caring for his own life continued firing in self-defence. In spite of indiscriminate firing by the naxalites one Naxalite got killed due to sharp and active response of Shri Ramcharitra. After sometime Naxalites could not withstand police firing and fled into jungles. During search of the area, Police recovered one muzzle loaded gun, one 4 Kg land mine, 100 feet electric wire with detonator, two pressure bombs, Naxalites' literature and pithu bag containing daily use items. The identity of the killed Naxalites was established as (1) Konda S/O Mangu Muriya, 30 years, Village Hurepal and (2) Radha@ Radhe w/o Guddi Muriya, 26 years, Village Dorraguda. The police party also noticed heavy blood spots and dragging marks at different places which indicated that the Naxalites managed to escape with at least two more dead bodies with them taking advantage of darkness, hilly terrain and the thick forest.

In this encounter S/Shri Ratan Lal Dangi, Superintendent of Police and K L Nand, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30-11-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

38 —121 GI/2009

No. 52–Pres/2009 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Gujarat Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Bhavesh P Rojiya,
Police Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 04-02-2007, Probationer PSI Rojiya received information from PSI N H Patel, In-charge Varnama Police station that a Wagon R vehicle with illegal IMFL liquor was proceeding towards Poicha bridge. PSI Rojiya promptly organized a team, and after making due entries in the station diary, proceeded to Segva chokdi to set up road block and checking. Segva chokdi is a cross road connecting roads coming from Dabhoi, Sadhli, Shinor and Poicha bridge (Rangshetu) and a vehicle going towards Poicha bridge has to cross this intersection. Soon the Naka-Bandi and checking was started and surely enough, the suspected vehicle approached the cross road from Sandhli side. As was learnt later, the person at the wheel was an experienced and dangerous criminal, who did not have any intention to stop at the road block. As he approached the police post, he slowed down the vehicle and made a pretense of stopping the vehicle.

Probationer PSI Rojiya approached the left passenger side of the vehicle, and warned the 3 (three) occupants of the vehicle to stop there. Catching the police party completely unawares, the driver gunned the vehicle into acceleration through the small space between the temporary road block set up by the police. But PSI Rojiya was not about to let them escape that easily. He held on to the left Wofer (Carrier Pati) of the vehicle which was proceeding at breakneck speed towards Poicha bridge. Probationer PSI Rojiya was all the time being dragged on his feet and suffering injuries to his feet and legs but he would not let go of his hold on the vehicle. After being dragged in this manner for more than 100 meters, he fired one round in the air, from his service revolver. This caused the person in the vehicle to punch him in the face him so as to loosen his grip on the vehicle. They also tried to grab the revolver from his hand and in the process, another round was fired from the revolver, which hit the driver of the vehicle on the left shoulder. The vehicle approached a pot-holed portion of the road and the driver swayed the vehicle from side to side which, combined with the pushing action, caused PSI Rojiya to let go of

his hold on the vehicle, and he fell down on the road. The vehicle proceeded ahead for a short distance and because of the injury sustained by the driver of the vehicle; he could not make the approaching right turn in the road and stopped the vehicle there, on the bank of talav of Segwa village. All three suspects, proceeded to escape from that spot, and of the three, one of them was apprehended on the spot. By the end of the incident, Probationer PSI Rojiya had sustained serious injuries on his face, legs and hands, which caused him to suffer one stitch on the leg, four stitches on the hand, one stitch on the face, and to be hospitalized for five days. The doctor has advised rest for 20 days.

The suspected vehicle was found to contain 31 cases of IMFL, and was being transported from Halot via Vadodara, PO Sadhli to Nanderia village, Dabhoi taluka.

The driver of the vehicle was later on identified as Pradeep Thakkar, who is a listed bootlegger and has a PASA warrant pending against him in Vadodara City. He has also been detained under PASA for 6 times on earlier occasions. He has been involved in a number of serious crimes in various districts including a dacoit offence in Surat.

The other occupant of the car was identified as Nilesh Jaiswal who was earlier arrested in Varnama Police Station, Vadodara and Ankleshwar Police Station, Bharuch for bootlegging activities.

Probationer Shri Rojiya PSI had exposed himself to very high risk in the line of duty, and has suffered serious injury to his body to fulfill his duty.

In this encounter Shri Bhavesh P Rojiya, Police Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-02-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 53-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Haryana Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Umer Mohd, Constable **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Constable Umer Mohd., who recently sacrificed his life in an encounter while performing his duty, was a member of the Special Cell constituted in the Crime Branch of the Commissioner of Gurgaon, to launch operations against dreaded criminal gangs of Mewat involved in heinous crimes like robberies, snatching, thefts etc. These gangs had been responsible for most of the robberies and vehicles thefts committed in the year 2007 in the jurisdiction of police commissionerate Gurgaon. They were so desperate that they would even attack a police party when confronted with one. The Special Cell set up its headquarters at Nuh and its officials, which included Constable Umer Mohd., Constable Ali. Hussain and Constable Mahmood Khan gathered full information about criminal activities of these robbers, snatchers and thieves operating from Mewat. Launching several operations, they arrested as many as 70 criminals involved in snatching and theft of vehicles from the jurisdiction of police commissionerate Gurgaon and nearby areas and 72 vehicles were recovered with the efforts of their team. They further identified a gang headed by one notorious criminal Mustaq who was involved in 18 robberies snatching/vehicles theft cases and had ambushed and injured a police party from Rajasthan. The special Cell continued to collect further details and movements of this criminal gang and generate sources to track down its moments. They received information that in the wee hours 9th February, 2008 Mustaq would move towards Rajasthan with snatched vehicles. Constable Umer Mohd., Constable Ali Hussain and Constable Mahmood Khan who were present in the area, immediately rushed to the location to nab the criminal gang. Mustaq alongwith his accomplices was seen coming in two Boleros and motor cycles from village Gadhaner on the border of Rajasthan. The police party which had barely three members at that time realized that there was no chance to get immediate help from the local police as the nearest Police Station was 20 k.m. away. They, however, did

not want Mustaq, the dreaded criminal whom they have tracked down with great effort, to escape with the snatched vehicles. Without caring for their lives, the team attempted to capture Mustaq. The criminals spotted the policemen and fired at them. One bullet hit Constable Umer Mohd.'s head and he expired on the spot. His companions Constable Ali Hussain and Constable Mahmood Khan did not loose heart and continued to chase the criminals. The information collected by the core group proved an effective tool to the police. Mustaq, a dread criminal and his gang members were later arrested on 16.02.2008 in the joint operation run by Haryana and Rajasthan Police in the area of Police Station Pahari, district Bharatpur in case FIR No.43 dated 9.02.2008 u/s 148/149/302/307/332/253/186 and 25/54/59 Arms Act.

In this encounter Late Shri Umer Mohd., Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09-02-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 54–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of J&K Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Zahoor Ahmad,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 18.06.2007 Peoples Democratic Party (PDP) organized a public rally at Beerwa which was addressed by Sr. PDP Leader Shri Muzaffar Hussain Beigh. While the rally was in progress information was received by SHO PS Budgam that terrorists are planning to attack this rally and are present in the surroundings of Narwara, Mirpora Beerwah. Acting on the information Police Budgam & troops of 34 RR cordoned off an area within the radius of three Kms. A striking Police component led by Inspector Zahoor Ahmad was constituted and the component advanced and traced the movement of terrorists in a nearby nallah. The terrorists were asked to surrender, but instead they opened indiscriminate fire which was

retaliated by the Police component triggering a fierce encounter. During encounter terrorists failed to sustain Police fire & started running away towards village Narwara- Mirpora which was already cordoned off by troops of 34 RR. The fleeing terrorists were bravely chased by the small Police component headed by Inspector Zahoor Ahmad, SHO, P/S Budgam & ultimately the terrorists were killed by Police party with the active participation of troops of 34 RR in a nullah adjacent to village Mirpora- Narwara. The officer led from the front which inspired his subordinates. Three LeT terrorists were killed in this operation, who were identified as Furkan (Div Commander of LeT), Amaar (District Commander LeT) (both foreign "A category terrorists) & a local terrorist namely Bilal Ahmad Dar S/O Aziz Dar R/O Narwara Beerwah. Case FIR No. 88/2007 U/S 307 RPC, 7/27 IAA stands registered in Police Station Beerwah. The Police security forces suffered no causality & there was also no collateral damage, whatsoever, during this operation which was executed carefully and in a professional manner.

The following arms and ammunition were recovered:-

(i)	AK- 47 rifle	=	01
(ii)	AK-56 rifles	=	02
(iii)	AK Mag	=	13
(iv)	AK Ammn	=	64 Rds
(v)	Grenade Thrower	=	01
(vi)	UBGL Grenade	=	01

In this encounter Shri Zahoor Ahmad, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18-06-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 55–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Abdul Qayoom,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

A small group of Commando nafri was constituted and deployed under the supervision of Dy.SP Coy Commander SSR Rajouri in Budhal and Kandi areas to neutralize the top ranking terrorists active in the areas and involved in various civilian killing in the jurisdiction of Police Station Budhal, Kandi and Dharmsal. On 27.06.2007 on a special information developed by own sources, an operation was launched in Neela Tulyani Ani Dhok in the areas of Police Station Kandi. Dy.SP SSR Rajouri deployed the raiding party, cornered the terrorist in the Dhok and asked the terrorist to surrender but instead terrorist hiding in the Dhok started indiscriminate fire on the police party. The fire was retaliated effectively and in the ensuing encounter terrorist Abdul Qayoom @ Abu Museem-Ul-Islam S/o Mohd Shaffi R/o Mohra Karag District Commander of HM outfit was eliminated. The said terrorist was active in the district for the last 10 years and involved in the civilian killings. Dy. SP has fought bravely with the terrorists without caring for his life in the operation as a result of which a category of dreaded terrorist was eliminated. The officer has shown outstanding performance in the operation and his role in the operation was also appreciated by the Army officers present on spot. The following arms/ammunition were also recovered from the site of encounter:-

01.	Rifle AK-74	= 01 No.
02.	Magazine AK-74	= 03 Nos.
03.	Wireless	= 01 No.
04.	Diary	= 01 No.
05.	Code Sheet	= 01 No.

In this encounter Shri Abdul Qayoom, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for galiantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-06-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 56-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of J&K Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Ashwani Kumar Sharma,
Sub Inspctor

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 3.8.2006 on the request of CO 8 RR, SP (Operation) Doda deputed police party headed by Sub Inspector Ashwani Kumar Sharma No.7216/NGO, PID No. EXJ-005602 for re-inforcement at village Wanipura Gundna where Army column of 8 RR was already engaged in an encounter with LET terrorists and had suffered seven causalities. As police party was the only force to provide the re-inforcement at an earliest to the Army column, SI Ashwani Kumar with his group covered a distance of approximately 48 kilometers (33 KM by bus & 15 KM on foot) to reach the site of encounter. About half a kilometer short of actual site of encounter he was ambushed by the LET terrorists which was effectively dealt with by Sub-Inspector Ashwani Kumar Sharma and his party, by exhibiting raw courage and presence of mind of the highest order. When Sub-Inspector Ashwani Kumar Sharma reached the target house, where terrorists were hiding and encounter was going on with army personnel, he saw that 03 Army Jawans were lying in injured conditions and crying for help upon which Sub-Inspector Ashwani Kumar Sharma tactically crawled to reach the injured Jawans, under heavy volume of fire and hand grenades being thrown by terrorists and retrieved them along with arms and ammunition. In this process Sub-Inspector Ashwani Kumar Sharma was even got hit by the splinters on his BP Jacket and pouch. Terrorists continued firing and throwing grenades from a distance 10 feet but Sub-Inspector Ashwani Kumar Sharma by act of bravery and courage without caring for his own life retaliated fire and in close fire fight killed the foreign terrorist namely Abu Zubair Code Abdul Jabar R/o Pakistan. The said terrorist was involved in the killing of 19 peoples of minority community of village Kulhand on 01.05.2005, besides various other militancy related crimes in District Doda. From possession of slain terrorist 02 hand grenades (live), 13 rounds of snipper rifle, 01 Wristwatch, 01 pouch and other incriminating material was recovered.

In this encounter Shri Ashwani Kumar Sharma, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03-08-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 57–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of J&K Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Imtiyaz Hussain Mir,
Additional Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On October 20, 2007 Police Station Sopore received information regarding movement of some terrorists alongwith illegal arms and ammunition in the Orchards of village Malpora Tehsil Sopore District Baramulla. Swiftly acting on this information, a police party headed by Shri Imtiyaz Hussain Mir, Addl. Supdt. of Police, Sopore proceeded towards the Orchards and started search. As soon as the party reached the Nallah that separates the Orchards fields, a terrorist hiding in the Nallah opened heavy fire upon the Police Party and also lobbed Grenades as a result of which one of the Constable namely Imtiyaz Ahmad Wani the personal Security Guard of Addl. S.P. Sopore received a bullet injury in his thigh while the other members of the party had a narrow escape. Despite the bullet injury and the bleeding being suffered by him, Constable Imtiyaz Ahmad Wani did not move from the spot and continued to engage the terrorist with heavy fire from his end and provided cover to the party. Shri Imtiyaz Hussain Mir, Addl. S.P. Sopore who was leading the operation was quick to reach near his Personnel Body Guard and also other members of his party to reach near Constable Imtiyaz Ahmad Wani in order to rescue him. Positioning his men nearer to Constable Imtiyaz Ahmad Wani behind the cover of a boulder near the Nallah, Shri Imtiyaz Hussain Mir, Addl. S.P. Sopore exhibited a high degree of courage and camaraderie and pulled Constable Imtiyaz Ahmad Wani away from the line of fire of the terrorist. While the operation was going on, the reinforcements reached the spot and immediately rescued Constable Imtiyaz Ahmad Wani into a vehicle. While injured constable was limping towards the vehicle, the terrorist again fired upon him who again showed great valour and courage and fired back on the terrorist before getting to the vehicle. The rescue vehicle though reached the Hospital in time but due to serious thigh injury received by the Constable Imtiyaz Ahmad Wani, he succumbed to the injuries and became a Martyr. As the rescue effort got completed, Shri Imtiyaz Hussain Mir, Addl. S.P. Sopore, not only motivated his men in the operation to keep a high morale but also

mounted a massive counter attack on the terrorist who was still in the Nallah having lot of cover support through the boulders. Displaying a great degree of courage and presence of mind, Addl. S.P. Shri Imtiyaz Hussain Mir moved nearer to the Nallah from other side. As soon as Addl. S.P. and his party moved from the Southern side, the terrorist lobbed a Grenade on the party and fired indiscriminately as a result of which Constable Mushtaq Ahmad received injuries in his foot. In the meanwhile, Shri Imtiyaz Hussain Mir, Addl.S.P evacuated injured Constable Mushtaq Ahmad. As the firing stopped from the side of the terrorist, Addl.S.P. brought the cordon closer in the Nallah. Displaying a high degree of alacrity and leadership and without caring for his own safety, he moved nearer to the exact location where the terrorist was hiding. As soon as the terrorist spotted them, he opened the final volley of fire on the officer which was retaliated and resulted in neutralization of the said terrorist. From the search of the location, one 01 AK Rifle, three AK-47 Magazine, six AK rounds and two UBGL were recovered besides the dead body of the slain terrorist. For the incident, case FIR No. 328 of 2007 U/S 307 RPC, 7/27 A. Act stands registered in the police Station Sopore.

In this encounter Shri Imtiyaz Hussain Mir, Additional Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20-10-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 58–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of J&K Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Wasim Qadri,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Sheetal Charak,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

SOG Srinagar acting on an input received from their own source that LeT terrorist outfit has started the process of strengthening itself in and around Srinagar city with the objective to target Srinagar city in the coming summer and have moved to the populated areas from mountains. This input was further developed which indicated that one LeT commander Hassan @ Mussa which was earlier associated with Al-Badr terrorist outfit with the code name Hafiz @ Mussa R/O Pakistan is reactivating sleeper cells besides creating new one. The said commander was inducted into Kashmir valley in the year 1999 and remained active in general area of Ganderbal-Kangan. With the killing of his associates of Al-Badr and subsequent weaking of outfit in the year 2005-2006, he switched over to LeT outfit. He was close associate of LeT commander namely Abu Khalid @ Dawood R/O Pakistan. With switching over from Al-Badr of LeT, he assumed code name Hassan @ Mussa. In the mid of year 2006, Abu Khalid was incapacitated in an operation and was forced to exflitrate. Abu Salman @ Hassan @ Mussa @ Assad became Division commander of LeT for Srinagar-Kargan area. A team of SOG, Srinagar under the command of Dy.S.P. Wasim Qadri and SI Sheetal Charak was constituted with the objective to taget the said commander. The team collected information from the locals and own sources besides analyzing technical information generated at operation center Srinagar. In the 2nd week of November 2007, the team reported that the said commander may visit Shalimar Garden to carry racee of the garden in order to plan attack on tourist in future. The team identified that place which was to be visited by the said terrorist commander. It was on the rear side of the garden. On this information Dy.S.P. Wasim Qadri of SOG Srinagar visited the spot to plan operation. After careful analyzing the ground situation, it was found that there are three escape routes from the spot. All the three

exit routes were covered with 3 police persons at each route. On 29.11.2007 at about 2.30 PM, it was confirmed by own sources that the terrorist commander may visit the said spot at around 5.00 PM. The above team under the command of Dy.S.P. Wasim Qadri, and SI Sheetal Charak alongwith the police party proceeded to conduct operation. At around 5.20 PM, the said commander reached the spot. The covering parties also moved forward towards the target. The police party headed by Dy.S.P. Wasim Qadri approached towards the terrorist. The terrorist got suspicious and immediately opened indiscriminate firing on the police party. The police party retaliated in self defence. The terrorist tried to escape from another route. The said route was covered by the police party headed by SI Sheetal Charak, thus failed the escape plan of the terrorist. The police party headed by Dy.S.P. Wasim Qadri fired on the running terrorist resulting in the elimination of the terrorist namely Abu salman @ Hassan @ Assad R/O Pakistan, in the gun battle that lasted for almost 10 minutes. In this regard case FIR No. 98/2007 stands registered in P/S Harwan. The following quantity of arms / ammunition was recovered:-

(1). AK-47 Rifle =01 No., (2). AK-47Magazine =03Nos.,
(3). AK rounds Amn. =30 Rds., (4). Grenade =01 No.

In this encounter S/Shri Wasim Qadri, Deputy Superintendent of Police and Sheetal Charak, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29-11-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 59–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of J&K Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Sham Lal,
Follower

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 05.08.2007, an information was received through reliable sources regarding presence of two LeT terrorists in a Dhok in Guglala Dhar area under the jurisdiction of Police Station Gandoh. The information was further developed by Inspector Chanchal Singh and an operation was meticulously planned and launched by him. The police party after tracking through forest & hilly terrain for the whole night reached the target area in the wee hours on 06/08/2007. The Ops party cordoned off the Dhok and maintained the close watch over there. At about 1000 hours, movement of terrorists was observed. The Police ops party asked them to surrender but instead of that they took position in a built up hide out, opened indiscriminate firing and lobbed grenades on the operation party. Ops party retaliated the fire and narrowed the cordon. After half an hour encounter, Follower Sham Lal and a small party volunteered to crawl upto the hideout and launch assault on it. As such in a dare devil act, under the cover fire by the colleague party, they assaulted the hideout. On noticing the approaching police personnel, one of the terrorist came out of the hideout, firing indiscriminately, tried to break the cordon and escape by firing on the ops party. He was chased by the police party and killed within seconds. Whereas the second terrorist continued firing and grenade throwing from inside the hideout. The cordon was re-adjusted and at about 1245 hours, the holed up terrorist was challenged to surrender but he replied with grenade throwing and indiscriminate firing. As such Follower Sham Lal without caring for his life, showing raw courage and devotion to duties of the highest order, led the party from front, assaulted the hideout and killed the terrorist in hand to hand gun battle. During encounter Follower Sham Lal got injured. Identity of the slain terrorists was established as (1) Abu Shakeel @ Afghani R/O Afghanistan and (2) Firdous Ahmed @ Bilal S/O Late Mohd Iqbal R/O Loharthawa Thatri of LeT outfit. Recoveries made from the possession of slain militants include 01 SLR with 01 magazine, 01 Pistol with 02 magazines, 01 Walkie Talkie set, 01 pouch and some incriminating documents.

In this encounter Shri Sham Lal, Follower displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06-08-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 60-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of J&K Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Attar Samad,**
   Sub Inspector
2. **Fayaz Ahmad,**
   Constable,
3. **Rafiq Ahmad,**
   Constable
4. **Gh. Mustafa,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 4th of November 2007, SP Kulgam received information about the presence of some terrorists in the house of Ab Gaffar Naik R/o Check Watoo under Police Station DH Pora. On this information with the help of Dy SP (Ops) Shri V K Bhat a small and compact team under the command of SI Attar Samad was launched to accomplish the mission. Without any further wastage of time a team of 12 member contingent of SOG district Kulgam under the command of SI Attar Samad was sent in civies to cordon the house. The party of Attar Samad comprising Ct. Fayaj Ahmad, Ct Rafiq Ahmad and Ct. Gh. Mustafa reached the target house and laid the cordon. While cordon was being laid the hiding terrorists started indiscriminately firing upon the police party. The Police party under the command of SI Attar Samad did not succumb to the terrorists firing instead exhibited great valour and courage, and evacuated two civilians who were trapped in the midst of the cross firing. Sooner they chased the hiding terrorist who was trying to break the cordon by firing at the police party. These four officials without caring for their personal security exhibited highest degree of courage and professionalism and killed the terrorist in a fierce gun battle. The terrorist was identified as Arif Pathan (Pak terrorist) Divisional Commander of Al-Badr terrorst outfit. The said terrorist was a "A" category and this operation was an exclusive operation of J&K Police where:-

a) No collateral damage occurred in the operation;
b) The operation ended in a short span of time;
c) The team of SI Attar Samad exhibited true gallant action.

The following recoveries were made:

AK Rifle- 01, AK Magazine - 02, AK Amn – 27 Rds, Grenade-01,Mobile Set – 01,

In this encounter S/Shri Attar Samad, Sub Inspector, Fayaz Ahmad, Constable, Rafiq Ahmad, Constable and Gh. Mustafa, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-11-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 61–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of J&K Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **H.K. Lohia,**
   Deputy Inspector General
2. **Gh. Mohammad,**
   Sergeant Constable,
3. **Mushtaq Ahmed,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the early morning of 23.12.2007, subsequent to search operation in Palnoo village by J&K Police 3 dreaded HM terrorists took refuge in mosque alongwith 5 civilians as hostages. They opened indiscriminate firing in which one civilian received injuries and fell down near the mosque's door. Shri H.K.Lohia, IPS, DIG SKR Anantnag alongwith party immediately got the mosque cordoned effectively and at great personal risk managed to evacuate the civilian to safety, saving his life. Subsequently, the population (about 600) was evacuated and being winter months, all arrangements were made, including for their cattle. P.A. system was installed to open links of communication with the terrorists as they were using the hostaged civilians to make panic announcements on mosque's P.A. system. The terrorists threatened to kill the hostages to prevent storming of mosque. The grave/ sensitive of the situation demanded very cool and composite action and Shri H.K.Lohia & his party showed utmost restrain and foiled the numerous attempts of the terrorists to harm the mosque and hostages by engaging them in constant dialogue. Meanwhile, night had fallen and around midnight, terrorists opened targeted fire on Police party and Shri Lohia but despite the provocation, the officer maintained absolute fire control to prevent harm to hostages and mosque. At around 0300 hrs, (24.12.2007) some movement was noticed and the area was effectively lit up, with flares which prevented the escape of holed up terrorists. Taking credible inputs from the released hostage and cleric an ingenuous plan was

worked by Shri Lohia, according to which the lights on the left were tactically placed so as to make the area dark whereas the right side was brightly lit up. This was done with an appreciation that terrorists would run towards darkness whereas the civilians would run towards light. To further ensure the safety of civilians, repeated announcements were made (on P.A. system) to civilians to come out with their hands raised. At around 2130 hrs (24.12.2007) final command was issued by Shri Lohia and T.S. ammunition was fired. After about 40-45 minutes, movement was noticed and parties were alerted. At around 2230 hrs (24/12/2007) terrorists using civilian hostages as human shield, came out, firing indiscriminately. As was anticipated, two persons (terrorists) ran towards darkness, firing and two persons (civilians) ran towards light area, which clearly identified them. The police party led by Shri Lohia personally opened controlled and quick firing, neutralizing both the terrorists. The 3rd terrorist started firing and the officer and his team tactfully enaged and neutralized him also, thus ending the 40 hours long mosque siege with no collateral damage. The following recoveries were made from the site of encounter:-

1.	AK 47 rifle (partially damaged) without butt	- 01 No.
2.	AK 56 rifle (damaged) without butt	- 01 No.
3.	AK 56 rifle (damaged) without butt	- 01 No.
4.	AK Mag	- 04 No.
5.	AK Mag.(damaged)	- 04 No.
6.	Ammunition pouch (damaged)	- 03 No.
7.	Diaries	- 02 No.
8.	AK ammunition	- 60 rounds

In this encounter S/Shri H. K. Lohia, Deputy Inspector General, Gh. Mohammad, Sergeant Constable and Mushtaq Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23-12-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 62–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ajit Peter Dungdung,**
   Sub Divisional Police Officer
2. **K.K. Ray,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the night of 4th / 5th of October, 2005, Shri Ajit Peter Dungdung, SDPO received an information that a huge party of armed CPI (Maoist), numbering about 70 had gathered in the Dandilia Hills area and were planning to commit a major strike in Hussainabad area. Even though Shri Dungdung, SDPO had only about 30 officers and men at his disposal, he decided to engage the Maoists. As soon as Shri Dungdung with his party reached the jungle, the Maoists gave a surprise attack to the police force. Showing great presence of mind, Shri Dungdung immediately divided his party into 4 parties, one led by himself and the others by one SI of Police each. The situation was that on one hand there was a numerically superior well armed better entrenched Naxal group, where as on the other hand there was a small police party which had all probability of being overwhelmed. But without caring for their lives and showing extreme courage, Shri Dungdung, SDPO along with Shri K.K. Ray, SI, Shri Vijay Kumar, SI and Shri Jitender Kumar, SI advanced towards the position of the Naxals even under great fire. It was mere providence that these officers did not get injured in this deadly exchange. In the said operation, one Naresh Rajwar @ Binod Rajwar, the dreaded LWE Sub-Zonal Commander and leader of the naxal party was killed on the spot by party led by Shri Dungdung, SDPO. An American Rifle of .306 bore with 90 rounds of live cartridges was recovered. One Rinku Paswan was overpowered single – handedly by Shri K.K. Ray, SI and was arrested by him with a .303 Police Rifle with 48 live cartridges. The 2nd and 3rd Parties led by Shri Vijay Kumar, SI and Shri Jitender Kumar, SI respectively came under heavy fire from the naxals but stood their ground to provide supporting fire. The subsequent recovery of huge number of empty cartridges and bombs, form the spot bears eloquent testimony to the ferocity of the encounter.

In this encounter Shri Ajit Peter Dungdung, Sub Divisional Police Officer and K.K. Ray, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05-10-2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 63–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Isaque Bagwan,**
   Assistant Commissioner of Police,
2. **Amit Arun Tiwari,**
   Police Constable
3. **Mangesh Mahadeo Chavan,**
   Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26.11.2008, a group of 10 well trained Lashkar-e-Toyba terrorists landed on the shore of Mumbai. They had come with a premeditated plan which involved deadly attacks on C.S.R. Railway Station, Hotel Taj, Nariman House & Hotel Oberoi (Trident). Two of the terrorists reached Nariman house in Colaba.

ACP Bagwan rushed towards the Pachpayari lane. He judged the situation and saw that the terrorists had occupied the building known as Nariman House. They had thrown two hand grenades in the compound due to which one person died near petrol pump and another one died at the gate of Nariman House. The terrorists also fired at Colaba Court Building and killed two residents. ACP Bagwan informed about this incident to his superiors and Main Control Room. Within half an hour, a SRPF platoon reached Pachpayari. ACP Bagwan, with the help of available staff, took position around Nariman House. He placed SRPF men around Nariman House at safe locations, thereby surrounding the building.

Terrorists, who had entered Nariman House, had put off the lights inside the building. They had started shooting at random with their automatic weapons in the direction of the members of the public, and also in the direction of the buildings adjacent to Nariman House. This random firing killed two residents of Coloba Court building. Incidentally, it may be mentioned here that the terrorists inside the Nariman House had brutally killed three men and two women (Israeli nationals).

Seeing the indiscriminate firing, A.C.P. decided to vacate the buildings in the vicinity. ACP Bagwan and Constable Amit Arun Tiwari and Constable Mangesh Mahadev Chavan fired in the direction of the terrorists inside the building. The terrorists, by then, realized that they were cordoned and challenged. Thereafter, the terrorists started throwing hand grenades in the direction of the police.

Realizing the gravity of situation, Constable Amit Arun Tiwari and Constable Mangesh Mahadev Chavan under the guidance of A.C.P.Bagwan surrounded Nariman House courageously with the help of available commando's/SRPF men in order that the terrorists inside the building should not escape. At that point of time, senior officers, Jt. Commissioner of Police (Admn.), Addl. Commissioner of Police, Armed Police, Naigaon, Dy. Commissioner of Police, HQ-1, Dy. Commissioner of Police, HQ-2, reached to the spot and supervised the operation till the end A.C.P. Bagwan was given adequate assistance and the whole operation was meticulously planned by sealing the exit routes and by keeping proper vigil, so that the further damage in the locality was averted.

On the following day, the N.S.G. Commandoes arrived on the spot and took charge the situation. ACP Bagwan briefed them about the topography of the Nariman House and its surroundings and about the movements of terrorists inside Nariman House.

In this encounter S/Shri Isaque Bagwan Assistant Commissioner of Police, Amit Arun Tiwari, Police Constable and Mangesh Mahadeo Chavan, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 64–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Yogendra Chandrakant Pache,**
   Police Sub Inspector
2. **Vinayak Bajirao Vetel,**
   Assistant Police Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26.11.2008, the catastrophic and spine chilling attack by the dreaded terrorists, with wicked design of challenging the law of land, killing the innocent people using the mix of lethal weapons AK-47 Rifle burst fire and high explosive blasts on the citizens of South Mumbai resulted in the gruesome and painful death of 183 innocent people and crippling over 300 people. Also many Indians and foreigners were reported to have been taken as hostages and were under constant threat of getting killed with some of them already executed in cold blood by the dastardly terrorists. The Mumbai appeared to have been totally under terrorist's siege and the situation was extraordinarily dangerous where no one felt safe and secure. The terrorists were totally on rampage killing innocent people. The terrorists serially attacked with intense fire and explosions on the people at large at Chhatrapati Shivaji Terminus Railway Station, Cama Hospital, Girgaum Chowpatty, Leopold Restaurant, Taj Hotel, Nariman House, Trident and Oberoi Hotels by using their Lethal weapon AK-47 and Hand Grenades. The genesis of the attack was to wage war against India by causing extensive deaths and destruction to the property. The evil design of these dreaded terrorists was to send signal of total insecurity in the country creating a situation of instability and tamper the image of India in the world at large. These well trained ten most dreaded terrorists who attacked the Metropolis of Mumbai, were subsequently eliminated with one captive after a historic fierce encounter which lasted for more than 59 hours with the police and National Security Guards. The two out of the ten well trained dreaded terrorists, entered Oberoi hotel at about 2200hrs on 26.11.2008, through the connecting lobby of the Trident and Oberoi Hotel, with absolutely berserk and indiscriminate firing, killing the innocents at the entrance itself, creating absolute chaos and anarchy. The terrorists continued with their relentless firing in "Tiffin Restaurant" in the lobby of

the Oberoi killing almost 15 of the guests, including some foreign nationals. There after, they entered the "Kandhar" Restaurant of Oberoi with their spree firing killing the persons dining here. They continued with their rampage even in the "opium's den bar" and the Spa of Oberoi, killing the innocent's. The terrorists again entered "Tiffin restaurant" in the lobby of the Oberoi and opened fire indiscriminately again on the injured with a view that no one is spared alive. They sent a wave of terror in the hotel with every one running helter skelter to save their own life. The duo took about six hostages, who were subsequently killed, went up in the hotel looking out for some more innocents to kill. By this time, the police had arrived and cordoned off the hotel. It was not going to be a easy and quick success as it seemed. The local Police were attacked and the State Reserve Police Force was called for by the Main Control Room. In consequence, to the message from the Control Room, the SRPF Platoon No- 3 of "A" Company, which was stationed at the office of the Commissioner of Police, rushed to the Spot. As the personnel's were about to take their position to counter attack the terrorists in the Hotel Oberoi, they were greeted by hail of bullets of AK-47 and Grenades from the terrorists. Undauntedly, the personnel's from the SRPF Platoon continued, but Head Wireless Operator Shri Anil Bhausaheb Kolhe and Police Constable Shri Ranjit Jagannath Jadhav were badly hit by the splinters of grenades and bullets from lethal weapons AK-47 from the terrorists. They had to be immediately shifted to Bombay Hospital for treatment. Ultimately, the National Security Guards were called for and they took charge of the fort of Hotel Oberoi. It was in the after noon at about 1300 hrs of 27th of November 2008 that, a message from an NSG commando was received at the base that about 16 of the tourists trapped on the 19th floor of the Hotel Oberoi were to be rescued. Immediately, a team was constituted with the responsibility of freeing these tourists, under PI Nishikant Patil, API Vinayak Vetal and API Umesh Kadam from Social Service Branch, Crime Branch, PSI Yogendra Pache , PC Nilesh Kadam and PC Amol Ghadi from the South Region Office, leading the front, along with PSI Bala Kumbhar, PSI Chandiakant Mahajan, PC'S Sharad Surve, Suresh Kadam, Mukesh Tirmare and Sachin Patil of the Quick Response Team. Amidst, the gun fire and boom of grenades, the police team entered inside the hotel using the fire exit. It was absolutely dark and they scaled the narrow stair case with their mobile phone lights without the slightest idea about the location of the terrorists. On reaching the 19th floor, Brigadier Rathee, incharge of the NSG team in Oberoi was contacted. The scene on the 19th floor was more gruesome, as there laid three corpses of unidentified ladies in the pool of blood in the corridor of the hotel. Brigadier Rathee handed over the 16 tourists to the team with responsibility to take them safely and without making a sound, as that would attract the attention of the terrorists causing peril to the lives of these tourists. One of the tourists, Yu Ping a Singaporean national had a bullet pierced through his feet and was profusely bleeding. PSI Pache and API Vetal, shouldered him with great difficulty and led the front along with the other tourists, and steering again through the narrow and dark fire exit brought the tourists safely at the base. The rescued Singaporean national Yu Ping was immediately sent to the hospital. However while scaling down the stair

case, a groaning sound of a lady for help was heard by PSI Pache on the first floor of the lobby of "Tiffin Restaurant". After rescuing the tourists to safe base, PSI Pache, PC Nilesh Kadam, PC Amol Ghadi along with PI Nishikant Patil, API Vinayak Vetal,API Umesh Kadam, PSI Bala Kumbhar, PSI Chandrakant Mahajan, PC'S Sharada Surve, Suresh Kadam, Mukesh Tirmare and Sachin Patil bravely and courageously re-entered the Oberoi hotel through the same fire exit pursuing the groaning noise of the lady. As they opened the rear door of the "Tiffin Restaurant" there laid the heap of dead bodies in the streams of blood. The police team was endangering themselves as the echo of ricochet of bullets and lobbing of the grenades could be heard at this place. Even by this time, neither the numbers of terrorists present in the Hotel nor their location was known to the team. This was a dangerous job as the place was directly under imminent line of fire from the terrorists. However, PSI Pache with least regard to his personal safety, and with courage of the rarest order, determined to save the life of the injured lady, dared to enter through the door in the "Tiffin Restaurant". Crawling through the heap of dead bodies, PSI Pache noticed the lady with her eyes wide open lying in a pool of blood. Her left hand was ruptured by a grenade hit and the right hand was totally twisted. She had a bullet, hit in the waist, and was in deep anguish. She was frozen and could hardly make any movement. She was in tremendous pain. PSI Pache signaled the lady to remain silent as any kind of noise would have invited death. Mean while, PSI Bala Kumbhar, PSI Chandrakant Mahajan PC Nilesh Kadam, PC Suresh Kadam, PC Mukesh Tirmare and PC Sachin Patil gave cover to PSI Pache. PI Nishikant Patil, API Vinayak Vetal, API Umesh Kadam gave cover from the stair case side. The atmosphere was much tensed. The sound of hail of bullets and lobbing of the grenades increased. At this, PSI Pache took cover of a wooden hollow pillar. After some time, there was silence for a while. There after, PSI Pache tried to drag the lady to safe place. But she was too heavy for him to carry. Realising the fact, PSI Pache asked for a stretcher to be called for. At this, PI Nishikant Patil, API Vinayak Vetal and API Umesh Kadam took the initiative and immediately rushed down and managed to get a sheet of stretcher. The Officers had risked their lives as they were open to the fire from the terrorists from the window side of the hotel. PSI Pache withdrew the cover of his men putting himself in more risk, and with their help managed to put her on the sheet of stretcher with great effort. The team then dragged her to safety with huge endeavor. The team there after brought her to the base and immediately shifted her in Bombay hospital. The lady was later identified as Reshma Khiyani from Nepeansea Road in Mumbai, who had come in the "Tiffin Restaurant" for dinner along with her relatives. She had been lying among the heap of dead bodies including of those with whom she had come for dinner for almost about 15 hrs. Any delay in her rescue would have proved fatal for her. Subsequently, the terrorists were eliminated in the operation. The team undauntedly, continued with their rescue operation and were instrumental in evacuating the 33 storied "Hotel Trident" occupied with more than 100 tourists to safety.

In this encounter S/Shri Yogendra Chandrakant Pache, Police Sub Inspector and Vinayak Bajirao Vetel, Assistant Police Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 65–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/**Shri**

1. **Mahendra Vinayak Zarekar,**
   Police Constable
2. **Sachin Deu Rane,**
   Police Constable
3. **Sandeep Suresh Talekar,**
   Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

ROLE PLAYED BY SHRI MAHENDRA VINAYAK ZAREKAR, POLICE CONSTABLE

On 26.11.2008 a group of 10 well trained Lashkar-e-Toyba terrorists landed on the shore of Mumbai. They had come with a premeditated plan which involved deadly attacks on C.S.T. Railway Station, Hotel Taj, Nariman House & Hotel Qberoi (Trident). Two of the terrorists reached Hotel Trident (other side of Hotel Oberoi) at about 22.00 hrs., and opened indiscriminate fire at its entrance, in the lobby and also in Tiffin Restaurant which resulted in killing of several guests & hotel employees. The terrorists had planted a RDX bomb at the entrance of Hotel and, also at the Coffee Lounge Restaurant. Thereafter, the terrorists went up the stairs inside the hotel. At around 2205 hrs, Mahendra Vinayak Zarekar, PC 960441 heard on wireless that firing is going on at CST railway station. At the same time Additional CP Shri Kargaonkar asked him to accompany him to Hotel Trident as there was explosion near Trident. PC Zarekar accompanied Additional CP Kargaonkar to the Hotel Trident. After reaching Air India building which is opposite Hotel Trident, PC Zarekar realized that firing was going on inside Trident/Oberoi Hotel. He accompanied Add CP Kargaonkar to the main gate of Hotel Trident along with other wireless operator. After reaching Trident's main gate, he saw glass splinters and blood stains all over the place. Without waiting for additional reinforcement, he accompanied the Add CP and entered the Hotel from the main gate along with other wireless operator Mr Sachin Rane. He went till the reception desk and the restaurant on the ground floor and noticed pool of blood and

bullet marks all over the place. He assisted Addi CP in studying the situation. He observed the bullet marks, empty shells and the extent of damage. He came out of Hotel along with Addi CP to brief the Police Commissioner with a view to plan the rescue operation. Within few minutes he again accompanied Addi CP inside Hotel Trident along with Six Policemen of Quick Response Team and other wireless operator. He went upto the connecting bridge of Trident and Oberoi hotels along with his Addl CP and team. Despite the fact that passage was filled with smoke, he marched ahead along with his team and noticed one bullet ridden body of a foreigner lying in a pool of blood. After reaching the atrium of Oberoi, it became clear that the militants had taken positions in upper story and they are in an advantageous position to open fire or throw grenade on anybody entering the atrium of Oberoi. But PC Zarekar accompanied his Addl CP and continued his search of trapped guests and injured people in the Hotel with the help of Hotel staff. The Addl CP got the information from hotel staff that about 17 foreigners were on the Sixth floor of the Hotel Trident by the Pool side. Immediately, he accompanied his Addi CP and rushed to the sixth floor along with other wireless operators PC Sachin Rane & PC Talekar and one Hotel staff, checked the rooms and rescued' 17 foreigners (mostly Europeañs) belonging to the different nationalities. During the search, his team also noticed six badly injured persons near Systems Room. With a view to revive those who could still be alive, they were immediately sent to the Hospital. After rescuing the trapped people, his team continued the operation and went to the entry of the atrium of Oberoi Hotel. Firing by the militants and the grenade attack from upper stories prevented advance of his team. He then accompanied Addl CP and went to the CCTV room of the Hotel and observed the CCTV recording. In the meanwhile Marine Commandos (MARCOS) arrived at Hotel Trident. He accompanied Addl CP in deployment of Marcos. He also accompanied Addl CP in the deployment of State Reserve Police around the Trident and ensured that all exit gates of the Hotel were sealed. While the NSG operation was going on, in the morning of 28" November, PC Zarekar accompanied Addi CP in evacuating the remaining guests. He moved to the top floor (33w Floor) of the Hotel Trident. With the help of some Hotel staff and the Policemen, his party took room to room search and evacuated about 100 guests stranded in different rooms on different floors. After evacuating Trident, he accompanied Addl GP in the Oberoi although the NSG operation was still going on in that part and there was tremendous risk. PC Zarekar and his team took the route of fire exit to reach the top floors. The fire exit was narrow and flooded with water (sprinkler system was activated because of fire) and, there was complete darkness. PC Zarekar and his team reached the 18th Floor and met the NSG Major who was supervising the Operation. On 17th floor, four wounded persons were found huddled in one room, they were immediately rescued and taken to hospital. PC Zarekar accompanied Addl CP in his search and rescue operation and all stranded guests were rescued. PC Zarekar and his team searched the Oberoi hotel and ensured that there are no more militants hiding in the hotel. PC Zarekar assisted Addl -CP in organizing the removal of more than 25 dead bodies of the guests and hotel staff found on various

floors of the Oberoi. Throughout this entire operation PC Zarekar showed exemplary courage and participated in the operation. He was undeterred by exploding grenades and fire of AK-47s. He put his life at risk and helped in rescue of hundreds of Hotel guests. Because of his exceptional bravery, several guests were rescued unhurt and alive from the Trident/Oberoi Hotel.

ROLE PLAYED BY SHRI SANDEEP SURESH TALEKAR, POLICE CONSTABLE

On 26.11.2008 a group of 10 well trained Lashkar-e-Toyba terrorists landed on the shore of Mumbai. They had come with a premeditated plan which involved deadly attacks on C.S.T. Railway Station, Hotel Taj, Nariman House & Hotel Oberoi (Trident). Two of the terrorists reached Hotel Trident (other side of Hotel Oberoi) at about 22.00 hrs., and opened indiscriminate fire at its entrance, in the lobby and also in Tiffin Restaurant which resulted in killing of several guests & hotel employees. The terrorists had planted a RDX bomb at the entrance of Hotel and also at the Coffee Lounge Restaurant. Thereafter, the terrorists went up the stairs inside the hotel. At around 2230 hrs, Shri Sandeep Suresh. Talekar, Police Constable No. 960003 saw on TV the news of terrorist attack at various places 'in Mumbai. He checked the location of Additional CP Shri Kargaonkar from his wireless operators and decided to rush to Hotel Trident to assist his Addl CP. After reaching Hotel Trident he rushed inside the Hotel to assist his Addl CP and his two wireless operators who were already inside the Hotel Trident. PC Talekar accompanied his Addl CP in search of stranded guests and injured people in the Hotel with the help of Hotel staff. His Addl CP got the information from hotel staff that about 17 foreigners were trapped on the 'Sixth floor of the Hotel Trident by the Pool side. Immediately, he accompanied his Addl CP and rushed to the sixth floor along with other wireless operators PC Zarekar & PC Rane and one Hotel staff, checked the rooms and rescued 17 foreigners (mostly Europeans) belonging to the different nationalities. During the search, his team also noticed badly injured persons near Systems Room. With a view to revive those who could still be alive, they were immediately sent to the Hospital. After rescuing the trapped people, his team continued his operation and went to the entry of the atrium of Oberoi Hotel. Firing by the militants and the grenade attack from upper stories prevented advance of his team. He then accompanied Addl CP and went to the CCTV room of the Hotel and observed the CCTV recording. In the meanwhile Marine Commandos (MARCOS) arrived at Hotel Trident. He accompanied Addl CP in deployment of Marcos. He also accompanied Addl CP in the deployment of State Reserve Police around the Trident and ensured that all exit gates of the Hotel were sealed. While the NSG operation was going on, in the morning of 28th November, PC Talekar accompanied Addl CP in evacuating 'the remaining guests. He moved to the top floor (33rd Floor) of the Hotel Trident. With the help of some Hotel staff and the Policemen, his party took roam to room search and evacuated about 100 guests

stranded in different rooms on different floors. After evacuating Trident, he accompanied Addl CP in the Oberoi although the NSG operation was still going on in that part and there was tremendous risk. PC Talekar and his team took the route of fire exit to reach the top floors. The fire exit was narrow and flooded with water (sprinkler system was activated because of fire) and there was complete darkness. PC Talekar and his team reached the 18th Floor and met the NSG Major who was supervising the Operation. On 17th floor, four wounded persons were found huddled in one room. They were immediately rescued and taken to hospital. PC Talekar accompanied Addl CP in his search and rescue operation and all stranded guests were rescued. PC Talekar and his team searched the Oberoi hotel and ensured that there are no more militants hiding in the hotel. PC Talekar assisted Addl CP in organizing the removal of more than 25 dead bodies of the guests and hotel staff found on various floors of the Oberoi. Throughout this entire operation PC Talekar showed exemplary courage and took part in the operation. He was undeterred by exploding grenades and fire of AK-47s. He put his life at risk and helped in rescue of hundreds of Hotel guests. Because of his exceptional bravery, several guests were rescued unhurt and alive from the Trident/Oberoi Hotel.

ROLE PLAYED BY SHRI SACHIN DEU RANE, POLICE CONSTABLE

On 26.11.2008 a group of 10 well trained Lashkar-e-Toyba terrorists landed on the shore of Mumbai. They had come with a premeditated plan which involved deadly attacks on C.S.T. Railway Station, Hotel Taj, Nariman House & Hotel Oberoi (Trident). Two of the terrorists reached Hotel Trident (other side of Hotel Oberoi) at about 22.00 hrs., and opened indiscriminate fire at its entrance, in the lobby and also in Tiffin Restaurant which resulted in killing of several guests & hotel employees. The terrorists had planted a RDX bomb at the entrance of Hotel and also at the Coffee Lounge Restaurant. Thereafter, the terrorists went up the stairs inside the hotel. At around 2205 hrs, Additional CP Shri Kargaonkar asked him to accompany him to Hotel Trident as there was explosion near Trident. Shri Sachin Deu Rane, accompanied Additional CP Kargaonkar to the Hotel Trident. After reaching Air India building which is opposite Hotel Trident, PC Rane realized that firing was going on inside Trident/Oberoi Hotel. He accompanied Addl CP Kargaonkar to the main gate of Hotel Trident along with other wireless operator. After reaching Trident's main gate, he saw glass splinters and blood stains all over the place. Without waiting for additional reinforcement, he accompanied the Addl CP and entered the Hotel from the main gate along with other wireless operator Mr Vinayak Zarekar. He went till the reception desk and the restaurant on the ground floor and noticed pool of blood and bullet marks all over the place. He assisted Addl CP in studying the situation. He observed the bullet marks, empty shells and the extent of damage. He came out of Hotel along with Addl CP to brief the Police Commissioner with a view to plan the rescue operation. Within few minutes he again accompanied Addl CP inside Hotel Trident along with Six Policemen of

Quick Response Team and other wireless operator. He went upto the connecting bridge of Trident and Oberoi hotel along with his Addl CP and team. Despite the fact that passage was filled with smoke, he marched ahead along with his team and noticed one bullet ridden body of a foreigner lying in a pool of blood. After reaching the atrium of Oberoi, it became clear that the militants had taken positions in upper story and they are in an advantageous position to open fire or throw grenade on anybody entering the atrium of Oberoi. But PC Rane accompanied his Addl CP and continued his search of trapped guests and injured people in the Hotel with the help of Hotel staff. His Addl CP got the information from hotel staff that about 17 foreigners were stranded on the Sixth floor of the Hotel Trident by the Pool side. Immediately, he accompanied his Addl CP and rushed to the sixth floor along with other wireless operator PC Zarekar & PC Talekar and one Hotel staff, checked the rooms and rescued 17 foreigners (mostly Europeans) belonging to the different nationalities. During the search, his team also noticed six badly injured persons near Systems Room. With a view to revive those who could still be alive, they were immediately sent to the Hospital. After rescuing the trapped people, his team continued his operation and went to the entry of the atrium of Oberoi Hotel. Firing by the militants and the grenade attack from upper stories prevented advance of his team. He then accompanied Addl CP and went to the CCTV room of the Hotel and observed the CCTV recording; In the meanwhile Marine Commandos (MARCOS) arrived at Hotel Trident. He accompanied Addl CP in deployment of Marcos. He also accompanied Addl CP in the deployment of State Reserve Police around the Trident and ensured that all exit gates of the Hotel were sealed. In the meanwhile, with the help of Hotel staff, some stranded guests were given food and medicine in their rooms. While the NSG operation was going on, in the morning of 28th November, PC Rane accompanied Addl CP in evacuating the remaining guests. He moved to the top floor (33 Floor) of the Hotel Trident. With the help of some Hotel staff and the Policemen, his party took room to room search and evacuated about 100 guests stranded in different rooms on different floors. After evacuating Trident, he accompanied Addl CP in the Oberoi although the NSG operation was still going on in that part and there was tremendous risk. PC Rane and his team took the route of fire exit to reach the top floors. The fire exit was narrow and flooded with water (sprinkler system was activated because of fire) and there was complete darkness. PC Rane and his team reached the 18th Floor and met the NSG Major who was supervising the Operation. On 17th floor, four wounded persons were found huddled in one room. They were immediately rescued and taken to hospital. PC Rane accompanied Addl CP in his search and rescue operation and all stranded guests were rescued. PC Rane and his team searched the Oberoi hotel and ensured that there are no more militants hiding in the hotel. PC Rane assisted Addl CP in organizing the removal of more than 25 dead bodies of the guests and hotel staff found on various floors of the Oberoi. Throughout this entire operation PC Rane showed exemplary courage and participated in the operation. He was undeterred by exploding grenades and fire of AK-47s. He put his life at risk

and helped in rescue of hundreds of Hotel guests. Because of his exceptional bravery, several guests were rescued unhurt and alive from the TridentlOberoi Hotel.

In this encounter S/Shri Mahendra Vinayak Zarekar, Police Constable, Sachin Deu Rane, Police Constable and Sandeep Suresh Talekar, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 66–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Maharashtra Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Samadhan Shankar More,
Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26th Nov. 2008, four terrorists attacked Taj Hotel with AK-47 guns, grenades & IEDS of RDX at 9:40 hrs. and killed 32 persons including 1 SRPF constable & Major from NSG. The attack was during peak hour and more than 1000 people were present in the hotel in 573 rooms and more than 20 odd halls in New and Old Taj buildings. The quick response & entry in the hotel on 15th minute and the surprise counter attack and firing on the terrorists injuring one of them by the team of DCP zone 1 on 22 minute after the entry of terrorists led the terrorists on defensive mode. The team's search for next 45 minutes stopped their free movements. Monitoring from CCTV Control Room and cross firing from 2nd floor could hold the terrorists for next 4 hrs on 6 floor of old Taj which resulted in the rescue of more than 500 innocent people from various halls, rooms, chambers & restaurants through emergency exits. Throughout the whole operation the team voluntarily risked their lives with utmost motivation & commitment. The chronological sequence of the operation conducted by DCP and his team is as follows The CD of CCTV coverage recorded at Taj as well as wireless Communication of DCP, CP, Jt. CP and Police Control Room.

21:38 to 22:02 - Four terrorists entered from two entrance of Taj and started indiscriminate firing & throwing grenades killing innocent people.

21:40 - DCP Zone-I Vishwas Nangre Patil received message from Add. CP. about terror attack at Leopold Hotel 21:47 - While DCP was on the way he was informed about terror attack on Taj Hotel, Colaba.

2 1:55 to 22:03 - DCP Zone 1 reached Taj with RTPC Amit Khetale and entered from rear side with Taj security chief Sunil Kudiyadi. Reached 2nd floor and fired 3 rounds from service Glock Pistol on three terrorists assembled on the staircase at the 3rd floor of Old Taj in which one of the terrorist was injured. He took cover of a wall when the terrorists retaliated with AK-47 burst towards them. At the same time PSI Kakade who was at Gateway of India Police Chowki, came to Hotel Leopold and rescued the injured and send them to hospital and later proceeded to Hotel Taj to chase the terrorist. During this time he traced an unclaimed 8 kg RDX bomb in front of hotel Taj. He immediately isolated the place and summoned the Bomb Disposal Squad and further entered the Hotel Taj in look out for the terrorists. He evacuated the Taj hotel employees Kitchen staff from restaurant and reception staff of old Taj. He later joined DCP Zone-I and his team.

22: 04 to 22:30 - DCP Zone I asked Sunil Khudiyadi, the security officer of Taj to take them to the 6th floor from where they could dominate them. He checked the whole 6th, 5th 4th 3rd floors and came on the ground, when the terrorists threw one grenade on them, In retaliation, the DCP fired two rounds in upward direction.

22:30 to 22.50 - DCP Zone 1 along with 2 Constables P.C.No - 660 Rahul Subhash Shinde of SRPF Group X & P.C.No 620 - Samadhan S. More of SRPF Group III, rushed to the 6th floor, North side to get dominating position and searched the terrorists The team searched the whole floor. That time terrorists were on 5th floor. Unfortunately, they could not come in sight.

2250 - PI Dhole who returned to his residence after performing day duty reported back on duty. He took a carbine weapon from the Police Station and dashed to Hotel Taj. Here, P1 Dhole along with Shri Ashok Laxman Pawar, P.N,5 122, Shri Saudagar Nivrutti Shinde, P.C.2395 both attached to Colaba Police Station and Shri Raju Pandurang Mane, P.C .955, Shri Vishwanath Maruti Gaikwad, P.C.952 both attached to S.R.P.F.Gr.10, Solapur and entered Hotel Taj and joined DCP Zone-I and his team.

22:50 to 03:00 - As DCP Zone 1 had done the security audit of the Taj building, he decided to go to CCTV control room on the 2nd floor and check the location of the terrorists. He rushed there along with Rajvardhan, DCP, SB-II, PT Dhole, PSI Kakade, P.C.No - 660 Rahul Subbash Shinde of SRPF Group X & P.C.No 620 - Samadhan S. More of SRPF Group III R.T.P.C. Amit Khetale, Nausher and Puru from Taj management and one security guard from Taj. They could watch the movements of the terrorists on the 6th floor. Accordingly, he gave correct positions of the rooms to the Control Room and called for further assistance. They blocked the routes of the terrorists and didn't allow them to come down on 5th floor by opening cross fire from 2nd floor. During 11 p.m. (26/11/2008) to 03.00 a.m. (27/11/2008), through intercom & mobile communication in the CCTV room the manager of Taj , Nausher and Puru, from Security guided the people stuck into crystal hall, chambers, other function halls and rooftop hall, whole New Taj buildings from where hundreds of people were rescued successfully, by fire brigade & Taj management with help of police through Fire exits & emergency routes.

03:00 a.m. - The terrorists started bombing the whole floor. So they made teams and got out in the corridor. Seeing them in the target area, the terrorists bombed the floor and opened burst fire from AK-47. In this P.C. Rahul Shinde of SRPF Succumbed due to AK-47 hit from the terrorists. P.C. Samadhan S. More was seriously injured due to splinters of grenades and hail of bullets showered from AK-47. R.T.P.C. Amit Khetle was seriously injured by bullet in his stomach. PI Dhole who has worked as International Police Officer with United Nations (Peacekeeping) in Kosovo and Cyprus had undergone basic Fire Fighting Course, which came in handy during the rescue operation of the staff who was trapped in fire hit by the terrorist inside the old Taj. PI Dhole successfully rescued the Police Staff from the fire without having any more casualty. P1 Dhole was ably assisted by Shri.Ashok Pawar, P.N.5 122, Shri Saudagar Shinde, P.C.2395, Shri Raju Mane, P.C.955, Vishwanath Gaikwad, and P.C.952. But the terrorists continued with their firing and hurled grenades towards the Police. In this operation P.1. Dhole, P.S.I. Kakade, P.C. Arun Mane along with P.C.Ashok Pawar, P.C.Shinde got severe burn injuries. P.C. Raju Mane, P.C.Vishwanath Gaikwad were also injured. Further P.C. Sanjay Gomase too was injured in the rain of bullets. While, P.C.Anandrao Patil and Nausher too were injured by the firing from the terrorists. However, DCP

Zone-I and DCP, SB-II could reach 1st floor Also P.C. Rangarao Patil of S.R.P.F.Gr.7 who was detailed at rear gate of Hotel Taj to counter attack terrorists was also injured due to the fire opened by the terrorists from AK-47.

03:45 onwards - As the naval commandos had arrived by that time, the Police Staff got down with the help of fire brigade and assisted them in further operation.

28/11/2008 - P.C.Gomase of S.R.P.F.Gr.No.8 who was on duty at Hotel Taj for counterattacking the terrorists was injured in the firing opened by the terrorist. He received Bullet injuries in his knee.

In this encounter Shri Samadhan shanker More, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 67-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M Premkumar Singh,**
   Head Constable
2. **P Lokendro Singh,**
   Constable
3. **S Robindro Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 24/5/2008 at about 12.30 p.m on receipt of a reliable information about the camping of some elements of valley based underground terrorist organisation members in the general area of the New Keithelmanbi village with intention to commit subversive and anti-social activities like extortion from trucks plying on NH-53, kidnapping of innocent persons for ransom, hijacking of vehicles, etc., a strong group of Police Commandos of Imphal West district rushed to the said area. On reaching the New Keithelamanbi village, the commandos comprising of three teams spread over the area and conducted search operation – some of them were conducting house-to-house search operation up-side the hill while the remaining personnel were conducting search operation in the houses/shops lying on both sides of the National Highways – 53. Thus while the commandos were conducting operation in the village, at about 1.45 p.m., the commandos spotted 4/5 youths standing near the house of one of the villagers namely, Paokam Haokip. When the commandos asked them to stop of verification, the youths started running with firing towards the commandos. The commandos, by way of taking utmost precaution to avoid civilian casualty, made a hot pursuit of the fleeing militants. However, one of the militants, unable to find escaped route, again ran inside the same house belonging to Paokam Haokip and tried to hurl hand grenade towards the commandos. Immediately the commando team under SI N. Sadananda Singh fired towards the house. At this critical juincture, Head Constable M Premkumar Singh who happened to be in the forceful attack with firing from his AK 47 Rifle and succeeding in shooting dead the youth, who was later on identified as Asem Bikram

Singh S/o A Ibocha Singh, aged about 23 years of Khumbong Makha Leikai, an activist of Kangleipak Communist Party (MC). One unexploded Chinese hand grenade was recovered from near his dead body. The other militants, running towards the eastern side, continued to fire towards the commandos. The commandos also pursued them in the hilly area featured with steep gorge, boulders and thick bushes. Since the well-armed militants had the privilege of getting higher-up in the hill, the commandos were in a tough situation. However, a few brave commandos namely, Constable P Lokendro Singh and Constable S Robindro Singh advanced forward and charged against the militants. Ultimately when the commandos stopped their escaped routes, two of the militants were running towards the paddy field. Constable P Lokendro Singh and Constable S Robindro Singh with utter disregard of their personal safety continued to pursue the militants with firing. Thus, in the midst of heavy encounter, two of the militants hurled hand grenades towards the commandos and exploded. But the commandos escaped unhurt. At this critical juncture, Constable P Lokendro and Constable S Robindro assisted by other commandos succeeded in shooting dead the two militants who were later on identified as (1) Kolom Bishrup Singh S/o K Selung Singh, 22 years of Khumbong Makha Leikai and (2) Thangboi Kipgen S/o Letkhoi Kipgen, 22 years of New Keitherlmanbi village, who were also members of KCP (MC). One .36 HE hand grenade was found near the dead body mentioned at Sl No. 1 and one Chinese hand grenade was also found near the dead body mentioned at Sl No. 2 above. But one of them succeeded in escaping from the police dragnet with intermittent firing towards the commandos. 04 (four) empty cases of AK-47 ammunition, 2 (two) empty cases of M-20 ammunition and 1 (one) empty case of 9 mm ammunition were also recovered from the spot. This refers to Case FIR No. 37(5)2008 Patsoi PS U/S 307/34 IPC, 16/1720 UA(P) A. Act & 5 Expl. Act.

In this encounter S/Shri M Premkumar Singh, Head Constable, P Lokendro Singh, Constable and S Robindro Singh, Constble displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24-05-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 68–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Y. Kishorchand Meitei, Inspector**
2. **Md. Tajuddin Khan, Rifleman**
3. **T. Haridas Singh, Rifleman**
4. **Md. Doulat Khan, Rifleman**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 03-09-2008, acting on the credible information about movement of armed cadre of different outlawed groups particularly PREPAK along the Inter Village Road of Ningombam to Ikopo Pat, two teams of Thoubal commando under Inspector, Y Kishorchand Meitei, OC/Cdo, Thoubal, in an attempt to thwart the movement of militants who were likely to ambush on security forces, moved into the area at about 6.45 p.m., to lay counter – ambushes. One team under Jemadar Ch. Surjit Kumar was detailed at Ningombam Junction near the Mini Stadium as a cut off. As Inspector Y Kishorchand was instructing his commandos to take position at strategic places, at about 7 p.m., sounds of murmuring and foot steps were heard coming nearer from the Ikop Pat (marshy wetland) side on the Inter Village Road. Inspector Kishorchand Immediately signaled to Rifleman Md. Tajuddin to shine a torch towards the sound with his hand held far in order to avoid being a standing target. At that instance, 4/5 persons holding sophisticated weapons were observed coming alongwith the Inter Village Road and immediately, Inspector Kishorchand shouted to his commandos to take positions. At the same time, the suspected militants also fired towards the CDO party and CDO party swiftly retaliated and an encounter ensued. While the encounter was going on, Inspector Kishorchand whispered to Rifleman T Haridas and Rifleman Md. Doulat Khan to move towards the sound of firing. Inspector Kishorchand also crawled down the

paddy field amidst slushy Rice Plants closed followed by Rifleman Md. Tajuddin. Suddenly one of the militants who were about 50 yards away from Inspector Kishorchand, taking position in the southern side of the Inter Village Road, got up and fired towards his direction with sophisticated weapons. On seeing the shadowy figure with gun firing towards his direction, Inspector Kishorchand fired with his AK-47 Rifle along with Rifleman Md. Tajuddin who was lying near him and shot down the armed militant. Inspector Kishorchand, then instructed Jemadar Surjit Kumar who was at Ningombam Junction near the Mini Stadium to make an effort to cut off any attempt to escape towards the northern side with his team through the wireless set. In the meanwhile, Rifleman T Haridas and Rifleman Md. Doulat Khan also tactically moved towards one of the fleeing militants on the basis of the slushy sounds of foot steps on his left side and again took position when the sound stopped. At that movement, one of the militants fired towards the CDO partying order to escape. Rifleman T Haridas and Rifleman Md. Doulat Khan reacted swiftly and shot down the militant who was taking position at the elevated bifurcation of the paddy field. The other militants managed to escape towards the Ikop Pat by taking advantage of the falling darkness. The encounter lasted for about 20 minutes. After the encounter, on search of the encounter site, the following items / articles were recovered:-

a) One AK Rifle bearing no. 10864 loaded with 6 live rounds of ammunition in the magazine near the slain militant lying on the southern side of the Inter Village Road.

b) One 9 mm pistol NORINCO marked 213 9 x 19 MM bearing no. 488384, Made in China loaded with 2 live rounds of 9 mm ammunition in the magazine near the slain militant lying at the elevated bifurcation of the paddy field and

c) On further search of the encounter area, 13 (thirteen) empty cases of AK Rifle ammunition and 5 (five) empty cases of 9 mm ammunition were recovered. The same were seized by observing formalities at the spot.

It refers to case FIR No. 253 (9) 08 Tbl. P.S u/s 307/34 IPC, 25 (1-C) A. Act and 16(1) (b)/20 UA(P) A. Act '04.

The deceased were later on identified as (1) Takhelchangbam Sanathoi Sharma @ Chaoren @ Yaima @ Pradhan (27) S/o (L) T Babujaoba Sharma of Mutum Phibou, a self styled Corporal of People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and (2). Akoijam Dinesh Singh @ Naocha (28) S/o Ak. Chaotombi Singh of Thoubal Wangmtaba Sorok Makha, a self styled Lance Corporal of People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK). They were responsible for the following crimes:

a) Firing at the house of one Ningombam Gojen Singh of Thoubal Ningombam on 6/7/08, refers to FIR No. 62(7)08 TBL PS u/s 307/427400/34/ IPC and 25 (1-c) A Act.

b) Hurling of bomb at the house of MLA K Meghachandra Singh, Wangkhem Kendra on 23/08/2008, refers to FIR No. 122 (8) 08 YPK P.S u/s 307/447/427/34 IPC, 20 UA (P) A. Act 2004 & 3 expl. subs. Act.

In this encounter S/Shri Y. Kishorchand Meitei, Inspector, Md. Tajuddin Khan, Rifleman, T. Haridas Singh, Rifleman, and Md. Doulat Khan, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03/09/2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 69–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M. Sanjit Sharma,**
   Jemadar
2. **Md. Shoukat Ali,**
   Head Constable
3. **H. Guneshwar Singh,**
   Rifleman
4. **K. Sashikumar Sharma,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 01-07-2008 at about 1 p.m. while the people of Heirok Village were under serious threat of the proscribed U.G elements regarding the establishment of Special Police officer for self protection at Heirok Village against the U.G element, a reliable information was received that the passenger bus bearing Regn. No. MN-01-0775 plying between Heirok village to Imphal which was hijacked by some armed youths from Khuman Lampak bus terminus and the same bus was seen in the general area of National Games Village, Langol. On receipt of this reliable

information, two commando teams – one led by Jemadar M Sanjit Sharma and another led by Head Constable Md. Shoukat Ali rushed to the said area for manhunt operation. When the commando teams approaching from Langol Tarung village towards western side along the Langol foothill road reached Zone-III area of the National Games village and just negotiating a sharp turn, the bus was seen parked at the foothill. Immediately, the commandos jumped down from their respective vehicles, swung into action by taking position of the uneven grounds at the foothill area. Hardly the commandos took proper position, the militants fired upon them with sophisticated weapons from different directions including hill top. The commandos at the foothill area momentarily had a hard and tough situation even to manage for their physical coverage. However, the commandos split themselves, spreading over the hilly area by taking position in the bushes, uneven grounds and small nullah, and retaliated the fire. Thus as encounter ensued for 10 minutes Jemadar Sanjit and some of his men advanced forward upside the hill in the midst of heavy firing from the eastern side whereas Head constable Md. Shoukat Ali led another party in the forefront to fight the insurgents from the southern side. Md. Shoukat Ali managed to get closer towards the bus and retaliated by taking position near the bus. He came across a small nullah for his physical coverage, where Rifleman Sashikumar Sharma was single handedly resorting to fire from his AK-47 Rifle towards the militants. Now, Head Constable Md. Shoukat Ali came to his assistance and thus they could react effectively form the said location. On the other hand, Jemadar Sanjit closely followed by Rifleman Guneswar singh continued to advance forward and engaged themselves in fierce gun-fight with the militants retreating from the southern side. The militants retreated running upside the hill, but with incessant firing. The commandos continued to pursue them. When there was lull of gun-shot, the commandos conducted search operation. During search in the thick jungle, which itself was a very risky task, 3 (three) bullet-ridden dead bodies were found lying at different locations. The slain militants were identified as – (1) Khundrakpam Iboyaima Singh, 35 yrs, S/o (L) Kh. Nodiachand Singh of Thangmeiband Khomdram Selungba Leikai, (2) Wagkheimayum Tejmani Singh (35 years) S/o W Gopal Singh of Singjamei Makh Kshetri Leikai and (3) Maibam Kiran Singh @ Theba (22 years) S/o M Manihar Singh of Singjamei Naorem Leikai. All of them were found to be hard-core members /activists of the outlawed underground outfit "People Revolutionary Party of Kangleipak' (PREPAK). One 9 mm pistol, one hand grenade and other ammunitions including 18 Nos of AK empty cases were recovered from the spot other militants managed to escape taking advantage of thick jungle of the Langol hill. Three occupants (all innocent civilians) of the hijacked bus along with the bus were rescued by the commandos. The rescued civilians were later on identified as (1) Thokchom Prashuram (25 yrs) S/o Th. Naba Singh of Heirok Bazar, (2) Maibam Noren Singh (37 years), S/o M. Tochou Singh of Charangpat Bazar, (3) Md. Ithem (24 years), S/o Md. Babish of Sangaiyumpham Puleipokpi village.

In this encounter S/Shri M. Sanjit Sharma, Jemadar, Md. Shoukat Ali, Head Constable, H. Guneshwar Singh, Rifleman and K. Sashikumar Sharma, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01/07/2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 70-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Nagaland Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri S. Kumtsu Yimchunger,
Town Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 18th August 2007 at 0830 hrs, Shri S. Kumtsu Yimchunger, Town Head Constable saw three person (two in combat dress and one in civvies) harassing the innocent drivers whosoever were passing through the Khudei Police Check gate and collecting/extorting Rs. 300/- to Rs. 500/- per vehicles. Seeing that unbecoming act. Shri S Kumtsu Yimchunger, THC (Town Head Constable), who was also the in-charge of Khudei Police Check gate, interfered with those miscreants and warned them to stop their activities, to which one of the miscreants who was later identified as Namang Phom, SS CAO, NSCN (IM) Phom Region, the most dominating and desperate Under Ground out fit in the State of Nagaland, violently took out his .32 MM loaded Pistol (Made in Italy) from the hidden holster and fired which hit THC S. Kumtsu Yimchunger causing grievous injury in his left leg about the knee. It will not be out of place to mention that THC S. Kumtsu Yimchunger, despite grievously wounded and without any arms, showed extra ordinary courage without even caring for his life, promptly reacted, caught hold of the culprit Namang Phom and wrestled valiantly and snatched the Pistol along with 10 (ten) live rounds and 2 (two) magazines from the clutch of the culprit. This gallant act of THC. S.Kumtsu Yimchunger has brought unlimited pride and honour to the entire Police Force of the Nation and State as well, besides bringing complete halt to criminal activities on the highways, particularly in the District of Tuensang which was appreciated by all and sundry. Not only this, the gallant action of Shri S Kumtsu also led to the apprehension of two other accomplice (in combat dress) of Mamang Phom who were apprehended within two hours of the incident. Those arrested were later identified as SS. L/Cpl. Soloba Chang and SS. Pvt Moilang Phom. This refers to Tuensang PS Case No. 29/07/ U/S 326/307 IPC R/W Sec 25 (1-A) Arms Act 1959/10/13/ of UA(P) Act 1967/7/78 NSR 1962.

As a result of arrest of the main culprits, the situation was contained and the confidence of the public was restored.

In this encounter Shri S. Kumtsu Yimchunger, Town Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18-08-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 71–Pres/2009- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Sanjeev Kumar Yadav,
Assistant Commissioner of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 08/05/2006 a specific information was received at Special Cell/NDR, Delhi that two Pak trained LeT militants namely Firoz @ Abdullah and Mohd. Ali, who had recently acquired a consignment of explosives sent by Azam Cheema @ Baba (LeT operational chief of India) through Gujarat border, would be coming to Delhi in Golden Temple Express train and alight at Hazrat Nizamuddin Railway station. On the basis of this information, the team of Special Cell laid a trap at Nizamuddin Railway station and at about 7 pm apprehended Feroz Abdul Latif Ghaswala @ Abdullah and Mohammed Ali Chhipa @ Ubedullah alongwith 4 kgs of RDX, 4 detonators and cash Rs. 50,000/-. During interrogation, the arrested militants disclosed that they had to deliver the recovered consignment to their Pak national associate namely Mohd Iqbal @ Abu Hamza r/o Bahawalpur, Pakistan, an "Operational Commander of LeT" in India. They further disclosed that Mohd Iqbal @ Abu Hamza had been active in J&K from 2000-2003 and involved in dozens of terrorist operations with armed forces causing many casualties to armed forces in J&K. They had to meet Abu Hamza near main gate, Jawahar Lal Nehru stadium, Delhi at about 9 pm wherein he would come there in a white Santro car bearing No. 4457. Immediately, a strong team led by Mr Ajay Kumar, the then DCP/Special Cell, consisting of ACP/Sanjeev Yadav, Inspr Mohand Chand Sharma, SI Ravinder Kumar Tyagi, SI Dalip Kumar, Inspector Badrish Dutt, Inspector Sanjay Dutt, SI Rahul Kumar, SI Bhoop Singh, SI Vinay Tyagi, SI Kailash Bisht, SI Pawan Kumar, SI Ramesh Lamba, SI Ashok Sharma, SI Dharmender, ASI Satish Kumar, ASI Vikram, ASI Sanjeev Lochan, HC Satender, HC Rajbir Singh, HC Vijender, HC Krishna Ram, HC Rustam, Ct. Rajender, Ct. Balwant, Ct. Gurmeet, Ct. Iqbal, Ct. Nisar and Ct. Rajeev, equipped with proper arms/ammunitions was formed. The team members were distributed in small teams and deployed on suspected routes arriving towards main gate of JLN stadium and escape routes to apprehend the militant. The area was also cordoned systematically to avert the civilians' casualty.

The advanced party consisting of Shri Ajay Kumar/the then DCP, Inspr. Mohan Chand Sharma, SI Ravinder Kumar Tyagi and SI Dalip Kumar took their position at the place, round-about close to the main gate of stadium. At about 9.15 pm, a white Santro car having number plate HR-29L-4457 came from CGO complex, Lodhi road side and stopped near the round about closed to the main gate of stadium and a man came out from the car and stood on the pavement near the car. The arrested accused Feroz Abdul Latif Ghaswala @ Abdullah identified him as his associate Mohd Iqbal @ Abu Hamza. Immediately, the advance party consisting of Shri Ajay Kumar/DCP, Inspr. Mohan Chand Sharma, SI Ravinder Kumar Tyagi and SI Dalip Kumar alerted other staff and warned the desperado Mohd Iqbal @ Abu Hamza to surrender before the police party. On hearing the loud of surrender, Abu Hamza, immediately whipped out fire arm and look around and seeing the movement of police party towards round-about, ran towards the pump house side while firing indiscriminately towards round-about one advance party and took his position in dry drain near the iron fencing of the stadium. The raiding party again warned this foreign terrorist to surrender but he didn't pay any heed to the warning of raiding party and again opened fire with his automatic weapons upon raiding party to inflict casualty and escape in the cover of darkness. The desperado Mohd Iqbal @ Abu Hamza continued firing targeting towards the police party. The advanced party led by Shri Ajay Kumar, the then DCP/Special Cell, Inspr. Mohan Chand Sharma, SI Ravinder Kumar Tyagi and SI Dalip Kumar also fired in retaliation from their automatic weapons to avert casualty of team members. The other team members also gave covering fire from back side to advance party. The firing from both sides continued for about 20 minutes and in the bid of escape, the foreign terrorist sustained bullet injuries. When the firing from militant side stopped, the advanced party approached towards the Pak militant and found him lying injured. The injured militant was immediately removed to AIIMS hospital wherein he was declared brought dead. The slain militant had fired over 20 rounds upon police party from his automatic pistol. The team of Special Cell also fired 44 rounds to overpower this dreaded militant. During investigation, 2-AK-56 Assault Rifles, 6-magazines of AK rifles, 179 live rounds of AK Rifle, 10 live handgrenedes, 4 Kgs of RDX explosive, 5 Kgs of PETN Explosive (plastic explosive), 4 Electronic Detonators, 1-Star pistol of .30 calibre with two spare magazines, One Thuraya Satellite phone, 1-Bundolier for 10 handgrenades, Chemicals as 3 Kgs of Urea, 3 litres of Nitric Acid filled in 6 bottles, 1 litre of Glycerin, Diaries containing the numbers of LeT Commanders operating from Pakistan and other Indian contacts of LeT outfit, their targets in India for terrorist activities etc., 1-Computer fitted with monitor, CPU and internet, cash Rs. 50,000/-, fake driving licence and 1-Santro car were seized from the personal possession/hideout of slain militants from rented room at Jagdish Colony, Ballabgarh, Haryana wherein he was living with fake name & identity of Rajesh Kumar to conduct terrorist activities in Delhi and satellite cities. During investigation it was revealed that the slain militant Mohd Iqbal @ Abu Hamza r/o Mohalla Abbasian, Multan Road, Bahawalpur Pakistan was sent in India by LeT

Chief Operation Commander for India in Pakistan namely Azam Cheema @ Baba r/o Bahawalpur Pakistan in India as Operational Commander. The slain militant was a desperate member of LeT outfit. As per information, the slain militant Mohd Iqbal @ Abu Hamza was also District Commander of LeT in Poonch and Rajouri sectors of Jammu and Kashmir from the year 2000 to 2003, therein he was responsible for dozens of terrorist attacks upon Army, BSF, CRPF causing casualty to armed forces.

The slain militant Mohd Iqbal @ Abu Hamza had made his base in Ballabgarh, Haryana in a rented house at 441/9, Jagdish Colony, Ballabhgarh, Haryana since long and residing therein by fake name of Rajesh Kumar. He had procured fake Driving Licence, purchased a Santro car and other things with fake name & identity. He had procured huge haul of arms, ammunitions and explosives for serial explosion in National Capital Region as well as Gujarat and Maharastra. This is the maximum recovery of explosive etc. in NCR from any terrorist outfit. He had made a vast network in India with the help of arrested Pak trained militants namely Feroz Abdul Latif Ghaswala @ Abdullah r/o Mumbai (Maharastra) and Mohd Ali Chipa @ Ubedullah r/o Ahmedabad (Gujarat). Later, two more militants of this LeT outfit namely Umar and Tasso were arrested in Ahemdabad with huge haul of explosive materials.

A case under appropriate sections of laws was lodged in this regard at PS Lodhi Colony, New Delhi.

INDIVIDUAL ROLE OF SHRI SANJEEV KUMAR YADAV, ACP

In this operation, Sanjeev Kumar Yadav also supervised the police party and took his position at vulnerable point near round-about. He also warned the militant to surrender before police party but the militant did not respond to the warning of surrender and started firing towards Sanjeev Kumar Yadav. One of the bullets fired by the militant passed close to ACP/Sanjeev Kumar Yadav. ACP/NDR immediately took safer position and gave retaliatory fire. The desperado continued firing upon police party to escape and causing casualty. The raiding party also continued replying to the fire of desperado. ACP/NDR fired 3 rounds from his service pistol causing bullet injury to the desperado. The injured militant continued indiscriminate firing upon raiding party members. ACP/NDR and other raiding party members again fired upon this terrorist and after long exchange of fire of over 20 minutes, the firing from militant side stopped. ACP/NDR remained in the front without caring his life and closely supervised the entire operation as well.

In this encounter Shri Sanjeev Kumar, Assistant Commissioner of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08-05-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 72--Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Orissa Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Himanshu Kumar Lal,**
   Superintendent of Police
2. **Sarat Chandra Mishra,**
   Reserve Inspector
3. **Jarif Ahamad Khan,**
   Deputy Subedar
4. **Arun Kumar Panda,**
   Lance Naik
5. **Sibshankar Nayak,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 12.02.2007, acting upon a reliable information regarding planning and congregation of a Group of Naxalite in Hurub terrain with a view to attack Police Post/ Police Personnel and to create violence during 3-Tier G.P. Election, Shri Himanshu Kumar Lal, IPS Superintendent of Police, Malkangiri deputed one unit of SOG to verify the information and to flush out the ultras in order to avert any attack on police post/ police personnel and to ensure a free, fair and peaceful poll Tier. Accordingly, the SOG Team led by Havildar Arun Kumar Panda and Shri Sibshankar Nayak was deputed to the spot after proper briefing. While the SOG Party was on search operation same day in Kurub Terrain, at about 9.45 AM, a group of Naxals (CPI Maoist) numbering around Ten all of a sudden started burst firing at the SOG Personnel with a view to kill them. On receipt of the incidence of ambush and firing by naxals as well as counter firing by SOG team in order to escape from the ambush, the quick response police team led by Shri Himanshu Kumar Lal, Superintendent of Police and consisting of Shri Sarat Chandra Mishra, Reserve Inspector, Malkangiri, J.A. Khan, Deputy Subedar, OSAP(3rd Bn.) soon proceeded from Kalimela P.S. following tactical path through dense forest in order to provide cover for safe rescue and retreat of SOG personnel engaged in encounter

at Kurub Terrain. On their way, this quick response team was also ambushed by the naxalites between Marigetta and Bodigetta in thick forest terrain same day i.e. on 12.02.2007 around 3 P.M., where the naxalites had taken advantageous ambush position knowing that the SOG team engaged in encounter would return after encounter from the above route. Meanwhile the SOG team, which had been involved in an encounter in Kurub area joined this team while returning under the leadership of Mr. Arun Panda and Sibshankar Nayak. Here the Group of Naxals numbering more than 15 suddenly opened burst firing from their sophisticated weapons from their hide outs/ ambush points with a view to kill the rescue party. Soon Shri Himanshu Kumar Lal, Superintendent of Police taking cover/defensive position shouted loudly directing the ultras to stop firing and to surrender, but in vain. Rather, the ultras continued firing at the Police Party in more vigour. Finding no other alternative to save their lives, the Police assault Party consisting of Shri Himanshu Kumar Lal, Shri Sarat Chandra Mishra, Shri J.A. Khan and others also fired at them in the of right of private defence. Another cut off party led by Lance Naik Arun Panda, Constable Sibshankar Nayak and others, while taking position, fired in their self defence. Such, exchange of fire continued for about one hour, after which the ultras managed to escape taking advantage of dense forest and rocky coverage. After operation, the SOG party had a thorough search in and around the spot. During search, they could recover the dead body of one un-identified naxal armed with one SBBL Gun with Seven rounds of live ammunition and one live H.E. Grenade. This apart, one live claymore mine, flexible electric wire, one empty cartridge of SBBL Gun, Six empty cartridges of A.K. 47 rifle, Four Empty cartridges of SLR etc. were also recovered from the spot. Later on, the un-identified naxal was identified to be one Deba Madkami, S/o Bhima Madkami of village: Kurub under Kalimela P.S. He was commander of Kalimela Balsangam Dalam for last two years and was having inter-state ramification, operating in Chatisgarh, A.P., State besides Malkangiri District in Orissa State. This incident refers to Kalimela P.S. Case No.9 dtd. 12.02.2007 u/s147/148/307/120(b)/121/149 IPC 4/5 E.S. Act 25/27 Arms Act/17(i)(ii) Cr. L.A Act. He is also involved in M.V.79 P.S. Case No.2 dtd. 26.01.2007 u/s147/148/302/307/326/120 (b)/121/122/149 IPC 3/4 E.S. Act 25/27 Arms Act, in which the CPI(Maoists) have exploded Claymore mines near M.V.126 on the Republic Day-2007 resulting in death of one CRPF personnel (HC Ghanshyam Singh) and another CRPF personnel (HC Uma Shankar) was also seriously injured. The above classic and successful encounter of Orissa Police with Armed forces of AOBSZC of CPI(Maoists) was unique in the history of Anti-naxal combat. It was for the first time that a reinforcement team of Orissa Police force could manage to reach the place of encounter while the encounter was going on. It successfully eliminated the naxal (Bal sangam Commander Deba Madkami), who with other naxal had laid the Ambush for the SOG team which was returning from Kurub area after encounter.

In this way, this operation has given a jolting blow to the Ambush operations of naxals in the District. Also, this operation instilled a sense of confidence in the Police force. The above operation has also restored public confidence in the law-enforcing wing as well. The determination, bravery, courage, sense of purpose, tactics and devotion to duty shown by above said five officer in leading the most successful Anti-naxalite operations from the front, un-mindful of grave risk to their lives raised the morale of the force to a greater height.

In this encounter S/Shri Himanshu Kumar Lal, Superintendent of Police, Sarat Chandra Mishra, Reserve Inspector, Jarif Ahamad Khan, Deputy Subedar, Arun Kumar Panda, Lance Naik and Sibshankar Nayak, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12/02/2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 73–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Tripura Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Deepak Kumar,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Dilip Debbarma,**
   Sub Divisional Police Officer
3. **Shyamal Debbarma,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26.05.2008 evening Shri Dilip Debbarma, SDPO Khowai received secret information about hiding of 14/15 NLFT (BM) extremists in a Jhum hut in Ujan Maidan jungle under Champahour Police Station. It was also believed that the extremists kept the captive engineer Shri Debbrata Das, N.E. railway, who was abducted by the armed extremists from Tuikarma Railway work site, PS Mungiakami under West Tripura District on 24.04.2008. (Mungiakami PS Case No. 09/08 u/s 148/149/302/364 (A) IPC and 27 Arms Act). Since 24-04-2008 many abortive attempts were made by launching special operation by different security forces operating in the area to rescue the captive engineer.

Acting on this information, Shri Deepak Kumar, IPS Additional SP (Rural) along with Sri Dilip Debbarma, TPS, SDPO (Khw), SI (UB) Shyamal Debbarma, O/C CPH PS with other personnel left for the spot at 2350 hrs on 26-05-2008 to nab the extremists and rescue the kidnapped engineer from their captivity. Since the reaction time was very less and security forces engaged in their respective areas the OPS party could muster whatever forces available to it. The ops party consisting of 12 police personnel including 3 officers mentioned above 7 P/Gs of officers and 2 constables from CPH PS.

As the spot is in deep jungle and infested with extremists, the OPS party meticulously planned its move and careful in having any causalities in terms of loss of life. After traversing 25 Kms on foot, through difficult terrain in night on 27-05-2008 at about 0600 hrs the ops party reached the spot. On reaching the spot it started searching the Jhum huts located on the hillocks. After a long search ops party noticed, 3/4 extremists with sophisticated weapons hiding in a nearly Jhum hut.

As the ops party consisted of only 12 personnel it approached the target very tactically. The ops party approached the target dividing itself in two groups from South-East and North-East directions under the leadership of Addl. SP (Rural) West and SDPO (Khowai) respectively. The objectives was to capture them alive without any loss of life and property. Somehow the armed extremists got scent of the move and started indiscriminate firing on the South East party of Addl. SP(Rural) West and SI (UB), Shyamal Debbarma, O/C CPH PS. To save themselves and having no alternative ops party returned the fire targeting the extremists. Viewing this and to stop the extremists from fleeing North-East party led by Dilip Debbarma SDPO Khw. Too opened fire. The personnel gallantly faced the situation. The Ops party fired total 235 rounds of ammunition.

After the fierce encounter the ops party searched the Jhum hut area and nearby Chara (Drain) and recovered dead body of an extremist with bullet injuries. Later the dead body was identified as of NLFT extremists Dancharaj Reang (23) S/o Sri Krishnajoy Reang of Haduk Kalak PS Ambassa (Dhalai District). The said extremists joined the NLFT (BM) 6 years ago.

The Ops party also recovered and seized 1(one) 7.62 mm SLR, 2 (two) Magazines, 73 (seventy three) live cartridges, 1 (one) Magazine pouch, 1 (one) haversack, 20(twenty) subscription notice of NLFT and other incriminating articles.

In this encounter S/Shri Deepak Kumar, Additional Superintendent of Police, Dilip Debbarma. Sub Divisional Police Officer and Shyamal Debbarma, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-05-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 74-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry / 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Gurbachan Lal, Inspector General** — **(PMG)**
2. **Satyendra Veer Singh, Superintendent of Police** — **(2nd Bar to PMG)**
3. **Vijay Kumar Rana, Inspector** — **(1ST Bar to PMG)**
4. **Surendra Singh, Sub Inspector** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On an actionable information about the presence of dreaded dacoit Naresh @ Naresha (who carried a reward of Rs. 50,000/-) gang in the dense ravines (katri) near vill. Heerpur under the jurisdiction of P.S. Katra, distt. Shahjahanpur, IGP Bareilly Zone, Gurbachan Lal, planned, led and executed an extremely secret and daring operation in the early hours of Feb. 9, 2008. He himself reached the designated place "katri" at about 3 AM with his assault party consisting of one Inspector, 2 SIs, 3 HCs, and 2 Constables. This assault team was given cover from the left by another party led by SP Shahjahanpur, one SI and others. At about 0415 hrs. police parties began to tactically move on foot in the katri area. Naresha and his gang members had concealed themselves under the thick and thorny bushes. After some time IGP Shri Lal and his team reached the location from where the Naresha gang was hardly 30 yards away. At this stage, IGP Shri Lal realized that any attempt to go closer meant grave danger and risk. Dreaded dacoit Naresha was a notorious 'Police Killer' who had killed 15 police men and officers in the various encounters with police earlier. The moment the gang was challenged to come out and surrender, the gang members opened indiscriminate fire at the police parties but IGP Sri Lal and his brave men, despite gravest threat to their lives, displayed highest tradition of devotion and dedication to duty, extreme courage and gallantry

in returning the deadly fire in a very tactical and controlled manner. IGP Shri Lal was hit by one bullet in the middle of his chest, but not injured due to the Bullet Proof jacket he was wearing, while a few shots went past the SP, Shri Satyendra Veer Singh, Inspector Vijay Kumar Rana and Sub Inspector Surender Singh. IG Shri Lal repeatedly encouraged and exhorted his men to fight back bravely. This raised the will power of the assault party which opened effective fire in retaliation. In the final assault on the gang IGP Sri Gurbachan Lal and Inspector Vijay Kumar Rana each fired 32 and 28 rounds from their respective AK-47's, S.P. Shri Satyendra Veer Singh fired 6 rounds from his 9mm pistol and SI Surendra Singh fired 18 rounds from his SLR. This demoralized the dacoits who started fleeing for safety. On orders and motivation of the IGP Shri Gurbachan Lal and the SP Shri Satyendra Veer Singh, Inspector Vijay Kumar Rana and Sub Inspector Surendra Singh the police men who had fought most bravely moved forward. On reaching closer they found one dacoit lying dead in a pool of blood. The dead dacoit was identified as Naresh @ Naresha who carried a reward of Rs fifty thousand fixed by the government of U.P. Thick trails of blood ran in different directions from the spot also. Despite a massive man-hunt, no other gang member could be found. The exchange of fire lasted for approximately 45 minutes from 0500 to 0545 hrs.The following recoveries were made from the site of encounter:-

1. One D.B.B.L Gun 12 Bore, Factory made, 27 Live and 60 empty Cartridges of DBBL Gun
2. One S.B.B.L.Gun 12 Bore, Factory made.
3. Two Rifles 315 Bore, Country made, 17 live and 24 empty cartridges
4. One Hand Grenade
5. 13 live cartridges of 455 bore.

In this encounter S/Shri Gurbachan Lal, Inspector General, Satyendra Veer Singh, Superintendent of Police, Vijay Kumar Rana, Inspector and Surendra Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/ 1st Bar to Police Medal /2nd Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09-02-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 75–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry / 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Ram Badan Singh,**	
	Deputy Superintendent of Police	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Brij Mohan Pal,**	
	Sub Inspector	**(PMG)**
3.	**Dharmendra Singh Yadav,**	
	Sub Inspector	**(PMG)**
4.	**Awadh Narayan Chaudhry,**	
	Head Constable	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 23-12-07, Sri Ram Badan Singh, Dy.S.P., S.T.F., U.P. received information that two terrorists of Lashkar-e-Taiba, armed with sophisticated weapons were coming in a Maruti-800 car from Barabanki to Lucknow via the Deva road between five and six A.M. In order to intercept them, Sri Ram Badan Singh alongwith his team left for the Lucknow-Barabanki border. On the reaching the spot which was in the jurisdiction of P.S.Chinhat, District Lucknow Sri Singh, Dy.S.P. after conducting a recce of the area divided his team into two groups. The first team consisted of Sri Singh, Dy.S.P., H.C. Awadh Narayan Chaudhary, one constable and one driver. The second team was led by SI Brij Mohan Pal and consisted of SI Dharmendra Singh Yadav, one constable and one driver. At around 5.05 A.M., they spotted a white Maruti car coming from the Barabanki side on the Lucknow-Deva road. Sri Singh and his men took their designated positions. The driver and occupants of this car, did not stop despite orders of Sri Singh, Dy.S.P. Rather they increased the speed of the car. Sri Singh Dy.S.P. and his team then chased them in their vehicles. The Maruti car hit a culvert near the Central Food and Technology Research Centre and stopped. Two persons armed with A.K.-47 rifles alighted from the car and began to fire at the police personnel. Sri Singh Dy.S.P. and his men also took up position in the pits dug on the side of the road and asked

the terrorists to surrender. The terrorists responded by shouting "Lashkar-e-Taiba Zindabad" and continued to fire with intention to kill. Faced with this dangerous and daunting situation Sri Singh, Dy.S.P., SI B.M.Pal, SI D.S.Yadav and HC A.N.Chaudhary, began to crawl towards the terrorists despite the danger and threat to their lives. The police personnel also responded by firing back at the terrorists. Two terrorists were killed in this exchange of fire due to the gallant action and initiative taken by Sri R.B.Singh, Dy.S.P., SI B.M.Pal, SI D.S.Yadav and HC A.N. Chaudhary.

Sri Singh Dy.S.P., SI B.M.Pal, SI D.S.Yadav and HC A.N.Chaudhary displayed exemplary courage, dedication to duty and gallantry of a very high order in this fierce encounter, killing two terrorists of the suicide squad of the Lashkar-e-Taiba.

The following recoveries were made from the site of encounter:_

1. One AK 47 Rifle No.11310 with one empty magazine with 29 empty cartridge
2. One AK 47 Rifle No.17343 with one empty magazine with 25 empty cartridges of AK-47 rifle from the other terrorist
3. One Maruti Car 800 bearing Regn No.U.P.32-A/4374
4. One Black Colour bag, found in the Maruti Car, with 4 magazines, one without cover of AK-47 Rifle, each containing 30 live cartridges of Rifle AK 47.
5. 10 Live Hand Grenades with 10 Fuze.
6. Belt worn by Suicide squad
7. One electric battery
8. One site-plan drawn on paper.
   cartridges of AK 47 Rifle, from one terrorist.

In this encounter S/Shri Ram Badan Singh, Deputy Superintendent of Police, Brij Mohan Pal, Sub Inspector, Dharmendra Singh Yadav, Sub Inspector and Awadh Narayan Chaudhry, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/ 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23-12-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

50--121 GI/2009

No. 76–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry / 2nd Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Ashok Kumar Tripathi, Additional Superintendent of Police,**	**(PMG)**
2.	**Indra Jit Singh Teotia, Deputy Superintendent of Police**	**(2ND Bar to PMG)**
3.	**Tej Bahadur Singh, Sub Inspector**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

At about 0430 hrs on 4 February 2006, Shri Ashok Tripathi Additional SP STF received information that notorious dacoit Raghuvir Dhimar and his gang were planning to kidnap a businessman in the Bithoor area of district Kanpur Nagar. On this Shri Tripathi and his team began to search the area where the gang had been sighted. After some time a group of eight to nine armed persons was spotted in the light of the headlamps of the vehicles of the police party. Shri Tripathi Addl SP and members of his team moved towards them. On being seen, the gang members tried to take cover in the fields which had crops in them and behind the trees. Shri Tripathi and his team challenged the dacoits and after introducing themselves asked them to surrender. However the members of the gang instead of surrendering replied with abuses and began to fire at the police party. On this Shri Tripathi Addl SP, divided his group into three teams. Party number one was led by Shri Tripathi himself, second by Dy SP Indra Jit Singh Teotia and the third by SI TB Singh respectively. Despite great risk to their lives, the police parties inched closer to the dacoits, firing in a controlled manner. In order to motivate his men Shri Tripathi Addl SP took the lead and moved ahead with support of covering fire from his comrades. A bullet hit and was deflected from his bullet proof jacket. On this he fired towards the gang of dacoits injuring one of them. Meanwhile Dy SP Shri Indra Jit Singh and his team also fired at the dacoits injuring one of them. The police party in order to catch the dacoits alive managed to reach very close to one of them. This dacoit suddenly raised his rifle to fire at them. On this Shri Tripathi Addl SP

reacted quickly and raised the barrel of the gun of the dacoit upwards, who then managed to escape in the melee. Another bullet fired by the fleeing dacoits hit the bullet proof jacket of Shri Tripathi again. Once the firing ceased the police personnel found three dacoits lying seriously injured. They were taken to the nearby hospital where they were declared dead on arrival. These dead dacoits were identified as

1. Raghuvir Dhimar on whom the government of UP had declared cash reward of Rs fifty thousand and the government of MP a cash reward of Rs forty thousand.
2. Mohan Dhimar on whom the government of UP had declared a cash reward of Rs ten thousand and the government of MP a cash reward of Rs fifteen thousand.
3. Bhajan Lal a hard core member.

The following recoveries were made from the site of encounter:-

(i) One Rifle Winchester
(ii) One D.BB.L. Gun Factory made
(iii) One S.B.B.L Gun Factory made
(iv) 9 live cartridges of 7.61 bore
(v) 8 live and 20 empty shells of 12 bore.

In this encounter S/Shri Ashok Kumar Tripathi, Additional Superintendent of Police, Indra Jit Singh Teotia, Deputy Superintendent of Police, and Tej Bahadur Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/ 2nd Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-02-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 77--Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Railway Protection Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Chandra Bhan Singh,
Constable,

Statement of service for which the decoration has been awarded.

For quite sometime, theft of oil and copper coil from Auxiliary Transformers used in OHE was being reported over Agra Division of North Central Railway. On these complaints case crime number AGC/RPF/C-3A&B/Loc-8/OHE-1/2008 dated 31-07-2008 and RPF/C-3A&B/Loc-10/OHE/MTJ/2008 dated 01-08-2008 were registered at RPF post Agra Cantt. and Mathura respectively. To control this menace Shri Chandra Bhan Singh and Shri Kadam Singh, Constables of Railway Protection Force, Out post of Baad were deputed for the patrolling duty between Baad-Mathura section between KM No. 1386- to 1395 in the night of 27-28 August 2008 form 1800 hrs to 0500 hrs for the protection of Railway property and equipment with arms and ammunition. At about 2345 hrs when both the above Constables were patrolling near KM No. 1392/17 they stopped three suspicious looking persons on motorcycle going towards Baad Station. On this suspicion Constable Chandra Bhan Singh asked them to stop, they stopped their motorcycle and opened fire on him which resulted in one bullet hitting the right thigh of Constable Chandra Bhan Singh. Without caring for his life and showing immense courage, Constable Chandra Bhan Singh also opened fire from his service pistol, which resulted in death of one criminal named Giriraj Singh S/o Buddha Singh R/o Village Taroli, Police Station Chhata, District Mathura. Two of his associates managed to run away, leaving their motor cycle, four empty jerry cans and 14 feet of plastic pipe behind. Constable Chandrabhan Singh was taken to civil hospital Mathura and admitted there for treatment. On his FIR the Civil Police Thana High Way, Mathura registered a case crime number 571/08 u/s 307 IPC dated 28-08-2008. Police records have shown the slain criminal to be a member of gang indulging in theft of auxiliary transformer Oil of the Railways. Civil Police Station, Highway, Mathura had also registered a case against the criminal for illegal manufacturing of weapons in the year 2003 vide case on crime No;. 39/03 u/s 5/25 Arms Act.

In this encounter Shri Chandra Bhan Singh Constable of Railway Protection Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-08-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 78–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Udal Singh,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 04 September 2007, G/5004705Y Rifleman General Duty Udal Singh was buddy pair of Major Rajinder Kumar Sharma, when an ambush was laid on a track to eliminate armed terrorists in IRILBUNG RM 4582. At 040130h, a gypsy unexpectedly came from bylane onto the track and both officer and jawan tried to stop it. The occupants immediately opened automatic fire and inspite of facing death from such close quarters Rifleman Udal Singh retaliated and fired back on the escaping gypsy. They both then chased the gypsy and forced the occupants to dismount and escape into paddyfield. One dead terrorist and one AK47 were recovered from vehicle. At 040430h Rifleman Udal Singh entered the paddyfields with his Company Commander and was fired upon immediately by the hidden terrorists. They both by employing fire and maneuver tactics shot dead one more terrorist and recovered one AK56 Rifle. Later inputs confirmed that the two terrorists killed were People's United Liberation Front Armed Wing Commander and a trained cadre respectively.

In this encounter Shri Udal Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-09-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

51—121 GI/2009

No. 79–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Mutum Arjun Meitei,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Based on intelligence of own source about suspected move of armed cadres of NSCN(K) in the vicinity of Tamenglong town on 28th February, 2008 under Tamenglong Police station (Manipur), ambushes were laid along the likely routes to eliminate the insurgents. The ambush led by Maj S Upasni comprising of one junior commissioned officer and fourteen other ranks from the Battalion Headquarters established contact with a group 40-45 of heavily armed insurgents while it was in the process of occupying the ambush site at approximately 2350 hrs. Before the ambush commander could challenge the insurgents they brought down heavy indiscriminate on troops.

Shri Mutum Arjun Meitei, Rifleman/GD who was part of the covering team under heavy fire in spite of sustaining gun shot wound in his left knee resulting in heavy bleeding in the initial exchange of fire, with utter disregard to his personal safety exhibiting dauntless courage, bravery and calmness reacted with lightening speed and brought down heavy volume of fire on the group of leading insurgents. The brave soldier exhibiting raw courage, grit and determination, readjusted his position and brought down even heavier and effective fire on the insurgents, who were firing heavily on troops. His effective an d accurate fire resulted in grievous injuries to both these insurgents, forcing them to withdraw. The brave soldier continued to fire on the terrorists till he was evacuated to the unit hospital at 0115 hrs.

The raw courage exhibited by the brave soldier Mutum Arjun Meitei, Rifleman/GD enabled ambush party to effectively engage a heavily armed group of insurgents, three times the strength of ambush party in spite of sustaining grievous injury resulted in saving loss of troops, civilians and critically injuring two insurgents, one of thwo later succumbed to his injuries.

The following recoveries have been made from the site of gallant action :-

(a) Fired cartridges of M-16-21, (b) Live cartridges of M-16 – 09 Nos (c) AK 47 fired cases – 59 Nos, (d) AK-47 live rds – 5 Nos, (e) Fired cases of 7.62 mm SLR/LMG – 19 Nos, (f) Live cartridges of 7.62 mm SLR/LMG- 4 Nos (2) Broken parts of Riflem Pistol grip and butt plate of 7.62mm LMG/SLR

In this encounter Shri Mutum Arjun Meitei, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28-02-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 80–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Vijay Kumar,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Rifleman Vijay Kumar a jawan with just 05 years of service has shown exceptional aptitude in many operations and has motivation and resoluteness of a high order. During Operation "APRIL SHOWERS" launched to apprehend undergrounds involved involved in large scale extortion activities, he volunteered to be buddy of the Team Commander, Major Sushmit Banerjee, knowing fully well that the task involved was prone to high risk. At 0445 hrs, when search of the village was in progress, a suspicious motorcycle without registration number approached from Yairipok-Tulihal on road Tulihal – Lisam Lok, wherein ambush party of Rifleman Vijay was deployed. The ambush party waited till motorcycle came close by and gestured motorcycle to stop. The motorcyclists were taken by surprise and in desperation the pillion rider opened indiscriminate fire with a modified carbine at ambush party and began speeding away. While the Ambush Party Commander rushed ahead towards approaching motorcycle, Rifleman Vijay Kumar took position to provide covering fire to the officer, who brought down the militant riding the motorcycle with effective fire. Motivated by his Commander, Rifleman Vijay Kumar, unmindful of his personal safety also rushed forward and shot down the second underground with effective fire thereby preventing him from firing upon his commander and escaping. The bold action of the gallant soldier and the officer led to the neutralizing of two terrorists, namely self styled Assistant Finance Secretary Mohammad Mustafa and Abdul Aziz alias Tomba of PULF (AZAD) group.

The following arms and ammunition were recovered from slain militants:-

a) Modified Carbine 9 mm with magazine- 01
b) Pistol 9 mm (Chinese) with magazine - 01
c) 9 mm live rounds / fired cases - 05
d) Mobile Telephone - 01
e) Motorcycle (Pulsar) - 01

In this encounter Shri Vijay Kumar, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17-04-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 81–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Indrajit Ramchiary, (Posthumously)
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

(Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary was performing the duties of the leading scout of a patrol tasked to lay an ambush in the area of BP-56 (RR-5190).

On 04th June 2008 when the patrol was approaching BP-56 (Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary disregarding his personnel safety checked the track upto the border pillar thoroughly for Improvised Explosive Devices. Even after the patrol Commander was convinced about the safety of the track to BP-56, (Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary acting beyond the call of duty volunteered to check the area ahead of BP-56. In this process he accidentally triggered an Improvised Explosive Devices planted by UG's and sustained serious injury to his left foot.

Despite having been injured and losing a large amount of blood, (Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary refused the stretcher as it would hamper the move of the patrol towards the base and walked through to the patrol base. The move to the patrol base involved an uphill march through thick jungle and nalas for more than eighteen hours. Only when he started feeling extreme pain did (Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary accept to be stretcher borne.

In spite of being grievously injured and been in extreme pain, (Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary kept his own and the entire patrols spirits up by maintaining a calm and a smiling attitude. However at about 0715 hrs on 05 June, 2008, (Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary succumbed to

his injury due to loss of blood. In the entire course of events, (Late) Rifleman/General Duty Indrajit Ramchiary set a example with his extreme mental and physical toughness which motivated all his comrades.

In this encounter Late Shri Indrajit Ramchiary, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05-06-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 82–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Prabhat Singh Jamal,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 11 November 2008, specific information was received that armed KYKL terrorists were planning to target Keithelmanbi garrison, the Headquarters of 9 Sector Assam Rifles. Based on this intelligence, an operation was launched at 1800 hours by the Battalion Special Team. Inspite of knowing that the terrorists will be armed and dangerous, Number G/3200783W Rifleman Prabhat Singh Jamal, volunteered to be the stop in the ambush which would encounter the terrorists first. At 1830 hours, two suspects were seen moving on the bylane. Rifleman Jamal challenged them to stop and raise their hands. However, one terrorist took out a pistol and fired upon the brave soldier and then both fled in different directions. Miraculously missing certain death by a whisker, the brave soldier remained unfazed and immediately started chasing the fleeing terrorists and retaliated by firing back. Due to effective fire of Havildar Jamal, one terrorist was hit on his shoulder and unable to escape, he took up position inside a nullah and continued firing. Rifleman Jamal with utter disregard to his own safety started crawling towards the terrorist while his buddy gave him covering fire. Feeling cornered and in desperation to break contact, the injured terrorist lobbed a grenade No 36 at the valiant soldier, whose splinters astonishingly missed the brave soldier. But showing inspirational bravery, Rifleman Prabhat Singh Jamal got up and charged onto the well entrenched terrorist and shot him down in a hail of bullets. The other terrorist taking advantage of the darkness and restrained fire of own troops, due to built up area, managed to escape.

In this encounter Shri Prabhat Singh Jamal, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11-11-2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 83–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Alok Kumar Srivastava,**
   Deputy Commandant
2. **Rajesh Kumar Yadav,**
   Sub Inspector
3. **Ajay Kumar Bag,**
   Constable
4. **Pawan Kumar,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On receipt of a specific information that a group of naxalites under leadership of a hardcore naxal Ayatu entered in Devarpalli village under PS:- Dornapal, Dantewada, Chhattigarh and kidnapped some villagers and thereafter moved into nearby forest along with kidnapped villagers, a party of 119 Bn, CRPF under command of Shri Alok Kumar Srivastava, Deputy Commandant along with civil police rep. Sub-Inspector Narsingh Ram and others launched a special operation to eliminate the naxalites and to neutralize their nefarious designs. The Naxalites were taking a meeting and they were in plan to kill some villagers as punishment for joining Salwa Judum movement and also attack Salwa Judum Relief Camp, Dornapal. Shri Alok Kumar Srivastava, Party Commander divided his men into four parties to nab the armed naxalites. They marched at about 0900 hrs on 8/6/06 and the rendezvous was at village :- Devarpalli where the naxalites were reportedly hiding and organizing a meeting where they had forcibly collected villagers. The operation was well planned which took naxalites by surprise. However, the naxalites after realizing that police party is nearing them took position in deep forest, nallas, hills and fired upon the police party with automatic weapons like AK-47, SLR etc. They also resorted to IED/Bomb blasts. Shri Srivastava immediately took control of the situation and ordered his men to repulse the naxal attack. While Police Party led by Shri Srivastava was advancing towards naxalites, the other three parties also tactically moved forward towards Naxalites. The naxalites started calling each other by name with the direction to cordon off police party for killing and snatching their weapons and they increased the volume of fire and started blasting IEDs. Having left with no alternative, security forces effectively retaliated by opening heavy fire towards the naxalites. Their immediate and brave actions forced the attacking naxalites to abandon their position and flee. The exchange of fire continued for about 3 hours. Thereafter, troops cordoned the whole village and

started search operation. Troops apprehended 5 naxalites including 2 women naxalites from Devarpalli village out of which two men and one lady Naxal were found injured. Shri Alok Kumar Srivastava, DC exhibited exemplary courage by leading troops from the front in the above operation. Amidst heavy volumes of fire did not deter his troops from advancing towards naxalites and gainfully lead the troops to its logical aim. Similarly, SI (GD) Rajesh Kumar Yadav had also shown exemplary courage and determination while actively engaged in the operation. He faced heavy fire by Naxalites bravely and courageously moved forward and retaliated effectively by opening fire towards naxalites from his weapon. CT (GD) Ajay Kumar Bag while advancing towards naxalites all of sudden came under heavy fire but he took the initiative and boldly risked himself to bear the main burst of naxalite firing he advanced forward by crawling and took position behind trees. Even when naxalites started indiscriminate firing towards troops he did not care for the grave risk to his life and retaliated naxalites attack by opening effective fire power with his weapon. He displayed gallant action with his tenacity, devotion and bravery. CT (GD) Pawan Kumar while moving forward came under heavy firing by the naxalites. Despite risk to his life he fearlessly and tactically advanced forward by crawling and in low lying position and took position behind tree. Thereafter, he moved forward amidst heavy volume of fire by the naxalites. He courageously and valiantly thwarted the attempt by Naxalites to penetrate into cordon zone to escape. His gallant action in the operation was a saga of bravery.

As per reports published in the local newspapers at least 10 Naxals were reportedly killed/injured in the above operation which was also confirmed by the senior state police officials. In addition to this, 5 naxalites were apprehended and 3 nos. of Detonators, 5 nos. of IEDs, one Tiffin bomb, live rounds, cell, wire and empty case were recovered. Security forces conducted search operation on 9/6/06 and also on 12/6/06. On 12/6/06 two dead bodies of unidentified personnel were recovered from the incident site. Recovered dead bodies were handed over to civil police. In this operation the above personnel played key role to foil a major naxal move, disorganized naxalites who were planning to attack Dornapal Relief Camp housing more than 500 villagers who had quit their houses following naxal fear and innocent villagers were also rescued from being abducted and killed.

In this encounter S/Shri Alok Kumar Srivastava, Deputy Commandant, Rajesh Kumar Yadav, Sub Inspector, Ajay Kumar Bag, Constable and Pawan Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08-06-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 84–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Ram Charitra,
Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 29/11/06, Inspector K.L.Nand, SHO Mirtur, received a strong intelligence from his local source about nefarious planning of Naxalites to attack 'Salwa Judum" Relief Camp, nearby Police Station and Police Post. They had gathered in huge number and not less than about 150 in the forest of Hurepal and Yetpal. Based on this information, a special operation was immediately planned by Shri R.L.Dangi with consultation of Shri Ramcharitra, Commandant 31 Bn CRPF. Joint troops of the CRPF, District Executive Force and Special Police Officers (SPOs) were ordered to move early in the next morning towards the suspect area on foot in the leadership of Shri Nand at about 12.45 hours, as soon as the assault party reached near the Bechapal jungle area, all of sudden Naxalites opened heavy fire on the troops. The troops immediately took position and retaliated with heavy fire. The Naxalites were very large in number and firing with automatic weapons like AK-47, SLR and LMG. Sensing the gravity of situation Shri Nand immediately passed on the message to Superintendent of Police, Bijapur and Commandant 31 Bn CRPF based at Nelsnar for the reinforcement. Both, Shri Dangi and Shri Ramcharitra immediately rushed to the spot with additional force. The SP and CO, both after proper briefing the troops, advanced toward Hurepal forest area. As soon as police party approached near the Hurepal forest, Naxalites opened indiscriminate fire and blasted IED to prevent the additional forces to reach the spot. They also threw petrol bombs on the police party. With great difficulty, police party, taking shield of rocks and jungle trees, reached the dominating spot and apprised the first assault party about their position. Shri Dangi and Shri Ramcharitra divided themselves into two parties and took charge of the whole situation. Shri Dangi along with Shri Nand moved towards western side whereas Shri Ramcharitra took position on the eastern

side and tried to surround the Naxalites. Naxalites continued firing with automatic weapons and also blasted one more land mine. But the police parties retaliated the firing without fearing their life. All of sudden naxalites started throwing patrol bombs on the police troops. Due to fire and smoke, life of policemen fell in danger. But, Shri Dangi and Nand showed high professional acumen and admirable presence of mind and without caring for their life, continued moving ahead in crawling position. The terrain was very difficult. After crawling for nearly 350 meters, they reached close to the Naxalites. Similarly, Shri Ramcharitra, taking tactical movement. Kept on retaliating the Naxalites firing and did not let the Naxalites take dominating position. Shri Dangi, Shri Ramcharitra and Shri Nand were leading the troops from the front. In the meanwhile, the Naxalites, who were firing at the party, party noticed the position of Shri Dangi and fired at him. Shri Dangi swiftly changed his position to escape the attack and showed conspicuous valour, courage and alertness. Without caring for his own life, he promptly fired in self defence resulting into killing of one Naxalite. On the other side, Shri Ramcharitra also showing conspicuous valour, courage and without caring for his own life continued firing in self-defence. Inspite of indiscriminating firing by the Naxalites, one Naxalite got killed due to shaft and active response of Shri Ramcharitra. After sometime Naxalites could not with stand police firing and fled into jungles. During search of the area, police recovered one muzzle loaded gun, one 4 Kgs landmine, 100 feet electric wire with detonator, two pressure bombs, naxalite literature and *pithu* bag containing daily use items. The identity of the killed naxalite was established as (1) Konda S/O Mangu Muriya, 30 yrs age Hurepal and (2) Radha alias Radhe W/o Guddi Muriya, 26 yrs, village Dorraguda. The police party also noticed heavy blood spots and dragging marks at different places which indicated that the Naxalites managed to escape with at least two more dead bodies with them taking advantage of darkness, hilly terrain and the thick forest.

In this encounter Shri Ram Charitra, Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30-11-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 85–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Surender Kumar Singh,**
   Sub Inspector
2. **R P Shukla,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 15/05/2007 at about 1600 hrs specific information received from local source about assembling of two militants at Taweed colony Bareil water hall District Budgam (J&K). As per information they were planning to launch an attack on any vital installation or camp of security forces. After receipt of information I/C out post water hall ASI Sayed Sabbir of J&K approached the platoon commander SI/GD Surender Kumar Singh of D/89 Bn, CRPF and narrated him about the militants presence in the area. Accordingly operation was planned and 13 personnel of D/89 CRPF A/W 08 personnel of JKP cordoned the entire Taweed colony Bareil water hall SI/GD Surender Kumar Singh alongwith his section took over the position to the right side of the indentified house and HC/GD R.P. Shukla alongwith his section took over the position to the left side of the house.

After proper planning and assessing the likely escape routes and after ensuring the full proof cordon, militants hiding in the house of Gulam Mohd Dar were challenged. Once militant come to know that their presence has been noticed by police and they have been cordoned by CRPF and JKP police personnel, both the militants came out of the house and started running to the right side and left side of the house by resorting heavy firing on the troops with purpose to break the cordon and manage to escape on seeing the fleeing militant from the right side of the house, SI/GD Surender Kumar Singh alerted his troops and took position and started retaliatory firing on fleeing militant. On seeing the presence of troops in front of him. The fleeing militant also took position in nearby bushes and kept on resorting heavy firing. Further SI/GD Surender Kumar Singh assessed the situation

and ordered his men not to fire on the militant as the militant had taken cover of bushes. SI/GD Surender Kumar Singh without caring for his life crawled towards the position of the militant, facing the heavy fire and after ascertaining his position he fired with his weapon and killed him.

The second militant who was fleeing towards the left side of the house by resorting indiscriminately heavy fire on personnel who were sitting in the cordon was first spotted by HC/GD R.P. Shukla and all the personnel maning the cordon also resorted to retaliatory fire. After seeing the presence of troops in front of him the militant hided him in a depressed landfill and sat quietly. HC/GD R.P. Shukla after not seeing the fire from militant's side also directed his men not to fire. After observing silence from both sides for about 5 to 7 minutes, HC/GD R.P. Shukla took a decision to go for search of likely area where militant might be hiding alone. HC/GD R.P. Shukla left his position and crawled tactfully towards the militant's position without caring for his life but militant noticed him move and fired heavily on him with his AK-47 rifle. HC/GD R.P. Shukla faced this deadly situation with courage and displayed an act of exceptional bravery and killed another militant by using his field craft and tactics.

Militants killed in the operation later identified as member of LeT (Lashkar-e-Toiba) outfit Tanzeem as Syed Mohd. Sartaj alias Bukhary District Commander of LeT Budgam s/o Sayed Sah r/o Chewdare (Beerwah) District Budgam(J&K) Syed Sartaj alias Bukhary has qualification of B.Sc., B.Ed. he joined LeT group on 20/07/2006. The second one militant identified as Toshef Ahmed Wani alias Usman s/o Mohd Rafiq Wani r/o Helf Sherimal Sopiah who has joined militancy during year 2006.

02 AK-47 Rifle 10 magazines of A.K. -47, 250 rounds of AK-47, one Mobile phone set, 02 pouch, 02 Identity cards, 03 Diaries, 05 SIM card of M/phone set and 01 purse were recovered from their position. Dead bodies of the slain militants and all other items handed over to local police. FIR lodged in police station Budgam (J&K) on 16/05/07. During the operation no loss of life caused to the either security forces.

In this encounter S/Shri Surender Kumar Singh, Sub Inspector and R P Shukla, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15-05-2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 86–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Jai Bhagwan,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 16/09/2006, on receiving specific information concering the presence of militants in village Wahipura, Pulwama (J&K), a joint operation with 55 RR and State Police was launched. After identifying the target house, one party each of CRPF, Police and army advanced towards the particular house. The militants hiding in the target house opened heavy firing on those parties. Boldly facing the volley of militants' fire, SI/GD Jai Bhagwan of 166 Bn. CRPF advanced to rescue the civilians who were trapped in between militants and security forces. SI/GD Jai Bhagwan of 166 Bn. not bothering about his personal safety started rescuing the children and women with an effective back up covering fire from other parties. Showing exemplary act of bravery SI/GD Jai Bhagwan of 166 Bn. CRPF rescued all the trapped civilians. By then militants shifted their position in a bunker under the toilet sheet and continued the firing. SI/GD Jai Bhagwan of 166 Bn., CRPF retaliated the gun fire undeterred by the heavy volume fire of militants and also lobbed grenade in the bunker where militants were hold up. The dare devil action by SI/GD Jai Bhagwan of 166 Bn., CRPF not only helped to liquidate two hard core militants but also saved number of innocent civilians whose life were at stake in the cross fire. The militants were later identified, as Shabir Ahmad Bhat alias Umar R/O Dangerpora and Feroz Ahmad Bhat R/O Armulla of Hizbul Muzahiddin outfit.

Besides this, AK-47 Rifle-01 (damaged) AK-56 Rifle-01 (damaged), AK Magazines-02 (damaged), AK Rounds -90 Nos, Grenade-01 (destroyed), UBGL Grenades- 03 (destroyed), UBGL Launcher-01 (damaged), Mobile Phone with SIM-02 (damaged) and Phone-03 Nos were recovered from them. CRPF team fired 23 rounds of AK-47 and 22 Rounds of 7.62 SLR. Recoveries/Dead Bodies were taken over by local Police. No losses/damages made by any one. Conspicuous gallant action displayed by SI/GD Jai Bhagwan of this unit was highly appreciated by local police, army and CRPF authorities.

In this encounter Shri Jai Bhagwan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16-09-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

54—121 GI/2009

No. 87–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **A.P. Maheshwari,**
   Inspector General
2. **Naresh Pal,**
   Constable
3. **Ajay Bhan Singh,**
   Constable
4. **Sanjeev Sharma,**
   Second-in-Command
5. **Vikram Singh Bisht,**
   Deputy Commandant
6. **Sanjiv Kumar,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

During the course of public rally by Youth Congress of J&K on 21/5/06 at Sher-e-Kashmir Park, Srinagar, which was to be addressed by prominent personalities, State Ministers and the Chief Minister; the public meeting witnessed chaotic scenes when two fidayeens dressed in police uniform opened indiscriminate fire and threw grenades. It was around 1330 hours when the State Education Minister was addressing the rally that the first fidayeen in JKP uniform sneaked through the main entry and when confronted by Ct Farooq Ahmed of JKP at the entry gate opened fire with his AK-47 rifle killing Ct Farooq Ahmed. The Second Fidayeen also in JKP uniform who had mingled with the public thereafter opened indiscriminate fire towards the civilians and security forces and lobbed grenades. Shri Rajendran IGP, Kashmir Zone rushed towards the area from where the initial firing had taken place and to his misfortune got seriously injured in the firing resorted to be the fidayeen near the dais. Shri A P Maheswari, IG CRPF who had just reached the nearby Amar Singh Club compound after his visit to CRPF Units in

the City, enquired on the firing and the blast from SSP Srinagar on Mobile phone as Sh Rajendran IG Kashmir Zone failed to respond. On hearing of the incident, Shri Maheshwari immediately rushed to the rally site and simultaneously directed Shri Narendra Bhardwaja, DIG (Adm) Srinagar and other officers to reach the rally site besides directing the ADIG (Int) for immediate dispatch of the mobile bunkers and the available QRTs and Commando teams to the rally site. Having taken stock of the situation on ground and in consultation with Shri Farooq Ahmed DIG (CKR) and SSP Srinagar, Shri A.P. Maheshwari, IG (Adm) Srinagar took command of the situation being the senior most and started tactical deployment of the Force by which time Shri N Bhardwaja, DIG (Adm) Srinagar and other officers reached the site. The first step taken was to evacuate the public from the Park after due coordination with JKP and CRPF troops which itself was a Herculean task. Shri Sanjeev Kumar, 2IC, 131 Bn with his troops cordoned off the Sher-e-Kashmir Park facilitating evacuation of the public. Meanwhile, Shri Vikram Singh Bisht, DC, 27 Bn, CRPF along with Shri Anand Jain SP (E), JKP advanced towards the dais in BP bunkers where a fidayeen was firing indiscriminately. Ct Ajay Bhan Singh of 27 Bn, CRPF who was atop the BP bunker fired at the fidayeen followed by firing of 5 IRB personnel, as a result of which the first fidayeen was neutralized. The Second fidayeen took advantage of the commotion and hide himself. The task of Shri A.P. Maheshwari, IG (Adm) Srinagar became more difficult as proper sanitization of the area was necessitated since the CM accompanied by the DGP was to reach the area. The tactical positioning of the troops and the effective cordoning of the park and the adjoining areas with BP bunkers produced the desired effect. Having noticed that he was cornered, the second fidayeen tried to break through the cordon by opening fire which disclosed his position. Shri A.P. Maheshwari, IG (Adm) Srinagar along with Shri N. Bhardwaja DIG (Adm) SNR immediately proceeded in the direction from where the fidayeen had opened fire thereby risking their lives. They both took position at a vantage point and directed the teams from all directions to surround the office of IG Traffic where the fidayeen was holed up. Both Shri Maheshwari and Shri Narendra Bhardwaj positioned themselves in the killing zone from where they anticipated the militant would run on noticing the pressure from all other directions. Shri Maheshwari, thereafter, tasked the available Commandants to act as stop parties with their QRTs. The local police officers had also joined the CRPF parties by then. The militant, in the meantime, jumped out of the building of IG Traffic and immediately attempted to throw a grenade which gave him away and on the directions of Shri Narendra Bhardwaja, Ct Naresh Pal, 131 Bn who was atop the BP bunker alongwith Ct Sandeep Kumar of 71 Bn, simultaneously opened fire which neutralized the fidayeen. Apart from neutralizing two fidayeens, recovery of 2 AK-47 Rifles, 5 magazines, 26 live rounds and 2 live hand grenades were also made during the operation.

The most difficult task of neutralizing the two fidayeens dressed in JKP uniform and heavily armed in the midst of public was accomplished within a span of two hours.

In this encounter S/Shri A.P. Maheshwari, Inspector General , Naresh Pal, Constable, Ajay Bhan Singh, Constable, Sanjeev Sharma, Second-in-Command, Vikram Singh Bisht, Deputy Commandant, and Sanjiv Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21-05-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 88-Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri P R Mishra,
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded.

A requisition was received from Civil Police for conducting raid and search ops in nearly by villages. Accordingly, two platoons under command of Shri P R Mishra, AC, moved tactically after taking the due security precautions for Cordon and Search. On the way, noticing a culvert near river Satvani, troops stopped and started checking for the presence of any odd. The doubt came true as CPI (M) cadres sitting in an ambush started firing upon the CRPF party from both sides of the road followed by landmine blasts. Immediately, Shri P R Mishra, AC, alongwith his party took position and retaliated in a controlled way by taking all precautions. In the course of exchange of fire, a powerful mine was exploded very close to Shri P R Mishra, AC by naxalites, but this did not deter him and with presence of mind he continued firing and kept up the morale and confidence of his men at every moment. It is worth important to mention here that Shri P R Mishra, AC fired judiciously from his own AK 47 rifle besides constantly directing and supervising CT/GD Sukhbir Singh and CT/GD Ranapratap Sur and with their proactive role he penetrated the ambush by firing mortar bombs on the suspected points/locations. In the meantime, 2 platoons of G/136 under command of Shri D C Baskey AC reached the spot as re-enforcement from different directions. Sensing the strength of the Force to be stronger than expected, the naxals retreated after a 6 hours long battle. Shri P R Mishra, AC exhibited a rare example of daredevilry, cool and tactical acumen. He not only repulsed the attack of naxals successfully but also remained in touch with Bn HQr over the wireless. Such a gallant action motivated his men to fight back and that too very vigorously. In the back of his mind, he knew "in a situation like this, he had to act gallantly or perish". It is due

to his rare tact and courage, that he managed to compel the 200-250 men strong party of naxals to run away without sustaining any damage, although the naxals had prepared for complete massacre by planting 40 odd landmines while they themselves were safe behind tactically built up morchas. The following explosives were recovered from the incident site.

a)	Iron pipe bombs	- 05 Nos 3-5 feet long & 50-85 Kgs
b)	40 Kg Cylinder bombs	- 04 Nos
c)	40 Kg Claymore mines	- 02 Nos
d)	5 Kg Cane bombs	- 02 Nos
e)	60 Kg Steel container bomb large	- 01 No
f)	20 Kg Steel container bomb small	- 01 No
g)	Cameras	- 02 Nos
h)	Firing Pins of HE bomb	- 02 Nos
i)	Charger clip	- 01 No
j)	Electric Wire	- 1000 metres

In this encounter Shri P R Mishra, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30/01/2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 89–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Chandra Ballabh,**
   Sub Inspector,
2. **Raman Goud,**
   Constable
3. **Pradeep Kumar Roy,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

A Platoon of D/83 Bn was deployed in the interior Nallamulla Forest at Mannanoor in Mahaboob Nagar (Andhra Pradesh) with a strength of one SI, 6 Head Constables and 17 Constables, to protect the Police Station Out Post and to carry out anti-naxalites operations in the area. On the 3rd June 2005 at about 2115 hrs, a large group of CPI Maoists numbering over 70-80, suddenly attacked the Out Post from all directions with rocket launchers, petrol bombs, bucket bombs (directional mines), locally made hand grenades, .303, 7.62 mm and AK-47 Rifles etc. in the dead dark night. They initially fired at the sentry post, followed by a rain of bullets and explosives from rocket launchers from all directions. Constable/GD Pradeep Kumar Roy, who was sentry at the roof top morcha and Constable/GD Raman Goud, who was sentry in the northern morcha, who sensed the movement and suddenly repulsed the attack with tactical response of controlled firing. SI/GD Chandra Ballabh, the Post Commander, immediately swung to action and started moving from post to post, deploying his men and engage them tactically to repulse the attack. Since, they had limited quantity of arms and amns and since there was no possibility of re-inforcement coming from any where (at the same time Maoists had also attacked the CRPF post at Amrabad, to prevent the re-inforcement) and since it was along drawn battle, knowing the Maoist tactics, SI/GD Chandra Ballabh exhibited a great sense of commitment and tact in repulsing the planned heavy attack. Least caring for his life, he moved from post to post in the midst of raining bullets, which ultimately resulted in not only protecting all his men and weapons, but also made the Maoist in large number to beat a hasty retreat.

His tact to order firing of para-illuminating bombs enabled personnel to make aimed firing in the dark night. Going by the past experience, it is a rare act on the part of the security forces to repulse such planned attack with heavy fire power, out numbering the strength of the post. Constable/GD Pradeep Kumar Roy, pre-judging the possible intrusion through the main gate, where the bulk of the attack was concentrated, engaged in tactical fire from his LMG Post and nullified their

efforts to intrude. But for his timely action in the midst of concentrated firing at his morcha, the post would have been run over. Constable/GD Raman Goud, exhibited a great sense of alertness and courage in noticing the movement of Maoist in the dark night and engaged by pinning them down, by not allowing them to come closure to intrude the post. The efforts of Maoist to remove this main hurdle with heavy fire at his morcha was successfully repulsed. The 17 civil police personnel available in the Out Post also assisted CRPF in their effort to repulse the attack. All these efforts not only saved the out post from the sure running over, but have also demoralized the Maoists, which has greatly contributed to control their expansionist strategy.

In this encounter S/Shri Chandra Ballabh, Sub Inspector, Raman Goud, Constable and Pradeep Kumar Roy, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03-06-2005.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 90–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Shyamal Prasad Saikia,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 16.02.2008, acting on a tip off regarding presence of a group of armed ULFA militants at Naphuk Naharanibam village under Sonari PS, Shri Shyamal Prasad Saikia, Superintendent of Police, Sivasagar district organized a joint operation with 316 Field Regiment of Army, Sivasagar. Accordingly, Shri Saikia alongwith the Police and Army personnel marched towards the village and cordoned off the area. The operational team suddenly came under heavy fire at about 2-45 AM from the house of one Kamala Bawri of village Naphuk Naharanibam while taking cover Shri Saikia jumped down from a hillock and got hurt on his right ankle. Inspite of his injury, Shri Saikia commanded the operational team for quick retaliation. He also started firing with his AK-47 exposing himself to the extremists firing. This galvanized other security personnel and they also started firing towards the militants resulting into a fierce encounter. The fire continued for about 50 (fifty) minutes. Shri Saikia fired 17 (seventeen) rounds from

his AK-47 rifle. In the encounter, 04 (four) hardcore ULFA militants got killed due to timely and quick retaliation by Shri Saikia and his team and other militants managed to escape under cover of darkness. This refers Sonari PS case No.35/08 U/S 353/307 IPC R/W sec. 25 (1) (a) Arms Act R/W sec. 10/13 UA(P) Act.

One AK-47 Rifle, two magazines, 14 rds. live 7.62 mm ammunitions, one pistol (made in Italy) with four rds. live 9 mm ammunition, three nos. of 36 hand grenades, one Chinese grenade and some incriminating documents were recovered from the encounter site. The killed ULFA militants were later identified as (01) Manik Likson @ Phatik Handique, s/o Kalia Handique, Vill-Singibill, PS-Geleky, (02) Ranju Hazarika @ Dhiren Dutta, S/o Lt. Bhuban Dutta of Vill- Hologuri, (03) Jatin Chetia @ Bhaity, S/o Shri Tulshi Chetia of Vill- Rongapathar, PS- Sonari, all residents of Dist-Sivasagar and (04) Keshab Molia @ Babu @ Hari Prasad Koch, S/o Shri Khudiram Molia of Vill- Nikinikhowa gaon, PS- Jengraimukh, Majuli, Dist- Jorhat.

In this encounter Shri Shyamal Prasad Saikia, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16-02-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

(CENTRAL STATISTICAL ORGANISATION)

New Delhi-110001, the 9th June 2009

No. M--13011/01/2009-TAC/NAD (PCL)—The Government of India hereby reconstitutes the Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living with effect from 9th June, 2009 with the following members :

1.	Director General Central Statistical Organisation Ministry of Statistics & Programme Implementation Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg New Delhi – 110 001.	Chairman
2.	Adviser Perspective Planning Division Planning Commission, Yojana Bhawan New Delhi – 110 001.	Member

3.	Economic & Statistical Adviser Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan New Delhi – 110 001.	Member
4.	Economic Adviser Ministry of Finance Department of Economic Affairs North Block, New Delhi – 110 001.	Member
5.	Sr. Economic Adviser Ministry of Commerce and Industry Udyog Bhawan, New Delhi – 110 001.	Member
6.	Economic Adviser Department of Consumer Affairs Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001.	Member
7.	Director General & Chief Executive Officer National Sample Survey Organisation Ministry of Statistics & Programme Implementation Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi – 110 001.	Member
8.	Additional Director General Field Operations Division National Sample Survey Organisation East Block No. 6, R. K. Puram New Delhi – 110 066.	Member
9.	Director General Labour Bureau Ministry of Labour Cleremont Building Shimla– 171 004.	Member
10.	Additional Director General NAD(PCL Unit) Central Statistical Organisation,S.P.Bhawan New Delhi – 110 001.	Member
11.	Chairman Commission for Agricultural Cost & Prices Department of Agriculture & Co-operation Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan New Delhi – 110 001.	Member

56--121 GI/2009

12.	Executive Director Reserve Bank of India, Central Office Central Office Building Shahid Bhagat Singh Road Mumbai – 400 001.	Member
13.	Director, Directorate of Economic & Statistics Government of Kerala Trivendrum.	Member
14.	Director Directorate of Economics & Statistics Government of Himachal Predash Shimla.	Member
15	Director Directorate of Economics & Statistics Government of West Bengal Kolkatta.	Member
16.	Prof. C. P. Chandrasekhar Jawaharlal Nehru University New Delhi – 110 067.	Member
17.	Prof. Arup Mitra Institute of Economic Growth Delhi University Enclave Delhi – 110 007.	Member
18.	Sh. P.T. Rao Finance Sector Incharge Bharatiya Mazdoor Sangh Edakkatti House, Sastha Temple Road Aluva-683101. Kerala.	Member
19.	Sh. Sharad S. Patil Secretary General Employers Federation of India, Army and Navy Building 148 - M G Road, Mumbai-400001.	Member
20.	Deputy Director General NAD(PCL Unit). CSO,S.P.Bhawan New Delhi –110 001.	Member-Secretary

2. The representatives of the state governments, the academic field and the employee(s) trade unions/employer(s) organisations will serve on the Committee for a period of two years with effect from 9th, June,2009.

3. The terms of reference of the reconstituted Committee are as under:

(i) Examination of proposals for the conduct of Family Budget Enquires by Central Government, State Governments and Union Territory Administrations;

(ii) Examination of schemes prepared by the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations for the construction of consumer price, wholesale, retail, producers', comparative costliness indices, other price indices and special problems connected therewith, including problems concerning All-India and State Level indices;

(iii) Improvement and standardization of the concepts, definitions, methods of price collection and compilation of consumer price, wholesale, retail, producers', comparative costliness indices and other price indices, including methods of appropriate weighting for each type of indices;

(iv) Review of organizational arrangements and the machinery for price collection with a view to rationalizing and developing an integrated system of collection, compilation and dissemination of price statistics.

4. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme Implementation.

5. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministries/Departments/Organizations to which they belong.

6. Non-Official members mentioned at Sl. No.16 , 17,18 and 19 will be paid TA/ DA/ conveyance allowance as admissible to the non-official members for attending meetings as per instructions contained in para 1(ii) of Office Memorandum No.19020/1/84-E.IV dated 23rd June 1986 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance as amended and clarified from time to time.

7. The expenditure on account of payment of TA/DA to the non-officials at Sl. No. 16 , 17,18 and 19 of para 1 above, will be met out of the budget provision under the Plan Scheme "Capacity Development".

8. This issues with the concurrence of Financial Adviser (Statistics) vide its Dy. No. 309 / AS&FA dated 27.5.2009.

S. DAS
Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 15th June 2009

No. 5-17/2009-Akademies—In accordance with Rule 4(a) (i) of the rules and Regulations of the National School of Drama Society, the Government of India, Ministry of Culture, hereby appoints Smt. Amal Allana as Chairperson of the National School of Drama Society, New Delhi, with immediate effect. The appointment will be for a period of four years.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to the Director, National School of Drama, Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi 110001 and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NIHAL CHAND GOEL
Joint Secy.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2009